खण्ड-438, अंक-5
सोमवार, 24 वैशाख, शक संवत् 1923
(14 मई, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग-घ
प्रश्नोत्तर	1-68
परिवार कल्याण विभाग के आय व्ययक का साहित्य समय से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में आपत्ति	68
नत्थी "घ" तारांकित प्रश्न संख्या-3 स्थगित किये जाने की मांग	68
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	69
जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत मौरावां-गुरूबख्शगंज मार्ग से ग्राम अहेता तक लगभग 8 कि0मी0 मार्ग में लेपन स्तर का कार्य कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद हाथरस के सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण करने एवं स्वास्थ्य समस्याओं का निदान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69-70
मेरठ व आगरा में उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत बभनान शुगर मिल द्वारा प्रदूषण फैलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद बस्ती के ग्राम अजगेवा जगत के पंडितपुर चौराहे से बाराह क्षेत्र तक लगभग 3 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराने तथा 8 मीटर स्पेन की एक पुलिया बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद आजमगढ़ के फूलपुर (टेऊगा) में 132 के0वी0 के उपकेन्द्र के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत भू गर्भीय जल स्तर रोके जाने हेतु उरगन एवं खारी नदियों पर बंधे बनाने एवं टर्मिनल राजबाहे टेल को चम्बल डाल परियोजना से जोड़ कर किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	72-73
जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष तथा उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों द्वारा की गयी बर्बरतापूर्वक कार्यवाही के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	73
जनपद मिर्जापुर में नगरीय मार्गों के सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि को राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर व्यय किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को नियम-51 में परिवर्तित कर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाना	73-74
कार्य - स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	74-90

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान सं0-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) तथा अनुदान सं0-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) 91-129

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं0-51 राजस्व विभाग (दैवी आपत्तियों के संबंध में राहत) (स्वीकृत) 129-142

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर मतदान अनुदान सं0-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) 142

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-60 वन विभाग 143-162

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 162

सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से उठकर चले जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 162-165

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 165-166

नत्थियां 167-170

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 14 मई, 2001 ई0

निम्नांकित मा0 सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

1-	अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	
2-	अजय राय, श्री	वाराणसी	
3-	अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	
4-	अनिल कुमार, श्री	बलिया	
5-	अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	
6-	अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	
7-	अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	
8-	अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	
9-	अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	
10-	अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	
11-	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	
12-	उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	
13-	उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	
14-	ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	
15-	ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	
16-	काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	
16-	काशीनाथ , श्री	सुल्तानपुर	
18-	केशो मेहरा, श्री	आगरा	
19-	गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर	
20-	चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	
21-	जयपाल सिंह, श्री	मेरठ	
22-	जयप्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	
23-	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद	
24-	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर	
25-	ज्ञानवती सिंह, डा0	अलीगढ़	
26-	दयाशंकर, श्री	जालौन	
27-	देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा	
28-	देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात	
29-	धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	
30-	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	
31-	धर्मज्ञ मिश्र, डा0	हरदोई	
32-	नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	
33-	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	
34-	प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर	
35-	प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर	
36-	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	
37-	बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही	
38-	बच्चा पाठक, श्री	बलिया	
39-	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर	
40-	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	
41-	भरत सिंह, श्री	बलिया	
42-	भाई लाल, श्री	मिर्जापुर	
43-	महेन्द्र नाथ पाण्डेय,डा0	वाराणसी	
44-	मिथिलेश कुमारी, श्रीमती	एटा	
45-	मुराद लारी, श्री	देवरिया	
46-	यशवन्त, श्री	आजमगढ़	
47-	रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया",कुंवर	प्रतापगढ़	
48-	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना	

49- रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
50- राकेश त्यागी, श्री बुलन्दशहर
51- राजा गजफर अली खां, श्री बिजनौर
52- राजा राम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
53- राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
54- राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
55- राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
56- राम नाथ, श्री प्रतापगढ़
57- रामपाल राजबंशी, श्री सीतापुर
58- रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
59- रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
60- लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
61-बिजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
62- विजय सिंह, श्री सोनभद्र
63- विनय कुमार पाण्डेय, "बिन्नू", श्री गोण्डा
64- विनोद कुमार सिंह उर्फ
पंडित सिंह, श्री गोण्डा
65- वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
66- वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
67- वेद प्रकाश सिंह, एम0एस0,डा0 बिजनौर
68- शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
69- शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
70- शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
71- शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
72- शिव शंकर, श्री बांदा
73- शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महराजगंज
74- शेर बहादुर, श्री अम्बेडकर नगर
75- सतीश जतारिया, श्री झांसी
76- सन्त राम सिंह, श्री जालौन
77- सर्वेश कुमार उर्फ
राकेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
78- सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
79- सुधाकर सिंह, श्री मऊ
80- सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री देवरिया
81- सुन्दर लाल वर्मा, श्री मेरठ
82- सुशीला अग्रवाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
83- हरि प्रसाद उर्फ धमड़ी, श्री सोनभद्र
84- हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
85- हीरालाल गौतम, श्री आजमगढ़

सोमवार, दिनांक 14 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शिक्षकों द्वारा कोचिंग व्यवसाय चलाने के रोक पर विचार

**1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा कोचिंग व्यवसाय चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

विचाराधीन है।

कुलपति सम्मेलन 26 फरवरी, 2001 में कुलपतियों एवं माह मार्च, 2001 में विश्वविद्यालय शिक्षक संघों एवं महाविद्यालय शिक्षक संघों द्वारा अपने शिक्षकों द्वारा चलाये जा रहे कोचिंग कक्षा को समाज विरोधी गतिविधि मानते हुए रोक लगाने की सहमति एवं संस्तुति की गई है। शासन इस पर पूरी गम्भीरता से विचार कर रहा है। पूरी कार्य योजना शिक्षण सत्र 2001-2002 के प्रारम्भ से लागू की जायेगी।

कार्य योजना पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद ही विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षण जैसे पवित्र कार्य को व्यवसाय के रूप में चलाया जाना निश्चित रूप से पठन-पाठन के लिये, छात्रों एवं अभिभावकों के लिये एक सामाजिक अभिशाप ही तरह है। इस अभिशाप को दूर करने के लिये माननीय मंत्री जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है, या जो वह विचार कर रहे है, यह कार्य निश्चित रूप से स्तुत्य है, इसके लिये वह साधुवाद के पात्र हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पूरी कार्य योजना शिक्षण सत्र 2001-2002 के प्रारम्भ से लागू की जायेगी, इस सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि इस प्रतिबंध के सफल क्रियान्वयन हेतु एवं जो इसका उल्लंघन करे, ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध कौन सी दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ताकि वह इसका उल्लंघन न कर सकें और इस संबंध में शासनादेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष-

यह योजना का अंग है, जब अन्तिम रूप से आ जायेगा, तब पता चलेगा, दंडात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया क्या होगी, प्रकार क्या होगा?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, आप उत्तर देखने की कृपा करें। सरकार ने कहा है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पूरी कार्य योजना शिक्षण सत्र 2001-202 के प्रारम्भ से लागू की जायेगी?

श्री अध्यक्ष-

उसके बाद भी तो पढ़िये, नीचे भी तो पढ़िये, कोई सुझाव हो, तो दे दीजिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पूरा समाज इस बुराई से चिन्तित है और यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि कुलपतियों ने, विश्वविद्यालय शिक्षक संघों ने और महाविद्यालय शिक्षक संघों ने इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अपनी सहमति भी दी है और हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। मैं इस मत का हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की सहमति से ही कोई कदम उठाया जाए और उनकी सहमति प्राप्त हो गयी है। एक वर्ग और बचा हुआ है, प्राचार्य का। जून के महीने में मैं विश्वविद्यालय अनुसार उस क्षेत्र के सभी प्राचार्यों से इस पर वार्ता करूँगा और फिर अन्तिम रूप रेखा दी जायेगी। जहां तक दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न है, विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-49 घ के अन्तर्गत यह आचरण आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा, कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार, अंशकालिक कार्य, शिक्षण, ट्यूशन और कोचिंग कक्षाएं नहीं चलायेगा और अगर इसका उल्लंघन करता है तो 16(4) में इस बात का प्राविधान है कि उसे क्या-क्या दण्ड दिया जा सकता है। कार्य की जानबूझ कर उपेक्षा, किसी शर्त का उल्लंघन, विश्वविद्यालय की परीक्षा के सम्बन्ध में बेईमानी, शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता, अक्षमता, पद की समाप्ति इस प्रकार के दण्ड उन्हें दिए जा सकते हैं। इसमें निलम्बन भी है और सेवानिवृत्ति का भी दण्ड दिया जा सकता है। कोचिंग कक्षाएं हर प्रकार से रुकनी चाहिए। यह शासन की जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए अगर सभी लोग सहमत हैं कि कोचिंग कक्षाओं से शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है और छात्रों का शोषण हो रहा है तो यह शासन का दायित्व है कि वह इस पर प्रतिबन्ध लगाये और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो सबकी मंशा है उस पर कार्रवाही आगामी शिक्षण सत्र से होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, प्रश्न तो है कि विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाये जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए? मैं जानना चाहता हूँ कि इसके इधर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का इंस्टीट्यूट चलाता है तो क्या वह भी प्रतिबन्धित होगा? और मान्यवर,सभी छात्रों की आई0क्यू0 समान नहीं है। जब अध्यापक लेक्चर देता है तो जरूरी नहीं कि सभी विद्यार्थी उसको समान भाव से ग्रहण कर सकें। अगर जिसकी आई0क्यू0 कम है और वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है,और यदि इस प्रकार की रोक लगा देंगे तो उन्हें दिक्कत हो सकती हैं, क्या इस ओर विचार किया हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह कोचिंग कक्षा के प्रतिबन्ध का प्राविधान जो शिक्षक की आचार संहिता की परिधि में आता है उसी तक सीमित रहेगा। अर्थात् विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के शिक्षक अपने ही छात्रों की कोचिंग कक्षाएं चलायेंगे तो उसी तक प्रतिबन्ध है। अगर अन्य प्रकार की कोचिंग संस्थायें चल रही है जिसमें उस विद्यालय के शिक्षक नहीं है, कोई अन्य पढ़ा रहा है तो वह इस परिधि में नहीं आयेगा। यह प्रश्न इसलिए उठा कि यह बुराई सामने आयी है कि शिक्षक कक्षायें नहीं लेते। इस कोचिंग कक्षा का लाभ मुश्किल से 10 प्रतिशत शिक्षक ले रहे हैं। 90 प्रतिशत शिक्षक पढ़ाते हैं और कोचिंग कक्षायें नहीं चलाते हैं। विज्ञान और कामर्स में यह शिकायतें मिल रही हैं कि शिक्षक कक्षायें नहीं लेते और अपने छात्रों को अपने द्वारा चलायी गयी कोचिंग कक्षा में पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। यह एक प्रकार से शोषण है और इस पर प्रतिबन्ध लगाना है। जहां तक माननीय सदस्य नरेन्द्र सिंह जी ने प्रश्न उठाया, उसके बारे में यह विचार किया जा रहा है कि कालेज के अन्दर ही, कालेज की कक्षायें समाप्त होने के बाद एक्स्ट्रा क्लास या ट्योटोरियल के रूप में चलायी

जाये। जो छात्र अपने को कमजोर मानते हैं उनको पढ़ाने की अतिरिक्त व्यवस्था है। यह सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है कि ऐसे छात्रों को उसी कालेज के शिक्षक पठन पाठन के बाद पढ़ायें।

डा0लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारा इरादा इस प्रकार के कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने का है और उसी कालेज के प्रोफेसर उसी कालेज के छात्रों को नहीं पढ़ायेगा। मैं आपके माध्यम से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक अपने विद्यालय के अतिरिक्त दूसरे महाविद्यालय के छात्रों को कोचिंग में पढ़ायेगा तो क्या सरकार उसको अनुमति देगीं?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आचार संहिता के अन्दर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के लिए किसी प्रकार के ट्यूशन या कोचिंग करेंगें तो यह आचार संहिता का उल्लंघन है लेकिन जो डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं हैं उनके अतिरिक्त अगर कोई कोचिंग चलाता है तो वह इस परिधि में नहीं आयेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में अनेक बाधायें उपस्थित हो जाती हैं और इस कारण पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए कोचिंग की व्यवस्था अध्यापक कर लेते हैं। इसलिए मान्यवर, जानना चाहता हूँ कि जब आप भी स्टूडेण्ड थे तो एक्स्ट्रा क्लासेज यूनिवर्सिटीज और डिग्री कालेजों में चलती थी। तो क्या जहाँ कोर्स पूरा न हो वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेज चलाने की व्यवस्था करायेंगें जिससे छात्रों को कोचिंग से बचाया जा सके?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, एक्स्ट्रा क्लासेज का जहां तक सवाल है, वह टीचर स्वयं निर्णय लेता है लेकिन यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दुःखद पहलू रहा है कि जो यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित 180 दिन कक्षाओं के चलाने का प्राविधान है वह नहीं चल पा रही थी और सत्र अनियमित था। सभी अवगत हैं कि 27 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित हुआ है। सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षायें लगभग समाप्त हो गयी हैं और 20 से 25 जून के बीच सभी के परीक्षाफल घोषित हो जायेंगें। इस तरह से सत्र नियमित हो जायेगा। जहां तक गुणात्मक सुधार की बात है कुलपति एवं शिक्षक संघों ने सहमति दी है कि 180 दिन न्यूनतम कक्षायें चलायी जायँ। सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे शीघ्र अपने विश्वविद्यालय का कैलेण्डर बनायें जिसमें 180 दिन न्यूनतम कक्षायें चलाना सुनिश्चित करें। वे सहमत हो गये हैं और शीघ्र ही अपना कैलेण्डर बनाकर देंगें। इस प्रकार जो एक वर्ष में गुणात्मक सुधार और व्यवस्था सुधार में परिवर्तन हुआ है। उसी कार्य पद्धति को अपनाते हुये और शिक्षा जगत से जुड़े हुये लोगों के निर्णय और संकल्प द्वारा हम सदन को आश्वस्त कर सकते हैं कि अगले सत्र में 180 दिन न्यूनतम कक्षायें अनिवार्य रूप से चलायेंगें। अभी तक कोर्स पूरा न होने की शिकायतें आती रही हैं, उसका अवसर अब नहीं मिलेगा और पठन-पाठन गम्भीरता से पूरा किया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आज भी माननीय सदस्यों ने इस कोचिंग व्यवस्था के प्रति घोर चिन्ता व्यक्त की है। इससे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पठन-पाठन बाधित हो रहा है, अगर आज सरकार संवेदनहीन नहीं

होती तो इस तरह की स्थिति न आती। मान्यवर, आज आई0आई0टी0 और पी0एम0टी0 के पर्चे कोचिंग कालेज चलाये जाने वालों के जरिये आऊट कराये जा रहे हैं। तो क्या मान्यवर, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, इसके लिए शासन स्तर से क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री अध्यक्ष-

आपका यह प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है, यह प्रश्न आप बाद में कर लीजिएगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आज इस कोचिंग के व्यवसाय ने पठन-पाठन के पवित्र कार्य को एक व्यवसाय का रूप प्रदान कर दिया है, आज इससे शिक्षा का क्षेत्र बुरी तरह से प्रदूषित होता जा रहा है, छात्र-छात्राओं का भविष्य चौपट हो रहा है, तो क्या शासन इन कोचिंग कालेजों की शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है?

श्री अध्यक्ष-

कोचिंग के पूर्ण व्यवसाय पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता , संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार व्यवसाय करने का कार्य मूल अधिकारों के अन्तर्गत आता है, इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

श्री जगदम्बिका पाल-

आज जिस तरह से पर्चे आऊट कराने के संबंध में चाहे एस0टी0एफ0 ने मेरठ में, लखनऊ में पकड़ा हो, गम्भीर अनियमितताएं कोचिंग वालों द्वारा की जा रही हैं, मान्यवर, जो फन्डामेंटल राइट्स हैं वह अपनी जगह पर हैं, लेकिन सरकार को कार्यवाही करने में कोई रोक नहीं हैं, कोचिंग के कारण आज शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चौपट होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो छात्र-छात्रायें कमजोर हैं, तो उनको विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा एक्स्ट्रा क्लासेज के रूप में जो शिक्षा प्रदान की जायेगी तो क्या उसके लिए छात्रों को अलग से फीस देनी होगी या जो शिक्षक उन छात्रों को अलग से शिक्षा प्रदान करेंगे उसके लिए उन्हें अलग से पारिश्रमिक दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इसका उत्तर अन्तिम रूप से तभी दिया जा सकेगा जब इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो जायेगी, लेकिन हमारा यह निश्चित मत है कि जो कमजोर छात्र हैं, उनकी अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था अवश्य की जायेगी, जिससे पठन-पाठन का जो कार्य है वह सही ढंग से चल सके और उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो।

प्रदेश में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु लागू की गई पर्यटन नीति

**2-श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने एवं पर्यटन से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के लिये क्या पर्यटक स्थलों के विकास की कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)-

[पर्यटन विभाग द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने एवं पर्यटन से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन नीति-98 लागू की गयी है।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थानों पर विभिन्न मूलभूत सुविधाओं का विकास, स्थल का सौंदर्यीकरण, पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाओं के सृजन हेतु पर्यटक को केन्द्र बिन्दु मानते हुए पर्यटन विकास करने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में "पर्यटन नीति-98" लागू की गयी। इसके अंतर्गत धार्मिक, साहसिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन हेतु पर्यटकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने, पर्यटन उद्योग में दक्षता, सामाजिक-आर्थिक लाभ एवं एतद् द्वारा रोजगार सृजन में वृद्धि, समाज एवं ट्रैवेल-ट्रेड की पर्यटन उद्योग में भागीदारी, पर्यटन से जुड़ी स्वदेशी एवं विदेशी भागीदारों को गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रदेश को विभिन्न परिपथों में विभक्त कर उनका मास्टर प्लान बनाना तथा उनका क्रियान्वयन तथा पर्यटन उत्पाद के विपणन में विस्तार, नीति के उद्देश्य के रूप में सम्मिलित है। उपर्युक्त कार्यवाही करने से स्वदेशी पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के आवागमन एवं पर्यटकों से प्राप्त होने वाली आमदनी में वृद्धि अवश्यम्भावी है।

पर्यटन नीति के क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर आगामी दस वर्षो में क्रमश: 30 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन तथा 13,500 करोड़ रूपए उनसे आमदनी होने का अनुमान रखा गया है।

इन लक्ष्यों के प्राप्त करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा नई पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यटन विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनायी गयी है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं:-

1. त्वरित पर्यटन विकास हेतु परिपथों का चिन्हीकरण एवं विकास।

2. पर्यटन की गतिविधियां एवं इकाइयों का निर्धारण।

3. अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अंतर्गत अबाध विद्युत आपूर्ति, आधुनिक दूर संचार सुविधा, रेल, वायुयान तथा जल परिवहन सुविधा, प्रदेश की मार्ग विकास नीति के अनुसार सुविधाजनक मार्गीय नेटवर्क, आवासीय इकाइयों का सृजन तथा जल एवं सीवेज व्यवस्था के कार्य पर विशेष बल दिया जाएगा, जो निम्नवत होंगे:-

अ. रेल यातायात, ब. वायुयान सेवाएं, स. जल परिवहन, द. मार्गीय सुविधा, य. भूमि की उपलब्धता, र. धार्मिक स्थानों पर अवस्थापना सुविधा ., ल. स्थानीय निकायों तथा प्राधिकरणों की भूमिका, व. भूमि संक्रमण का अधिकार, श. हेरिटेज सिटी/हेरिटेज जोन, ष.वन, सिंचाई विभागों की सुविधाएं, स. क्षेत्रीय विकास निधि, ह. भारतीय पर्यटन विभाग से समन्वय, क्ष. संयुक्त क्षेत्र की योजनाएं, त्र. ऊर्जा तथा विद्युत।

4. अप्रवासी भारतीयों को पूंजी निवेश की सुविधा।

5. अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाने का प्रस्ताव है :-

1. पर्यटन को उद्योग का दर्जा
2. सुख साधन कर
3. उपादान योजनाएं
4. टैक्स हाली डे
5. ऋण की सुविधा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6. पर्यटन स्वरोजगार योजना

7. बार लाइसेंस

8. अनुमतियों का सरलीकरण

9. निगमों की भूमिका

10. संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण की कार्यवाहियों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य भी संपादित किए जाने प्रस्तावित हैं :-

1. पर्यटन पुलिस बल का गठन

2. प्राचीन भवनों का पुंनरोद्धार

3. पर्यटन विभाग के अधिकार

4. साहसिक पर्यटन का विकास

5. इको-टूरिज्म

6. सांस्कृतिक पर्यटन

7. एक छत के नीचे एकल मेज प्रणाली

8. शिल्प उद्योग को बढ़ावा

9. पर्यटन का प्रचार/प्रसार

10.फिल्मों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा

11.पर्यटन संगठन का सुदृढ़ीकरण

12.आधुनिकीकरण

13.कंन्सल्टेंसी सुविधाएं

14.मानव संसाधन विकास

15.पर्यटन मित्र, जिला स्तर पर स्वायत्त सेवी समितियां, पर्यटन सलाहकार समितियों का गठन।

16.अंतर्राज्यीय परिपथों का विकास।

इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के अप्रवासी भारतीयों को भारत में उनके पूर्वजों के गांव/स्थान को खोजने में सहायता प्रदान करने हेतु "डिस्कवर योर रूट्स" नामक योजना भी बनायी गयी है। इसके अंतर्गत पर्यटन की वेब साइट पर अप्रवासी भारतीय अपने पूर्वजों के गांव के बारे में कुछ सूचना देकर उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार विदेशी पर्यटकों का आगरा में रात्रि विश्राम बढ़ाने के लिए इलिनाय विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से भी एक योजना बनायी गयी है। प्रचार-प्रसार, मेले एवं त्योहार तथा ट्रेवल ट्रेड के विभिन्न कार्य-कलापों द्वारा भी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।]

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न का उत्तर 4 पृष्ठों का है, इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री विजयपाल सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मूल प्रश्न का जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है कि विदेशी पर्यटक आकर्षित हुये हैं और आमदनी बढ़ी है, तो जबसे यह पर्यटन नीति 1998 लागू हुयी है तब से कितनी आय में इजाफा हुआ है और पर्यटकों की कितनी संख्या बढ़ी है?

श्री अशोक यादव-

मान्यवर, मैं उत्तर पढ़ देता तो उसकी सब बातें आ जाती और यह सवाल उठाने का मौका न आता।

श्री अध्यक्ष-

आप यह बता दें कि पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ी है और आय कितनी बढ़ी है?

श्री अशोक यादव-

मान्यवर, यह जो पालिसी की पुस्तिकायें हैं इसमें विस्तृत जानकारी है। आप कहेंगें तो मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूँगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ी और कितनी आय हुयी है , इसका उत्तर मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें। इनके पास उत्तर नहीं है।

श्री अशोक यादव-

मान्यवर, 1998 की जो नीति कार्यान्वित हुयी है उससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुयी है। प्रतिवर्ष 22 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। जहां तक आय का प्रश्न है वह अनुमानित होती है, आय किसी एक सोर्स से नहीं होती है इसका आकलन नहीं किया है। आय और विदेशी पर्यटकों दोनों की संख्या में वृद्धि हुयी है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रदेश के राजस्व से जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने पर्यटन नीति के बारे में उत्तर में बताया है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध पर्यटक स्थल है, बहुत से विदेशी पर्यटक बौद्ध पर्यटन स्थलों को देखने आते हैं। दुनिया में भारत की पहचान केवल इसलिये है कि यहां पर महात्मा बुद्ध पैदा हुये थे। आपके यहां जो बौद्ध परिपथ है उसका प्रथम चरण समाप्त हो गया है। द्वितीय चरण के लिये विदेशी सहायता मिलनी थी इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किया है और उसमें क्या सफलता मिली है? अगर सरकार को सफलता नहीं मिली है तो उसके लिये फिर क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री अशोक यादव-

मान्यवर, प्रथम चरण में तकरीबन 20 करोड़ रुपये बौद्ध परिपथों पर लगाये गये हैं। द्वितीय चरण में जैसा कि आप अवगत हैं जापान के प्रधान मंत्री यहां पर आये थे तो उनको एक प्रस्ताव दिया गया है। उनको यहां से योजना भेजी गयी है और केन्द्र सरकार की भी संस्तुति गयी है। लगभग 1 हजार करोड़ की एक योजना लागू करने की प्रदेश और केन्द्र सरकार की योजना है, जो प्रोसेस में है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, सरकार ने पर्यटन नीति घोषित की है। उत्तरांचल बनने के बाद विकसित पर्यटन स्थल प्रदेश में कम रह गये हैं। पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिये सरकार ने पूँजी निवेश करने की बात कही है। बाह्य सहायता और निजी क्षेत्रों के जरिये पर्यटक स्थलों का विकास करने की आवश्यकता है ताकि पर्याप्त संख्या में पर्यटक आ सकें।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अब तक इस नीति को घोषित होने के बाद कितने निजी क्षेत्रों के और कितने सरकारी क्षेत्रों के पूँजीनिवेश के प्रस्ताव आए और कितना पूँजी निवेश अब तक किया गया, जिससे पर्यटक स्थल विकसित हो सकें और आय बढ़ सके?

श्री अशोक यादव-

माननीय सदस्य इस योजना को लागू होने के बाद इस आय और आमद के श्रोतों में दोनों स्तर पर वृद्धि हुई है यह 5-5 फीसदी वृद्धि हुई है। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है अभी तक लोगों के प्रस्ताव इस नीति के बाद पर्यटन विभाग के पास आए हैं उस पर विभाग विचार कर रहा है।

श्री बी0आर0वर्मा-

मैंने पूछा है कि कितने प्रस्ताव आए हैं निजी क्षेत्र से या सरकारी क्षेत्र या अर्ध सरकारी क्षेत्र से और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? जैसे अयोध्या पैकेज घोषित हुआ है?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मंत्री जी सीधे माननीय सदस्य को संबोधित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मंत्री जी से उत्तर देने को कहा है।

श्री अशोक यादव-

माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा है कि कितने निवेशक व्यक्तिगत क्षेत्र में आए हैं, उससे कितनी आमदनी बढ़ी है? मैंने बताया है कि दोनों क्षेत्रों में पाँच-पाँच फीसदी आमदनी बढ़ी है। दोनों क्षेत्रों में इतना फर्क आया है। अयोध्या पैकेज की बात कही गई यह पाँच-छः वर्षों का प्लान है। ऐसा नहीं कि उसको 8 माह में पूरा किया जा सके। इसमें तमाम विचार आए हैं संशोधन किए गए हैं। जहां तक प्राइवेट इन्वेस्टर की बात है मैंने कुछ क्षेत्र खोले हैं। जहां हेरिटेज जोन पर पिछले साल से योजनाएं लागू की हैं। वहां निजी क्षेत्र के लोग अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उत्तरांचल के गठन के बाद पर्यटन के विकास के सम्बन्ध में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जैसा कि रघुवर दयाल वर्मा जी ने भी कहा है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाए। मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप देता हूँ। वहां विस्तार से इस सम्बन्ध मं चर्चा हो जाएगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गेहूँ के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस आदि दिए जाने की मांग

*1-श्री राम ललित चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गेहूं के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को प्रोत्साहन धनराशि या बोनस आदि दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियन्त्रण मंत्री (श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह)-

रबी विपणन वर्ष 2001-2002 में केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 610/- प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है जिस पर गेहूं की खरीद की जा रही है। समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि या बोनस का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा तदनुसार किया जाता है।

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एवं बोनस की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य रुपया 610/- प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है, कोई अतिरिक्त बोनस की योजना नहीं की गई है।

श्री राम ललित चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, इधर डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई बिजली का मूल्य बढ़ा है तो जो लागत गेहूं पैदा करने पर किसान को आती है वह समर्थन मूल्य से पूरी नहीं होती है। बोनस की प्रक्रिया अन्य प्रदेशों में है, हरियाणा में है, कभी कभी केन्द्र सरकार द्वारा एक आध बार मिला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार बोनस की व्यवस्था करेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

अध्यक्ष महोदय, अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा किसी बोनस की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए बोनस देने का अभी कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामललित चौधरी-

मान्यवर, मैं केन्द्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या राज्य सरकार द्वारा बोनस की कोई व्यवस्था की जायगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ऐसी कोई योजना नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है हरियाणा में भी किसानों को बोनस नहीं दिया गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, समय समय पर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी और कभी कभी राज्य सरकार द्वारा भी बोनस देने का कार्य किया गया है तो मैं आपके माध्यय से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिए अपने श्रोतों से कोई बोनस देने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आ गया है। वित्तीय स्थिति के चलते संभव नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मंत्री जी ने उत्तर दिया 2001-2002 में केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 610 रूपये प्रति कुन्टल पर खरीद जारी है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी खरीद पूरे उत्तर प्रदेश में हुई और कितना रूपया किसानों को भुगतान हो चुका है? यदि विलम्ब हो रहा है तो क्या कार्यवाही की जा रही है इसके लिए। अभी उत्तर आया था कि गेहूं जो रिजेक्ट किया जायगा उसका सैम्पल रखा जायगा। तो टोटल कितना मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया? कितना भुगतान हुआ? अभी आपने 12 कर्मचारियों को निलम्बित किया है तो प्रदेश के तमाम जनपद ऐसे हैं जहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है तो क्या कोई टास्क फोर्स बनाकर इस समस्या का निवारण करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

अभी तक 740428 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। गत वर्ष 13 तारीख तक 657866 मीट्रिक टन खरीदा गया तो इस वर्ष 90 हजार मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। खरीद पूरे प्रदेश में अच्छी तरह हो रही है। जहाँ शिकायतें आ रही है वहाँ उनका निवारण भी हो रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जो खरीद हुई है उसका भुगतान हुआ होगा तो कितना भुगतान हुआ? यह मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

यदि आपके पास आँकड़े हो तो दे दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इस समय इतनी विस्तृत जानकारी नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अभी मंत्री जी ने कहा गेहूँ की खरीद हो रही है लेकिन मैं इलाहाबाद की सूचना दे रहा हूँ वहाँ करचंदन और कुरैनी क्रयकेन्द्रों पर

एक किलो गेहूं भी नहीं खरीदा गया है कबसे खरीदा जायेगा इसका भी पता नहीं है यहाँ तक कि वहाँ अभी तक बोरे भी नहीं है। तो मंत्री जी वहाँ क्रय की व्यवस्था कब तक करेंगे? केवल आंकड़ों से नहीं। पूरे प्रदेश में गेहूं खरीदा जाय। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि तब तक खरीदा जायेगा जब तक किसान अपना गेहूं वहां लाते रहेगें। मान्यवर, इसकी एक व्यवस्था करवा लें। दूसरा जो बोनस की बात माननीय मंत्री जी ने कही कि केन्द्र सरकार कहीं नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या पंजाब और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे नम्बर का प्रदेश नहीं है जहां गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। अगर केन्द्र सरकार पंजाब और हरियाणा को बोनस दे रही है तो क्या आप केद्र सरकार से आग्रह करेगें कि वे उत्तर प्रदेश को भी बोनस दें?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जहां तक कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने किसी क्रय केन्द्र विशेष के बारे में कहा तो उसको हम दिखवा लेगें। भारत सरकार ने पंजाब या हरियाणा किसी भी प्रदेश को बोनस नहीं दिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कृपापूर्वक जानकारी उपलब्ध करा दूं कि धान की खरीद में सिर्फ विचौलियों के अलावा और किसी को फायदा इस प्रदेश में नहीं हुआ है। हमने आग्रह किया था कि अगर खरीदा गया है तो सूची सार्वजनिक करा दें, लेकिन वह आज तक नहीं की गई। मान्यवर, आज जब लागत मूल्य बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, सिंचाई का मूल्य बढ़ गया है, बिजली की दर बढ़ गई है। किसानों की माली हालत इस कद्र बिगड़ गई है कि उसको लागत मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में बोनस के रूप में, किसानों को आर्थिक सहायता देगें ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आत्म हत्या करने पर मजबूर न हों। क्योंकि जब उसको लागत मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके सामने आत्म हत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या सरकार लागत मूल्य बढ़ जाने के बाद किसानों के सामने जो आर्थिक विषम स्थिति पैदा हो गई है, उसको देखते हुए सरकार किसी स्वरूप में किसी तरह कोई आर्थिक सहायता देने की घोषणा करेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जहाँ तक गेहूं की खरीद का प्रश्न है मैंने स्पष्ट तौर पर माननीय सदस्य को बताया कि 610 रूपये पर गेहूं की खरीद की जा रही है। प्रदेश सरकार की अभी तक ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है जिसमें कोई बोनस वगैरह देने की बात हो। जहाँ तक किसानों के कष्ट का सवाल है उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी कोशिश है कि . .

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह सरासर गलतबयानी कर रहे हैं, किसानों को लागत मूल्य भी नहीं देना चाहते हैं। इससे दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? हम सरकार के इस रवैये के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री राम ललित चौधरी ने अपने-अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता में गिरावट के निराकरण की मांग

*2-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता में निरन्तर गिरावट आ रही है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं? सरकार द्वारा उसके निराकरण के क्या उपाय किये गये हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, राशन की दुकानों से मिलने वाले खाद्य सामग्री के बारे में शिकायतें दिन प्रतिदिन उपभोक्ताओं के माध्यम से मिला करती हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह से जो प्रदेश में वितरण प्रणाली चल रही है राशन की दुकानों की चेकिंग क्या माननीय मंत्री जी शासन स्तर से करा रहे हैं? अगर चेकिंग हुई तो क्या कुछ ऐसे दुकानदारों को दंडित किये गये जो मिलावट करने और गुणवत्ता में कमी करने की वजह से उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर पकड़े गये? ऐसे कितने दुकानदार पकड़े गये और कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जहां तक खाद्यान की गुणवत्ता का प्रश्न है प्रदेश में गुणवत्ता की शिकायतें कहीं से नहीं आ रही है इसकी वजह यह है कि अब राज्य सरकार वितरण प्रणाली के स्वयं भंडारण करती है और गेहूं चावल खरीदती है तो उसकी शिकायत शायद कहीं से हैं जहां तक गुणवत्ता का सवाल है पूरी गुणवत्ता है कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जहां कहीं शिकायत आती है उसकी जॉच कराई जाती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गुणवत्तायुक्त राशन दुकानों को देने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं जो चमकविहीन गेहूं है गेहूं वर्तमान में स्टेट सेक्टर में खरीदा जा रहा है इसके लिए सरकार ने मौखिक आदेश दिए हैं। इस गेहूं को सा0वि0प्र0 के माध्यम से बी0पी0एल0 के राशन कार्ड धारकों को वितरित किया जा रहा है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

कोई आदेश मौखिक नहीं दिए जाते हैं सरकार लिखित आदेश देती है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नकर्ता ने गुणवत्ता के संदर्भ में उत्तर चाहा है माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया मैं जानना चाहता हूँ राशन की दुकानों पर दी जाने वाली चीजों का मानक क्या हैं? मानक के अनुरूप आपूर्ति की जा रही है? इसको सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या कार्ययोजना बनाई है मानक बनाए हैं?

श्री अध्यक्ष-

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या मानक हैं? क्या प्रयास होते हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, प्रदेश सरकार गेहूँ चावल जो भारत सरकार के मानक हैं उनके मुताबिक खरीदती है और जो मानव उपयोग के लिए है कि कितनी टूटन होनी चाहिए सारी चीजों को देखा जाता है। भंडारित जो किया जाता है उसको मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दिया जाता है। इसकी शिकायत अब नहीं आ रही है पहले आ रही थी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मानक खाद्य पदार्थों के अनुसार होंगे तो भोजन में उस हिसाब से कैलोरी, स्टार्च आदि होना चाहिए। मंत्री जी कह रहे हैं मानक हैं तो खाद्य पदार्थों में जैसे गेहूं है तो वह आर0आर0 21, के068 का हो सकता है, पंतनगर का भी हो सकता है। तो मानक के अनुसार कौन सा गेहूं देने, किस तरह का चावल राशन की दुकानों पर दिया जा रहा है पेट भरने के लिए तो आदमी खा ले लेकिन जो न्यूट्रिशियन वैल्यू होनी चाहिए वह नहीं है। मंत्री जी मानक के बारे में बता दें। वरना प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मानक का प्रश्न है यह भारत सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

जैसे इन्होंने बताया कि गेंहूं कई प्रकार का होता है आर0आर0 21 होता है, पंत नगर का होता है तो कौन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप निर्धारित करते हैं कि किस क्वालिटी का गेहूं या चावल भेजा जाएगा। इसका मानक क्या हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

यह गेहूं हमारे प्रदेश में पैदा होता है इसकी विभिन्न श्रेणी है आर0 आर0 21 है विभिन्न तरीके का गेहूं है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए क्रय करते हैं। लेकिन इतना विश्वास पूर्वक कहना चाहूंगा कि यह शिकायतें कुछ पहले की थीं जब दूसरे प्रदेश का गेहूं . . .

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। यह जनजीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। . . .

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी के पास मानक होता तो वह उत्तर देने में देरी नहीं करते। अगर इनके पास उत्तर नहीं है तो क्यों न इसे स्थगित कर दें?

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी पहले मानक बताने की कृपा करें, दूसरा यह कि जो गेहूं और चावल गेहूँ की दुकानों पर बँट रहा है यह जानवर तो खायेंगे नहीं तो ले जाने वाले क्या खायेंगे? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने आकस्मिक निरीक्षण स्वयं से या उच्च अधिकारियों से इसका कराया और यदि यह उचित नहीं पाया गया तो क्या कार्यवाही की?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट तौर पर बताया कि 610/- रूपया कुन्तल गेहूँ खरीदा जा रहा है। यह पिछले वर्ष 580/- रूपया कुन्तल खरीदा गया था। मान्यवर, जो समर्थन मूल्य योजना है उसके तहत ही हम गेहूँ और चावल खरीदते हैं और उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देते हैं और वहीं लोगों तक पहुंचाया जाता है। मैं फिर विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि इनकी गुणवत्ता की शिकायत शायद ही कहीं से आयी हो।

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गयी है। जिस मानक से यह क्रय करते हैं उसी मानक से देते हैं। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

प्रदेश सरकार पर कर्ज की धनराशि व उसके भुगतान की योजना

*3-श्री विजय पाल सिंह तथा श्री संजय गर्ग-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार पर वर्तमान में कितना रुपया कर्ज के रूप में बकाया है? क्या कर्ज के कारण प्रदेश के विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कर्जे के भुगतान हेतु कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')-

वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में प्रदर्शित स्थिति के अनुसार 31 मार्च 2000 को राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता 65135.18 करोड़ रूपये (वास्तविक) तथा 31 मार्च, 2001 को राज्य की अनुमानित ऋण ग्रस्तता 77066.12 करोड़ रूपये है।

प्रदेश की विकास योजनाओं के वित्त पोषण हेतु ही सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा आय-व्ययक में ऋणों के भुगतान हेतु नियमित व्यवस्था की जा रही है।

श्री विजय पाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वार्षिक योजना 2001-2002 में कितने की योजना है और इसके लिए वित्त पोषण के लिए कितना रूपया दिया गया। 31 मार्च, 2000 में 65,135.18 करोड़ की ऋणग्रस्तता थी तो कितना ब्याज बनेगा और कहाँ से इसकी अदायगी होगी?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीशजी'-

मान्यवर, 2000-2001 के लिए पूंजीगत परिव्यय का पुनरोत्तण अनुदान 4,372.90 करोड़ दिया गया है। जो 2001-2002 का वर्तमान बजट है इसमें 4,457.440 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, यह जो उत्तर में 31 मार्च, 2000 को कुल ऋण ग्रस्तता 65,135.18 करोड़ रूपये दर्शायी है इसकी कितनी अदायगी हो चुकी है और ब्याज कितना बकाया है? और जो 2001-2002 में ऋण लिया है इसमें बाजार से कितना लिया है और वाह्य सहायता के रूप में कितना ऋण लिया है?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, जहाँ तक ऋण और मूलधन के ब्याज के भुगतान का प्रश्न है 2000-2001 में 11,521.67 करोड़ रूपये का भुगतान किया है।

श्री रघुंवर दयाल वर्मा-

जो आपने उसके बाद वाह्य सहायता और बाजार से कर्जा लिया है उसमें ब्याज कितना आयेगा?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, वाह्य सहायता हमें सीधे नहीं प्राप्त होती है भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए यह राज्य सरकार इस संबंध में प्रोजेक्ट बनाती है और भारत सरकार की सहमति के बाद भारत सरकार के माध्यम से प्रेषित करती है। भारत सरकार विदेशी सहायता प्राप्त करके जो होता है उसमें सामान्यत: 30% अनुदान और 70% ऋण के रूप में प्रदान करती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, जो 2001-2002 में बाजार से ऋण लिया है वह कितना है और ब्याज अब तक कितना बना वह बता दें?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीशजी"-

मान्यवर, जो बाजार ऋण आदि लिया गया है वह 31 मार्च, 2000 तक 34,211.58 करोड़ रूपये, और इस समय 31 मार्च, 2001 जो 43,344.48 करोड़ रूपये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह जो 65,135.18 करोड़ रूपये वास्तविक कर्जा है यह किन-किन मदों में है इसका ब्रेकअप दे दें। अब जैसे वर्ल्ड बैंक ने कितना रूपया ऋण के रूप में दिया है केन्द्र सरकार ने विशेष सहायता के रूप में कितना दिया है। मान्यवर, जो उत्तर में ऋणों के भुगतान हेतु नियमित व्यवस्था की बात का उल्लेख है, मान्यवर, ब्याज के भुगतान के लिए भी ऋण लिया जा रहा है। अब ब्याज के भुगतान के लिए कितना ऋण लिया गया है?

श्री अध्यक्ष-

यह तो ब्यौरे संबंधी प्रश्न है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीशजी"-

मान्यवर, यह वित्तीय आंकड़ों के प्रश्न पर होता है, मान्यवर, ध्यान से आप भी सुनेंगें आपने कहा कि यह 99-2000 का जो ऋण बताया 65,135.18 करोड़ इसमें कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है। मान्यवर, जो वित्त पोषण होता है जिसमें कि हम विकास योजनाएं चलाते हैं, पूँजीगत व्यय होता है उसमें 4,108.89 करोड़ लगाया गया है साथ ही मूलधन जो देना पड़ा है वह दिया है 1,828.68 करोड़, उसी वर्ष में ब्याज का भुगतान किया है 6,553.08 करोड़, मान्यवर, मूलधन और ब्याज पर 8,381.76 करोड़ और उपरोक्तानुसार से वित्तपोषण पर 4,108 करोड़। मान्यवर, यह सदन को मालूम है कि जो राज्य सरकार की आय है उससे ज्यादा उसका व्यय है। शेष धन को दूसरे व्यय पर लगाया है।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, मूल प्रश्न यह है कि क्या कर्ज के कारण प्रदेश के विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो मूल प्रश्न है इसका उत्तर होगा "हाँ" या "नहीं"? तो यह कर्ज जो बढ़ रहा है और कर्ज के मकड़जाल में प्रदेश फँसता जा रहा है तो इससे प्रदेश के विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है या नहीं? मैं जानना चाहता हूँ कि इससे इस वित्तीय वर्ष में जो बीता है उसमें कौन कौन सी योजनाएँ है जो यहाँ स्वीकृत हुई थी जिसे विधान सभा ने पास किया था, जिस पर धन स्वीकृत किया था उसकी स्वीकृति के बाद भी वह योजनाएं स्थगित कर दी गयी, उस पर पैसा नहीं दिया जा सका, यदि नहीं, अवरोध नहीं उत्पन्न हो रहा है तो मैं पूँछना चाहता हूँ कि जिला योजना की जितनी भी सड़के थी पूरे प्रदेश भर की उस पर एक पैसा भी नहीं आवंटित किया गया है तो क्या यह विकास कार्य में अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ है?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, वित्त पोषण के लिए ऋण लेना पड़ता है और इस नाते ऋण लेने का एक औचित्य है। जहाँ तक वित्त पोषण के लिए धन लेने की बात है मान्यवर, उत्तरोत्तर वह वित्त पोषण का धन बढ़ता जा रहा है 2000-2001 में..

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न में एक बात पूंछी गयी है कि क्या कर्ज के कारण प्रदेश के विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। माननीय सम्मानित सदस्य का यह कहना है कि अवरोध उत्पन्न हो रहा है या नहीं इसको हाँ या नहीं में बता दे। यदि अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो कौन कौन सी योजनाएं बाधित हो गयी हैं?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, वित्त पोषण में धन बढ़ता जा रहा है इसलिये ऋण के कारण किसी विकास की योजना में बाधा नहीं पड़ रही है बल्कि वित्त पोषण की सुविधा प्राप्त हो रही है।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, जिला योजना में जितनी सड़के थीं जिनके लिए धन आवंटित था वह काट दी गयी। एक भी जिला योजना की चयनित सड़क पर काम नहीं हुआ है। अगर बाधा नहीं उत्पन्न हुई तो धन क्यों नहीं गया?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो जिला प्लान में सड़के मिलती थी उसका कोई पैसा नहीं गया है। पूरे प्रदेश में सड़क से महत्वपूर्ण कोई योजना नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं?

श्री अध्यक्ष-

आप इसके लिए अलग से प्रश्न कर लीजिए।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने हेतु कन्वर्टर लगाये जाने की मांग

*1-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टैम्पों एवं बसों से वायु प्रदूषण बहुत बढ़ जाने से जनता के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषण को दूर करने के लिए टैम्पों एवं बसों में "कन्वर्टर" लगाये जाने हेतु आदेश जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

जी हाँ।

डीजल चालित बसों व टैम्पों में किसी प्रकार के कन्वर्टर लगाये जाने की व्यवस्था नहीं है। यह केवल पेट्रोल चालित वाहनों में ही लगाये जाते हैं।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ महानगर में बढ़ती हुई यातायात व्यवस्था के निराकरण की मांग

*1-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ महानगर में यातायात संचालन की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके निराकरण हेतु कोई उपाय किये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं , तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं, वर्तमान में लखनऊ महानगर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के रूप में 5 मार्गों पर नगर बस, 38 फीडर मार्गों पर टैम्पों-टैक्सियां, मैक्सी कैब, आटो रिक्शा यातायात साधन हेतु उपलब्ध हैं। इस प्रकार लखनऊ नगर में सार्वजनिक परिवहन की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ महानगर में बढ़ती हुई आबादी और जनसैलाब को देखते हुये यात्रियों को मार्गों पर घन्टों खड़े रहना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने कुछ व्यवस्था दी है, जिसको उन्होंने अपने उत्तर में बताया है। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन मार्गों पर बस की सेवा दी गई है, वह कौन कौन से हैं? इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं, उन पर नगर बस सेवा देने पर क्या सरकार विचार कर रही है, यदि कर रही है तो कब तक संचालित कर देगें?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मान्यवर, जिन 5 मार्गों पर नगर बस सेवा संचालित हो रही है वह इस प्रकार हैं :-

1-सरोजनी नगर-चारबाग-विधान सभा-एच0ए0एल0-चिनहट

2-चारबाग-विधानसभा-निशातगंज-लेखराज-टेढ़ीपुलिया

3-राजाजीपुरम्-चारबाग-अम्बेदकर विश्वविद्यालय-एस0जी0पी0जी0आई0

4-दुबग्गा-ऐशबाग-चारबाग-सदर-लारेटो कान्वेन्ट-गोमती नगर

5-आशियाना (पावर हाउस)-आलमबाग थाना-चारबाग-बापूभवन-कैसरबाग शहीद स्मारक-आई0टी0-निराला नगर-इंजीनियरिंग कालेज।

इसके अलावा यदि माननीय सदस्य किसी अन्य मार्ग पर इसकी आवश्यकता समझते हैं तो वह आर0टी0ओ0 को उपलब्ध करा सकते हैं, आर0टी0ए0 उसका परीक्षण कर व्यवस्था करने पर विचार करेगें।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, कि इस बार की जनगणना के अनुसार लखनऊ मेट्रोपोलिटन सिटी बन गया है और इसकी 20 लाख से ज्यादा आबादी हो गई है। जिस तरह की व्यवस्था लखनऊ में है, उसके लिहाज से जो यात्री यात्रा करते हैं, उससे उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दिल्ली व कलकत्ता की तरह लखनऊ में भी मेट्रो रेलवे की व्यवस्था करेगी, जिससे प्रदूषण मुक्त और सस्ता यातायात, जल्दी समय में करने की सुविधा प्राप्त हो सके। यदि अभी इसका कोई विचार नहीं है तो निकट भविष्य में भारत सरकार से विचार करके, इसके लिए कोई योजना तैयार करेगी?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मान्यवर, जैसी अभी व्यवस्था है, उसको मैं बता चुका हूँ। जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, इस तरह की न अभी कोई व्यवस्था विचाराधीन है और आगे न कोई विचार अभी संभव है।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मैं भविष्य में तैयार करने की बात कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो भविष्य की बात है माननीय मंत्री जी ने कह ही दिया है। वैसे माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान ले लीजिये।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि टेढ़ी पुलिया-इन्दिरा नगर से चारबाग तक के रूट पर जो बसें, टैक्सियाँ उपलब्ध थीं, क्या उनकी संख्या में कमी आई है, क्या माननीय मंत्री जी इसको बढ़ाने का कष्ट करेगें?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि इस तरह की कोई कमी नहीं आई है, जैसे व्यवस्था थी, उसके अनुरूप चल रहा है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, इस समय आधी नगर बसें, टैक्सियाँ गायब हैं और आम आदमी आ-जा नहीं पा रहा है। क्या बसों व टैक्सियों के परमिट में वृद्धि करेगें?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

अगर माननीय सदस्य विस्तृत रूप से दे दें तो इसका परीक्षण करके बढ़ाने पर विचार करेगें।

प्रदेश में पुलिस सुरक्षा आयोग

*2-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप से निजात दिलाने के लिए पुलिस सुरक्षा आयोग गठित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक और उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरजंन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान व्यवस्था में ऐसा किया जाना समीचीन नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अध्यक्षय जी, जैसे-जैसे समाज में विकृतियां पैदा होती है और मान्यवर, विधान सभा और लोक सभा नियम-कानून का सृजन करते हैं। मान्यवर, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रदेश में पुलिस की छवि खराब हुई है और इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि पुलिस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए लेकिन जितनी आवश्यक है कानून-व्यवस्था के बनाये रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। पुलिस की छवि दिनोंदिन खराब होती जा रही है। इसके क्या कारण हैं? उसकी विस्तृत जानकारी में मैं नहीं जाना चाहता। मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूँ, नीति विषयक सवाल है, जो भी सरकारें आयी हैं कभी हम इधर बैठते हैं और कभी उधर बैठते हैं लेकिन पुलिस पर राजनैतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है और पुलिस उसका दुरूपयोग कर समाज पर अत्याचार करती है। आप इस बात से सहमत होंगे कि पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम एक होता था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो बिगड़ी हुए पुलिस की छवि है उसको ठीक करने के लिए और पुलिस में दखलंदाजी कम करने के लिए क्या सरकार कोई नए उपाय करने जा रही है या कोई नई योजना बनाने जा रही है? हमने तो सुरक्षा आयोग की माँग की थी।

श्री अध्यक्ष-

सुरक्षा आयोग की परिकल्पना क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न सुरक्षा आयोग से सम्बन्धित है। मैं स्वयं समझने में असमर्थ रहा हूँ कि हमारे देश में तो कहीं सुरक्षा आयोग है नहीं। मुझे थोड़ा-बहुत विदेश की भी जानकारी है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है, इसका ब्यौरा है क्या, इसके पीछे विचार क्या है, दर्शन क्या है? यह बात तो चिन्ता की हो सकती है कि पुलिस की दक्षता बढ़े, क्षमता बढ़े और इसके बारे में हम बराबर विचार करते हैं और जो आवश्यक होता है, वह करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

पुलिस विभाग में अगर किसी सुधार की जरूरत है तो चर्चा माँगिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हम लोगों की मंशा यही है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो और राजनैनिक हस्तक्षेप के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है वह समाप्त हो। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी पुलिस कमिश्नर व्यवस्था प्रणाली को लागू करने पर विचार करेंगे जिससे पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रियल पावर भी मिल सके और कानून व्यवस्था ठीक हो सके।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस प्रकार की व्यवस्था पर अभी विचार करने की जरूरत नहीं है।

प्रदेश में अपहरण / दस्यु समस्या समाधान हेतु कार्ययोजना की जानकारी

*3-श्री श्रीराम पाल-

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डकैतों द्वारा निरन्तर किये जा रहे अपहरण की वारदातों को रोकने व दस्यु समस्या का समाधान करने की कोई कार्ययोजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

दस्यु गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सीमावर्ती जनपदों अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती हैं, एवं संयुक्त अभियान

चलाया जाता है, तथा संगठित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रदेश स्तर पर एस0टी0एफ0 एवं जनपद स्तर पर स्पेशल आपरेशन ग्रुप एस0ओ0जी0 का गठन किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत, नेपाल सीमा में आई0एस0आई0 गतिविधियां रोकने के उपाय

*4-श्री राम नरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि नैपाल तथा भारत सीमा से पिछले दो सालों में आई0एस0आई0 की गतिविधियां तेज हुई है? प्रदेश में उक्त अवधि में कुल कितने आई0एस0आई0एजेन्टों के ऊपर कार्यवाही की गयी? सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये हैं?

श्री हुकुम सिंह-

[[भारत-नेपाल सीमा पर आई0एस0आई0 तथा उसके सहयोगी संगठनों द्वारा अपने एजेन्टो/सदस्यों की घुसपैठ कराने तथा आतंकवादी गतिविधियाँ कराने की सूचनाएँ समय-समय पर प्राप्त हुई हैं।

प्रश्नगत अवधि (वर्ष 1999 तथा 2000) में कुल 30 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

शासन द्वारा उक्त गतिविधियों को रोकने हेतु निम्न कदम उठाये हैं :-

1- आई0एस0आई0 की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के 22 जनपदों को संवेदनशील जनपद के रूप में चिन्हित किया गया है।

2- उपरोक्त जनपदों में जनपद स्तर पर मासिक रूप से तथा मण्डल स्तर पर 2 माह में एक बार राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही तथा इनकी गतिविधियों की नियमित समीक्षा करने हेतु क्रमशः जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त को निर्देश दिये गये है।

3- भारत नेपाल सीमा पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अप्रैल,1997 में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत दो विशेष सीमा जोन गोण्डा तथा तीन विशेष परिक्षेत्र स्थापित हैं और सीमा पर 47 पुलिस चौकियां स्थापित की गयी हैं।

4- विघटनकारी तत्वों/आई0एस0आई0 एजेन्टों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु मई 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया।

5- अभिसूचना संकलन हेतु रेंज तथा जनपद स्तर पर अभिसूचना इकाईयाँ सृजित की गयी हैं और प्रदेश अभिसूचना मुख्यालय पर मानीटरिंग हेतु विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है।

6- जाली भारतीय मुद्रा से सम्बन्धित मामलों की छानबीन हेतु विशेष जाँच प्रकोष्ठ (जाली नोट/सिक्के) का गठन आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन(ई0ओ0डब्लू0) के अन्तर्गत किया गया है।]

(श्री अध्यक्ष ने लिखित उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया)

श्री राम नरेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि नेपाल भारत सीमा पर पिछले दो सालों में आई0एस0आई0 की गतिविधियां तेज हुई है? मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि भारत-नेपाल सीमा पर आई0एस0आई0 तथा उसके सहयोगी संगठनों द्वारा अपने एजेण्टों के सहयोग से घुसपैठ करने और आतंकवादी गतिविधियां करने की सूचनाएं समय-समय पर प्राप्त हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से इसका उत्तर "हाँ" या "नहीं" में आना चाहिए था, जो नहीं आया। पिछले दो सालों से देखा जा रहा है कि इनकी गतिविधियों में तेजी आयी है। मुख्य मंत्री जी ने "नही" में उत्तर दिया न "हाँ" में, पहले इसका उत्तर आ जाए फिर मैं अगला प्रश्न करूं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य कि चिन्ता है, यह गतिविधियां शब्द है, घटनाओं के बारे में स्पेसिफिक जानकारी हो सकती थी कि घटनाएं घटी हैं या बढ़ी हैं क्योंकि गतिविधियाँ इस तरफ भी हो सकती हैं, सीमा की दूसरी पार भी हो सकती हैं। इसका परसेप्शन अलग हो जाता है, आइ0एस0आई0 विभिन्न प्रकार की बात सोच कर चल रहा है । जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाना, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोट करना तथा आर्थिक व सैन्य संस्थाओं को निशाना बनाना, ये सभी गतिविधियां आई0एस0आई0 की हैं। अगर कोई स्पैस्फिक गतिविधि के बारे में आज जानना चाहते हैं कि उसमें कितनी बढ़ोत्तरी या घटोत्तरी हुई तो वह हम बता देगें। वैसे हम बराबर निगाह रखे हुये हैं। जहाँ तक आई0एस0आई0 गतिविधियों की बात है तो कोई एक गतिविधि नहीं हैं उसमें बहुत सी बातें शामिल हैं। बढ़ने की बात मैं नहीं कह सकता, बढ़ने वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ। गतिविधियाँ चल रही हैं, एक कम हुआ या बढ़ा है इसका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, आपने कहा कि गतिविधियों में बहुत सी चीजें शामिल हैं। जितनी भी गतिविधियाँ हैं उसकी जानकारी सरकार को है, सरकार जानती है, अगर सरकर "हाँ" में जबाव नहीं दे रही है तो मैं दो बातें पूँछना चाहता हूँ कि कितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं और सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विभिन्न कार्यवाही की गयी हैं, उनका विवरण संक्षेप में दे देता हूँ। 1999 से लेकर अब तक 30 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इन तीसों सूचनाओं का विवरण हमारे पास हैं अगर आप चाहें तो उनका विवरण देने के लिए तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष-

बहुत लम्बा ब्यौरा हो जायेगा।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इन्होंने कहा है कि 30 संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तार किया गया। मंत्री जी यह बता दें कि वर्ष 1999 में तथा वर्ष 2000 में अलग-अलग कितनी सूचनायें प्राप्त हुई?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कुल 30 गतिविधियों की सूचनायें प्राप्त हुई। वर्ष 1999 में 7 और वर्ष 2000 में 23।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, यह जो 30 सूचनायें प्राप्त हुई, उसमं कितने लोग पकड़े गये और कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सीमा से संबंधित और आई0एस0आई0 से संबंधित प्रश्न था। जहाँ तक आई0एस0आई0 की गतिविधियों से लिप्त जानकारी मिली वह 30 की जानकारी मिली थी। उसमें लोग गिरफ्तार हुये, इनकाउण्टर भी हुआ है, अलग-अलग जानकारी है, अगर मान्यवर, कहें तो सबको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इण्डो नेपाल सीमा पर ही यह कार्यवाहियाँ हुई हैं। कुछ लोग गाजियाबाद में मारे गये हैं, लखनऊ में 2000 में 3 लोग मारे गये, 1999 में पकड़े भी गये। यह सारी की सारी कार्यवाही आई0एस0आई0 की गतिविधियों से ही संबंधित है। केवल इण्डो नेपाल सीमा ही नहीं है, सीमायें अलग-अलग हैं। मान्यवर, अगर आप कहें तो मैं नाम पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न और कार्यवाही की संवेदनशीलता को देखते हुये, कितना विवरण आना चाहिए, कितना विवरण नहीं आना चाहिए, माननीय सदस्य स्वयं संयम रखेंगें तो उचित होगा।

डा0अशोक बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज आई0एस0आई0 की गतिविधियां भारत-नेपाल सीमा पर चल रही हैं और जिनके चलते प्रदेश और देश में चिन्ता रहती है। क्या माननीय मंत्री जी ने सरकारी स्तर पर इसके रोक थाम के लिए या निरन्तर निगरानी रखने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनायी है?

मान्यवर, प्राय: यह देखा गया कि जो सामान्य अपराधी अपराध करते हैं और पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब होती है तो कह दिया जाता है कि आई0एस0आई0 के लोगों की गतिविधियाँ हैं। इस तरह से बहुत से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो स्थानीय पुलिस अकर्मणयता के कारण हो रहे हैं और पुलिस आई0एस0आई0 की बात कहकर इतिश्री कर लेती है? क्या इस तरह की घटना शासन के संज्ञान में आयी है। तो इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रदेश सरकार की पुलिस की जो विभिन्न इकाइयां हैं और जो सूचना एकत्र होती है उस सूचना के आधार पर 7 ऐसे संगठन हैं जो प्रकाश में आये हैं जो आई0एस0आई0 गतिविधियों में अलग-अलग तरीके से, संचालन में उनको यह संगठन मदद करते हैं। यह हैं हरकत-उल-मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन तंजीमें जेहाद अहल हदीश, जाइश-ए-मोहम्मद, लश्करे-तोयबा।

मान्यवर, मूल उत्तर में देख लें, 3,4,5, और 6 जिलों के बारे में सभी में प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की है, उसमें भारत-नेपाल सीमा पर 47 चौकियाँ, 2 जोन, 3 जोन विशेष परिक्षेत्र स्थगित किये गये हैं तथा एस0टी0एफ0 को दायित्व दिया है। अधिसूचना इकाई मानिटरिंग करती है जाली मुद्रा से संबंधित जो मामला है उनकी छानबीन हेतु विशेष जाँच प्रकोष्ट, आर्थिक अपराध शाखा के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है और गतिविधियों के परिपेक्ष्य में 22 जनपद चिन्हित किये हैं जहां पर 47 पुलिस चौकियां, 2 विशेष जोन स्थापित किये हैं जो संवेदनशील है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इण्डो नेपाल बार्डर पर बार्डर सिक्योरिटी फोर्स को लगाया गया है? क्या केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो खुली सीमा है और लगातार अवैध हथियारों का जखीरा आ रहा है तथा जाली नोटों का संचालन हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में कितने जाली नोटों के मामले प्रकाश में आये हैं और कितने केसेज पकड़े गये हैं? इसकी जानकारी देने का कष्ट करेंगे? पाकिस्तान से ए0के0-46, ए0के0-47 जैसे शस्त्र प्रदेश में आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या भविष्य में बार्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापित करने पर विचार करेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केन्द्र सरकार से हमने आग्रह किया है। यह चिंता का विषय है, अकेले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से इतनी बड़ी समस्या का सामना और पूर्ण नियंत्रण करना संभव नहीं है। मान्यवर, आर्थिक संकट भी है। केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया है, वह विचार कर रहे हैं कि हमको क्या-क्या सहायता देगें?

प्रदेश को भारत सरकार से प्रदत्त अतिरिक्त खाद्यान कोटे का आवंटन किये जाने की मांग

*5-श्री रघुबर दयाल वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ता गेहूँ, चावल, चीनी प्रदान करने की व्यवस्था सभी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से कर दी गयी है? यदि हां, तो प्रदेश को इस हेतु कितना अतिरिक्त कोटा गेहूं, चावल, चीनी का

प्राप्त हुआ हैं? क्या प्राप्त खाद्यान्न का आवंटन सभी दुकानों को कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? गरीबों को प्रदत्त गेहूं, चावल, चीनी की क्या कीमत तय की गयी है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी, हाँ।

भारत सरकार से गेहूं, चावल, चीनी का कोई अतिरिक्त कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार से उक्त अनुसूचित वस्तुओं का केवल मासिक कोटा ही प्राप्त हुआ है।

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

गरीबों को प्रदत्त गेहूं, चावल, चीनी की तय की गई कीमत का विवरण निम्नवत् है :-

1. बी0पी0एल0गेहूं	4.65 रूपये प्रति किलोग्राम
2. चावल	6.15 रूपये प्रति किलोग्राम
3. चीनी	13.00 रूपये प्रति किलोग्राम (वर्तमान मूल्य)

श्री रघबर दयाल वर्मा-

मान्यवर, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को गेहूं और चावल आधे कीमत पर देने की योजना प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को आधे कीमत पर गेहूं और चावल नहीं दिया जा रहा है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है वह अन्त्योदय अन्न योजना, इसके अन्तर्गत 2 रूपये किलो ग्राम के हिसाब से गेहूं और 3 रूपया किलो ग्राम के हिसाब से चावल देने की योजना है। जहाँ तक बी0पी0एल0 का सवाल है उन सभी लोगों के लिए गेहूँ की कीमत 4.65 पैसे प्रति किलो ग्राम और चावल 6.15 पैसे प्रति किलो ग्राम और चीनी 13 रूपये प्रति किलो ग्राम देने की योजना है।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रहे हैं, उनके लिए प्रधान मंत्री जी अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत कुल मूल्य के हिसाब से आधी कीमत रखी गयी है जिसमें गेहूँ का मूल्य 4.65 पै0, चावल का मूल्य 6.15 तथा चीनी का मूल्य 13.15 पै0 प्रति किलो रखी गयी है। तो यह जो मूल्य प्रधानमंत्री की अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मूल्य रखा गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे है, उनके लिए जो आधी कीमत रखी गयी है, क्या उनकी आधी कीमत पर अन्न दिया जायेगा?

* चौधरी नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, उसका जवाब स्पष्ट किये देता हूँ। मान्यवर, जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने आधी कीमत पर यह सामान उपलब्ध कराने का प्राविधान नहीं किया है, मान्यवर, जो दोनों वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं, जिनकी तातद एक करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें 2.00 रूपये प्रति किलो ग्राम गेहूँ, 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल की कीमत रखी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्काल समाप्त हुआ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

प्रदेश में मंत्रियों पर प्रतिमाह जेब खर्च का विवरण

* 6-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त मंत्रियों पर 1 जनवरी, 2000 से 1 नवम्बर, 2000 तक प्रतिमाह सरकार द्वारा कुल कितना रुपया जेब खर्च, वेतन एवं भत्तों के रूप में व्यय किया गया है? क्या सरकार प्रदेश की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखेते हुय उक्त खर्चों में कटौती करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रदेश के समस्त मंत्रियों पर 1 जनवरी, 2000 से 1 नवम्बर, 2000 तक प्रतिमाह सरकार द्वारा जेब खर्च एवं वेतन भत्तों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण तालिका "क" तथा "ख" पर संलग्न है।

खर्चों में कटौती किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। शासन द्वारा लिये जाने वाले निर्णयानुसार ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ - 167 पर।)

प्रदेश की ऋण-ग्रस्तता (डेट ट्रैप) एवं उसे कम करने उपाय की जानकारी

श्री बी0आर0वर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ऋण-ग्रस्तता (डेट ट्रैप) को कम करने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस अर्थोपाय से ऋण ग्रस्तता घटी नहीं है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस अर्थोपाय से ऋण ग्रस्तता घट रही है? यदि हां, तो 31 मार्च, 1998 को सम्पूर्ण ऋण ग्रस्तता कितनी थी तथा 31 मार्च, 1999 व 31 मार्च, 2000 एवं वर्तमान समय में सम्पूर्ण ऋण-ग्रस्तता कितनी है? ऋण-ग्रस्तता को कम करने हेतु अब तक क्या-क्या उपाय किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी हाँ, ऋण-ग्रस्तता कम करने के लिये सरकार द्वारा, संसाधन बढ़ाने एवं अनुत्पादक व्यय कम करने की दिशा में निरन्तर प्रयास किया जा रहा है ताकि ऋण पर निर्भरता कम हो सके।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04 जून, 1999 को भारत सरकार के साथ किये गये समझौता ज्ञापन के आधार पर वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के साथ मध्यकालीन वित्तीय सुधार नीति विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी।

समझौता ज्ञापन तथा वित्तीय सुधार नीति, दोनों ही में वित्तीय सुधारों का समावेश किया गया है राज्य के संसाधनों में वृद्धि, व्यय की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण कर व्यय में बचत, गैर जरूरी क्षेत्रों से राज्य सरकार का विनिवेश जैसे उपायों द्वारा घाटे में कमी लाना, ताकि ऋण लेने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।

ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2001-2002 से ऋण-ग्रस्तता की स्थिति में सुधार आना शुरू हो जायेगा। 31 मार्च, 98 को प्रदेश सरकार की कुल वास्तविक ऋण-ग्रस्तता रूपये 48364.99 करोड़, 31 मार्च, 1999 को रूपये 55952.23 करोड़ तथा 31 मार्च, 2000 को रूपये 65135.18 करोड़ एवं 31 मार्च, 2001 को रूपये 77066.12 करोड़ (पुनरीक्षित) तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक रूपये 85598.00 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष 1998-1999 तथा 1999-2000 के मध्य ऋण-ग्रस्तता में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि, 1999-2000 से 2000-2001 के मध्य 18 प्रतिशत की वृद्धि तथा 2001-2002 में मात्र 11 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है, जो राज्य की ऋण-ग्रस्तता की प्रवृत्ति में कमी दर्शाती है।

नोट :- नत्थी 'घ' तारांकित प्रश्न संख्या - 5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

ऋण-ग्रस्तता को कम करने हेतु राज्य सरकार के संसाधन बढ़ाने, अनुत्पादक व्यय कम करने सम्बन्धी वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू किये गये, जिससे राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में कमी आयी है। इसके अतिरिक्त ऋण यथासम्भव ऐसे संस्थाओं से लिए गये जिनकी वापसी के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके तथा ब्याज की दरें कम हों।

प्रदेश में वाहन प्रदूषण रोकने के उपाय

*8-श्री विजय पाल सिंह-

क्या सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिये कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

योजना पूर्व से ही है।

1-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा में संचालित होने वाली वाहनों के लिए यूरो-2 नार्मस् का निर्धारण तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर संचालित होने वाली अव्यवसायिक वाहनों के लिए यूरो-1 नार्मस् का निर्धारण।

2-प्रदेश के 5 प्रमुख महानगरों में प्रदूषण की चेकिंग हेतु प्रदूषण नियंत्रण प्रवर्तन दलों का गठन।

3-केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 115 के अन्तर्गत प्रदूषण सीमा का निर्धारण तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखने की बाध्यता।

4-निजी क्षेत्र में यथा ए एवं बी श्रेणी के मोटर गैराजों, पेट्रोल पम्पों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रदूषण जांच केन्द्र की मान्यता प्रदान करना।

5-5लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में टैम्पों/टैक्सियों के संचालन हेतु आयु सीमा कम किया जाना तथा इन वाहनों में स्क्रवर लगाने की अनिवार्यता।

प्रदेश में डीजल के फुटकर विक्रय हेतु लाइसेन्स निर्गत करने के आदेश

*9-डा0धर्मज्ञ मिश्र-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा डीजल के फुटकर विक्रेता दुकानों हेतु लाइसेंस दिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है? यदि हां, तो इसकी नीति तथा प्रारूप क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ। शासनादेश संख्या-78/29-7-2001-डी (15)/2000 दिनांक 4-1-2001 द्वारा फुटकर डीजल डीलर के नए लाइसेन्स दिये जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

जनहित में पेटी डीजल डीलर की नियुक्ति किसी तेल कम्पनी के रेगुलर डीजल रिटेल आउट लेट से 5 कि0मी0 सड़क मार्ग की दूरी के बाहर (राष्ट्रीय एवं राजमार्ग को छोड़कर) फुटकर डीजल डीलर का लाइसेन्स दिये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। फुटकर डीजल डीलर के लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु शासनादेश संख्या-557(1)/29-7-2001 डी (15)/2000, दिनांक 5.5.2001 द्वारा आवेदन-पत्र का प्रारूप समस्त जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।

* 10-श्री श्याम देव राय चौधरी-

[दिनांक 30-4-2001 को ता0प्र0सं0-1 द्वारा उत्तरित।]

पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर हुई वेतन विसंगतियों के निराकरण की मांग

* 11-श्री काजिम अली खां, श्री मुरलीधर तथा श्री जय प्रकाश-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के उपरान्त अगली वेतनवृद्धि प्रदान करने में एकरूपता की नीति अपनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कनिष्ठ कर्मचारियों को जो पुराने वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुंचे ही नहीं थे, को पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि 12 माह की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पूर्व ही प्रदान कर दी गई है जबकि ज्येष्ठ कर्मचारियों को जो अपने पुराने वेतनमान के उच्चतम स्तर पर तो पहुंच गये थे किन्तु उस स्तर पर की गयी उनकी सेवा अवधि 1-1-1996 को एक वर्ष से कम थी, को अगली वेतनवृद्धि पुनरीक्षित वेतनमान में 12 माह की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त प्रदान की गई? यदि हां, तो क्या सरकार ज्येष्ठ कर्मचारियों के हितो को ध्यान में रखते हुये उक्त विसंगति के निराकरण हेतु पुनरीक्षित आदेश जारी करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

सूचना एकत्र की जा रही है।

*12-श्रीमती विजमा यादव-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

प्रदेश में बढ़ती हुई अपराधिक घटनाओं को रोकने के उपाय

*13-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई अपहरण की घटनाओं को देखते हुये क्या सरकार इन पर रोक लगाने की कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

अपहरण की घटनाओं में वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2000 में आंशिक वृद्धि हुई है परन्तु वर्ष 1998 की तुलना में कमी आई है। अपराधों की रोकथाम हेतु निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

* 14-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

[दिनांक 23-6-98 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं()-2 द्वारा उत्तरित।]

प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक के रिक्त पदों का विवरण

*15-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस उपाधीक्षक के प्रदेश में कितने पद रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक के कुल 212 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।

रिक्त पदों पर चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। अत: इस हेतु शासन स्तर से समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को आवंटन में वरीयता दिये जाने की मांग

*16-श्री अफजाल अहमद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नयी दुकान प्राप्त करने हेतु औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों ने भी प्रार्थना पत्र दिये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को उक्त दुकान आवंटन में वरीयता प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया संबंधी निर्गत शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2001 में औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को उक्त दुकान आवंटित किये जाने के संबंध में वरीयता प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है।

सभी वर्गो को आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार राशन की दुकानों के चयन में प्रतिनिधित्व मिले, इस दृष्टिकोण से राशन की दुकानों के चयन में वरीयता माप दंड को समाप्त कर अनिवार्य अर्हताओं एवं शर्तो को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रक्रियानुसार राशन की दुकानों का चयन किये जाने का प्राविधान रखा गया है।

न्यूयार्क पुलिस अध्ययन की रिपोर्ट पर व्यय धनराशि / उसके लाभ तथा पुलिस भर्ती में केवल आरक्षी स्तर पर भर्ती किये जाने की मांग

*17-श्री रमेश राही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यूयार्क पुलिस अध्ययन की रिपोर्ट पर प्रदेश शासन ने कितना धन व्यय किया और उक्त रिपोर्ट से शासन को क्या लाभ हुआ? क्या सरकार विकसित राज्यों की भांति पुलिस भर्ती में सभी स्तरों को समाप्त कर केवल आरक्षी स्तर पर ही प्रतिभा सम्पन्न नवयुवकों को आयोग के माध्यम से भर्ती किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

न्यूयार्क पुलिस प्रणाली के अध्ययन हेतु प्रदेश के अधिकारियों की एक टीम भेजी गयी थी, जिसके द्वारा अध्ययन के उपरान्त रिपोर्ट स्वयं तैयार की गयी। इस पर अलग से कोई व्यय नहीं किया गया।

प्रश्नगत रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियां पुलिस व्यवस्था में सुधार पर विचार के लिए लाभप्रद रही हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती की वर्तमान व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

प्रदेश में धुआं छोड़ने वाले वाहनों की रोक थाम हेतु प्रदूषण नियंत्रण प्रवर्तन दल के गठन का निर्णय

*18-श्री राम विशुन आजाद-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में शासन की नीति के अन्तर्गत जनता की यातायात की सुविध हेतु सकेवर युक्त टेम्पो चलाये जाने के आदेश दिये गये? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों के उपरान्त अभी भी धुआं छोड़ने वाले टेम्पो शहरों एवं ग्रामीण अंचलों में चलाये जा रहे है? यदि हां, तो क्या सरकार ने मोबाइल जांच दस्तों द्वारा ऐसे धुआं छोड़ने वाले टेम्पो की जांच एवं इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं, यह व्यवस्था केवल 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सीमाओं में संचालित टेम्पो के संदर्भ में ही किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं है। प्रतिबन्धित नगरों में उक्त आदेश का उल्लंघन करते कभी-कभी टेम्पो संचालित पाये जाते हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। ग्रामीण अंचलों में भी मानक से अधिक धुंवा उत्सर्जित करने वाले टेम्पो/टैक्सियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

वाहनों से अधिक धुंवा उत्सर्जित होने की रोकथाम के लिए निम्न कार्यवाही की जा रही है :-

(1) प्रदेश में स्थापित 77 प्रवर्तन दलों को प्रदूषण की चेकिंग हेतु प्रदूषण चेकिंग मशीन उपलब्ध करायी गयी है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-115 में निर्धारित धुंवा के मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

(2) प्रमुख 05 महानगरों (लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी एवं गाजियाबाद) में प्रदूषण के चेकिंग हेतु प्रदूषण नियंत्रण प्रवर्तन दल के गठन का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों की भाँति अधिकारियों को भी समयमान वेतनमान दिये जाने की मांग

*19-श्री बाबू लाल कुरील-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-560/दस-45(एन) 99 दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 द्वारा राज्य कर्मचारियों को अधिकतम रु010,500/-तक समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है? यदि हां, तो इसस उच्च वेतन पाने वाले अधिकारियों को उक्त समयमान वेतनमान न दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों जिनका वेतनमान का अधिकतम 18300/- है पर भी उक्त शासनादेश लागू करने अथवा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु पुनः शासनादेश जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी हाँ।

रू0 8000-13500 या इससे अधिक वेतन मान वाले पदधारकों के लिए दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों में समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक लागू रखने का निर्णय है। यह भी निर्णय है कि इस प्रकार के अधिकारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा के स्थान पर कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर उनके संवर्गों का पुनर्गठन करते हुए उन्हें समुचित प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जायं।

जी नहीं।

उपरोक्त प्रस्तर-ख के अनुसार।

प्रदेश में अश्लीलता प्रदर्शन, अश्लील साहित्य आदि को संज्ञेय अपराध घोषित किये जाने की मांग

*20-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अश्लीलता प्रदर्शन को संज्ञेय अपराध घोषित करने पर सरकार विचार करेगी? क्या सरकार सिनेमाघरों पर लगाये जाने वाले अश्लील विज्ञापनों तथा अश्लील साहित्यों के प्रचार प्रसार को रोकने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता तथा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 में विधिक प्राविधान उपलब्ध है। इन्ही विधिक प्राविधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर के जिला प्रबन्धक को (पी0सी0ए ऋ0) चावल की बिक्री की धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने का कथित प्रकरण

1-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0 (कोआपरेटिव फेडरेशन) ने जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 शाहजहांपुर को अपने पत्रांक 1414233 दिनांक 31-5-1996 द्वारा रू0663/- प्रति कुन्तल की दर से 2092.36 कुन्तल चावल की बिक्री के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त चावल मे0 सिंह चावल मिल के माध्यम से बेचा गया है? यदि हां, तो यह सौदा किस तिथि को हुआ तथा वह धनराशि किस तिथि को मुख्यालय भेजी गयी? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि 9 माह तक मिल मालिक के पास रही और बाद में मिल को ही बेचना दिखा दिया गया? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)-

जी हाँ।

जी नहीं। उक्त चावल मेसर्स सिंह चावल मिल के माध्यम से नहीं, अपितु इस मिल को ही बेचा गया है।

दिनांक 31-5-96 को पी0सी0एफ0 मुख्यालय से उक्त चावल की बिक्री की स्वीकृति दी गयी जिसके उपरान्त पी0सी0एफ0 के जिला कार्यालय शाहजहांपुर द्वारा उक्त चावल का मूल्य जमा करने हेतु मै0 सिंह राइस मिल से अनुरोध किया गया। मिल द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार पी0सी0एफ0 जिला कार्यालय में धनराशि जमा की गयी जिसका उपयोग पी0सी0एफ0 के विभिन्न व्यवसायों में जिला स्तर पर किया गया है।

1-	दि0 31-5-96 को मेसर्स सिंह राइस मिल खाते में जमा धनराशि (क्रेडिट बैलेन्स) से (समायोजित द्वारा)	रू0 4,40,337.51
2-	दि0 17-7-96 को जमा धनराशि।	रू0 5,01,500-00
3-	दि0 19-7-96 को जमा धनराशि।	रू0 6,63,000-00
4-	दि0 9-9-96 को जमा धनराशि।	रू0 2,05,000-00
	कुल योग	रू0 18,09837.51

उपरोक्त धनराशि प्राप्त होने के बाद दिनांक 30-7-96 तथा 17-8-96 को चावल की डिलीवरी उक्त मिल को दी गयी है।

जी नहीं। उक्त धनराशि 9 माह तक मिल मालिक के पास नहीं रही, न ही बाद में मिल को बेचना दिखया गया अपितु मिल से भुगतान कुछ विलम्ब से अवश्य प्राप्त हुआ।

विलम्ब से धनराशि प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गठित करते हुये आरोप पत्र निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व कोतवाली मैनपुरी द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व विवेचना के सम्बन्ध में जानकारी

2-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अपराध संख्या 250/2000 धारा 364 आई0पी0सी0 थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त केस की विवेचना किसी जनपद के राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

मु0अ0सं0-250/2000 धारा 364 आई0पी0सी0 की विवेचना से अभियुक्त गिरीश यादव एवं बब्लू यादव थाना जसरथपुर, एटा व गुलफान यादव थाना जसरथपुर, एटा प्रकाश में आये किन्तु इनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित न होने के कारण इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचना से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

चूँकि जांच/विवेचना प्रचलित है अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, थाना नसीराबाद के ग्राम भरतपुर मजरे के ग्राम प्रधान का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

3-श्री तेजभान सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 13-2-2001 को मण्डलीय समीक्षा बैठक में श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम प्रधान, भरतपुर मजरे कुढा का प्रार्थना पत्र जो थाना नसीराबाद जिला रायबरेली के थानाध्यक्ष द्वारा लाइसेंसी बन्दूक सीज करने की शिकायत के सम्बन्ध में है एवं जिसे सी0एम0वि0को0/एम/42834 सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 19-2-2001 को पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को दि0 10-2-2001 तक कार्यवाही कर जांच रिपोर्ट भेजने के आदेश के साथ भेजा गया है, में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा क्षेत्राधिकारी, सलोन से जांच करायी गयी। जांच से पाया गया कि अब्दुल समद निवासी कुढा द्वारा थाना नसीराबाद पर मु0अ0सं0-4/2001 धारा 384 भा0द0वि0 का अभियोग सुरेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ही सुरेन्द्र बहादुर सिंह को दि0 3-2-2001 को गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दि0 5-2-2001 को प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित अन्य आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर, ग्राम सलेमपुर के तेल रिटेलर के पत्र पर कोटा सरस एण्ड कं0 डेरापुर से हटाकर हिन्द पेट्रोलियम अकबरपुर से स्थायी रूप से सम्बन्ध करने की माँग

4-श्री तेजभान सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर देहात के तेल रिटेलर ग्राम सलेमपुर श्री प्रदीप कुमार तथा अन्य तेल रिटेलरों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र जिसमें सरस एण्ड कम्पनी, डेरापुर की शिकायत की गई है, प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र दिनांक 04 जनवरी, 2001 तथा श्री शिव बहादुर सक्सेना,

सभापति, उ0स0 के पत्रांक 551/स0सा0उ0स0/2000, दिनांक 04 जनवरी, 2001 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या दिसम्बर, 2000 माह का कोटा आवंटित किया जा चुका है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार जनहित में प्रश्नगत तेल रिटेलरों को सरस एण्ड कं0, डेरापुर से हटाकर आर0के0पी0के0पी0 झींझक अथवा हिन्द पेट्रोलियम अकबरपुर (कानपुर देहात) से स्थायी रूप से सम्बद्ध करने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

(क) प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य का संदर्भित पत्र दिनांक 04 जनवरी, 2001 तथा श्री शिव बहादुर सक्सेना, सभापति स0उ0स0 का संलग्न पत्रांक-551/स0सा0उ0स0/2000 दिनांक 04 जनवरी, 2001 शासन में प्राप्त नहीं हुआ।

दिनांक 31-12-2000 को संदलपुर में हुई उपभोक्ता पंचायत में प्रश्नगत व अन्य बिक्रेताओं द्वारा मै0 सरस एण्ड कम्पनी, मि0 तेल थोक बिक्रेता, डेरापुर द्वारा सुगमता से मि0 तेल न दिये जाने की शिकायत जिला प्रशासन-कानपुर देहात को प्राप्त हुई थी तथा अनुरोध किया गया था कि उनका कोटा मै0 आर0के0बी0के0 या हिन्द पेट्रोलियम, अकबरपुर से सम्बद्ध कर दिया जाये। अतः प्रश्नगत 11 बिक्रेताओं का कोटा माह जनवरी,2001 से मै0 सरस एण्ड कम्पनी, थोक मिट्टी तेल बिक्रेता, डेरापुर से हटाकर जिलापूर्ति कार्यालय के आदेश संख्या-05/जि0पू0अ0/मि0तेल-आवंटन/01, दिनांक 06-1-2001 द्वारा मै0 आर0 के0 बी0 झींझक से सम्बद्ध कर दिया गया है।

(ख) माह दिसम्बर, 2000 हेतु मिट्टी तेल का शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों का मासिक आवंटन थोक बिक्रेतावार जिलापूर्ति कार्यालय के पत्रांक-1017 दिनांक 02-12-2000 द्वारा जारी किया गया था।

(ग) जिला प्रशासन द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय के आदेश संख्या-05/जि0पू0अ0/मि0तेल-आवंटन/01 दिनांक 06-1-2001 द्वारा प्रश्नगत 11 रिटेलरों का कोटा माह जनवरी 2001 से मैं0 आर0 के0 बी0 के0 झींझक से सम्बद्ध किया जा चुका है और यह व्यवस्था वर्तमान में भी चल रही है।

जनपद एटा, तहसील व शाखा कार्यालय भूमि विकास बैंक अमापुर के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

5-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सोरों विधान सभा क्षेत्र के अमापुर में शाखा प्रवन्धक, भूमि विकास बैंक अमापुर द्वारा शाखा को कार्यालय में चलाने के बजाय घर में चलाया जा रहा है? क्या सरकार इसकी जॉच कराकर दोषी शाखा प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

"पटेल" राम कुमार वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्नगत शाखा के समस्त कार्य शाखा कार्यालय अमापुर से ही सम्पादित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि तथा ईदगाह की सुरक्षा का विवरण

6-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद स्थित श्री कृष्ण जन्म भूमि तथा ईदगाह की सुरक्षा में किस श्रेणी के कितने अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं तथा उन पर कितना धन व्यय किया जा रहा है?

श्री राजनाथ सिंह-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त सूचना के अनुसार मथुरा जनपद स्थित श्री कृष्ण जन्म भूमि तथा ईदगाह की सुरक्षा में प्रथम श्रेणी के 5, द्वितीय श्रेणी के 8 अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी के 1084 कर्मचारी तैनात हैं, जिन पर रू0-89,15,636/- प्रति माह अनुमानित व्यय किया जा रहा है।

प्रदेश के प्रत्येक थानों पर विजिटर रजिस्टर रखने का प्राविधान

7-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक थानों पर विजिटर रजिस्टर रखने का कोई प्राविधान है? यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया तथा वैधानिक स्थिति क्या है?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ

प्रदेश के प्रत्येक थाने पर विजिटर रजिस्टर रखने, उसमें आगन्तुकों के नाम, पता, आने का उद्देश्य अंकित करने एवं हस्ताक्षर कराये जाने के निर्देश हैं।

किसी विधिक आधार पर नहीं बल्कि जनहित में लिये गये प्रशासकीय निर्णय के आधार पर विजिटर रजिस्टर रखने का प्राविधान किया गया है।

जनपद हरदोई, थाना कासिमपुर के ग्राम तेरवा के श्री मुनीम कुमार व श्री गुड्डू आदि द्वारा मारपीट व जान से मारने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8-श्री शिव गणेश लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुनीम कुमार पुत्र श्री लल्ला (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम-तेरवा दहिगवां, थाना कासिमपुर जनपद-हरदोई के पुत्र अशोक कुमार को दिनांक 5-10-2000 को उक्त ग्राम के निवासी श्री गुड्डू पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण व अन्य द्वारा मारपीट करने व जान से मारने का प्रयास करने संबंधी श्री मुनीम कुमार का पत्र दिनांक 22-11-2000 को जिलाधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ है? क्या इसी संबंध में मा0 गृह राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 6-1-2000 को पुलिस अधीक्षक हरदोई को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के आदेश दिये गये है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हॉ।

अभिलेखों के आधार पर मा0 गृह राज्य मंत्री का पत्र दिनांक 6-1-2000 प्राप्त होना नहीं पाया गया।

श्री मुनीम कुमार का पत्र, जो जिलाधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ था, उसकी जांच प्रभारी चौकी गौसगंज से करायी गयी। जांच से पाया गया कि श्री मुनीम कुमार के पुत्र अशोक कुमार तथा विपक्षी गुड्डू के बीच, बकरियों द्वारा विपक्षी के खेत में घुस जाने को लेकर, वाद विवाद हुआ था। इस प्रकरण पर गॉव में बैठक हुई व ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर फैसला करा दिया इसमें किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की श्रीमती पुष्पा देवी के जमीन के कब्जे कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

9-श्री शिवगणेश लोधी तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती पुष्पा देवी शुक्ला पत्नी डा0 एम0पी0 शुक्ल प्रोफेसर, एवं विभागाध्यक्ष राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ का पत्र राज्य मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार के पत्र दि0 22-12-2000 के साथ जो श्रीमती शुक्ला के जमीन के कब्जा कराये जाने के प्रकरण पर थाना

प्रभारी शुक्ल बाजार, सुल्तानपुर श्री जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध गंभीर आरोपों की शिकायत के संबंध में है, राज्य मंत्री गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हॉ।

इस पत्र में अंकित तथ्यों की जांच क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना द्वारा कराई गयी। जाच से पाया गया कि दिनांक 19-11-2000 के बाद फिर कोई निर्माण कार्य नही हुआ। उक्त संबंध में आवेदिका के पति द्वारा उप जिलाधिकारी मुसाफिरखाना में वाद दायर किया है जिसके संबंध में दोनों पक्षों को निर्देशित किया गया है कि यथास्थिति बनाये रखते हुए न्यायालय से निदान प्राप्त करें। पुलिस द्वारा किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच, थाना जरवल रोड में पंजीकृत मुकदमें में नामित व्यक्तियों का विवरण

10-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के थाना जरवल रोड में दि0 20-2-2001 को दायर मु0अ0सं0-75/2001 धारा-324/504/506 आई0पी0सी0 में किन-किन व्यक्तियों के नाम रिपोर्ट अंकित की गई थी? क्या उपरोक्त धारा में जिन व्यक्तियों के नाम रिपोर्ट अंकित की गयी थी क्या उपरोक्त धारा में उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गयी है? यदि नहीं, तो उनकी गिरफ्तारी एवं कार्यवाही अब तक न करने हेतु कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मुकदमें में वांछित व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत प्रकरण के अन्तर्गत अभियुक्तों के नाम एवं पता निम्नवत् है:-

1-धर्मेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद राव निवासी पाण्डे पुरवा, थाना जरवल रोड।

2-नजरुल इस्लाम पुत्र नूरुल इस्लाम निवासी अलीनगर थाना जरवल रोड बहराइच।

3-एक अन्य, नाम पता अज्ञात।

उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अभियुक्त नजरुल इस्लाम पुत्र नूरुल इस्लाम की गिरफ्तारी दि0 21-3-2001को की गयी तथा अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार राव, पुत्र जगदीश प्रसाद राव दिनांक 22-3-2001को हाजिर न्यायालय हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री नरेन्द्र सिंह-

[दिनांक 23-4-2001 को अता0प्र0सं0-7 द्वारा उत्तरित।]

जनपद बुलन्दशहर, खुर्जा सहकारी क्रय विक्रय समिति के प्रबन्धक कमेटी के सचिव के विरुद्ध जाँच

12-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर में खुर्जा सहकारी क्रय-विक्रय समिति लिमिटेड, खुर्जा के प्रबन्धक एवं कमेटी के सचिव के विरुद्ध जांच कमेटी द्वारा दिनांक 6-2-2001 को जांच आख्या प्रस्तुत कर दी गयी है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे तथा दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी हॉ।

जॉच /अप .ए रू0 '226873-80 (दो लाख छब्बीस हजार आठ सौ तिहत्तर रू0 अस्सी पैसे) का गवन .हरण प्रकाश में पाया गया। समिति के तत्कालीन सचिव श्री कुबेर सिंह सभापति श्री सुभाष सिंह व तीन अन्य कर्मचारिगों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11-3-2001 को दर्ज कराई गई तथा तत्कालीन सचिव को दिनांक 8-3-2001 का निलम्बित किया जा चुका है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद मथुरा, थाना मगीरा के अपराध की विवेचना सिविल पुलिस से कराये जाने के आदेश

13-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या-136/2000 थाना मगीरा जनपद मथुरा की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से बदल कर सिविल पुलिस से कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-2/42216/मथुरा/2001, दिनांक 3-2-2001 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हॉ।

इस प्रकरण की जॉच सी0बी0सी0आई0डी0 से वापस लेकर सिविल पुलिस से कराये जाने हेतु दिनांक 22 मार्च, 2001 को निर्देश दिये जा चुके हैं।

शेष का प्रश्न नही उठता है।

जनपद वाराणसी, थाना दशाश्वमेध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

14-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के थाना दशाश्वमेध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपराध संख्या-186/1991 को वापस लिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या- सी0 एम0 वि0 को0/एम/31733/वाराणसी/2000, दिनांक 2-3-2000/कम्प्यूटर संख्या-सी0 10031733 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)-

जी हॉ।

निर्णय विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

15-श्री मुरलीधर तथा श्री जय प्रकाश-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

16-श्री मुरलीधर-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

17-श्री डा0लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फिरोजाबाद, थाना फरिहा के गाँव साहूमई के ग्राम प्रधान के घर दबिस में मूर्ति बरामदगी का प्रकरण

18-श्री राजपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के गांव साहूमई थाना-फरिहा, तहसील-जसराना में श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, ग्राम प्रधान के घर पर माह फरवरी, 2001 में सम्बन्धित जिले के पुलिस

अधिकारियों/थानाध्यक्षों द्वारा कुछ मन्दिरों की मूर्तियां बरामद की गयी थीं? यदि हां, तो क्या दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है? यदि नहीं, तो अब तक प्राथमिकी दर्ज न कराने में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है? क्या सरकार उक्त की प्राथमिकी दर्ज कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं।

माह फरवरी, 2001 में नहीं बल्कि दिनांक 25-1-2001 को ग्राम प्रधान ग्राम साहूमई के यहां मूर्ति बरामदी के संबंध में पुलिस द्वारा दबिश दी गयी किन्तु कोई मूर्ति बरामद नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दबिश के दौरान कोई मूर्ति बरामद न होने तथा किसी के विरूद्ध दोष प्रमाणित न होने की दशा में किसी के विरूद्ध कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद एटा, थाना मिरहची में दर्ज अपराध की विवेचना सक्षम अधिकारी से कराने की माँग

19-श्री राजपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह निवासी अचलपुर, थाना मिरहची जिला एटा ने अपराध संख्या-13/2000 धारा-364 ए भा0 दं0 वि0 थाना-मिरहची, एटा दिनांक 1-2-2000 को किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराया है? क्या उक्त मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उपरोक्त मुकदमें की विवेचना किसी अन्य जनपद में सक्षम अधिकारी से करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

सन्दर्भगत अपराध सर्वश्री (1) राम सिंह, प्रधान (2) दयावीर (3) राजेश (4) प्रभु प्रताप सिंह निवासीगण अचलपुर, थाना-मिरहची, एटा एवं (5) रामवीर सिंह निवासी डोर्रा थाना-अमापुर, एटा के खिलाफ दर्ज कराया गया है।

प्रश्नगत अभियोग में अभियुक्त रामवीर सिंह, निवासी डोर्रा, थाना-अमापुर, एटा ने दि031-3-2000 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया शेष अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्य के अभाव में गिरफ्तारी नहीं की गयी।

उपरोक्त अभियोग में आरोप सिद्ध होने पर श्री रामवीर सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-67, दिनांक 31-8-2000 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अत: उपरोक्त मुकदमें की विवेचना किसी अन्य जनपद में सक्षम अधिकारी से कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मेरठ में दहेज हत्या के पंजीकृत मुकदमों की संख्या / मुल्जिमों की गिरफ्तारी की माँग

20-श्री समर पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त, 2000 से 1 मार्च, 2001 तक मेरठ जनपद में कितने दहेज हत्या के मामले प्रकाश में आये हैं? क्या दहेज हत्या के मामलों में सभी दर्ज मुकदमों में वांछित मुल्जिमों की गिरफ्तारी कर ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत अवधि में मेरठ जनपद में 14 अपराध पंजीकृत हुए।

इन मुकदमो में वांछित 58 अभियुक्तों में से 3 गलत पाये गये हैं, 26 गिरफ्तार किये गये हैं, 12 हाजिर न्यायालय हुए है, 6 की कुर्की की गयी है, 6 गिरफ्तारी पर स्थगन प्राप्त कर लिये हैं, 5 की गिरफ्तारी शेष है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद लखनऊ जे0बी0जी0 फाइनेन्स कम्पनी के प्रवन्धक / निदेशक के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमों की विवेचना

21-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में जे0 बी0 जी0 फाइनेन्स कम्पनी के निदेशक/प्रवन्धक द्वारा प्रदेश की जनता से करोड़ो रुपये हड़पकर फरार हो जाने के विरुद्ध जनपद लखनऊ के विभिन्न थानों में अव तक कुल कितने मुकदमें दर्ज किये गये है? उक्त मामले में पुलिस विभाग द्वारा कम्पनी के विरुद्ध अव तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत प्रकरण में कुल 5 मुकदमें पंजीकृत किये गये है।

पुलिस द्वारा कम्पनी के विरूद्ध पंजीकृत अपराधो एवं कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं0	मुकदमा अपराध सं0	कृत कार्यवाही
1-	454/98 धारा 406 भादंवि थाना कैसरवाग।	विवेचनोपरान्त अभियुक्त विजय कुमार शर्मा, चेयरमैन जे0 वी0 जी0 के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 221 दि0 16-11-99 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।
2-	832/98 धारा420/406/467/471 भादंवि थाना हजरतगंज।	विवेचना ई0ओ0डब्ल्यू0 से प्रचलित है।
3-	845/98धारा 406/420/467/468/471 भादंवि थाना हजरतगंज।	विवेचना ई0ओ0डब्ल्यू0 से प्रचलित है।
4-	65/99 धारा 406/420/417 भादंवि थाना गाजीपुर।	विवेचना प्रचलित है।
5-	65ए/99 धारा 406/420/417 भादंवि थाना गाजीपुर।	विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद जालौन में पेटी डीलर द्वारा डीजल बिक्री का प्रकरण

22-डा0 छोटे लाल वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया वतायेंगे कि जनपद जालौन में किसानो को डीजल देते समय पेटी डीलर द्वारा 5 ली0 के मापी से किसानों को डीजल दिया जाता है? क्या यह सही है कि उक्त मापी से डीजल निर्धारित मात्रा से कम दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार डिपीन्सिग यूनिट (मापक यंत्र) लगाकर किसानों को डीजल देने पर विचार करेगी? यदि नही, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जनपद जालौन में किसानो को डीजल देते समय पेटी डीजल डीलर द्वारा 5 ली0 के माप से किसानों को डीजल दिया जाता है। निरीक्षण के समय निर्धारित मात्रा से कम डीजल माप कर दिये जाने का कोई तथ्य प्रकाश में नही आया।

जी नही। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-19806/97, मै0 दुर्गा आटो कम्पनी आदि बनाम राज्य सरकार आदि में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29-7-98 के अनुसार पुलिस डीजल बिक्रेता को किसी भी दशा में डिस्पेन्सिग पम्प के माध्यम से डीजल बिक्रय करने का अधिकार नही है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा भी शासनादेश दिनांक 21-8-98 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त तथा समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जनपद इलाहाबाद, संभागीय परिवहन कार्यालय में बसों के पंजीयन से सम्बन्धित प्रकरण की जानकारी

23-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 14-1-2001 को इलाहाबाद क्षेत्र की बगैर संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकरण दुर्घटनाग्रस्त नई बस का पंजीयन नियम विरुद्ध दुर्घटना से पूर्व की तिथि में कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दुर्घटना के उपरान्त बगैर परीक्षण उक्त बस का पंजीयन कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे? यदि नही, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

24-श्री अजय कुमार पोइया-

[दिनांक 30-4-2001 को अता0प्र0सं0-25 द्वारा उत्तरित।]

जनपद मथुरा, गोवर्धन मार्ग पर डग्गामार वाहनों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही

25-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मथुरा से गोवर्धन मार्ग पर चलने वाले डग्गामार वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है? यदि हां, तो उनके अनियंत्रित रूप से बढ़ती हुई संख्या पर सरकार कोई प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मथुरा-गोवर्धन मार्ग पर चलने वाले अनधिकृत "डग्गामार" वाहनों के विरूद्ध जांच की कार्यवाही समय-समय पर करायी जाती है।

वर्ष 2000-2001 में 80 दिवस इस मार्ग पर विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए अवैध रूप से 13 बस, 21 मिनी बस, 41 जीपों तथा 32 अन्य वाहनों के विरूद्ध चालान/बन्द की कार्यवाही करते हुए इन वाहनों से प्रश्नगत शुल्क रूपया-1,26,540/- कर एवं अति0 कर रूपया-3,48,000/- वसूल किया गया तथा रूपया-2,48,000/- मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया गया है।

जनपद मथुरा के क्रय केन्द्रों पर धान क्रय की व्यवस्था

26-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के क्रय केन्द्रों पर क्या किसानों का धान क्रय किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार उक्त जनपद मथुरा के किसानों के धान को क्रय करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हॉ। जनपद मथुरा के धान क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान क्रय किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जनपद में विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा कुल 22 क्रय केन्द्र खोल कर विपणन वर्ष 2000-2001 में कुल 16,100 कुन्टल (सोलह हजार एक सौ कुंटल) धान की खरीद की गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

27-श्री श्रीराम पाल-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद हमीरपुर, निवन्धक कार्यालय के सेवानिवृत्त श्री जगत सिंह के समस्त देयकों के भुगतान की मांग

28-श्री श्रीराम पाल-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुपरवाइजर पद से सेवानिवृत्त श्री जगत सिंह पुत्र श्री गनेश सिंह निवासी शेखपुर बुजुर्ग जो कि 1-7-78 को सेवानिवृत्त हुए थे उनका दिनांक 1-7-66 से 1-8-72 तक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ तथा 1-8-72 से नये निर्धारण का एरियर एवं दिनांक 20-3-77 से 27-6-78 तक का चिकित्सा अवकाश जो कि उप निबन्धक हमीरपुर कार्यालय में लम्बित है, का भुगतान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी हॉ। प्रश्नगत प्रकरण के सभी बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करा कर नियमानुसार देय भुगतान करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर तहसील गार्द खागा के श्री गया प्रसाद, कान्सिटेबल के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमे पर कार्यवाही की जानकारी

29-श्री मुरली धर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गया प्रसाद पुत्र श्री श्रीपाल कान्सिटेबल नं0-163 ए0पी0 पुलिस लाइन तहसील गार्द खागा जनपद-फतेहपुर द्वारा दिनांक 28-8-2000 को धारा 323/504/506/352 आई0पी0सी0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है? यदि हां, तो क्या उसमें वांछित मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हॉ।

कान्स0 108 ए0पी0 नन्दू प्रसाद चौबे तहसील गार्द खागा जनपद फतेहपुर ने दिनांक 21-3-2001 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, आरोप प्रमाणित होने पर अभियुक्त का चालान द्वारा आरोप पत्र संख्या-5 दिनांक 23-3-2001 को न्यायालय में किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को हटवाने की मांग

30-श्री मुरली धर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फतेहपुर में कितनी पंजीकृत एवं अपंजीकृत फैक्ट्रियां हैं? क्या सरकार मलवा उद्योग एरिया से प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को हटाने के लिए विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)-

उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद फतेहपुर में 1894 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं। अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और इन इकाइयों का विवरण जिला उद्योग केन्द्र पर नहीं रखा जाता है और न ही ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया है।

उपर्युक्त पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों में से केवल 29 उद्योग प्रदूषकारी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। इन सभी उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय धान क्रय केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

31-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजीव कुमार महाजन नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली का रजि0 पत्र दि0 21-11-2000 जो धान क्रय केन्द्र फतेहगंज, तिलहर मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

खाद्यायुक्त उत्तर प्रदेश के अधीन प्रकरण की जाँच प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, थाना बेवर में अपराध सं0 519/2000 को मृतक की विधवा द्वारा नामित व्यक्तियों को निर्दोष बताने विषयक पत्र पर कार्यवाही की माँग

32-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि अपराध सं0-519/2000 धारा-302 आई0पी0सी0 थाना बेवर जनपद-मैनपुरी के केस में मृतक की विधवा ने उसके पति के कत्ल में नामित व्यक्तियों को निर्दोष बताते हुए उक्त केस के वादी व अन्य अभियुक्तों द्वारा कत्ल किये जाने का प्रार्थना-पत्र एस0पी0/डी0एम0 मैनपुरी को दिनांक 24-12-2000 को दिये थे? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

श्रीमती शारदा देवी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र दि0 24-12-2000 में मुख्य रूप से अंकित किया था कि उसके पति का आना-जाना चिलौसा नि0-प्रेमपाल सिंह नरेन्द्र बहादुर सिंह से था। कभी-कभी वह भी प्रेमपाल सिंह से मिलती थी। प्रेमपाल सिंह ग्राम घुटारा के शीलू पुत्र राम बहादुर, आनन्द दीक्षित पुत्र जगन्नाथ दीक्षित नि0 कस्बा बेवर को ठिकाने लगाने की बात करता था तथा प्रेमपाल सिंह के यहां कत्ल करने लूट, करने, पकड़ करने व तमाम अनैतिक कार्य करने की साजिशें हुआ करती थी। उनके पति को दि0 20-12-2000 को समय 10-11 बजे सुबह ग्राम लालपुर थाना-किशनी से प्रेमपाल सिंह व उसका साला मुरारी आदि टाटा सूमो से कुम्भ नहाने को कहकर बुला ले गये और दि0 20-12-2000 को करीब 9-00 बजे रात्रि में प्रेमपाल सिंह के मकान पर उसके पति का कत्ल हो गया और उसे व उसके लड़कों को सूचित किये बिना ही थाना बेवर में अपराध सं0-519/2000 धारा 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 बनाम आनन्द दीक्षित, शीलू व हरवीर के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया प्रार्थिनी को सूचना के

विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया प्रार्थिनी को सूचना मिलने पर जब वह प्रेमपाल सिंह के यहां गयी तो छानबीन से पता चला कि उसके पति का कत्ल प्रेमपाल सिंह व उसके साले मुरारी दीक्षित, शीलू व हरवीर झूठे फंसे है और प्रेमपाल सिंह अपने पक्ष में गवाही देने के लिये उसे व उसके लड़के को मजबूर कर रहा है।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के संबंध में अभियुक्तो के बारे में सुरागरसी, पतारसी तथा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना

33-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादवाद, थाना बहजोई के ग्राम ठाठी में कतिपय पंजीकृत अपराध संख्याओं के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की माँग

34-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जसवीर सिंह पुत्र श्री मान सिंह नि0 ग्राम ठाठी थाना-बहजोई जनपद मुरादाबाद ने दि0 18-8-2000 को थाना बहजोई में मु0अ0सं0 264/2000 धारा 302/436 तथा मु0अ0सं0 265/2000 धारा 325 आई0पी0सी0 में पुलिस द्वारा किए गये उत्पीड़न एवं घर में तोड़-फोड़ और लूटपाट विषयक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई है? यदि हां, तो थानाध्यक्ष बहजोई ने रिपोर्ट पर अभी तक क्या कार्यवाही की? क्या रिपोर्ट में दर्शाये गये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री मान सिंह नि0 ग्राम ठाठी ने थाना-बहजोई पर प्रकरण में कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी है। प्रश्न में अंकित मु0अ0सं0 265/2000 धारा 325 भादंवि का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। श्री कमल सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप जाटव नि0 ग्राम ठाठी ने थाना-बहजोई पर मु0अ0सं0-264/2000 धारा 302/436 भादंवि एवं धारा 3(1)15, 3(2) 3, 5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम जसबीर पुत्र मान सिंह गूजर, मनवीर व सुधीर पुत्र जसवीर गूजर व छोटे पुत्र भूप सिंह पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी चन्दौसी श्री डी0के0 सिंह द्वारा की गयी और उनके स्थानान्तरण के पश्चात वर्तमान क्षेत्राधिकारी, श्री त्रिदीप सिंह द्वारा की गयी। जसवीर सिंह के परिजनों के साथ थानाध्यक्ष आदि द्वारा कोई मार पीट, तोड़ फोड़ या लूट पाट किया जाना नहीं पाया गया है।

मु0अ0सं0-264/2000 की विवेचना के मध्य अभियोग में नामित अभियुक्त श्री जयपाल सिंह को दि0 19-9-2000 को बंदी बनाया गया अभियुक्त जसवीर सिंह, मनवीर व सुधीर द्वारा दि0 28-8-2000 को अभियुक्त छोटे दि0 4-9-2000 को तथा अभियुक्त कल्यान यादव द्वारा दि0 10-9-2000 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया। साक्ष्य के आधार पर अभियोग में सभी अभियुक्तों के विरूद्ध दि0 29-10-2000 को आरोप पत्र सं0-17 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार बहराइच में बंदी रक्षकों के आवासों पर विद्युतीकरण की माँग

35-डा0 वकार अहमद शाह तथा श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि कारागार विभाग द्वारा जिला कारागार बहराइच में बंदी रक्षकों के आवासों में विद्युतीकरण कराया गया है? यदि नही, तो क्यो? क्या कर्मचारियो से विद्युत व्यय उनके वेतन से जबरन वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

बन्दी रक्षकों को श्रेणी-1 के आवास अनुमन्य हैं। जिला कारागार बहराइच में श्रेणी-1 के कुल 49 आवास हैं, जिनमें से 29 आवासों का विद्युतीकरण विभाग द्वारा कराया गया है।

अवशेष 20 आवासों में विद्युतीकरण आवासीय भवन अत्यन्त पुराने एवं जीर्ण-क्षीण अवस्था में होने और तदनुसार इनकी मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि की सम्प्रति अभाव होने के कारण नहीं किया जा सका है, किन्तु इन आवासों में विद्युत का उपयोग अध्यासियों द्वारा स्वयं अस्थायी तौर पर तार खिंचवाकर किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, थाना चुर्खी में पंजीकृत हरिजन एक्ट के उत्पीड़न में अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की माँग

36-श्री श्रीराम पाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के थाना क्षेत्र चुर्खी में दिनांक 1-1-2000 से 31-1-2001तक विभिन्न ग्रामों में अनु0 जाति के लोगों की मारपीट व उत्पीड़न के सम्बन्ध की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किये जा चुके हैं? क्या यह सही है कि मुकदमा अपराध संख्या-53/2000 धारा-323, 504, 506 आई0पी0सी0 एवं 3 (1) 10 अनु0 जाति, जनजाति उत्पीड़न एक्ट थाना चुर्खी के प्रकरण में अन्तिम आख्या लगाकर अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही नहीं यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त अवधि में पंजीकृत मामले जिनमें अन्तिम आख्या लगाई गई है की पुनः विवेचना कराकर अभियुक्तों को दण्डित कराया जायेगा? यदि नही, तो क्यो?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आलोच्य अवधि में कुल 9 अभियोग पंजीकृत कराये गये थे। विवेचनोपरान्त 5 अभियोगों में आरोप पत्र एवं 3 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी है एवं एक अभियोग में विवेचना प्रचलित है।

मु0अ0सं0 53/2000 धारा 504/506/323 भादंवि व 3(1) 10 एससी/एसटी थाना चुर्खी में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है बल्कि विवेचनोपरान्त अभियुक्त चच्चू पुत्र कृष्णस्वरूप को दिनांक 30-11-2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त कृष्णस्वरूप पुत्र रामसेवक दिनांक 29-3-2001 को हाजिर अदालत होकर जेल गया। उक्त अभियोग की विवेचना पूरी करते हुये दिनांक 30-3-2001 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

जी नहीं।

अंतिम आख्या न्यायालय के विचारार्थ प्रेषित की जा चुकी है।

जनपद बाराबंकी, जिला सहकारी बैंक लि0 द्वारा स्टेशनरी खरीद

37-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन (उ0प्र0) यूनिट बाराबंकी का शिकायती-पत्र सं0-72-6, दिनांक 28-6-1997 जो जिला सहकारी बैंक लि0

बाराबंकी द्वारा बैंक की वर्ष 1989 से 1993 तक स्टेशनरी खरीद फरोख्त में बैंक को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाने एवं डेड स्टाक को क्षति पहुचाने आदि विषयक था, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत, थाना बीसलपुर में पंजीकृत धारा-498 पर कार्यवाही की जानकारी

38-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती कुसुम शर्मा पुत्री श्री महेश चन्द्र शर्मा नि0 मो0 निजाम तिलहर (शाहजहांपुर) ने दि0 22-9-97 को थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत में धारा-498 आई0पी0सी0 03/4 डी0पी0 ऐक्ट के अन्तर्गत दिनेश चन्द्र शर्मा सहित दस लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

विवेचना से अभियुक्तगण दिनेश चन्द्र शर्मा, शैलेन्द्र कुमार, राम विलास व रिन्टू का जुर्म में शरीक होने का साक्ष्य पाया गया। शेष अभियुक्तों की नामजदगी झूठी पायी गयी। अभियुक्त दिनेश चन्द्र शर्मा दिनांक 6-11-97 व अभि0 राम विलास दिनांक 17-11-97 को हाजिर अदालत होकर जेल भेजे गये तथा शेष अभियुक्त के विषय में मा0 उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी का स्थगन आदेश प्राप्त होने तथा यदि साक्ष्य हो तो आरोप पत्र प्रेषित किये जाने संबंधी निर्देश पर विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण दिनेश चन्द्र शर्मा, राम विलास, शैलेन्द्र कुमार व रिन्टू के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अन्तर्गत धारा 498 ए व 3/4 दहेज अधि0 के आरोप पत्र सं0-278 दिनांक 8-12-97 को प्रेषित किये जा चुके हैं जो विचाराधीन न्यायालय है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद हरदोई, थाना मल्लावां के ग्राम मटियामऊ में जबरन धर्म परिवर्तन की जानकारी

39-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मल्लावां ग्रा0 मटियामऊ जि0 हरदोई में जनवरी, 2001 में रमेश नाई के 16 वर्षीय पुत्र का जबरिया धर्म परिवर्तन किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

ग्राम मटियामऊ थाना मल्लावां, जनपद हरदोई निवासी मंजेश पुत्र बाबू नाई उम्र 15-16 वर्ष के धर्म परिवर्तन कराये जाने के प्रकरण में श्री रमेश नाई पुत्र बाबू नाई द्वारा थाना मल्लावां पर दिनांक 27-2-2001 को करीब दो सप्ताह पूर्व की, घटना की लिखित सूचना दी गयी थी जिसके आधार पर मु0अ0सं0-32/2001 धारा 295 ए/324/342 भा0दं0वि0 का अभियोग विरूद्ध हकीक पुत्र सुबेदार, अहीक पुत्र अजीज, तसरीफुल पुत्र मुश्ताक एवं मन्नान पुत्र हकीक निवासीगण ग्राम मटियामऊ थाना मल्लावां हरदोई पंजीकृत होकर उसकी विवेचना की गयी। हकीक व अहीक दिनांक 27-2-2001 को ही गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। अभियुक्त तसरीफुल व मन्नान क्रमशः दिनांक 14-3-2001 व 19-3-2001 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जेल गये। विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 31-3-2001 को न्यायालय प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद, थाना कोतवाली मैनपुरी में अपराध सं0-28/2001 पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की माँग

40-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या-28/2001 धारा-359 आई0पी0सी0 थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी के केस के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करा ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार नामित सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

उपरोक्त अभियोग के अभियुक्तों में से प्रेमपाल सिंह दि0 16-1-2001 को गिरफ्तार किये गये, कृपाल सिंह भदौरिया, प्रबल प्रताप सिंह दि0 7-3-2001 को गिरफ्तार किये गये एवं प्रताप भानु सिंह, मुनेश सिंह, उमेश सिंह दि0 16-3-2001 को हाजिर अदालत हुए, उपदेश सिंह व पंकज दि0 27-3-2001 को हाजिर अदालत हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त अभियोग में किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है सभी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दि0 28-3-2001 को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (नेडा) के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिये जाने की मांग

41-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (नेडा) के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन आदि दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो इसका कार्यान्वयन कब तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा?

श्री बच्चा पाठक-

जी नहीं।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उ0प्र0 के कार्मिकों को वेतन समिति, उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों के आधार पर वेतन पुनरीक्षण संबंधी कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है।

सहकारिता विभाग में अनुसूचित जाति के लेखाकारों को सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति की माँग

42-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के अनुसूचित जाति के लेखाकारों को सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु पत्रांक1249/कोषागार निदेशालय दिनांक 9-3-94 को जारी हुआ है? यदि हां, तो क्या श्री गोपी चन्द्र विमल की वरिष्ठता कोटिक्रम के स्थान पर उनसे कनिष्ठ लेखाकार श्री राम खेलावन रावत की चयनोपरान्त पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी पद पर की गयी? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराकर वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जी नहीं। संदर्भित पत्र दिनांक 9-3-94 द्वारा उ0प्र0 सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली, 1985 के नियम-5(1) के अन्तर्गत प्रदेश के 29 विभागों, जिसमें सहकारिता विभाग भी सम्मिलित था, के स्थाई लेखाकारों/वरिष्ठ लेखा परीक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी।

अनंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति करने का प्रश्न नहीं उठता।

निबंधक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 27 जून, 1998 द्वारा लेखाकारों को संशोधित वरिष्ठता सूची प्राप्त हुयी। उसके आधार पर मई, 1999 में संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की गयी, जिसमें श्री गोपीचन्द्र विमल का नाम अंकित नहीं था क्योंकि इनका नाम सहकारिता विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया था। अत: इसकें आधार पर इनकी पदोन्नति नहीं की जा सकी।

निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 4 मई, 2000 द्वारा श्री गोपीचन्द्र विमल को श्री रामखेलावन रावत से वरिष्ठ बताया गया है। इसके आधार पर वरिष्ठता सूची में श्री विमल का नाम यथा स्थान अंकित करते हुये भविष्य में लोक सेवा आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में होने वाले चयन में इनका नाम पात्रता सूची में रखा जायेगा।

जनपद सन्त कबीर नगर, ग्राम पंचायत भैंसामाफी में गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में जारी राशन कार्डो की जाँच

43-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत भैंसामाफी, विकास खण्ड मेंहदावल जनपद संत कबीर नगर में कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से नीचे राशन कार्ड बनवाये गये हैं? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत में किसी भी व्यक्ति को राशनकार्ड आज तक जारी नहीं किया गया है एवं राशन कार्ड की दुकान से सामान का वितरण केवल कागजों में दिखाकर बड़े पैमाने पर अनियमितता की जा रही है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड एवं दुकान से सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

ग्राम पंचायत भैंसामाफी विकास खंड मेंहदावल, जनपद संतकबीर नगर में कुल 145 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में चिन्हित कर राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

प्रकरण की जांच जिलापूर्ति अधिकारी, संतकबीरनगर से कराई गई। जांच में यह पाया गया कि चिन्हित सभी बी0पी0एल0 परिवारों को राशनकार्ड न उपलब्ध कराकर कुछ व्यक्तियों को ही राशनकार्ड विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। वितरण के संबंध में लाभार्थियों द्वारा राशन की दुकान से अनुसूचित वस्तुओं का पाया जाना स्वीकार किया गया। संबंधित ग्राम पंचायत के चिन्हित सभी बी0पी0एल0 परिवारों को राशन कार्ड पर सस्ते गल्ले की दुकान से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चित्रकूट, थानाध्यक्ष मानिकपुर के कार्यो की जाँच व अन्यत्र स्थानान्तरण विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

44-श्री आर0के0सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसद श्री राम सजीवन सिंह का पत्र दिनांक 14-1-2000 जो जिला चित्रकूट में कार्यरत तत्कालीन थानाध्यक्ष, मानिकपुर एवं पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट के कार्यो की जांच कराने एवं उनका अन्यत्र स्थानान्तरण करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित करके जांच करायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित मा0 सांसद श्री रामसजीवन सिंह के पत्र दिनांक 14-1-2000 की छायाप्रति प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-1-2000 के साथ प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुई थी।

उक्त शिकायती पत्र की जांच पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा से करायी गयी। जांच से पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट एवं थानाध्यक्ष (तत्कालीन), मानिकपुर के विरूद्ध उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये।

प्रश्नगत शिकायती - पत्र की जांच पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी से करायी गयी है। इस कारण जांच से पूर्व पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट का स्थानान्तरण करने की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

जनपद फिरोजाबाद, थाना टूण्डला में पंजीकृत अपराधों की जांच

45-श्री सुशील शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0अ0सं0 319/90 धारा-302 आई0पी0सी0 थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 आगरा सेक्टर के द्वारा कराई गई थी जिसका सी0बी0 नम्बर 439/95 है? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

सी0बी0 संख्या-439/95 फर्रूखाबाद से सम्बन्धित है तथा प्रश्न में अंकित मु0अ0सं0-319/95 धारा 302 भा0दं0वि0 थाना टूण्डला, फिरोजाबाद से संबंधित नहीं है अतः प्रश्न में अंकित संख्याओं में तालमेल न होने के कारण प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में परिवहन समिति की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जानकारी

46-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मंत्री परिषद् के निर्णय के अनुरूप वर्ष 1999 में परिवहन नीति बनाने के लिए प्रमुख सचिव, न्याय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी? क्या उसके सदस्य प्रमुख सचिव, परिवहन व परिवहन आयुक्त थे? यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या संस्तुतियां की? क्या उन संस्तुतियों के आधार पर कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय दि0 15-7-98 के अनुरुप परिवहन समिति का गठन गोपन अनु0-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23-7-98 द्वारा किया गया था।

जी हां।

परिवहन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां संलग्न है।

समिति की *संस्तुतियों पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नही उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पर बकाया यात्रीकर व अर्थदण्ड की धनराशि

47-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर 31 मार्च, 1998 तक कितना यात्री कर व इसके बाद फरवरी, 2001 तक कितना अतिरिक्त कर बकाया है? क्या निगम पर कर का भुगतान न करने के कारण नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया गया है? यदि हां, तो कितना?

---

* (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ - 169 - पर।)

यदि नहीं, तो क्यों? उक्त के लिए परिवहन निगम व परिवहन विभाग के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम पर 31 मार्च, 1998 तक रू0 149-36 करोड़ यात्रीकर बकाया था। तदोपरान्त फरवरी 2001 तक कुल यात्रीकर/अतिरिक्त कर रू0 269-20 करोड़ बकाया है।

जी हॉ।

प्रदेश के संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचनानुसार लगभग रूपये 39,10,93,824-00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में उप परिवहन आयुक्त के रिक्त पदों को भरने की माँग

48-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपर परिवहन आयुक्त तथा उपायुक्त परिवहन के कितने पद रिक्त है? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

अपर परिवहन आयुक्त का कोई पद रिक्त नही है। उप परिवहन आयुक्त के 06 पद रिक्त हैं।

उक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी द्वारा जारी आग्नेयास्त्रों के विवरण

49-श्री अनिल कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा अपराधियों को आग्नेयास्त्रों को गलत तरीके से स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-1-2001 गृह सचिव को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार जनपद मैनपुरी में माह अक्टूबर, 2000 से अब तक स्वीकृत/जारी किये गये लाइसेन्सों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हॉ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 4-1-2001 में वर्णित मामलों में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी को निर्देशित कर दिया गया है क्योंकि संबंधित शस्त्र लाइसेन्सों के लाइसेंसिंग प्राधिकारी स्वयं जिला मजिस्ट्रेट ही हैं। जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी द्वारा संबंधी मामलों में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त होने के बाद यदि कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो तद्नुसार संबंधित व्यक्तियों एवं उनके लाइसेंसों के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

माह अक्टूबर, 2000 से अब तक कुल 855 शस्त्र लाइसेन्स जनपद मैनपुरी में स्वीकृत किये गये है जिनका विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

श्री चन्द्रबली उपाध्याय, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् क्षेत्रीय कार्यशाला झूसी, इलाहाबाद के पत्र पर अध्यक्ष परिवहन निगम द्वारा जाँच के आदेश

50-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

माननीय परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद्, क्षेत्रीय कार्यशाला झूसी, इलाहाबाद के मंत्री श्री चन्द्रबली उपाध्याय द्वारा दिनांक 18-7-1998 को अध्यक्ष उ0प्र0 परिवहन निगम को प्रेषित शिकायती-पत्र पर जांच के आदेश कब और किसको तथा किसके द्वारा निर्गत किये गये थे? जांचोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँच क्षेत्रीय प्रबन्धक इलाहाबाद से कराये जाने के आदेश प्रधान प्रबन्धक (पेंशन) द्वारा दिनांक 26-9-98 को निर्गत किये गये।

जाँच में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री राम औतार शाक्य-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0-21/99 की पुनः निष्पक्ष विवेचना के आदेश

52-श्री प्रदीप कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में मु0अ0सं0 21/99 धारा-466, 468, 471, 193 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस प्रकरण में अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से झूठे साक्ष्य तैयार कराये जा रहे है तथा दस्तावेजों में हेरा-फेरी करके केस डायरी प्रस्तुत की गयी है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

प्रकरण में अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने, झूठे साक्ष्य तैयार करने एवं दस्तावेजों में हेराफेरी करके केस डायरी प्रस्तुत करने के आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए इस अभियोग की पुनः निष्पक्ष विवेचना के निर्देश थाना प्रभारी को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जैतीपुर में कोटेदार को खाद्यान्न न आवंटित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

53-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-1-2001 जो जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में कोटेदार को खाद्यान्न न आवंटन करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

संदर्भगत शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच सहायक आयुक्त, खाद्य बरेली मंडल, बरेली से कराई गई। जांच में तथ्यों की पुष्टि हो जाने पर विकास खंड जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर के गोदाम प्रभारी श्री सुखपाल सिंह द्वारा बरती गई लापरवाही एवं उदासीनता के कारण उसे तत्काल निलम्बित करने तथा

उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को शासन स्तर से दिनांक 26-4-2001को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

54-श्री हरपाल सिंह-

[4 थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0-97 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद फैजाबाद के ग्राम पंचायत सिधौना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को जारी राशन कार्डो की जानकारी

55-श्री अक्षयवर लाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत सिधौना तहसील मिल्कीपुर जिला फैजाबाद में किन-किन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से नीचे एवं किन-किन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड जारी किये गए है? क्या यह सही है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का राशन कार्ड एवं कुछ ऐसी राशन कार्ड बनाकर उक्त ग्राम पंचायत के सस्ते गल्ले के दुकानदार द्वारा खोरी, मिट्टी के तेल, चीनी का राशन व खाद्यानों की काला बाजारी की जा रही है? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत के राशन कार्डो एवं वितरित सामग्री की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी दुकानदार की दुकान निरस्त करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

तहसील मिल्कीपुर के ग्राम पंचायत सिधौना में बी0पी0एल0 परिवार के 306 राशनकार्ड व ए0पी0एल0 परिवार के 140 राशनकार्ड बनाकर जारी किये गये हैं। मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा मा0 खाद्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में अपनी सुविधानुसार जारी किये गये राशनकार्डो की सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

जी नहीं।

प्रकरण की जांच से स्पष्ट हुआ कि संबंधित दुकानदार द्वारा राशन कार्ड पर गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल का वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है। विपणन शाखा को परिवहन व्यय का भुगतान न होने के कारण बाल पोषाहार के खाद्यान्न का उठान विपणन शाखा द्वारा विगत एक वर्ष से नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद थाना कोतवाली मैनपुरी में पंजीकृत अपराध संख्या 28/2001 के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

56-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या-28/2001 धारा-395 आई0पी0सी0 थाना-कोतवाली मैनपुरी जनपद-मैनपुरी में क्या अभियुक्तों के विरूद्ध चार्जशीट लगा दी गयी है? यदि हां, तो किस किस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त केस में जमानत कराने से पूर्व व मुकदमा कायमी के दिन से किस-किस अभियुक्त को गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही है और उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जायेगा?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां।

अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र सं0-112 दिनांक 28-3-2001 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त अभियोग के अभियुक्तों में प्रेमपाल सिंह दि0 16-1-2001 को गिरफ्तार हुए, कृपाल सिंह भदौरिया व प्रबल प्रताप सिंह दि0 7-3-2001 को गिरफ्तार हुए, प्रंताप भान सिंह मुनेश सिंह, उमेश सिंह

दि0 16-3-2001 को हाजिर अदालत हुए एवं उपदेश सिंह व पंकज दि0 27-3-2001 को हाजिर अदालत हुए।

अभियोग कायमी के दिनांक से ही अभियुक्तों की तलाश की गयी जिसके फलस्वरूप उपरोक्त सभी अभियुक्त गिरफ्तार/हाजिर अदालत हुए। अब कोई गिरफ्तारी शेष नहीं है।

प्रदेश में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मानदेय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

57-श्री राम औतार शाक्य-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां की गयी है? यदि हां, तो उनको मासिक भत्ता कितना दिया जाता है? क्या यह सही हैं कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों के भत्तों में अन्तर है? यदि हां, तो क्यों? क्या उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदेश सरकार को दोनों प्रकार के मजिस्ट्रेट को समान भत्ता देने हेतु कोई निर्देश प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसका अनुपालन कब तक सुनिश्चित करा दिया जायेगा?

श्री राधेश्याम गुप्ता-

जी हाँ।

न्यायिक मजिस्ट्रेटों को 2000/- रू0 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों के भत्तों में इसलिये अन्तर हैं कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मात्र मानदेय पर ही रखे गये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों/विशेष मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेटों का मानदेय बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद व थाना कोतवाली मैनपुरी में पंजीकृत अपराध सं0 28/2001 में अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी

58-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अपराध संख्या-28/2001 धारा-395 आई0पी0सी0 थाना कोतवाली, मैनपुरी जनपद मैनपुरी में ऐसे नामित/वांछित अभियुक्तगण हैं जिनके विरूद्ध धारा-82/83 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत गिरफ्तारी हो गयी है, किन्तु उन्हें उक्त समयावधि में भी गनर की सुविधा उपलब्ध रही है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? क्या इसके लिये दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

इस अभियोग के नामित/वांछित अभियुक्त में से किसी के विरूद्ध धारा 82/83 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही नहीं की गयी थी। अभियुक्त प्रेमपाल सिंह की गिरफ्तारी के फलस्वरूप उन्हें प्रदत्त गनर वापस लिया गया तथा उनके जमानत पर रिहा होने पर शासन द्वारा स्वीकृत गनर की अवधि शेष होने के कारण पुन: दि0 19-3-2001 का गनर प्रदान किया गया था। शेष अभियुक्तों को शासन द्वारा प्रदत्त गनर वापस ले लिये गये थे तथा उपदेश सिंह पूर्व विधायक को 10 प्रतिशत निजी व्यय पर एक माह के लिए एक शैडो दि0 3-5-2001 को दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री हरपाल सिंह-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ के थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध सं0 76/2001 में अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी

60-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि थाना जहानागंज जनपद-आजमगढ़ में श्री अवधेश कुमार मौर्य प्रधानाचार्य श्री परमसन्त जमुनादास, इण्टर कालेज, जमुआं (हडौरा) आजमगढ़ की दिन दहाड़े दिनांक 30-1-2001 की हत्या कर दी गयी है जिसका मुकदमा अ0सं0 76/2001 धारा 302/307 आई0पी0सी0 थाना जहानागंज में पंजीकृत किया गया है? यदि हां, तो उसमें अभी तक कौन-कौन अभियुक्त पकड़े गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हॉ।

अभियुक्तगण निम्नवत् हैं :-

1-अजय उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र राम आसरे सिंह निवासी ग्राम जमुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़। 2-पप्पू सिंह पुत्र हाकिम सिंह, निवासी ग्राम कद्देपुर थाना तरवां आजमगढ़। 3-मनोज दूबे पुत्र राम अधार दूबे निवासी ग्राम मलसा थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर। 4-अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

अजय उर्फ गुड्डू सिंह ने दिनांक 26-3-2001 एवं पप्पू सिंह ने दिनांक 25-3-2001 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। विवेचनोपरान्त दिनांक 10-4-2001 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। अभियुक्त मनोज कुमार दूबे के विरूद्ध धारा 82 का तामिला दिनांक 18-3-2001 को कराया गया है। अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पूर्व से ही जेल में निरूद्ध है। इसके विरूद्ध वारण्ट बी दिनांक 20-4-2001 को जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं, थाना उझानी के ग्राम अढ़ौली में पंजीकृत अपराध के मुल्जिमों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी

61-श्री छोटे लाल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम अढ़ौली थाना उझानी जनपद-बदायूं में अनुसूचित जाति के कल्यान पुत्र बद्री की गांव के ही कुछ लोगों द्वारा पिटाई किये जाने के कारण दिनांक 9-11-2000 को मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो क्या थाना उझानी ने पिटाई करने वाले मुल्जिमान के विरूद्ध रिपोर्ट लिख करके मुकदमा दर्ज किया गया? यदि हां, तो किस-किस धारा में? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं।

गाली-गलौज, मारपीट किये जाने के संबंध में दि0 9-11-2000 को 20-50 बजे कल्यान पुत्र बद्री प्रसाद जाटव नि0-ग्रा0 अढ़ौली थाना-उझानी द्वारा रघुवीर, बाबूराम, लट्टूरी पुत्रगण तुरसी जाटव तथा छोटे पुत्र रघुवीर जाटव के विरूद्ध अहस्तक्षेपीय अपराध सं0-368/2000 धारा 323/504 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। कल्यान की मृत्यु दि0 23-2:-2001 को उसके घर पर हुई जिसका संबंध मारपीट से नहीं है।

उक्त घटना के संबंध में थाना उझानी पर मुल्जिमानों के विरूद्ध अहस्तक्षेपीय अपराध सं0-368/2000 धारा 323/504 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध अहस्तक्षेपीय होने के कारण उक्त मुल्जिमानों के विरूद्ध धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 की निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, थाना किशनी के ग्राम लेगांव में पंजीकृत अपराध सं0 214/2000 के अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही

62-श्री श्रीराम पाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम लेगांव, थाना-किशनी, जिला-मैनपुरी में 2/3-9-2000 की रात्रि में घटित डकैती/हत्या, ग्राम नगला पूरनपुर तथा सकरावा नदी थाना-सोरिख, जिला-कन्नौज पर पुल निर्माण का कार्य कर रहे कर्मचारियों पर डकैती व मारपीट की घटनाओं की पृथक-पृथक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या थाना-किशनी में दर्ज मु0अ0सं0 214/2000 में डकैती सहित हत्या में अपराध की प्रकृति बदलकर आशाराम पाल पुत्र श्री होरी लाल निवासी लेगांव को फर्जी नामजद किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की तफ्तीश किसी अन्य जनपद की पुलिस या सी0बी0सी0आई0डी0 से करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

ग्राम-लेगांव, थाना-किशनी, जिला मैनपुरी में 2/3-9-2000 को श्री बदन सिंह की हत्या के संबंध में मु0अ0सं0-214/2000 धारा 302/307 भा0दं0वि0 दि0 3-9-2000 को पंजीकृत किया गया। ग्राम नगला पूरनपुर तथा सकरावा नदी थाना सोरिख जिला कन्नौज पर पुल निर्माण का कार्य कर रहे कर्मचारियों पर डकैती व मारपीट की घटनाओं की कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पृथक-पृथक दर्ज नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना-किशनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-214/2000 धारा302/307 भा0दं0वि0 में वादी द्वारा श्री आशाराम पाल को प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद किया गया है। डकैती से संबंधित अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है।

इस अभियोग की विवेचना शासन द्वारा दि0 30-10-2000 को सी0बी0सी0आई0डी0 को स्थानान्तरित कर दी गयी थी तथा शासनादेश दि0 20-1-2001 द्वारा विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से वापस लेकर स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दी गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में बढ़ती आई0एस0आई0 गतिविधियों पर अंकुश हेतु पुलिस बल की माँग

63-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की विशालता को ध्यान में रखते हुए तथा जनपद मेंआई0एस0आई0 की बढ़ती हुयी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये जनपद में पुलिस बल की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार आजमगढ़ में अधिक पुलिस बल तैनात करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जनपद-आजमगढ़ में आतंकवादी संगठनों व आई0एस0आई0 की गतिविधि अब तक प्रकाश में नहीं आई है, फिर भी इसे पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता है। सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। निगरानी हेतु पुलिस

बल की कमी नहीं है। जनपद आजमगढ़ में केवल उप0नि0ना0पु0 के स्वीकृत नियतन-129 है के विरूद्ध 27 पद रिक्त है जिसकी पूर्ति उप नि0ना0पु0 की भर्ती के उपरान्त ही सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा, थाना असराहार में पंजीकृत अपराध सं0 217/2000 में अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी

64-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अपराध संख्या 217/2000 धारा-302 आई0पी0सी0 थाना असराहार जिला इटावा में पंजीकृत घटना की बाबत श्री अमर सिंह, प्रधानाध्यापक, वदकन शाहपुर, थाना असराहार जनपद इटावा द्वारा प्रस्तुत स्थानीय पुलिस के विरूद्ध गलत विवेचना किये जाने के शिकायती-पत्र पर गृह सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा अपने आदेश पत्रांक74/बी0एस0/स0 गृह (च)/2000 दिनांक 4-10-2000 के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किया है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

उक्त विवेचना के मध्य महेन्द्र सिंह व पाल सिंह प्रकाश में आये जिसमें अभियुक्त महेन्द्र सिंह को दिनांक 7-7-2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त पाल सिंह की गिरफ्तारी न होने पर धारा 82/83 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की गई। दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 13-8-2000 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्री राम औतार शाक्य-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विधान भवन, सेन्ट्रल हाल कैन्टीन में रखे गये कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रकरण

66-श्री विजय पाल सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन स्थित सेन्ट्रल हाल कैन्टीन में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से संबंधित जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 के मध्य कितने कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के पद पर तैनात किया गया है? उक्त तैनात कर्मचारियों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है? क्या उक्त कर्मचारियों को स्थायी किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

विधान भवन स्थित सेन्ट्रल हाल कैन्टीन में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से सम्बन्धित जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 के मध्य आवश्यकतानुसार मात्र एक दैनिक श्रमिक रखा गया है।

उक्त तैनात श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक रूपया 48.54 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जलपानगृहों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण विशेष अवसरों यथा-विधान सभा सत्र एवं उच्चस्तरीय बैठकों आदि को जलपान एवं भोजन व्यवस्था हेतु आवश्यकता के कारण दैनिक श्रमिक रखे जाते हैं। वाह्य श्रमिकों को नियमित सेवा में स्थायी करने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद फैजाबाद, थाना रौनाही के ग्राम मंगलसीपूरे रामदीन के पंजीकृत कतिपय अपराध में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी

67-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-9-2000 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो श्री राम भवन दलित निवासी ग्राम मंगलसी पूरे रामदीन थाना-रौनाही जनपद फैजाबाद की पत्नी को गांव के कुछ सवर्ण एवं दबंग व्यक्तियों द्वारा जबरन मारे पीटे जाने से थाना-रौनाही में दर्ज कराये गये मुकदमा अ0सं0-246/ 2000 धारा-147/323/452, 504/506 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(2) अनु0 जा0 ज0 जा0 उ0 नि0 अधि0घटना, दिनांक 21-7-2000 में थाना की पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देकर कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है? जांच के क्या परिणाम निकले हैं? दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

इस पत्र के पूर्व दिनांक 25-7-2000 को आदी राम भवन पुत्र पंचम पासी पूरे रामदीन एच0/ओ0 मंगलसी के प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0 246/2000 धारा 147/323/452/504/506/ भा0दं0वि0 व 3(2) (5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम अमृत लाल वर्मा पुत्र शिव राम, 2-राम लोट वर्मा पुत्र दुखी, 3-राजेश वर्मा पुत्र राज बहादुर, 4-कामता वर्मा पुत्र सीता राम 5-अजय कुमार वर्मा पुत्र हौसिला पंजीकृत हुआ। विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी। सभी अभियुक्तगण न्यायालय में आत्मसमर्पण किये। विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, थाना रौनाही में ग्राम मंगलसी मजरे रमपुरवा के पंजीकृत अपराध सं0 226/2000 में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही

68-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-9-2000 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो दलित महिला श्रीमती छेदाना,निवासी ग्राम मंगलसी मजरे रमपुरवा, थाना रौनाही जनपद फैजाबाद के पति की हुई हत्या को थाना रौनाही में दिनांक 17-7-2000 को दर्ज कराये गये मु0अ0सं0-226/2000 धारा 364 भा0 दं0 वि0 में थाना की पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देकर कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

श्रीमती छेदाना निवासी मंगलसी मजरे रामपुर थाना-रौनाही जनपद फैजाबाद के पति के गायब होने के संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 226/2000 धारा 364 भा0दं0वि0 पंजीकृत है। यह सत्य नहीं है कि पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देकर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका का पति जनक राज सरयू नदी के तट पर मंगलसी मांझा में छप्पर डालकर रहता था। आवेदिका के पति की शराब सेवन की आदत थी। घटना के दिन जनक राज की पत्नी व बच्चे

अपने अपने गॉव सामन लेने आये थे। जनक राज नदी की खड़ी ढाल पर से पानी लेने गया तथा उसी में गिर गया काफी तलाश के बाद भी वह नहीं मिला अन्य कोई साक्ष्य हत्या या अपहरण के संबंध में होना प्रकाश में नहीं आया। आवेदिका स्वयं अपने बयान में किसी से कोई रंजिश/दुश्मनी होना नहीं बताया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, इनायत नगर थाना में पंजीकृत अपराध सं0 217/2000 के अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी

69-श्री राम चन्द्र यादव

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-9-2000 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो श्री विनोद कुमार दलित व्यक्ति थाना इनायत नगर, फैजाबाद द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमा अपराध संख्या 217/2000 आई0पी0सी0 की धारा-307, दिनांक 20-7-2000 में हुई एक व्यक्ति की हत्या एवं एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाने से पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने आदि के सम्बन्ध में था, सचिव गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

प्रकरण की जाँच में यह पाया गया कि दिनांक 20-7-2000 को रात्रि लगभग 19.45 बजे सुजकी मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात व्यक्ति कुचेरा बाजार की तरफ जा रहे थे, उनकी गतिविधियां संदिग्ध होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें पूँछताँछ के लिए रोकने पर मोटर साइकिल पर बैठे व्यक्तियों ने तमंचे से फायर कर दिया। इस घटना में आहत श्री देवेन्द्र कुमार उर्फ घण्टोले की मृत्यु जिला चिकित्सालय फैजाबाद में उपचार के दौरान हो गयी जिसके संबंध में मु0अ0सं0 217/2000 धारा 302 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात अभियुक्त थाना इनायतनगर में पंजीकृत हुआ है। इस अपराध के अनावरण हेतु निरन्तर सघन प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, थाना मवई के ग्राम मोरमऊ की कु0 निशा के साथ बलात्कार की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

70-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-2-2001 जो श्री जगजीवन निवासी ग्राम मोरमऊ थाना मवई जनपद फैजाबाद की पुत्री कु0 निशा के साथ किये गये बलात्कार की रिपोर्ट थाना मवई में दर्ज कराये जाने एवं दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में था, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 1-2-2001 के पूर्व ही श्री जगजीवन पुत्र बाबादीन निवासी मोरमऊ थाना मवई, फैजाबाद का पत्र दिनांक 8-9-2000 को प्राप्त हुआ था। श्री जगजीवन की सूचना के आधार पर थाना-मवई में सी-2/2000 धारा 363/366/376 भा0दं0वि0 बनाम 1-उमादेवी पत्नी राजकरन, 2-रामराज, 3-राजेश पंजीकृत किया गया। विवेचना के मध्य अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। उक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दिनांक 28-2-2001 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, थाना खण्डासा के ग्राम रौतावां के दबंगों द्वारा जान से मारने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

71-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-9-2000 जो ग्राम रौतावां थाना खण्डासा जनपद फैजाबाद के कुछ दबंग तथा पेशेवर हत्यारों द्वारा श्री मुस्लिम निवासी ग्राम-रौतावां को जान से मार डालने एवं इनके द्वारा थाना खण्डासा में लिखित तहरीर के अनुसार एफ0आई0आर0 दर्ज ने किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

पत्र की प्राप्ति के पूर्व की श्री मुस्लिम की मौखिक सूचना के आधार पर अहस्तक्षेपीय अपराध सं0 77/2000 धारा 323/504 भा0दं0वि0 बनाम अभियुक्तगण 1-रामानन्द 2-रामानुज 3-पारसनाथ 4-दीना नाथ निवासीगण रौतावां थाना खण्डासा में पंजीकृत हुआ।

अपराध की जाँच कराये जाने पर मामला केवल अहस्तक्षेपीय अपराध का पाया गया। फिर भी शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अभियुक्तगण के विरूद्ध एक पक्षीय 107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी तथा कार्यवाही में निरुद्ध उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 116(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत विपक्षीगण को भारी धनराशि से पाबन्द कराने हेतु निर्देशित किया गया है। आवेदक को जान से मारने की धमकी की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, थाना आसपुरा देवरस में पंजीकृत कतिपय अपराध सं0 पर कार्यवाही की जानकारी

72-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुरा देवसरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2000, 30/2000 एवं 30ए0/2000, 90 ए0/90 बी0/99 के अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुरा देवसरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-28/2000 में आरोप प्रमाणित होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-47 दिनांक 1-5-2000 को, मु0अ0सं0-30/2000 में आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र सं0-37 दिनांक 28-4-2000 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

मु0अ0सं0-30ए/2000 में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31-3-2000 को तथा मु0अ0सं0-90ए/99 में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 5-5-2000 को एवं मु0अ0सं0-90बी/99 में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 3-5-2000 को मा0 उच्चन्यायालय में प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व थाना कोतवाली उन्नाव के ग्राम सिकन्दरपुर निवासी पुलिस आरक्षी वेद प्रकाश पर पंजीकृत अपराध सं0 137/2000 के अनुसार कार्यवाही की जानकारी

73-श्री राम शंकर पाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस आरक्षी वेद प्रकाश शुक्ल तथा जय प्रकाश शुक्ल पुत्रगण श्री अनन्त शुक्ल, मूल निवासी ग्राम-सिकन्दरपुर, सरोसी थाना कोतवाली उन्नाव जो वर्तमान में क्रमशः

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात एवं पुलिस अधीक्षक लखनऊ के अधीनस्थ सेवारत हैं, पर थाना कोतवाली, उन्नाव में अपराध संख्या 37/2001 धारा 342/323/504/506 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हैं? यदि हां, तो अब तक इन पर क्या विभागीय कार्यवाही की गयी?

श्री राजनाथ सिंह-

दिनांक 15-2-2001 को श्री शिवधार पुत्र बिन्दापाल निवासी सिकन्दरपुर थाना कोतवाली उन्नाव ने अभियुक्त वेद प्रकाश शुक्ल व जय प्रकाश शुक्ल निवासी सिकन्दरपुर थाना-कोतवाली के विरूद्ध अभियोग अ0सं0 137/2001 धारा 342/323/504/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना कराई जा रही है। विवेचना पूर्ण होने पर विभागीय कार्यवाही के विषय में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ में बी0जे0पी0 कार्यकर्ताओं का पुलिस द्वारा उत्पीड़न की जाँच

74-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या सी0एम0/वि0को0/4-2/27142 एवं सी0एम0/वि0को0/एम-2/27147 दिनांक 27-11-99 जो प्रतापगढ़ के बी0जे0पी0 कार्यकर्ताओं का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने आदि के विरुद्ध जांच कराये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/4-2/27142 एवं सी0एम0वि0को0/एम/-2/27147 दिनांक 27-11-99 का नहीं अपितु आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-2/27142/99 एवं सी0एम0/वि0को0/एम-2/27147/99 दिनांक 27-10-99 का प्राप्त हुआ है।

प्राप्त फैक्स पत्रों की प्रतियां अपठनीय होने के कारण मा0 सदस्य से पठनीय प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। पठनीय प्रतियां प्राप्त न होने के कारण कार्यवाही संभव नहीं है।

जनपद व कोतवाली प्रतापगढ़ के श्री यजुवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री राकेश प्रताप सिंह को मृतक आश्रित में नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट सम्बन्धी जानकारी

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-2/32113 दिनांक 16-3-2000 के क्रम में बतायेंगे कि श्री यजुवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री राकेश प्रताप सिंह ग्राम भोलनापुर पोस्ट पृथ्वीगंज कोतवाली प्रतापगढ़ को गृह विभाग ने मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त हेतु सीमा की छूट प्रदान कर दी गयी है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत पत्र/आदेश के अन्तर्गत श्री यजुवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री राकेश प्रताप सिंह को "उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली" के अधीन मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र देने के लिए निर्धारित पाँच वर्ष की समय-सीमा में छूट दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में शासनादेश सं0-एम0एम0 101/छ:-पु0-10-2000-1200(3)/98, दिनांक 25-7-2000 के अन्तर्गत समय-सीमा में छूट प्रदान किये जाने का आदेश पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को दिये जा चुके हैं।

जनपद जौनपुर में बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता दिलाने विषयक प्रार्थना-पत्र

76-श्री अफजाल अहमद-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-10-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता की जानकारी

77-श्री अफजाल अहमद-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर में स्थित औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26-12-2000 आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, निबन्धन सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 तथा सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुए है? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी हां।

पत्र दिनांक 26/27-12-2000 प्राप्त हुआ है। ऋण हेतु समिति से निर्धारित प्रारुप पर प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में स्थिति से निबन्धक के पत्रांक 1317 दि0 29-1-2001 द्वारा प्रश्नकर्ता को अवगत कराया जा चुका है कि बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, हजरतगंज कोतवाली में स्वास्थ्य निदेशक व अन्य के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी पर कार्यवाही की जानकारी

78-श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 2001 को हजरतगंज कोतवाली में प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक व अन्य के विरूद्ध सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा प्राथमिकता दर्ज कराई गयी है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत प्रकरण में 1 मार्च, 2001 को नहीं अपितु दिनांक 29-3-2001 को थाना हजरतगंज कोतवाली जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0-276/2001 धारा 420/467/468/471/419 भादंवि व13(2) पीसी एक्ट का अभियोग दर्ज कराया गया है।

वर्ष 1985-86 तथा वर्ष 1986-87 में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में 120 व्यक्तियों के कम्पाउन्डरों के पदों पर फर्जी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र अथवा फर्जी स्थानान्तरण आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को सुपुर्द की गयी थी। अपराध अनुसन्धान विभाग की जांचोपरान्त 17 तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, 1 भूतपूर्व निदेशक, निदेशालय होम्योपैथिक,

1 लिपिक एवं 79 होम्योपैथिक कम्पाउण्डरों के विरूद्ध धारा 420/467/468/471/419 भादंवि एवं 13(2) पी0सी0 एक्ट के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये है। अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा दिनांक 29-3-2001 को थाना हजरतगंज कोतवाली में 17 पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारियों जिसमें वर्तमान स्वास्थ्य महानिदेशक श्री हरिश्चन्द्र वैश्य भी सम्मिलित है के विरूद्ध धारा 420/467/468 तथा एक भूतपूर्व निदेशक तथा एक लिपिक एवं एक कम्पाउन्डर के विरूद्ध धारा 420/467/468/419 भादंवि व 13(2) पी0सी0 एक्ट एवं 78 कम्पाउण्डरों के विरूद्ध धारा 420/467/468/471 भादंवि का अपराध पंजीकृत कराया गया है। उक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने विषयक डा0 राम बिलास वेदान्ती के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

79-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम बिलास वेदान्ती के पत्र दिनांक 17-11-99 पर श्री अशोक थाना कन्धई तथा अन्य के संलग्न आवेदन पर उनके आदेश दिनांक 17-11-99 जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके 30-11-99 तक अवगत कराये जाने के निर्देश के साथ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को भेजा गया था, का पालन कर लिया गया है? यदि हां, तो मुकदमा अपराध संख्या, वादी को नकल उपलब्ध कराने की तिथि, अभियुक्तों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

जांच से प्रकरण राजनीति से प्रेरित, रंजिश एवं वर्चस्व की लड़ाई के लिए किये जा रहे प्रयास तथा अंतर्विरोधी गतिविधियों का परिणाम पाया गया। फलतः प्रकरण में अभियोग न पंजीकृत कराकर स्थानीय पुलिस को दोनों पक्षों पर सतर्क दृष्टि रखने, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं उभयपक्षों को भारी मुचलके पर पाबन्द कराने की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

जनपद फैजाबाद, थाना कमालगंज के कान्सटेबिल द्वारा दो पत्नियाँ रखने से सम्बन्धित पुलिस महानिदेशक को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

80-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-1-2001 जो पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 तथा उप पुलिस महानिरीक्षक फैजाबाद को सम्बोधित है और जो श्री शोभनाथ कान्सटेबिल थाना-कमालगंज जनपद फैजाबाद द्वारा अनियमित ढंग से जीवित दो पत्नियों को रखे जाने तथा विवाहिता पत्नी को जान से मार डालने आदि से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ। उक्त प्रकरण जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित है जिसे कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ को भेजा गया है।

वर्तमान में उपनिरीक्षक, ना0पु0 के पद पर कार्यरत श्री शोभनाथ जाँचोपरान्त दो जीवित पत्नी रखने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं जिनके विरूद्ध उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम-29 का उल्लंघन करने के कारण विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद फैजाबाद, थाना खण्डासा के ग्राम मठिया डोलो सरैया, की श्रीमती माना देवी द्वारा लड़की भगाने से सम्बन्धित प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

81-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-2-2001 जो महानिदेशक पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ को भेजा गया है और जो श्रीमती माना देवी ग्राम मठिया डोलो सरैया, थाना खण्डासा जनपद फैजाबाद को नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने तथा उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

जाँचोपरान्त पाया गया कि श्रीमती माना देवी ने अपर पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के समक्ष दिनांक 30-9-2000 को उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर दिनांक 17-10-2000 को मु0अ0सं0 128/2000 धारा 363/366/506 भा0दं0वि0 एवं 3(2) 5 एस0सी0टी0 अत्याचार निवारण अधिनियम थाना खण्डासा में पंजीकृत हुआ दिनांक 22-10-2000 को नामित अभियुक्त रमेश कुमार व प्रकाश में आये अभियुक्त राजा राम, सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया गया। इसी के यहाँ से अपहृता भी बरामद हुई। अपहृता न्यायालय में पेश हुई, जो धारा 164 सी0आर0पी0सी0 में बयान के आधार पर मा0 न्यायालय ने अभियुक्त रमेश कुमार उपरोक्त के पक्ष में जाने का आदेश पारित कर दिये जिसके आधार पर विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं0 13 दिनांक 10-11-2000 को न्यायालय में प्रेषित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, सहकारी गैस सर्विस लालबाग में कमीशन पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रकरण

82-श्री बाबू लाल कुरील-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहकारी गैस सर्विस लालबाग, लखनऊ में कर्मचारी लगभग 20 वर्ष से कमीशन पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों को नियमित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, थाना कन्धई में पंजीकृत अपराध सं0 125 व 127/99 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी

83-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना कन्धई में पंजीकृत मु0अ0 संख्या 125 व 127/99 के नामजद अभियुक्तों का विवरण क्या है तथा उनके विरूद्ध गिरफ्तारी हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

मु0अ0सं0-125/99 धारा 392 भा0दं0वि0 थाना कन्धई अभियुक्तगण 1-आबिद अली पुत्र शमीम, 2-राम सिंगार पुत्र राजबहादुर साकिनान दरघुट के विरूद्ध थाना कंधई पर पंजीकृत किया गया था, जो विवेचना से झूठा पाए जाने पर विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट दि0 6-4-99 को समाप्त की गयी।

मु0अ0सं0-127/99 धारा 307/323/504/506 भा0दं0वि0 थाना कंधई पर अभियुक्तगण 1-विजय प्रताप सिंह, 2-मनोज कुमार सिंह पुत्रगण उग्रसेन सिंह, 3-गंगा प्रसाद पुत्र देव नरायन निवासीगण ग्राम बरहा के विरूद्ध थाना कन्धई पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त विजय प्रताप सिंह व गंगा प्रसाद दिनांक 5 1-99 को गिरफ्तार किए गए तथा विवेचना से उनके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र दिनांक 13-5-99 को न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त मनोज कुमार सिंह के विरूद्ध विवेचना से अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पूरक आरोप पत्र दिनांक 4-11-2000 न्यायालय प्रेषित किया गया। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ की पुलिस अधीक्षक श्रीमती अन्जू के विरूद्ध शिकायती-पत्र

84-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 88 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को श्रीमती अन्जू के विरूद्ध शिकायती पत्र सं0 ग-2 नं0-631884, 631885, 631886, 440020, 440036 दिनांक 20-01-99 की जांच किस स्तर से करायी गयी? क्या उपरोक्त पत्र डी0आई0जी0 इलाहाबाद को 20-01-99, 26-02-99, 30-03-99 को प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

इंगित शिकायती-पत्रों में से पत्र संख्या 631884, 613885, 631886 पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र के कार्यालय में प्राप्त हुए थे। इनके सम्बन्ध में जॉच पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र द्वारा की गयी थी।

जॉचोपरान्त आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व थाना कोतवाली बस्ती में लम्बित आर्म्स लाइसेन्स के पत्रों के यथाशीघ्र निस्तारण की माँग

85-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के थाना कोतवाली बस्ती में वर्ष 1997 से अब तक कितने आर्म्स लाइसेंस के प्रकरण लम्बित हैं? क्या यह सही है कि वर्ष 1997 से लम्बित प्रकरणों पर आर्म्स लाइसेंस दिये जाने विषयक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? क्या सरकार वर्ष 1997 से लम्बित आर्म्स लाइसेंस के प्रकरण को शीघ्र निस्तारित कराकर लाइसेंस निर्गत करने के आदेश देंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जनपद बस्ती के थाना कोतवाली में वर्ष 1997 से अब तक कुल 64 शस्त्र लाइसेंस के प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं।

वर्ष 1997 से अब तक प्राप्त शस्त्र लाइसेंस प्रार्थनापत्रों में से 197 मामलों में औपचारिकतायें पूर्ण हुई जिसमें से 133 आवेदन पत्रों पर शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये हैं।

शस्त्र लाइसेंस प्रार्थनापत्रों पर विचार एवं उनपर निर्णय लिया जाना एक अर्ध न्यायिक कार्यवाही है जिसे करने हेतु भारत सरकार द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट को लाइसेंसिंग प्राधिकारी घोषित किया गया है। अत: राज्य सरकार द्वारा किसी मामले में शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आदेश देना विधिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। तथापि वर्ष 1997 से लम्बित शस्त्र लाइसेंस प्रकरणों, जिनमें आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण हैं, का शीघ्र निस्तारण करने हेतु जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद जालौन उरई, कोतवाली कालपी के ग्राम मटरा में अनु0 जाति के लोगों की मारपीट की घटना की जाँच

86-श्री श्रीराम पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन उरई की कोतवाली कालपी के ग्राम मटरा में अनु0 जाति के लोगों की दिनांक 11-3-2001 को की गयी मारपीट की घटना की प्राथमिकी अपर पुलिस अधीक्षक, जालौन उरई के दिनांक 13-3-2001 को जारी किये गये आदेश के अनुसार क्षेत्राधिकारी, कालपी ने 24 घंटे के अन्दर दर्ज हुई थी? यदि नहीं, तो क्यं ? क्या दिनांक 24-3-2001 को पुन: इसी गांव के अनु0 जाति के लोगों की हत्या के इरादे से की गयी मारपीट की घटना तथा पूर्व घटना सहित दोनों मामलों की प्राथमिकी क्रमश: मुकदमा अपराध सं0-59/2001 तथा 60/2001 पर दर्ज की गयी? यदि हां, तो क्या पूर्व घटित घटना दिनांक 11-3-2001 के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही न करने वाले दोषियों को जनपद से बाहर स्थानान्तरित करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं।

इस प्रकरण में प्रारम्भिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक, जालौन द्वारा सम्पादित की जा रही है।

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री संगम लाल सिंह को थाना कालपी से पुलिस लाइन उरई एवं श्री वी0के0 चतुर्वेदी क्षेत्राधिकारी, कालपी को क्षेत्राधिकारी, लाइन्स/कार्यालय/आंकिक स्थानान्तरित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक, जालौन द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गाजीपुर थाना गहमर के ग्राम बारा में छतिग्रस्त मजार की जाँच

87-श्री सिंहासन सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 9-3-2001 को जनपद गाजीपुर के बारा ग्राम में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने के उद्देश्य से एक मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

इस संबंध में थाना गहमर में मु0अ0सं0-71/2001 धारा 295/427 भा0दं0वि0 दिनांक 10-3-2001 पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, थाना कुठौंद में अनु0 जाति/जनजाति उत्पीड़न में पंजीकृत अपराध पर कार्यवाही की जानकारी

88-श्री श्रीराम पाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के थाना कुठौंद में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के उत्पीड़न के प्रकरण में दर्ज मु0अ0सं-17ए0/2001 तथा थाना कैलिया में दर्ज मु0अ0सं0 32/2001 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं।

मु0अ0सं0-17 ए-2001 थाना कुठौंद जनपद जालौन की विवेचना क्षेत्राधिकारी जालौन द्वारा एवं मु0अ0सं0 32/2001 थाना कैलिया जनपद जालौन की विवेचना क्षेत्राधिकारी कोंच द्वारा ग्रहण कर साक्ष्य संकलन करने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा उक्त विवेचकों को निर्देशित किया गया है कि जनपद अभियुक्तों के विरूद्ध शीघ्र साक्ष्य संकलित कर वैधानिक कार्यवाही कराते हुए विवेचना का शीघ्र निस्तारण करें।

जनपद बाराबंकी, थाना लोनी कटरा के ग्राम भिलवल के श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल के प्रकरण पर कार्यवाही की जानकारी

89-श्री सीताराम निषाद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रहलाद शरण जायसवाल निवासी ग्राम भिलवल थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी को जिला प्रशासन द्वारा अंगरक्षक, गनर, शैडो दिया गया है? क्या यह सही है कि उसने दिनांक 7 अप्रैल, 2001 को श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल पुत्र अंगनू प्रसाद जायसवाल निवासी भिलवल की हत्या करने की धमकी दी है जिसकी लिखित सूचना जगदीश प्रसाद द्वारा दिनांक 7-4-2001 को थानाध्यक्ष लोनी कटरा जनपद बाराबंकी को दी गई हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हाँ।

दिनांक 9-4-2001 को वादी श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र की जाँच हेतु तत्काल जी0डी0-11 समय 7.15 पर तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा मौके पर जाँच की गयी। जाँचोपरान्त जान से मार डालने की धमकी का आरोप सत्य नहीं पाया गया। बल्कि मतदान केन्द्र भिलवल पर नाबालिग बच्ची के वोट डालने को लेकर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई थी जिसे गाँव के लोगों द्वारा समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शान्त कर दिया गया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में अनबन बनी हुई थी। दोनों पक्षों को समझाया गया था। फिर भी तनाव को कम न होते देख शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोनों पक्षों के विरूद्ध 107/116 की आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी जो न्यायालय विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के संयुक्त निदेशक कोषागार के विरूद्ध शिकायती-पत्र पर आयुक्त द्वारा जाँच

91-श्री राकेश सोनकर-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वकील पाण्डेय मुख्य रोकड़िया, कोषागार, देवरिया का संयुक्त निदेशक कोषागार, गोरखपुर के विरूद्ध कोई शिकायती-पत्र दिनांक 12-10-2000 तथा 19-12-2000 उन्हें प्राप्त हुए हैं? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जांच आख्या अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 1 मार्च, 2001 द्वारा सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन को भेजी है जिसमें यह संस्तुति की गई है कि संयुक्त निदेशक, कोषागार, गोरखपुर को तत्काल उक्त पद से हटाकर विभागीय कार्यवाही की जाय? यदि हां, तो क्या संयुक्त निदेशक, कोषागार, गोरखपुर को हटाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

(क) श्री वकील पाण्डेय मुख्य रोकड़िया कोषागार देवरिया का संयुक्त निदेशक कोषागार गोरखपुर के विरूद्ध एक दिनां रहित शिकायती-पत्र दिनांक 12-10-2000 को शासन में प्राप्त हुआ है किन्तु पत्र दिनांक 19-12-2000 प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) श्री राम इकबाल विश्वकर्मा, संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गोरखपुर के संबंध में श्री वकील पाण्डये मुख्य रोकड़िया देवरिया कोषागार व अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों को शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक-एस-2-430 एफ एम/10-2000-133(106)/2000 दि0 2-2-2001 के द्वारा जाँच करके जाँ आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर को निर्देशित किया गया था।

(ग) शासन के पत्र दि0 2-2-2001 के अनुक्रम में आयुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर ने अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक सं0नौ-78(2000-2001)/2001 दि01-3-2001के द्वारा शासन को यह सूचित किया कि श्री विश्वकर्मा इस मंडल में माह जुलाई,2000 से कार्यरत हैं। श्री विश्यकर्मा के क्रिया कलापों एवं सत्यनिष्ठा के दृष्टिकोण से वह इस मंडल में काफी विवादास्पद हो गये हैं, जिसका प्रभाव शासकीय कार्यो पर पड़ रहा है।आयुक्त बस्ती मंडल द्वारा निदेशक कोषागार को भेजे गये अपने पत्र में भी श्री विश्वकर्मा द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किये जाने का उल्लेख किया गया है। आयुक्त की यह संस्तुति थी कि शासकीय कार्य हित में श्री विश्वकर्मा को मेडिकल कालेज गोरखपुर मे वित्त नियंत्रक के पद पर पूर्णकालिक रूप से तैनात करते हुए संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन गोरखपुर मंडल के पद पर किसी अन्य अधिकार को तैनात कर दिया जाय।

(घ) आयुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर के पत्र में श्री रमा इकबाल विश्वकर्मा के विरूद्ध अनियमिततायें विनिदिष्ट रूप से अंकित न होने के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है किन्तु आयुक्त की अनुशंसा पर स्थानान्तरण सत्र 2001-2002 में विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद कुशीनगर नवसृजित तहसील खड्डा व कप्तानगंज हेतु धन उपलब्ध कराने विषयक प्रार्थना-पत्र

92-श्री दीपलाल भारती-

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 4-2-2000 जो कुशीनगर जनपद के नवसृजित तहसील खड्डा व कप्तानगंज के लिए धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के शाखा प्रबन्धक द्वारा गेहूं खरीद में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र

93-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लालबाग फैजाबाद के शाखा प्रबन्धक द्वारा गेहूं की खरीद में की गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार किये जाने के विरूद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 12-12-2000 जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा उक्त शिकायती-पत्र पर शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध जांच कराकर दण्डित किये जाने हेतु प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ को माह दिसम्बर, 2000 में आदेशित किया है? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी हाँ।

जी नहीं।

जॉच आख्या जिलाधिकारी के पत्रांक 75 दिनांक 19-4-2001 के द्वारा प्रेषित की गयी है।

शाखा प्रबन्धक को दोषी नहीं पाया गया। कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, थाना कोतवाली भोगांव के श्री राज भूषण सिंह द्वारा प्रेषित सी0बी0सी0आई0डी0 जाँच कराने सम्बन्धी शिकायती पत्र

94-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 286/96 धारा-302 आई0पी0सी0 थाना कोतवाली भोगांव जनपद मैनपुरी को आपराधिक केस में श्री राजभूषण सिंह निवासी बाई पास जी0टी0 रोड बेवर, मैनपुरी के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 19-1-2001 को सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा विवेचना कराये जाने के आदेश कर दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का क्रियान्वयन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त प्रकरण में शासनादेश दि0 22-4-98 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0-2105/98 योजित की गयी जिसमें मा0 न्यायालय के अन्तरिम आदेश दि0 15-5-98 द्वारा शासनादेश दि0 22-4-98 के द्वारा विवेचना नागरिक पुलिस को जो हस्तान्तरित की गयी थी उसके क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था और बाद में उपरोक्त याचिका सं0-2105/98 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दि0 14-9-98 को खारिज कर दी गयी। तदोपरान्त इस रिट के वादी द्वारा उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दि014-9-98 के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका भी दायर की गयी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने दि0 29-10-98 को खारिज कर दी गयी। उपरोक्त वर्णित स्थिति में वर्तमान में शासनादेश दि022-4-98 के अनुसार विवेचना नागरिक पुलिस को जो सौपी गयी थी, वह प्रभावी है।

उ0प्र0 परिवहन विभाग में इण्टरमीडिएट योग्यता वाले चालकों को परिचालक पद पर प्रोन्नत किये जाने की मांग

95-श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में चालक से परिचालक बनाने हेतु कोई नीति निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो वह क्या हैं? क्या यह सही है कि मेरठ जोन में वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2000 के मध्य हरिद्वार, देहरादून आदि जनपदों से जनपद मेरठ में ड्राइवर से कन्डेक्टर पद पर प्रोन्नति हेतु मण्डलीय प्रबन्ध निदेशक द्वारा कोई परीक्षा ली गयी थी? यदि हां, तो उक्त परीक्षा में कितने चालको को सम्मिलित किया गया था? उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण कितने चालकों को परिचालक के पदों पर नियुक्ति दी गयी तथा कितनों की सूची लम्बित है? उन्हें कब तक चालक स परिचालक पद पर नियुक्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हॉ।

5 वर्ष की नियमित सेवा व इण्टरमीडिएट योग्यता रखने वाले चालको को 5% की सीमा तक परिचालक पद की सीधी भर्ती के विरूद्ध परिचालक पद पर परिवर्तन किये जान सकने की नीति निर्धारित की गई थी।

जी नहीं। चालक से परिचालक पद पर प्रोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है, अपितु उपरोक्तवत् पद परिवर्तन का ही प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में मैक्सी कैव हेतु जारी परिमिटों की संख्या व सवारियों के बैठाने के मानक की जानकारी

96-श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में चलने वाली मार्शल जीप, टाटा सूमो, मारूति आदि के लिए मैक्सी कैब के परिमिट जारी किये गये हैं? यदि हां, तो जारी परिमिटों की संख्या कितनी है तथा उनसे विभाग को कितनी आमदनी हुई है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त वाहनों में कितनी सवारियों के बैठाने का मानक निर्धारित है और क्या उसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हॉ।

जारी परमिटों की संख्या-248 है। इन पेटों के जारी करने से विभाग को रू0 41,06,750.0C (कर/फीस) के रूप में आमदनी हुई है।

08 से 12 तक सवारियों के बैठने की क्षमता निर्धारित है और इसका पालन किया जा रहा है।

स्टाम्पों के क्रय हेतु बजट आवंटन का लेख शीर्षक सही कराने के सम्बन्ध में जानकारी

97-श्री मोहम्मद मुकीम-

क्या स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए लेखा शीर्षक "803 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन" के अन्तर्गत 01-स्टाम्प न्याययिक-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर 800 अन्य प्राप्तियां एवं 90 वापसियों में अनुपयुक्त स्टाम्पों की वापसी हेतु किये गये बजट आवंटन का लखा शीर्षक सही न होने के कारण भुगतान की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है? क्या यह सही है कि अपर जिलाधिकारी हरदोई के पत्र संख्या-632 स्टा0लि0 रिफन्ड-2000, दिनांक 4 जनवरी, 2001 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर लेखा शीर्षक सही किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मद का सही लेखा शीर्षक संबंधित कार्यालयों को प्रेषित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जी हॉ।

जी हॉ।

जी हॉं। वित्त विभाग के पत्र संख्या-बी-1-1302/दस-38/2001, दिनांक 11 अप्रैल, 2001 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को निर्देश प्रेषित कर दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज के विकास खण्ड छिबरामऊ की सहकारी समिति प्रेमपुर के सचिव द्वारा फर्जी तरीके से पुत्र की नियुक्ति पर कार्यवाही की माँग

98-श्री राजपाल सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज के विकास खण्ड-छिबरामऊ की सहकारी समिति प्रेमपुर के सचिव द्वारा दि0 2-8-95 को अपने पुत्र की नियुक्ति तृतीय श्रेणी के पद पर की

गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सचिव द्वारा अपने पुत्र का वेतन आहरण माह जुलाई से फर्जी तरीके से किया गया था? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता, विकास खण्ड छिबरामऊ, जनपद कन्नौज द्वारा दिनांक 2-1-2001 को थाना छिबरामऊ में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी हॉ।

जी हॉ।

जी हॉ।

मामला विवेचना में है। दोषी कर्मचारी, श्री राम प्रकाश को निलम्बित कर दिया गया है तथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को सेवा से निकाल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान झांसी की मृत्यु की जाँच हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

99-श्री मूलचन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चन्द्रमणि कुशवाहा, छात्र सिविल तृतीय वर्ष, बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान झांसी की संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटक कर दिनांक 28-2-2001 की रात्रि में की गई आत्महत्या की सी0आई0डी0 जांच कराये जाने सम्बन्धी मृतक के पिता श्री नौबत सिंह पुत्र श्री शान्ति स्वरूप सिंह (भू0पू0 सैनिक जे0सी0 80373) ग्राम व पोस्ट मोरना, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-3-2001 गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस अधीक्षक झांसी को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

मृतक के पिता श्री नौबत सिंह का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-3-2001 शासन में प्राप्त हुआ था जिसमें घटना की जांच पुलिस के उच्चाधिकारी/सी0आई0डी0 से कराये जाने की मांग की गई थी।

घटना की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, नगर, झांसी से कराई गई। जांच के निष्कर्ष में प्रकरण आत्महत्या का पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के परमिट जारी करने के संबंध में जानकारी

100-श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को टैक्सी/प्राइवेट बसों का परमिट जारी करने का प्राविधान है? यदि हां, तो क्या प्रदेश के सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा टैक्सी/प्राइवेट बसों का परमिट जारी किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अनुसार सभी प्रकार के परमिट जारी करने का अधिकार संभागीय परिवहन प्राधिकरणों में निहित है। सभागीय परिवहन प्राधिकरण यदि धारा-96 के

अधीन इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत की गई है, तो अपने ऐसे कृत्यों और शक्तियों को ऐसे प्राधिकारियों या व्यक्तियों को ऐसे निबंन्धों, सीमाओं और शर्तों जैसी कथित नियमों द्वारा विहित की जाय, के अध्यधीन प्रतिनिधायित कर सकेगी। यदि संभागीय परिवहन प्राधिकरण चाहे तो उ0प्र0 मोटर यान नियमावली-1998 के नियम-57 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिकार संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रतिनिधायित कर सकता है। उक्त नियम-57 के अन्तर्गत प्रदेश के संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा टैक्सी एवं बस परमिट जारी करने के संबंध में अधिकारियों को जिन-जिन संभागीय परिवहन अधिकारियों को प्रतिनिधायित किया गया है उनके द्वारा टैक्सी एवं प्राइवेट बसों का परमिट जारी किया जा रहा है।

जनपद वाराणसी के संवसिनी काण्ड की सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना

101-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिनों वाराणसी में घटित संवासिनी काण्ड की सी0बी0आई0 जांच चल रही है? यदि हां, तो सी0बी0आई0 द्वारा कितने लोगों को आरोपित किया गया है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां।

विवेचना अभी प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर (नगर) कलक्टरगंज से कुछ बसों को संचालित करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

102-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-12-2000 जो यात्री जन सुविधा की दृष्टि से कानपुर नगर में कलक्टर गंज (पुराना बस स्टेशन) से कुछ बसों को संचालित करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हाँ।

कलक्टरगंज स्थित पुराने बस स्टेशन के स्थान पर कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक ग्रीन बेस्ट पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इस कारण इस स्थान से परिवहन निगम की बसों का पुनः संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद उन्नाव, थाना गंगाघाट के ग्राम बेहटा के श्रीराम विलास के जेवर नकदी ले जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

103-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित श्री राम विलास निवासी ग्राम-बेहटा थाना-गंगा घाट जनपद उन्नाव के घर से जबरदस्ती नकदी व जेवरात ले जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने विषयक अधोहस्ताक्षरी का पत्र जिसकी पावती सूचना कम्प्यूटर संख्या सी 1004999 है, पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर उन्नाव से करायी गयी। जांच के दौरान असत्य एवं निराधार पाये गये अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, क्षेत्र कटरी के कतिपय ग्रामों में सुरक्षा हेतु लगी पी0ए0सी0 हटा लेने विषयक-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

104-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जनपद उन्नाव के सिकन्दरपुर सिरोसी ब्लाक के कटरी क्षेत्र के ग्राम सन्नी, लालूपुर, शंकरपुर आदि क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु लगाई गयी पी0ए0सी0 जो हटा ली गयी है, को पुन: वहां लगाये जाने विषयक है तथा जिसकी पावती सूचना कम्प्यूटर संख्या-सी 100342275 है पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

विषय से सम्बन्धित कम्प्यूटर संख्या-34275 का पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक उन्नाव से प्राप्त जांच आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम सन्नी, लालूपुर व शंकरपुर लगभग एक कि0मी0 की परिधि में है और ग्राम शंकरपुर में लगातार सी0ए0सी0 कैम्प करती है। आवश्यकता पड़ने पर कभी-कभी पी0ए0सी0 हटा ली जाती है परन्तु उपलब्धता होने पर पुन: तैनात कर दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर, थाना बियांर में अनुसूचित जाति उत्पीड़न में पंजीकृत अपराध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी

105-श्री श्रीराम पाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना बियोर जनपद हमीरपुर में घटित अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की घटना दिनांक 12-2-2001, मु0अ0सं0-15/2001, धारा-147/435/504/506/352 आई0 पी0सी0 एवं 3 (1) 10 एवं 3 (2) 111 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के नामजद अभियुक्तों गिरफ्तारी की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? विलम्ब के लिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं , तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

इस विषय में प्राथमिक जांच के आदेश निर्गत किये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

106-श्री लवकुश कुमार-

(3 रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जनपद गोरखपुर, तहसील बांसगांव के ग्राम शिवराजपुर के श्री राम कृपाल पाण्डेय द्वारा फर्जी स्वतंत्रता संग्राम पेंशन प्राप्त करने के प्रकरण पर कार्यवाही

107-श्री दीपलाल भारती-

क्या राजनैतिक पेंशन पंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998-99 में गोरखपुर जनपद की तहसील बांसगांव के ग्राम शिवराजपुर निवासी श्री राम कृपाल पाण्डेय जो बलिया से फर्जी स्वतंत्रता संग्राम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, की पेंशन रद्द कर उनको दी गयी पेंशन की धनराशि की वसूली के आदेश शासन द्वारा दिए गए थे? क्या यह सही है कि उक्त श्री पाण्डेय से धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी बलिया ने

जिलाधिकारी गोरखपुर को पत्र प्रेषित किया है? यदि हां, तो क्या उक्त वसूली कर ली गयी? यदि नहीं, तो अब तक वसूली न किए जाने का क्या कारण है? क्या इसके लिए दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

होमगार्डस्, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)-

जी हॉ।

जी हॉ।

जी नहीं।

उक्त धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में उत्पीड़क कार्यवाही की गई तथा बाकीदार श्री राम कृपाल पाण्डेय को 14 दिन हवालात में रखा गया, किन्तु बाकीदार के पास चल/अचल सम्पत्ति न होने के कारण आर0सी0 की वसूली नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में श्री राम कृपाल पाण्डेय द्वारा एक याचिका मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गई है। इसके प्रतिवाद हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी/लखीमपुर खीरी में सरकारी धान खरीद में अनियमितता पर कार्यवाही की जानकारी

108-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जनपद मैनपुरी एवं लखीमपुर खीरी में हुई जांचों में धान की सरकारी खरीद में भारी अनियमिततायें प्रकाश में आयी है? यदि हां, तो इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद का कार्य सुचारु रूप से न करने एवं क्रय कार्य में उदासीनता बरतने के लिए विपणन शाखा के एक विपणन निरीक्षक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी, तीन विपणन निरीक्षकों का स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरित विपणन निरीक्षकों में से दो को निलम्बित किया गया। इसी प्रकार पी0सी0एफ0 के एक क्रय प्रभारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी एवं एक को निलम्बित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सुल्तानपुर में थाना व रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों पर थानाध्यक्षों की नियुक्ति में आरक्षित व अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व की जानकारी

109-श्री राम रतन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में कितने थाना क्षेत्र व पुलिस रिपोर्टिंग चौकियां है? क्या उन पर थाना अध्यक्षों की नियुक्ति में आरक्षित वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गो को प्रतिनिधित्व दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

जनपद सुल्तानपुर में कुल 26 थाना व 7 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियां स्थापित है।

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के बेस्ट बेवर में डग्गामार गाड़ियों से आवागमन पर रोक लगाने की मांग

110-श्री राम औतार शाक्य-

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के बेवर चौराहे पर डग्गेमार बसों, जीपों व ट्रकों का जमावाड़ा रहता है जिससे अवसर आवागन अवरूद्ध बना रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चौराहे

के चारों तरफ सड़कों पर अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों पर रोक लगायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

परिवहन आयुक्त तथा गृह विभाग को इस आशय का निर्देश दे दिया गया है कि उपरोक्त स्थिति सही होने की दशा में उसका निवारण सुनिश्चित करें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीर नगर के विगरामीर व सेमरियावां धान क्रय केन्द्रों पर भुगतान समय से करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

111-श्री राम ललित चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया कि जनपद संत कबीर नगर के अन्तर्गत विगरामीर एवं सेमरियावां धान क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा बेचे गये धान के मूल्य का भुगतान समयद्ध तरीके से किए जाने के सम्बन्द्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र अप्रैल, 2001 के तीसरे सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हॉ। संदर्भित प्राप्त हुआ है।

क्रय केन्द्र विगरामीर पर मानक के अनुरूप क्रय किये गये सम्पूर्ण धान के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। क्रय केन्द्र सेमरियांवा में बिचौलियों/मिल मालिकों से खरीदे गये धान की जॉच एवं भुगतान प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता है।

परिवार कल्याण विभाग के आय व्ययक का साहित्य समय से प्राप्त न होने के सम्बन्ध में आपत्ति

*कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, कल परिवार कल्याण का बजट है, लेकिन हमें अभी तक उसका बजट साहित्य प्राप्त नहीं हुआ है। मान्यवर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, कृपया इसके लिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देशित करनें की कृपा करें।

*संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं बस अभी-अभी उसकी व्यवस्था करा रहा हूं।

नत्थी "घ" तारांकित प्रश्न सं0-3 को स्थगित किये जाने की मांग

*श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, नत्थी "घ" का प्रश्न संख्या-3 मेरा प्रश्न था, लेकिन ट्रेन न मिलने के कारण मैं रोडवेज से आया हूँ और लेट हो गया, मेरे प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में है, जो प्रश्न एक बार आ जाता है, वह दोबारा नहीं लिया जायेगा, आज क्रम के अनुसार बहुत से प्रश्न नहीं आ पायें हैं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई प्राप्त हुई, प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

(श्री उदयराज यादव, श्री आर्य रामशरण, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी श्री राम विशुन आजाद, श्री राम ललित चौधरी, श्री राम नरेश यादव एवं श्री विजय पाल सिंह की सूचनाएं पढ़ी हुई मानीं गई।)

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत मौरावां गुरूबख्श गंज मार्ग से ग्राम अहेसा तक लगभग 8 कि0मी0 मार्ग में लेपन स्तर का कार्य कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज यादव-

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-पुरवा उन्नाव के अन्तर्गत मौरावां-गुरूबक्शगंज मार्ग से ग्राम अहेसा तक लगभग 8 किमी0 मार्ग 9 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त मार्ग आज तक पूरा नहीं कराया गया है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के निवासियों को आने-जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग पर लगभग 80 प्रतिशत से अधिक का कार्य कराया जा चुका है केवल लेपन का कार्य होना शेष है। जनहित में उक्त मार्ग को पूरा कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने का कष्ट करें।]

जनपद हाथरस के सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण कराने एवं स्वास्थ्य समस्याओं का निदान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर्य रामशरण-

[महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सादाबाद एवं जनपद हाथरस की ज्वलन्त समस्याओं को सदन के समक्ष ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रस्तुत करता हूँ कि:-

1. महिला चिकित्सालय हाथरस एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादाबाद पर विगत 8 महीने से कोई डाक्टर (अधीक्षक) नहीं है ।
2. हाथरस मुख्यालय में अभी तक जिला चिकित्सालय की स्थापना नहीं हुई है अस्पताल 30 बैड के स्थान पर 100 बैड का होना चाहिए। हाथरस चिकित्सालय 30 पर फिजीशियन, हड्डी डाक्टर, पैथोलोजिस्ट, नेत्र चिकित्सक, काडियोलोजिस्ट, तथा बायो0 डाक्टर नहीं है। उक्त चिकित्सालय पर मात्र तीन चिकित्साधिकारी (सर्जन, रेडियोलाजिस्ट, बच्चा डाक्टर) आहै।
3. हाथरस जिले में 5 चिकित्साधिकारियों एवं 10 फार्मोसिस्ट के पद रिक्त पड़े हुये है।
4. यहां पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी, डिप्टी सी0एम0ओ0, मलेरिया अधिकारी, मुख्य खाद्य निरीक्षक तथा डी0टी0ओ0 अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है।
5. महिला चिकत्सालय मात्र 30 बैड का है तथा इसे भी जिला महिला चिकित्सालय का दर्जा नहीं दिया गया है।
6. जनपद हाथरस के दोनों चिकित्सालयों में एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही अस्पताल में जनरेटर की सुविधा उपलब्ध है जिससे यहां की जनता में काफी रोष व्याप्त है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सभी समस्याओं को हल कराने हेतु तत्काल सरकार को कार्यवाही कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।]

मेरठ व आगरा में उच्च न्यायालय की सर्किट बेंन्च स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, 22 वर्षो से हाईकोर्ट बैच का आन्दोलन जनभावनाओं के अनुरूप चल रहा है। शांत सुलभ न्याय देना शासन का दायित्व है। पश्चिमी उ0प्र0 की जनता के साथ घोर अन्याय है।

जब तक बैच न दी जा सकती हो तब तक यू0पी0 हाईकोर्ट एमलगमेशन एक्ट 1948 की धारा 14 के प्रविधानों के दृष्टिगत रखते हुए तत्काल मेरठ तथा आगरा में सर्किट बैच स्थापित करना ही पश्चिम उ0प्र0 की जनता के साथ न्याय होगा।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर को क्षेत्रान्तर्गत बभनान शुगर मिल द्वारा प्रदूषण फैलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद-

[महोदय, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में बभनान शुगर मिल स्थापित है बभनानपुर सुगर मिल द्वारा कृषकों का हर स्तर पर शोषण किया जा रहा है1 मिल द्वारा जो प्रदूषित जल निकाला जा रहा है बभनान कस्बे के आस के गाँवों में फल रहा है जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी हुई है और लोगों को प्रदूषित जल पीने पर बाध्य होना पड़ रहा है मिल द्वारा बभनान कस्बे के आस पास गांवों में मिल से निकालने वाली राख को इकट्ठा करके राख को फेंक रहे है जिससे हवा चलने से जो राख उड़ती है लोगों की आंखों में पड़ने से बीमारियां फैल रही हैं। इस तरीके से कई बार शासन प्रशासन का ध्यान पत्र के माध्यम से लाया गया परन्तु किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुयी। अधिकारियों की मिलीभगत से ही मिल का मनोबल बढ़ा है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उचित कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती के ग्राम अजगेवा जंगल के पंडितपुर चौराहे से वाराह क्षेत्र तक लगभग 3 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराने तथा 8 मीटर स्पैन की एक पुलिया बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी-

[महोदय, जनपद बस्ती में सल्टौआ विकास खण्ड के अन्तर्गत वाराह क्षेत्र एक पौराणिक स्थल है जहां पर वर्ष में दो बार बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें पूरे जनपद के लोग बड़ी तादाद में आते हैं। यह स्थल कुआनों नदी पर स्थिति है। ग्राम अजगैवा जंगल के पंडितपुर चौराहे से इस स्थल को जोड़ने का प्रयास लम्बे समय से हो रहा है। लेकिन जिले पर किसी योजना से इस मार्ग का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है।

इस मार्ग की लम्बाई तीन किलोमीटर तथा मार्ग में 8 मीटर स्पैन की एक पुलिया का भी निर्माण अति आवश्यक है। इसका निर्माण पूर्वांचल के राज्यवंश से ही संभव है।

अत: लोक महत्व के इस विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसका प्राक्कलन आयुक्त बस्ती मंडल से शीघ्र मांग कर कार्य की स्वीकृत प्रदान की जाय।]

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर (टेऊगा) में 132 के0वी0 के उपकेन्द्र के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव-

[महोदय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप का तथा सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद आजमगढ़ में फूलपुर (टेऊआ) में 132 के0बी0 के उपकेन्द्र का शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री मोती लाल बोरा जी ने मेरी अध्यक्षता में किया था। लगभग 50 प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो चुका है। चहारदीवारी बन चुकी है। मशीन रखने का स्थान निर्धारित होकर बन चुका है। लगभग 4 करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय हो चुकी किन्तु निर्माण कार्य रूका हुआ है। इसकी लागत बराबर बढ़ती जा रही है उपभोक्ता जिसमें किसान एवं ग्रामीण उद्योग सम्मिलित है उनका लाभ उठाने से वंचित होने जा रहा है। मैंने कई बार माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहा तथा पत्र भी लिखा एवं इस मामले को सदन में भी उठाया जिस पर ऊर्जा विभाग की तरफ से कहा गया कि सरकार ऋण लेने का प्रयास कर रही है ज्यों ही ऋण मिलेगा अधूरे कार्य को सम्पन्न करा दिया जायेगा। पता चला है कि ऋण प्राप्त हो गया है जनपद आजमगढ़ से शासन में रिपोर्ट मांगी थी जिस पर जनपद से मेटिरियल शेडयूल एवं अन्य आवश्यक डिमान्ड संबंधी समस्त परिपत्र वहां भेज दिये है। इस अधूरे कार्य को पूरा कराना नितान्त आवश्यक है सरकार जानबूझकर इसमें विलम्ब कर रही है प्रदेश में कई अन्य योजनाएं आरम्भ हो चुकी है किन्तु इस अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसलिए स्थानीय जनता में आक्रोश है। यह भी ज्ञातव्य है कि इस परियोजनाओं को चालू करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने सरकार लगभग 67 लाख रूपया मुआवजा दे चुकी है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार वांछित आवंटित कर निर्माण कार्य संपन्न कराये।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत भू-गर्भीय जल स्तर रोके जाने हेतु ऊंटगन एवं खारी नदियों पर बंधे बनाने एवं टर्मिनल राजबाहे टेल को चम्बल डाल परियोजना से जोड़कर किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय पाल सिंह-

[मान्यवर, जनपद आगरा में भू-गर्भीय जल स्तर नीचे चले जाने से तथा विगत कई वर्षों से आगरा टर्मिनल राजबहा, इरादतनगर, राजबहा, श्यामों, बांगुरी माइनर आदि की टेलों पर पानी न आने के कारण एवं सिंचाई के अभाव में फसलें सूख जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के फतेहाबाद के किसानों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है यदि अतिशीघ्र किसानों को पानी नहीं उपलब्ध कराया गया तो किसानों में पलायन की स्थिति पैदा हो सकती है। इसका एक ही विकल्प है, कि भू-गर्भीय जल स्तर रोके जाने हेतु उटंगन एवं खारी नदियों पर छोटे-छोटे बंधे बनाये जाये एवं टर्मिनल राजवाहे टेल को चम्बल डाल परियोजना से जोड़कर मेरे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु भरपूर पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

अतः लोक महत्व प्रश्न पर विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत में चर्चा कराने की मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 मई, 2001 को नियम-300 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिकापाल, श्री कौकब हमीद, श्री अखिलेश कुमार सिंह की है। यह नियम 300 में नहीं आती।

मंत्रि-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इस सदन के अन्दर बजट पारित होता है, और सरकार पूँजी इकट्ठा करती है, श्री अमरमणि त्रिपाठी जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि मेरा विभाग [x x x x x] वह बार बार कहते हैं कि मेरा विभाग में [x x x x] है, मैं [x x x x] को हटाता हूँ तो मन्त्री जी उनको फिर रख देते हैं, यह विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है, एक मंत्री कह रहे हैं कि मेरा विभाग [x x] है, लेकिन हम कहतें है कि [x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 में नहीं आती है। इससे सदन की कार्यवाही कहां विनियमित होती है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सुन तो लें।

श्री प्रमोद कुमार-

[x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। जो आप कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

[x x x x x x]

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह आपके विवेक पर है आपका निर्णय जो होगा वह शिरोधार्य है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

[x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

इससे सदन की कार्यवाही कहां विनियमित होती है, बता दें।

श्री प्रमोद कुमार-

[x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। यह अनावश्यक है केवल कुछ बोलने के लिये अवसर ढूंढना है।

नोट:-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

[x x x x x x]

श्री सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद कुमार और माननीय जगदम्बिका पाल की सूचना नियम 300 में नहीं आती है। इसको निरस्त करता हूँ।

श्री सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

अभी मैं उस क्रम पर नहीं पहुंचा हूँ। आपकी सूचना है।

जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष तथा उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों द्वारा की गयी बर्बरतापूर्वक कार्यवाही के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री श्रीराम यादव की है।

*श्री श्रीराम यादव-

मान्यवर, दिनांक 9-1-2001 को जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह व उनके सहयोगी पुलिसकर्मी का0 रामअचल, का0 अमरनाथ, का0 रघुवीर गिरी का0 पशुपतिनाथ का0 जयप्रकाश सिंह, का0 सत्य प्रकाश मिश्र, का0 जयबहादुर सिंह राठौर द्वारा एक साजिश के तहत ग्राम शंकरपुर (लालपुर) से श्री कामता यादव, महाबली यादव को सुबह 7-30 बजे निवेदिता नेहा पी0सी0ओ0 जलालपुर चौमुहानी से अशोक यादव को सुबह 6 बजे और विमल कुमारी को लगभग 8-30 बजे ग्राम चौरी से पीटते हुये थाने ले आये और थाने लाकर इन सबकी बर्बरता पूर्वक पिटाई की।

श्री अध्यक्ष-

आपने निदेश संख्या 19 के अंतर्गत 30 अप्रैल को ध्यानाकर्षण हेतु सूचना दी थी। इस पर न तो माननीय सदस्य को और न विधान सभा सचिवालय को ही सूचित किया गया है। यद्यपि यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है लेकिन मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं अपेक्षा करूँगा कि ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय सदस्य को प्राप्त हो जाय।

जनपद मिर्जापुर में नगरीय मार्गो के सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि को राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर व्यय किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को नियम-51में परिवर्तित कर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, धन कहां पर खर्च किया जाय इसका निर्धारण सदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

किसी योजना के लिये स्वीकृत धनराशि उस उद्देश्य के लिये खर्च की गयी है या नहीं यह विषय नियम-300 में कहां आता है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

पैसा भेज दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए वह पैसा खर्च कर लिया गया। जिस क्षेत्र के लिए वह सड़क बननी चाहिए थी वह नहीं बनी। यह मिर्जापुर नगर के माथे पर एक कलंक का धब्बा है। इनकी मूर्खता, लापरवाही, गलती के कारण . . .

श्री अध्यक्ष-

इससे सदन का कार्य कहाँ विनियमित होता है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जब सदन में हम बजट पारित करते हैं तो कहाँ पैसा जाएगा किस मद में जाएगा यह सदन में निर्धारित करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए अन्य नियम हैं उसके अन्तर्गत आप सूचना दें। लेकिन यह नियम 300 में नहीं आता।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

अगर बजट द्वारा निर्धारित मद में न खर्च करके अन्य जगह खर्च कर लेंगे और यह औचित्य में नहीं आएगा तो और औचित्य में क्या आयेगा?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने इसे नियम 51 में परिवर्तित कर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

मद संख्या-3, 4, 5, 6 में कुछ नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर [x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जाएगा। कोई प्रस्ताव लाने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है।

श्री प्रमोद कुमार-

[x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जा रहा है। इस तरह से हर राज्य हर क्षेत्र के बारे में संवेदना लाएंगे तो बहुत से स्वेच्छा प्रस्ताव लाने होंगे। शाहजहांपुर का प्रस्ताव आएगा अन्य स्थानों के लिए भी आएगा। इसकी अनमति नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 मई, 2001 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई। शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। मैं नाम पढ़ देता हूँ। पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह की, दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की, तीसरी सूचना श्री अरिमर्दन सिंह की, चौथी सूचना श्री उदय राज यादव की, पांचवी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री कोकब हमीद, श्री प्रमोद कुमार की, छठी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की, सातवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की,

---

नोट:-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आठवीं सूचना श्री रामाधार सिंह की, नवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की, दशवीं सूचना श्री राम तेज यादव की।

*कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, 10 तारीख को इलाहाबाद में ऐसा चक्रवात आया जो पूरे इलाहाबाद के ग्रामीण अंचल में और शहर के इलाके में उसने ऐसा विध्वंश किया है कि पूरे इलाहाबाद के ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है। इलाहाबाद में एकाएक 10 तारीख को जब वहा तापमान 44-45 डिग्री था शाम को सात बजे एकाएक धूल भरी आँधी चलने लगी और बून्दाबांदी होने लगी फिर तीव्र गति से तूफान और चक्रवात चला। न केवल गंगापार के कुछ हिस्से सरसों से हनुमानगड़ा और जमुना पार नदीवणी शंकरगढ़ करछना के हिस्सों में तीव्र गति से तूफान चला जिससे बिजली की लाइने ध्वस्त हो गई पेड़ टूट गये जो अभी तक सड़कों पर पड़े है। वैसे तो इस आँधी के प्रकोप से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है लेकिन मेरे पास जिन पाँच लोगों की निश्चित जानकारी है वे है करेली में बारात में आये दस वर्षीय धमेन्द्र, सोलह वर्षीय रणजीत और 65 वर्षीय मातादीन। गंगापार महरोरा गांव में मोहम्मद अयूब और उनका पुत्र साहिब दीवाल ढहने से दब कर मर गये। यही नहीं मान्यवर, जो गंगागोमती रात को 10 बजे पहुँचती है वह सुबह पांच बजे पहुँची इसी तूफान के कारण। वहाँ का जनजीवन इससे अस्तव्यस्त हो गया है। मैं सरकार से चाहता हूँ कि यह घोषणा करें कि जो बिजली की लाइने ध्वस्त हो गई है उनको चालू करने के लिए पैकेज बनाये और जिन पाँच लोगों की मृत्यु हो गई है उनको राहत कोष से एक-एक लाख रुपये देने की व्यवस्था करे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी भी सूचना इसी विषय पर है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मेरी सूचना भी इसी विषय पर है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना तो पेयजल संकट पर है। पहली लाइन पढ़ लें।

श्री प्रमोद कुमार-

आगे पढ़े।

श्री अध्यक्ष-

यदि आपने दो-दो विषय रखे हैं तो पहले ही निरस्त होने लायक है मैं दिखवा लेता हूँ यदि ऐसा होगा तो आप दोवारा बोल लीजिएगा।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैंने वहाँ के जिलाधिकारी से सूचना मंगवाई है आते ही कार्यवाही कर दी जायेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

आप सदन को आश्वासन दे दे कि सूचना आने पर मुआवजा और पैकेज बनायेंगे/ देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

सूचना आने पर जो नियमानुसार होगा कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

कुंवर रेवती रमण सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात में इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगली सूचना श्री राम विशुन आजाद जी की है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश में यह सरकार आई है तब से सड़कों की दुर्दशा होती चली जा रही है। यह सरकार कहती है कि कल्याणकारी सरकार है। क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए मान्यवर इस सरकार के जितने मंत्री लोग है उन्होंने राज्य योजना का पैसा लगाकर अपने यहाँ की सड़कों को तो ठीक करा लिया है लेकिन आगे कुछ नहीं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में दर्जीपुर मनकापुर गांव है वहाँ की सड़के बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हैं। वहाँ बभनान शुगर मिल के ओवरलोड ट्रकों के चलने से सड़के खराब हो गई हैं। लेकिन मान्यवर, आज तक उस सड़क पर कोई कार्य नहीं कराया गया। उस सड़क पर बभनान, मनकापुर, बजीरगंज आदि कई कस्बे पड़ते हैं। इस सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गये हैं कि छोटी मोटी बरसात होने से यह तालाब के रूप में दिखाई देने लगते हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री ने सूचना दी थी कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राज्य मार्गो, जिला मार्गो को गड्ढामुक्त किया जायेगा और सड़क के किनारे पुस्ता बनाने, पेड़ लगाने, रेलिंग लगाने और उसके रंगाई पुताई का कार्य किया जायेगा आप अपने अपने क्षेत्र की सड़क के बारे में सूचना दे दें।

(इस समय 12 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

मान्यवर, हमने भी इस क्षेत्र की सड़क के बारे में सूचना दी। मान्यवर, मेरी जानकारी में है यह दर्जीपुर, मनकापुर सड़क 66 किमी0 की है जो कि इस तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है, इतनी अधिक टूटी है कि उस पर आवागमन पूरी तरह से बन्द ही है। सिकन्दरापुर मार्ग पर भी आवागमन पूरी तरह से बन्द हो गया है। सरकार ने स्वीकार किया है कि बभनान शुगर मिल्स के ओवर लोड ट्रक चलने के कारण से यह सड़क बर्बाद हुई है। केवल 7 किमी0 सड़क बनवाई गई है जो कि न के बराबर है। यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ सरकार वहाँ पर राज्य योजना के अन्तर्गत पैसा दे जिससे सड़क का नवीनीकरण और उच्चीकरण किया जा सके। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस पर एक घंटे की चर्चा की जाय।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पुरानी सड़कों के रख रखाव के लिये एक मानक है। उसके अनुसार कहीं कोई भेद भाव नहीं किया जाता है। इन सड़कों के रख रखाव के लिये, मरम्मत के लिये पैसा दिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके क्षेत्र में एक करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। यह इस सड़कों के रख रखाव मरम्मत की राशि से अलग है। एक करोड़ रूपये आपको दिया गया है विधायक निधि के रूप में।

(व्यवधान)

मैं वही कहा रहा हूं जो पहली बार हुआ है और भी सरकारें रही हैं लेकिन किसी सरकार ने किसी माननीय सदस्य को काम करने के लिये, सड़कों के रख रखाव के लिये, विकास के लिये एक पैसा नहीं उपलब्ध कराया है। पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे सुनकर पीड़ा हुई इसके बावजूद आप अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई कठिनाई है। मेरा आग्रह है कि जो भी मानक निर्धारित है उसके अनुरूप पूरे प्रदेश में पैसा उपलब्ध कराया गया है। उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, हो रहा है। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसको निरस्त किया जाय।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें और किसी को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है।

*श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायक निधि का पैसा दिया है। विधायक निधि से जन हित की आवश्यक चीजें हैं खडंजा है, अस्पताल है, पंचायत घर है, स्कूल है उसमें खर्च होता है। कितना पैसा दे रहे हैं जो सड़क में भी लगे। 66 किमी0 लम्बी सड़क है। यह जिला मार्ग है, बस्ती जनपद को जोड़ता है। विधायक निधि से आपने अपने क्षेत्र में कितना दे दिया। जो राज्य योजना का पैसा है, क्षेत्रीय सन्तुलन बनाये रखने के लिये हमारे क्षेत्र में भी खर्च होना चाहिए। कहां-कहां दे रहे हैं पैसा? पूरे सत्ता पक्ष के लोगों के यहां खर्च होता है हमारे यहां नहीं खर्च किया जाता है। हमारे यहां इस सड़क पर खर्च करा दें तो लोग कहेंगे कि लोकहित की सरकार है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राम विशुन आजाद और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसको अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूँ।

श्री अरिमर्दन सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महोबा की ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में मैने सूचना दी है। वहां के ग्राम प्रधानों की जाँच माननीय जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं की है और ग्राम प्रधान को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय आर्डर कर रहे है कि चुनाव हो चुके हैं इसलिए प्रधान की फाइल दफ्तर दाखिल कर दी जाए। क्योंकि अब नये ग्राम प्रधान ने चार्ज ले लिया है। हम चाहते हैं कि वहां के भ्रष्ट प्रधानों के खिलाफ जाँच की जाए। उस गाँव में आए दिन विवाद हो रहा है। मैं जिलाधिकारी महोबा का पत्र संख्या-130/एस0 टी0-पंचायत अनु0 2000 दिनांक 2-12-2000 पढ़ना चाहूँगा, जिलाधिकारी महोदय स्वयं लिखते हैं- "पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत भण्डारा विकास खंड कबरई, तहसील व जिला महोबा के विरूद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने सम्बन्धी पत्रावली मूलरूप में आपको इस आशय से वापस की जा रही है कि अब ग्राम पंचायतों का चुनाव हो चुका है तथा नये ग्राम प्रधान ने चार्ज ले लिया है अत: अब इस प्रकरण को चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अत: इसे निक्षेपित किया जाता है। तदनुसार पत्रावली अपने कार्यालय में दाखिल दफ्तर कर लें।"

मान्यवर, तीन लाख के भ्रष्टाचार में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत भण्डारा विकास खण्ड कबरई जिला महोबा में लिप्त है। जिलाधिकारी ने स्वंय जाँच की। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधानों को बचाने का कोई नियम नहीं है, भ्रष्टाचार से ग्राम प्रधान को बचाने के लिए फाइल को दफ्तर दाखिल कर दिया जाए, यह सही नहीं है मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोकर इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कराई जाए।

श्री हुकुम सिंह-

कृपापूर्वक आपकी सूचना पद ध्यान देते हुए कहना चाहूँगा कि आपकी जो सूचना है यह एक ग्राम प्रधान के बारे में है एक ग्राम प्रधान के बारे में आपने शिकायत की है। 3 लाख 41 हजार 305 रुपये का दुरूपयोग किया है। इसकी जाँच वहां के पंचायती राज्य अधिकारी ने की इसके बावजूद जिलाधिकारी ने कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, कार्य-स्थगन के लिए नियम है, इसको आपने देखा है आपका अधिकार क्षेत्र है किसी ग्राम प्रधान के बारे में शिकायत है इसमें 2-12-2000 को जाँच हुई है, घटना 7-1-2000 की है

आज मई में हम बैठे हैं वह भी 2001 में, मूझे नियम की जो जानकारी है, विषय का कब का होना चाहिए, कब का नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं कहना है। श्रीमन्, इस सदन से अपेक्षा की जाती है मैं माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए आयुक्त से इस प्रकरण पर टिप्पणी प्राप्त करके उसके बाद जो कुछ होगा वह कार्यवाही की जाएगी।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी का कहना है कि ग्राह्यता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है।

माननीय अरिमर्दन सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को प्रस्तुत सूचना पर सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

*श्री उदयराज यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर मैं आपका ध्यान लगातार उत्तर प्रदेश में जो पुलिस द्वारा निरीह जनता को परेशान किये जाने पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों का उत्पीड़न किए जाने और यहाँ तक कि केवल उनका उत्पीड़न आम जनता तक सीमित न रहकर अब जनप्रतिनिधियों पर पहुँचने लगा है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री सदन में मौजूद हैं उन्होंने यह घोषणा की कि हमने यह निर्देश जारी करनें का काम किया है कि शरीफों को छेड़ों मत और गुण्डों को छोड़ो मत, लेकिन आज आप देखें तो ठीक इसके विपरीत काम हो रहा है। आज दिन दहाड़े लखनऊ की राजधानी में और जहाँ उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने हैं वहाँ हत्याएं, लूट, बलात्कार, चोरी और डकैती हो रहे हैं। 6 महीने बीत जाने के बाद भी अपराधों का खुलासा नहीं हो पा रहा है . . . .

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप अपने को ग्राह्यता तक ही सीमित रखें।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही आ रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर देखा जाय तो किस तरीके से निर्दोष लोगों को उत्पीड़न करने का काम पुलिस कर रही है। मैं आपके माध्यम से एक विशेष घटना की तरफ जिसकी मैंने सूचना दी है, आकृष्ट कराना चाहूँगा। अभी आपने देखा होगा कि शाहजहाँपुर में चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के महासचिव, श्री अमर सिंह पर पुलिस के लोगों द्वारा जलील करने का काम किया गया। अभी हमारे सदस्य श्री राम चन्द्र यादव जी ने जौनपुर की घटना का जिक्र किया था कि किस तरह से पुलिस के लोगों ने निर्दोष लोगों को मारने पीटने का काम किया है इसी तरह की घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा। मान्यवर, 12 एवं 13 तारीख की रात को मैं अपने क्षेत्र से लगभग डेढ़ पौन दो बजे वापस आया और दारूलशफा में अपने कमरे में लेट गया। मेरा ड्राईवर मेरी गाड़ी में सो गया था। कुछ देर के बाद दो तीन लड़के आयें और जैसे ही गाड़ी खोलने लगे तो मेरे ड्राईवर ने जानना चाहा की क्या बात है। उन्होंने बताया कि मेरे कपड़े लेकर कोई भागा है आपने देखा। उसने कहा कि जब मैं उतर रहा था तो मैंने दो लड़कों को देखा था। उसके बाद ड्राईवर सो जाता है। सुबह 6 बजे थानाध्यक्ष कोई नाग हैं और एक सिपाही राकेश आते हैं और उसे कोतवाली ले जाकरके मारने पीटने लगते हैं। ड्राईवर जब मेरा नाम बताता है तो मुझे भी गाली देने का काम करते हैं। जब मुझे इसका पता लगता है तो मुकदमा कायम करने को कहता हूँ लेकिन वह उसको लिखने में हीला हवाली करने का काम करते हैं। मान्यवर, यह वही दरोगा है जिसने कानपुर के समाचार पत्र के जो सम्पादक हैं उसको कुछ लोगों ने धमकी देने का काम किया था और इसने उन लोगों से 15 हजार रूपया लेकर छोड़ने का काम किया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वह इस सदन के अन्दर घोषणा करें कि उस दरोगा और सिपाही को निलम्बित करेंगे तथा इस पूरे प्रकरण की जाँच करायेगें। अंत में मैं आपको बधाई देता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 3-4 सूचनाओं का इसमें उल्लेख किया गया है एक सूचना तो पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में है तो जब माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तब वह आ जायेगी।

मान्यवर, शाहजहाँपुर के चुनाव में महासचिव समाजवादी पार्टी के बारे में कोई दुर्व्यवहार हुआ है मान्यवर, वह प्रकरण चुनाव आयोग से संबंधित है जिस वक्त चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाता उन्हीं के कन्ट्रोल में सब हैं। वह सारे के सारे कार्य चुनाव आयोग के डायरेक्टर के अनुरूप होगा।

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने अपने बारे में कहा है मैं विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ उसके बाद में जो आवश्यक कार्यवाही होगी, की जायेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह विधायक के सम्मान का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता

मान्यवर, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दे रहा हूँ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं उसी सूचना पर बल देता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ से अभी सूचना प्राप्त करके 1 घण्टे के अंदर इस सदन को अवगत भी करा दें और तत्काल कार्यवाही भी करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने स्वत: ही निवेदन किया है कि जैसे ही सूचना मिली है मैं जानकारी प्राप्त कर लूँ और जानकारी प्राप्त करने के बाद जो आवश्यक कार्यवाही होगी, की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य का अनुरोध है कि सदन को भी अवगत करायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, निश्चित रूप से।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, बगल में थाना और अभी तक सूचना नहीं आयी है।

(श्री राम तेज यादव, एडवोकेट के खड़े होने पर और उनके बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, हजरतगंज थाना यहां से कुछ ही दूर पर है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इस पीठ से अनेक बार निर्देश हुए हैं, सम्मानित सदस्य अपने बारे में कुछ कहते हैं तो उस कथन को सत्य मानना चाहिए जब तक उसके विरुद्ध कोई प्रमाण न हो। अभी

माननीय सदस्य ने कहा कि उनके साथ अपमानजनक घटना हुई है एक सब इंस्पेक्टर ने अपमानित किया है। मान्यवर, यह लोकतंत्र है अगर एक विधायक को अपमानित किया जायेगा और सरकार उस पर संवेदन हीन हो जाये तो फिर जो जो कुछ चाहेगा वही होगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो एक परम्परा है कि सदन में कोई सम्मानित सदस्य अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं, एक बात कही। माननीय सदस्य संविधान की सौगन्ध लेकर सदन की कार्यवाही से हिस्सा लेते हैं उसकी बात को सच मानना चाहिए। मान्यवर, जिसने सम्मानित सदस्य को अपमानित किया है।

(टोकाटाकी होने पर)

अगर मान्यवर, [x x x x x x]। मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ जो यह सदन की परम्परा रही है, जो सदन की व्यवस्था रही है क्यों उसका पालन होगा या नहीं पालन होगा? सम्मानित सदस्य ने जो यहाँ सौगन्ध लेकर इस बात को कहा है इसको सच माना जायेगा या नहीं माना जायेगा। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा टोकाटाकी करने पर)

[x x x x x]।

श्री अधिष्ठाता-

जो सूचना यहाँ उपलब्ध करायी गयी है, उसमें माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार का कही उल्लेख नहीं है। जो सूचना उपलब्ध कराई गयी है उसमें माननीय सदस्य ने ड्राइवर के साथ जो घटना हुई है उसका उल्लेख किया है।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, ड्राइवर ने जब मेरा नाम लिया तो पुलिस के द्वारा मुझे गाली देने का काम किया गया है और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर नियम 56 की सूचना जिसको आप ग्राह्यता पर सुनते हैं, नोटिस हमारी स्वीकार करते हैं उसका जो भी जवाब होता है संबंधित जनपद से मंगा लेते हैं समय से पूर्व मंगा लेते हैं। या तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह कहें मान्यवर, आपने कहा है कि सूचना नहीं आ पाई है तो लखनऊ शहर में विधान सभा से चन्द कदमों की दूरी पर हजरतगंज कोतवाली है, एसएसपी का आफिस है उनका बंगला है, सारे अधिकारी यहाँ पर है अगर यहाँ से सूचना नहीं आ पाई है तो बाकी जनपदों से जो सूचना आती है वह या तो गलत आती है तो या तो जो मैं कह रहा हूँ वह सही है या संसदीय कार्यमंत्री जी की बात सही है।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के वित्तमंत्री के साथ वाराणसी की पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूँ, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस सदन में अनेकानेक बार इस तरह के दृष्टांत आये हैं, मेरी बात का संज्ञान ले लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, कोई माननीय सदस्य अपनी पीड़ा को व्यक्त करें अगर सूचना में उल्लेख नहीं था तो उसे उन्होंने अपने कथन में तो कहा ही है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, यह कौन सा तरीका है?

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, सूचना क्यों नहीं आई है?

(समाजवादी पार्टी के श्री उदय राज यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री राम तेज यादव एडवोकेट, डा0 वकार अहमद शाह आदि सदस्य सदन के वेल पर आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वेल में कही गई कोई बात अंकित नहीं की जायेगी। माननीय सदस्य ने जो बात उठाई, उस पर मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को उत्तर देने के लिये आमंत्रित किया। लेकिन आप लोग उनकी बात ही सुनना नहीं चाहते हैं।

(सदस्यों द्वारा वेल से अपनी बात कहते रहने पर)

मेरा निवेदन सुन लें। आपने कहा कि सब जगह की सूचना आ जाती है, यहाँ की क्यों नहीं आई, जब तक आप इसका स्पष्टीकरण न सुन लें, तब तक यहाँ आपका आना क्या औचित्यपूर्ण है? इसलिये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात आ जाने दीजिये, उसके बाद भी यदि आप असंतुष्ट हैं तो जो सोचें वह करें।

(सदस्यों द्वारा वेल में मौजूद रहने पर)

यह बात तो उचित नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस गये।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य का यह कथन है कि पूरे प्रदेश की सूचनायें एकत्र हो जाती हैं और यह लखनऊ के बगल का ही मामला है, इसकी सूचना आने में क्या कठिनाई है?

श्री हुकुम सिंह-

मैंने यह कहा कि सूचना जैसे उपलब्ध होगी, उसे उपलब्ध करा दूँगा। जो सूचना अभी उपलब्ध है,वह मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। जो बाद में सूचना आयेगी, वह बाद में उपलब्ध करा दूँगा।

जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, यदि उन्होने इसे अपनी सूचना में लिख दिया होता तो इसकी गम्भीरता बढ़ गई होती। इनके द्वारा सूचना में जो उल्लेख किया गया है, उसमें लिखा है कि 13 मई, 2001 को प्रात: 6 बजे मेरा ड्राईवर राजकुमार गाड़ी के ऊंपर सो रहा था। हजरतगंज कोतवाली के दारोगा श्री नाग और आर्म्ड पुलिस के सिपाही राजेश उसको पकड़कर कोतवाली ले गये, वहाँ उसको बुरी तरह मारा-पीटा, जिससे वह घायल हो गया। यह इनकी सूचना है। यह सूचना में कहीं नहीं है कि उसने बताया कि मैं विधायक जी का ड्राइवर हूँ और तब इनको भी अपशब्द कहे। इस चीज की रिपोर्ट मँगवाई गई, इसमें ड्राईवर की सूचना के आधार पर मुकदमा कायम किया गया, मुकदमा कायम होने के बाद ओ0पी0 सिंह से इसकी जाँच कराई गई, इसमें ड्राईवर का कथन गलत माना गया और उस आधार पर मुकदमा स्पंज हो गया। अभी आपके सामने एक-एक क्षण जो-जो कहा जा रहा था, हम उसका संज्ञान लेते हैं, माननीय विधायक जी ने जो बात उठाई है, उससे गंभीरता और बढ़ जाती है, हमने माना कि

वरिष्ठ अधिकारी से जॉच कराई जाय, इससे त्वरित गति की कार्यवाही और क्या हो सकती है, इसके बाद भी आरोप लगाये जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश से जानकारी आ जाती है, यहाँ से क्यों नहीं आई? अब प्रकरण यहाँ पर यह आया कि माननीय विधायक का मामला है और उनको भी कहा गया है, इसलिये इसको और गम्भीरता से लेकर जॉच के लिये कहा है।

श्री उदय राज यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, तमाम ऐसे मुकदमे उत्तर प्रदेश में कायम होते हैं आम आदमी के ऊपर, किसी माननीय सदस्य के ऊपर भी यदि मुकदमा कायम हो जाए भले ही गलती से हो जाए, वह परेशान हो जाता है, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है लेकिन पुलिस के ऊंपर कायम होता है तो वह तुरन्त वापस हो जाता है, इसी मामले में 2 बजे मुकदमा कामय होता है और थोड़ी देर बाद स्पंज हो जाता है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह के साथ . . . .

श्री अधिष्ठाता-

यह प्रकरण श्री उदय राज यादव का है। यदि आप 20 प्रकरणों की सूचना एक समय में दे देंगे तो बड़ी कठिनाई हो जायेगी।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, हमारे ड्राईवर की पिटाई की गयी है और हमें गालियां दी गयी हैं और जो यह मुकदमा स्पंज किया गया है इस सब की जॉच आप पुलिस विभाग के अलावा किसी अन्य अधिकारी को सौंप दें।

श्री संजय सिंह-

मान्यवर, [x x x x x x x]।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ, यह अंकित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री संजय सिंह-

[x x x x x x x]।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य मैं आप से कहा रहा हूँ, आप बैठें। यह अंकित नहीं यिा जायेगा। संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय सदस्य ने ज़ो शंका प्रकट की है, क्या आप उसका उत्तर देना चाहेंग, मैं केवल ग्राह्यता के सम्बन्ध में सुन रहा हूँ। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि केश स्पंज हो गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह जानकारी तो मैंने स्वयं दी है कि केस स्पंज हुआ है और कहा है कि इसकी जॉच की जायेगी।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, इस मामले की जॉच पुलिस विभाग से हटा कर इसकी जॉच किसी दूसरे अधिकारी से करा लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य का आग्रह है कि किसी अन्य से जॉच करा लें।

नोट:-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अन्य से जाँच करा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करते हुए इसे निरस्त करता हूँ।

अगली सूचना श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री प्रमोद कुमार की है।

श्री उदय राज यादव-

किससे जाँच करायेंगे, इसकी घोषणा कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं दूसरी सूचना पर आ गया हूँ, आप स्थान ग्रहण करें।

(श्री उदय राज यादव, श्री राम तेज यादव एडवोकेट एवं समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्य वेल में आकर बोलने लगे जिसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले, वेल में कही हुई बात अंकित नहीं की जा रही है। आप अपने स्थान पर खड़े होकर कहें।

(श्री उदय राज यादव, श्री राम तेज यादव एडवोकेट तथा अधिष्ठाता के अनुरोध पर वेल में आये हुये अन्य समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये।)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करुंगा कि ए0डी0एम0 रूरल से जाँच करवा लें और आज शाम तक रिपोर्ट मँगाकर सदन को सूचित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, क्या यह आपके लिए सम्भव हो पायेगा कि आज ही जाँच कराकर शाम को रिपोर्ट दे दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी, ए0डी0एम0 रूरल से जाँच करवा लें।

श्री हुकुम सिंह-

क्या आप कोई नाम बता रहे हैं?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मैं नाम नहीं बता रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि ए0डी0एम0 से इसकी जाँच करवा लें।

श्री अधिष्ठाता-

यह आपस का बॉलीबाल ठीक नहीं है, इस काम के लिए मैं बैठा हूँ। सीधे एक दूसरे को बाल पास करने की परम्परा ठीक नहीं है। आप दोनों ही बड़े अनुभवी और विद्वान सदस्य हैं, परस्पर वार्तालाप ठीक नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

अभी विधायक के उत्पीड़न की बात हो रही थी, अब अधिष्ठाता का उत्पीड़न हो रहा है, इसकी भी जाँच हो जाय।

श्री हुकुम सिंह-

कुंवर साहब मैं इसकी ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी से जाँच करवा लूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री जगदम्बिका पाल जी की है।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने प्रदेश के सबसे ज्वलंत और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की ग्राह्य पर सुनने का अवसर दिया है। यह लाखों करोड़ों व्यक्तियों से जुड़ा हुआ अविलम्बनीय लोक महत्व का और तात्कालिक है। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी, जब प्रदेश की राजधानी के मोहल्लों में गये तो हम सबको आशा बँधी थी कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो माननीय प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र है, मुख्य मंत्री जी स्वयं रूचि ले रहे हैं और सरकारी कालोनियों और मोहल्लों में जा रहे हैं और वहां की समस्याओं की जानकारी कर रहे हैं और समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी गये होंगें और अधिकारियों को निर्देशित भी किया होगा। आज भी जानकारी कर लें किसी भी सरकारी कालोनी में पानी की समस्या दूर नहीं हुई है। चाहे डालीबाग कालोनी हो, महानगर हो, ऐशबाग कालोनी हो या पुराना लखनऊ हो, वहां पर कई-कई दिनों से पानी की समस्या उत्पन्न है। जहां यह कहा जा रहा है कि राजधानी को बिजली कटौती से मुक्त कर दिया गया है और अबाध विद्युत की आपूर्ति हो रही है। बिजली न आने की बजह से ओवर हैड टैंक नहीं भरे जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गये हैं, मोटर खराब हो गये हैं तो वह वैसे ही पड़े हैं। चौक, नक्खास में पानी का संकट व्याप्त है। मान्यवर, यहीं नहीं सम्पूर्ण प्रदेश में चाहे बुन्देलखण्ड का इलाका हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो तालाब और कुँओं में पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है। इस गर्मी में जानवरों की स्थिति यह हो गयी है कि कहीं भी पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, हमारे जनपद में कई विकास खण्ड है जहाँ पानी का जल स्तर निरन्तर नीचे जा रहा है। अगर मान्यवर, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प न हो तो पानी नहीं मिल सकता है। मान्यवर, बहराइच का मेला जो 40 दिन का होता है वहाँ मुसलमान लोग भी जाते हैं और हिन्दू भी जाते हैं। मेला आने वाले लोग पानी और बिजली के अभाव में चले जाते हैं। मान्यवर, यह उनके आस्था से जुड़ा हुआ है। हवा का दबाव कम हो रहा है। 36 लोग मर चुके हैं, मरने वाले लोगों की परिवार की स्थिति क्या है। इस तरह तात्कालिक और अविलम्बनीय, लोक महत्व का प्रश्न है। मान्यवर, 45-46 का तापमान है, पेयजल संकट है। ग्रामीण अंचलों में पानी की व्यवस्था की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

आप केवल ग्राह्यता पर ही बोले।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, प्रदेश के शहरों में भी संकट है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। सरकार का दायित्व है कि प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था कराये क्योंकि गर्मी के तापमान बढ़ने के कारण यह स्थिति पैदा हो गई है। सरकार को उपाय करना चाहिए इसलिए सरकार का दायित्व भी बनता है, इससे हजारों लोग ही नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, इस चर्चा का और कोई मुद्दा नहीं हो सकता कि जहाँ तापमान 40 पहुँच रहा है और पानी की समस्या का मामला अपने बिल्कुल चरमसीमा पर हो। हर जगह, हर शहर के अन्दर पानी 2-3 घण्टे से ज्यादा आ नहीं पाता। हर जगह, हर शहर के अन्दर पानी 2-3 घण्टे से ज्यादा आ नहीं पाता। एक तो बिजली नहीं पहुँच रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जमीन के अन्दर पानी का स्तर 300 क्यूसेक है इससे ज्यादा जमुना नदी के अन्दर पानी नहीं है। हजारों किसान सहारनपुर से गाजियाबाद तक किसान जमुना के सहारे खेती करता है, पर उनको पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। मेरठ और बागपत चौगाना क्षेत्र है। स्तर इस तरह गिर गया है। मान्यवर, इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प फेल हो चुके हैं, पानी किसी तरह से नहीं मिल पा रहा है। इतनी जबरजस्त समस्या है 36 आदमी मर गये हैं। 12 इलाहाबाद में मरे हैं।

मान्यवर, आज जहां-जहां आम आदमी के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है, गांवों में उनके ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आज बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है, और मान्यवर, आज जहां-जहां यह स्थिति आ गयी है, उससे

ठीक ढंग से निपटने के लिए उसका कोई न कोई उपाय आज ठीक ढंग से होना चाहिए। मैं आज माननीय मुख्य मंत्री जी से यह चाहता हूँ कि आज इस प्रकरण पर सरकार द्वार सच्चाई से वक्तव्य दिया जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि न पक्ष और विपक्ष का प्रश्न है और न ही आलोचना, प्रत्यालोचना का प्रश्न है, यह एक अत्यंत गंभीर लोकमहत्व का प्रश्न है, जो जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मान्यवर, इस प्रश्न पर योजना आयोग का जो आकलन आया है उसमें यह साफ है उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिज में जलस्तर दिनोंदिन, 5 से 12 फिट तक नीचे जा रहा है, और मान्यवर जो यह जलस्तर नीचे की ओर चला जा रहा है जो भूगर्भ जल स्तर घटता जा रहा है इसका मुख्य कारण यह है कि आज न तो शहर और न ही गांवों में तालाब या बड़े गढ्ढे रह गये हैं जिनमें भरा हुआ पानी धीरे-धीरे रिस कर धरती में आता है, उसका कारण यह है कि या तो उन तालाबों की जगह पर खेती होनी लगी है और या फिर वहां पर आवासों का निर्माण हो गया है, और मान्यवर, जो थोड़े-बहुत तालाब बचे भी हैं, तो उनमें पानी नहीं है, और सरकार उनमें पानी भरवाने की कोई व्यवस्था भी नहीं कर रही है। तो मैं सरकार से और विशेषकर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेगें कि उत्तर प्रदेश जोकि गंगा बेसिन है, लेकिन वहां का जल स्तर प्रतिवर्ष 5 से 12 फुट तक नीचे की ओर जा रहा है, जिसके लिए तुरन्त कोई योजना बनायी जानी चाहिए थी, सरकार कोई एक दीर्घकालिक और एक लघु कालिक योजना बनायेगी जिससे पानी का जो संकट आ गया है, उस समस्या का निदान किया जा सके। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पेयजल समस्या का मुख्य कारण भ्रष्टाचार का पर्याय वना ऊर्जा विभाग और सरकार का पक्षपात पूर्ण रवैया है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी, मिर्जापुर का क्षेत्र छोड़ कर अव हैदरगढ़ आ गये जिससे माननीय मुख्य मंत्री जी का हैदरगढ़ और ऊर्जा मंत्री का हरदोई क्षेत्र छोड़कर अब अन्य किसी क्षेत्र की चिन्ता नहीं है। मान्यवर, पिछले 11 सालों से विद्युत का उत्पादन दिनोंदिन गिरता चला जा रहा जिससे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि लखनऊ में विद्युत कटौती नहीं हो रही है, लेकिन मान्यवर, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र यह कहीं पर भी विजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो यह है कि वहां 2-3 घन्टे से अधिक बिजली नहीं आती है, और कहीं-कहीं तो दो-दो, तीन-तीन दिनों तक बिजली ही नहीं आती है, और जो आती भी है, वह किसी काम की नहीं होती क्योंकि उसका वोल्टेज बहुत कम होता है। मान्यवर, इस संकट से प्रदेश को उबारा जा सकता है यदि सरकार कोई सही कार्य योजना बनाये तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि नहरों में पानी छोड़ा जाय और जो छोटी-मोटी नहरें हैं, छोटे-मोटे तालाब और गढ्ढे हैं उनकों सरकार द्वारा भरवा दिया जाये तो कम से उस पानी से जानवरों को तो पीने हेतु पानी प्राप्त हो सकेगा और किसान अपनी थोड़ी-बहुत सिंचाई तो कर सकेगा। मान्यवर, इसके लिए सरकार को कम से कम एक छोटी और एक दीर्घकालिक कार्य योजना अवश्य बनानी चाहिए।

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि पेयजल व्यवस्था ठीक हो सके इसके लिये तत्काल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय। मैं पहले भी यह कह चुका हूँ कि सरकार इस ओर गंभीर नहीं है। जिस सरकार का पानी मर चुका हो उस सरकार से पानी मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जैसा मैंने कहा प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 100-100 हैंड पंप स्वीकृत किये जायं माननीय मुख्य मंत्री जी मिर्जापुर में 200 लगा दिये जायं लेकिन प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 100 हैंड पंप अवश्य लगाये जायं।

श्री अधिष्ठाता-

लगता है तिवारी जी अगली वार मिर्जापुर से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बहुत ज्यादा समय न लेकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि पेयजल समस्या पक्ष या विपक्ष का या आलोचना या प्रत्यालोचना का विषय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि पेयजल आपूर्ति करने में सरकार पूरी

तरह से असफल हो गयी है। इस समस्या को प्राथमिकता पर लेना चाहिये। सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है इसके बारे में घोषणा करें। यह अत्यंत अविलंबनीय प्रश्न है, पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। यह समस्या लगातार चल रही है इसलिये अविलंबनीय लोकमहत्व की है। मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों का जवाब सदन में आये अगर जवाब नही आता है तो आप सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों की चिंता है और वह इस समस्या के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं और इसकी जानकारी भी यहां पर उन्होंने दी है। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कौकब हमीद साहब ने कहा कि वहां पर यमुना में पानी कम है इसकी चर्चा सदन में पहले आ चुकी है कि और स्वीकार किया गया है कि यमुना में इस बार 40 प्रतिशत पानी कम आया इसका कारण यह है कि बर्फ कम पिघली जिससे पानी कम आया। बागपत से मैं हर हफ्ते गुजरता हूँ वहां की जो स्थिति है वह मुझसे छिपी नही है। मान्यवर, यहां पर डार्क व्लाकों की बात कही गयी। पहले वहां पर विद्युत कनेक्शन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन इस सरकार ने पूरे प्रदेश के डार्क व्लाकों को कनेक्शन न देने के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है और वहां कनेक्शन दिये जा रहे हैं ताकि कम से कम वहां पानी उपलब्ध हो सके। यह कदम पहली बार इस सरकार ने उठाया है। यह जो समस्या उत्पन्न हुयी है उसमें मौसम का मिजाज भी एक कारण रहा है। 44-45 डिग्री टेंपरेचर पहुंचा है। जलसंस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां पर पीने के पानी की समस्या है वह पर अविलंब पानी के टेंकरों की व्यवस्था की जाय। हर जनपद के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कानून व्यवस्था के साथ साथ पूरे जनपद में इस समस्या का आकलन करते रहें और यदि कहीं पर पानी का अभाव है तो वहां पर इसकी व्यवस्था करायें। आपने कार्य योजना की बात कही तो पहले भी आवश्यकता थी और आज भी इसकी आवश्यकता है। हमारा पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। नगर विकास मंत्री जी ने वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही है, जो छोटे छोटे तालाब हैं वहां पर पानी एकत्रित करके जलस्तर को बढ़ाने की बात है। पेयजल समस्या के प्रति इस तरफ प्रदेश सरकार प्रयासरत है। मान्यवर, यह सूचना कार्य-स्थगन के रुप में स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने विषय की महत्ता को स्वीकार किया है। आज जो समस्या है उसके लिये यह आवश्यक है कि महत्ता को स्वीकार किया है। आज जो समस्या है उसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 100-100 हैंड पंप लगा दिये जायं। केवल 403 विधायक हैं, यदि उनके क्षेत्रों में हैंड पंप लगा दिये जायं तो काफी हद तक पेयजल समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं सरकार से जरूर यह आश्वासन चाहूँगा कि निकट भविष्य में इस पेयजल की समस्या से निपटने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वह कुछ कर सकते हैं। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा पूरे सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं केवल पानी मांग रहे हैं। दो चीजें सरकार कर दे एक तो कुछ हैण्ड पम्प विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार कर दे दूसरे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं। आप भयभीत न हो कोई छोड़कर आपको भागेगा नहीं। यह सब जानते हैं कि पाँच राज्यों के बाद यहां भी स्वीप होगा लेकिन जब तक चल रही है तब तक यह कहीं नहीं जाएंगे। दूसरे अपराधी लोगों के लिए इस सरकार से बढ़िया और सरकार कहाँ मिलेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि 100 हैण्ड पम्प की घोषणा मुख्य मंत्री जी कर दें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी बैठे है। इस समय जमुना में पानी नहीं है। आप हरियाणा सरकार से बात करके तत्काल एक माह के लिए ताजे वाले से कुछ पानी छुड़वा लीजिए। पूरी फसल सहारनपुर से लगातार

आगे तक सूख गई है। पानी नहीं है। हरियाणा से वार्ता करके ताजे वाला से कुछ पानी 100-150 क्यूसेक छुड़वा लीजिए। इससे जमीन में नमी तो आ जाए। फसल खराब हो रही है।

श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय, अभी प्रमोद कुमार,कौकब साहब ने अपनी बात कही। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। हर साल गर्मियों में जब पानी का संकट आता है तो शहरों और गांवों में इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगाने की सरकार व्यवस्था करती है। यह परम्परा रही है। प्रमोद कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी पानी का संकट है। शहरी क्षेत्रों में सभी विधान सभा क्षेत्र आते हैं शहरी क्षेत्रों में जिस तरह की पानी की स्थिति पैदा हो गई है। वहां तत्काल हर नगर पालिका और नगर महापालिकाओं में इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प देने की घोषणा करें क्योंकि शहरों में गरीब बस्तियों, दलित बस्तियों में पानी का संकट है।

श्री प्रमोद कुमार-

इस काम के लिए पी0एल0ए0 में धन उपलब्ध रहता है उससे व्यवस्था की जा सकती है।

श्री हुकुम सिंह-

नगरीय क्षेत्र में पेयजल की सुदृणता के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया है। इसमें 85 करोड़ 20 लाख रुपये की व्यवस्था निहित है। यह प्लान बन चुका है इसमें मैंने विस्तार से निवेदन भी किया था कि किन किन अधिकारियों को दायित्व सौंप दिया है। एक सुझाव आया कि ताजे वाले से पानी उपलब्ध कराएं इस संबंध में स्वयं मुख्य मंत्री जी ने हरियाणा के मुख्य मंत्री जी से वार्ता की है हम सब भी हरियाणा गए थे वहां की जमुना में भी पानी नहीं है। पानी तो वहॉ है ही नहीं यह बहुत बड़ा संकट है। चौगावों की समस्या आ रही है उसमें विलम्ब हो रहा है। जहॉ तक हैण्डपम्पों की बात कही गई है तो केवल हैण्ड पम्पों से काम नहीं चलेगा। हर जिले में हमने निर्देशित किया है कि कंट्रोल रुम बनाये जायॅ। नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायॅ।

*श्री रामनरेश यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या आज पानी की है। इसका कोई न कोई समाधान तो सरकार को निकालना ही होगा। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम कुछ घोषणा तो कीजिए सदन को जनता को आश्वास्त करियें कि हम पेयजल संकट को दूर करने के लिए 100-100 नहीं तो 50 हैण्डपम्प दे रहे हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के बारे में जहॉ तक मैं जानता हूँ यह प्रतिवर्ष पेयजल का संकट पैदा होता है और कुछ क्षेत्र इसमें ऐसे हैं जहॉ पर पेयजल संकट और अधिक गहरा जाता है। मैं यह महसूस करता हूँ कि इसके लिए वृहद दीर्घकालिक योजना बनाई जानी चाहिए। वर्तमान जो संकट है वह दैवीय आपदा के कारण है, जल का स्तर नीचे गिर गया है लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। प्रदेश की जनता को बहुत अधिक कठिनाई न झेलनी पड़े इसके लिए राहत कोष से भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जहॉ पर इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प की आवश्यकता हो लगाये जायें जहॉ नदी में पानी पहुँचाया जा सकता है पहुँचाया जाय ऐसे निर्देश हैं हमारे। इसके अतिरिक्त जल निगम भी प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा है। समय समय पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा करता रहता हूँ इसके पहले और अब फिर समीक्षा करने जा रहा हूँ दो तीन दिन में। शासन स्तर पर जहॉ तक हो सके हम प्रयास कर रहे हैं आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प लगाये जायॅ। दीर्घकाल योजना पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। यदि इस सदन के माननीय सदस्य यह महसूस कर रहे हैं कि क्षेत्र विशेष में संकट गहरा गया है तो जो 75 लाख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूपये आपको आवंटित किये जाते हैं मानवीयता के आधार पर उसमें से हैण्ड पम्प लगवा दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस समस्या से निपटने के लिए प्रयत्नशील है। . . .

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय मुख्य मंत्री जी के सुझाव के लिये बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मंत्री जी पेशे से अध्यापक हैं। उन्होंने बता दिया कि हम 75 लाख कैसे खर्च करें। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कल्याण सिंह जी आये उन्होंने विधायकों को 50 लाख दिया, राम प्रकाश जी आये उन्होंने 25 लाख दिया। अब आप भी 25 लाख दे दीजिये। हम यह सारे का सारा पैसा पेयजल के कार्य में खर्च कर देंगें। आप इस 25 लाख देने की घोषणा तो कर दें। हम उनकी बात मान रहे हैं, यह हमारी बात मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आपकी बात आ गई।

श्री अम्बिका चौधरी-

अभी एक बात कही गई कि विधायक निधि से प्रस्ताव दे दें, अच्छा सुझाव है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह पेयजल का संकट जो है तात्कालिक है। आप विधायक निधि का पैसा इस वित्तीय वर्ष में देंगें। आप पैसे दे दीजिये, हम प्रस्ताव दे देंगें। एक करोड़ करने की बात आई है। आप इस शर्त के साथ भेजना चाहते हैं कि हम उस पैसे को पेयजल के कार्य में खर्च करें तो हम इसके लिये सहमत हैं। आप एक करोड़ की घोषणा तो कर दीजिये। यह पैसा कब तक पहुँच जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि गंगा नहर में 8 हजार क्यूसिक पानी चल रहा है। नहर के तीन अंश है। कृपया पूर्वी गंगा नहर और मध्य गंगा नहर में दो-दो हजार क्यूसिक पानी चलवायें। उस क्षेत्र में तालाब में अपने आप सीपेज से पानी जायेगा और नहर के द्वारा तालाब भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जितने नलकूप चल रहे हैं आप हर एक को आदेश दें कि वे अपने बगल के तालाब को भरें और भविष्य के लिये जैसा कि कौकब हमीद जी ने यमुना नहर की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि 1988 में प्लानिंग कमीशन के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि यमुना के किनारे उत्तर प्रदेश नलकूप गाढ़ ताकि जमुना में आप जल दे सकें। इसलिये मेरा कहना है कि इसको फिर से आदेशित करें ताकि यमुना के किनारे के लोगों को जल दे सकें। आखिरी अनुरोध यह है कि जितने विधायक यहां बैठे हैं चाहे नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र के हों, हर जगह पेयजल का संकट है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि इस सदन की भावनाओं को देखते हुए हर विधान सभा क्षेत्र में 100-100 हैंडपम्प देने की कृपा करें और इसकी अभी घोषणा भी करें।

*श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछली बार यह सवाल इंडिया मार्का हैंडपम्प का आया था। सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों की संस्तुति पर 50 इंडिया मार्का हैंडपम्प लगाये जायेंगें। मान्यवर, एक साल तो यह 50 हैंड पम्प लग गये लेकिन उसके बाद नहीं लगे। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे ये 50 इंडिया मार्का हैंडपम्प दिये थे वैसे ही जैसा कि अभी लोकपति जी ने भी कहा है, हर विधान सभा क्षेत्र में 100-100 हैंडपम्प लगाने की घोषणा करें ताकि पेयजल की समस्या का निदान हो सके।

(श्री राम औतार शाक्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

यह व्यवस्था का प्रश्न नही है। अगर आपको भी इसी प्रकार की बात कहनी है तो कृपया अनुमति न मांगें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह जो मौजूदा प्रकरण पेयजल संकट के सम्बन्ध में विधान सभा में चल रहा है। इस पर बहुत गम्भीरता से विचार किया। मुख्य मंत्री जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शब्दों के जाल में मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी और एक अच्छा सुझाव दिया कि माननीय सदस्यगण . . .

श्री अधिष्ठाता-

यह व्यवस्था का प्रश्न कहां है?

श्री राम औतार शाक्य-

मैं कभी ऐसा बात नहीं करता हूँ अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न बनें तो आप उसे ग्राह्य कर लें। यह कहा गया विधायक निधि से विधायक प्रस्ताव कर लें, श्रीमन् पेयजल संकट मई,जून में सबसे ज्यादा होगा उसके बाद बरसात होने लगेगी, आप विधायक निधि रिलीज करेंगे जुलाई, अगस्त के बाद तो उस निधि का कैसे उपयोग किया जाएगा?

श्री अधिष्ठाता-

यह व्यवस्था का प्रश्न नही है। कृपया स्थान ग्रहण करें आपकी बात आ गई है। आपका उद्देश्य पूरा हो गया है।

श्री राम औतार शाक्य-

यह औचित्य का प्रश्न बनता है क्योंकि मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि विधायक निधि से दे दें और विधायक निधि दे नहीं रहे हैं तो कैसे समस्या का समाधान हो?

श्री राजनाथ सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी ने सुझाव दिया है मैं इस संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं जहां ट्यूबवैल्स चालू हैं उसके अड़ोस पड़ोस में आने वाले जो तालाब हैं उनको पानी से भर दिया जाए, इस संबंध में पहले से ही आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी बात यमुना नदी के किनारे ट्यूबवैल लगाने की बात कही है। मैं इसको दिखवा लूँगा, क्योंकि इस संबंध में मेरी व्यक्तिगत रुप से जानकारी नहीं है। जैसा पहले कहा था मैं दोहराना चाहता हूँ और दोहराना इसलिए चाहता हूँ कि लोकपति त्रिपाठी जी लम्बे समय तक सिंचाई मंत्री जी रहे हैं, प्रतिभा-सम्पन्न और अनुभवी हैं यह मैं जानता हूँ, तो अगर इन्होंने उस समय कोई दीर्घकालिक योजना बना ली होती तो उत्तर प्रदेश सरकार को पेयजल संकट से न गुजरना पड़ता। मैं उत्तर प्रदेश को सदैव के लिए पेयजल संकट से दूर करना चाहता हूँ। इसमें समय लगेगा।

श्रीमती गौरी देवी-

मुख्य मंत्री जी घोषणा कर दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह-

गौरी जी आपके क्षेत्र में तो पेयजल का संकट है नहीं।

श्रीमती गौरी देवी-

मेरा क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

यह उचित नहीं है मुख्य मंत्री जी खड़े हैं और आप खड़े होकर बोल रही हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

ओमप्रकाश जी की पत्नी को तो मुख्य मंत्री जी भौजाई कहते हैं माननीय सदस्या को क्या कहते हैं?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

घरेलू प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यह सदन नहीं बना है।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह-

अधिष्ठाता महोदय इसके अतिरिक्त और कुछ नही कहना है। जितना मुझे कहना था कह दिया। मैंने प्रारम्भ में ही यह स्प्ट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में पेयजल संकट से निजात पाने के लिए दीर्घकालिक योजना पर हम विचार कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। यदि सम्मानित सदस्य किसी क्षेत्र के संबंध में, जहॉ पर कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है, उसके बारे में लिखित जानकारी दे देते हैं तो निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने की कोशिश करेंगें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्यों और माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं नियम-56 की इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह सरकार पेयजल संकट के लिए कुछ कार्य नहीं करा रही है। लोग आज पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और इस सरकार का पानी मर गया है इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह सरकार पीने के पानी के लिए कुछ नहीं कर रही है। कोई इसकी स्पष्ट नीति नहीं है इसलिए हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अधिष्ठाता-

मैं निम्नलिखित सूचनाओं पर जो कि श्री श्रीराम पाल जी की सूचना "बुंदेलखण्ड के जनपदों में सहकारी फसली ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। श्री राम औतार शाक्य की "प्रदेश की सरकारी सेवाओं में उत्तराचंल प्रदेश बनने के बाद भी वहॉ के सभी निवासियों को पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ तथा श्री राम तेज यादव जी की " जनपद बहराइच में सरजू नदी पर भग्गहवा घाट पर पुल के निर्माण का कार्य शीघ्र कराये जाने के संबंध में है," पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। शेष सूचनाएं निरस्त की जाती है।" अब मैं मद संख्या-8 ले रहा हूँ। माननीय सदस्य आप बैठ जायें। माननीय यादव जी आप बैठ जायें मैंने आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया है।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान सं0-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) तथा अनुदान सं0-52 राजस्व विभाग(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)

*राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,90,72,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,86,17,18,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के 75,80 प्रतिशत जो गॉव में रहते हैं उससे संबंधित जो समस्याएं है उनका समाधान करता है। हमने जो 2001-2002 का जो लक्ष्य रखा है और जो 2001 में पारित किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हमने किसानों को, गॉव के गरीबों को किस प्रकार से सही न्याय मिले कार्यक्रम निर्धारित किया है। वह पहले से चल रहा है उसे और प्रभावी कैसे बनाया जाये इसके लिए तहसील दिवस के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो हमने हर तहसील में तहसील दिवसों को आयोजन किया जो आज भी बराबर चल रहा है। तसील दिवस पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण आते हैं और किसानों की गरीबों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निदान करते हैं। मान्यवर, प्रदेश से बराबर निर्देश दिये जाते हैं कि जो तहसील दिवसों में समस्यायें सामने आती हैं उन समस्याओं का समाधान 10 दिन के अंदर कर दें जिनका समाधान नहीं होता है जो अन्य विभागों से संबंधित होती हैं, पुनः दूसरे तहसील दिवस के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

मान्यवर, प्रदेश में हमारा प्रयास रहा है कि प्रदेश के सभी किसानों को किसान बही उपलब्ध करा दी जाये। प्रदेश में कुछ जगहों पर चकबन्दी प्रक्रिया भी चल रही है जो चकबन्दी प्रक्रिया से बाहर हो गये हैं ऐसे गॉव जिनकी संख्या करीब 249363 है, किसान बहियां सभी को उपलब्ध करा दी गयी हैं सिवाय ऐसे गॉवों को छोड़कर जहॉ चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है और जैसे-जैसे वे गॉव चकबन्दी प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं वहॉं के किसानों को किसानबही उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है और वह करा दी जाती है।

मान्यवर, हमने भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं धारा 34 के विवादों के निस्तारण के संबंध में प्रदेश में अभियान चलाकर कार्य किया गया है और इसका सरलीकरण भी किया गया है। मान्यवर, पहले धारा-34 के वादों में रजिस्ट्री प्राप्त करने के बाद 3-4 महीने बाद व्यक्ति तहसील में धारा-34 में मुकदमा पंजीकृत कराना होता था। अब लोगों को कठिनाई न हो इसलिए हमने इसका सरलीकरण किया है अब जब भी जिस रोज भी रजिस्ट्री होती है उस रजिस्ट्री की प्रति तहसील में चली जाती है एक कापी क्रेता की होती है उसको मिल जाती है तहसील में जाने के बाद धारा-34 में मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है और 45 दिन में दाखिल खारिज कर दिया जाता है। मान्यवर, किसान को इसमें दो काम करने पड़ते हैं। उसमें यह भी एक शपथ-पत्र देना पड़ता है कि साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन नहीं है और वह दाखिल खारिज हो जाता है। मान्यवर, यह कार्यवाही विवाद रहित मामलों के लिए है जिसमें कोई विवाद नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी दाखिल खारिज का वाद जिसमें कोई विवाद न हो और जो 45 दिन से ऊपर विचाराधीन हो उसका दाखिल खारिज समय पर न किया गया हो वह आप मुझे अवगत करायेंगे उसमें दोषी अधिकारी बक्शे नहीं जायेंगे उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

मान्यवर, धारा 33-34 में हमने अभियान के रूप में भी पूरे प्रदेश में चलाया और वादों का निस्तारण शीघ्रता से किया है मान्यवर, 1999-2000 में और उसके बाद में जो वादों का निस्तारण किया है 1-10-2000 से 31-3-2001 तक वह मैं बता रहा हूँ।

5 लाख, 23 हजार 950 वादों का निस्तारण किया गया है, इससे पूर्व 99-2000 में वादों का निस्तारण तेजी से किया गया था। इसी प्रकार धारा 33 और 34 के वादों का आज पूरे प्रदेश में सही समय पर निस्तारण हो रहा है। मान्यवर, भूमि व्यवस्था सुधार के संबंध में, चूँकि भूमि व्यवस्था सुधार का जो मामला है इस प्रदेश के गरीब दलित, मजदूर जिनके पास आवास नहीं है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। इस भूमि व्यवस्था सुधार में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। कुम्हारी कला को जमीन देने के लिए, मछुआरों को तालाब देने के सम्बन्ध में, वृक्षारोपण के लिए पट्टा देने के सम्बन्ध में काफी तेजी से काम किया गया है और लक्ष्य से अधिक कृषि का आवंटन किया गया है। मान्यवर, कृषि आवंटन के संबंध में 2000-2001 का जितना लक्ष्य था 5770 हेक्टेअर का था जिसके सापेक्ष 7,721 हेक्टेअर जमीन का आवंटन किया गया जो 132.28 प्रतिशत है। इसी प्रकार से मछुआरा समुदाय के लोगों को 4,965 हेक्टेअर लक्ष्य के सापेक्ष 4,931 का आवंटन किया गया था।

मान्यवर, गरीब लोगों को आवास का आवंटन किया गया है। 2000-2001 में 39,300 का लक्ष्य था लेकिन 44,340 लोगों को आवंटित किया गया। इस प्रकार 2000-2001 में 50 हजार परिवारों को आवास आवंटन करायेगें। मान्यवर, कुम्हारीकला के लिए 2376 लोगों को आवंटन किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है आवंटन के सम्बन्ध में। अब तक केवल आवास के लिए गरीबों को, जो काफी समय से व्यवस्था चली आ रही थी, 100 वर्ग गज का पट्टा किया जाता था, इसको बढ़ाया गया। हमारे गॉव के रहने वाले लोगों को वैसे ठीक आवास मिले जिसमें वह अपने पशु रख सके, बच्चे पाल सके, अच्छे मकान बना सके। हमने जी0ओ0 जारी करके यह व्यवस्था की है कि कम से कम गरीबों को, दलितों को 200 मीटर का पट्टा दिया जायेगा। मान्यवर, पर्यावरण की दृष्टि से, हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से कैसे रहे वृक्षारोपण के लिए पट्टा करते है, इसमें 2000-2001 में 1920 हेक्टेअर का लक्ष्य था हमने 2109.05 हेक्टेअर का लक्ष्य किया जो 109 प्रतिशत के लगभग आता है और आगे 2001-2002 के लिए 2000 हेक्टेअर भूमि का आवंटन करेंगे। सीलिंग से जो भूमि प्राप्त होती है, बड़े-बड़े कास्तकार की भूमि निकाली जाती है उसका गरीबों को कैसे आवंटन हो उसमें जहाँ हमने पिछले वर्ष 500 एकड़ का लक्ष्य रखा था 914 एकड़ का आवंटन किया गया है इसमें 12236 परिवार लाभान्वित हुए हैं और प्रति व्यक्ति को डेवलपमेन्ट के लिए पैसा दिया गया है, 2002 के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वह 250 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, राजस्व वादों का निस्तारण कैसे हो, जल्दी हो इस सम्बन्ध में हमने जनपदीय स्तर पर, मंडल स्तर पर, परिषदीय स्तर पर तीनों स्तर पर जल्द से जल्द किसानों को न्याय मिले, वादों का निस्तारण ठीक प्रकार से करने की व्यवस्था हो।

मान्यवर, 1-10-2000 से 31-3-2001 तक जनपद स्तर न्यायालयों में 5 लाख 20 हजार वादों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार मंडल स्तर के न्यायालयों में 17,379 वादों का निस्तारण किया गया

और राजस्व परिषद में 2138 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। मान्यवर, जहाँ तक सीलिंग के वादों के निस्तारण का प्रश्न है, यह कुछ धीमी गति से हो रहा है, उसमें कुछ कठिनाई आती है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सीलिंग के वादों का भी निस्तारण तेज से हो, इसके लिये स्पेशल कोर्टस् बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चूँकि इसमें हाईकोर्ट से भी परमीशन लेनी पड़ती है, यदि इसमें सफल हो गये तो फिर सीलिंग से बची जो भूमि है, उसे अपने गरीबों, दलित व्यक्तियों को आवंटन कर सकेगें।

मान्यवर, राजस्व वादों के निस्तारण में इस कारण भी कठिनाई आती है, क्योंकि हमारे राजस्व विभाग को अपने कार्यो के साथ प्रदेश की अन्य तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। अभी ग्राम सभा के चुनाव हुये, नगरपालिका, नगर निगम के चुनाव हुये, उप चुनाव हुये, जनगणना कार्यक्रम हुआ, मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम हुआ, इन सभी में हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारियों को लगना पड़ता है। हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वह 365 दिन के हिसाब से निर्धारित करते हैं और हम यह मानते हैं कि हमको काम करने के लिये पूरे दिन मिलेगें, लेकिन लक्ष्य में जो कमी आई है, वह इसी वजह से आई है, क्योंकि हमारे विभाग के लोगों को बराबर इन कामों में लगना पड़ता है। बहुत सी जगहों पर हमारे विभाग के लोग चुनाव में आब्जर्वर बनकर जाते हैं, कहीं भी कोई काम हो, राजस्व विभाग को ही सारे काम देखने पड़ते हैं। जैसे गेहूँ की खरीद चल रही है, उसमें भी तहसीलदार, एस0डी0एम0 देख रहे हैं, धान की खरीद हुई, उसमें भी हमारे विभाग के लोग लगे। इसी तरह 20 सूत्री कार्यक्रम की जाँच हो, रोडो के सत्यापन का मामला हो, वह सब काम भी एस0डी0एम0, डी0एम0, तहसीलदार के माध्यम से विभाग को करना पड़ता है।

इन्हीं सब कारणों से हम अपने विभाग के लक्ष्यों में कभी-कभी पीछे रह जाते हैं। इसी कारण से वादों के निस्तारण में कुछ कमी आई है, इसके बावजूद हमारा प्रयास है कि हम जनता को सस्ता न्याय कैसे दिलायें, इसके लिये हम और हमारा विभाग प्रयत्नशील है।

मान्यवर, प्रदेश में भूमि के संबंध में दो प्रकार से व्यवस्था करते हैं। एक तो चकबन्दी के माध्यम से और दूसरा सर्वे के माध्यम से। आज पूरे प्रदेश में 6 सर्वेक्षण इकाईयाँ काम कर रही हैं, यह हैं, सोनभद्र, उन्नाव, फैजाबाद, बहराइच, मिर्जापुर, गोरखपुर। इनके माध्यम से 35 जनपदों में काम चल रहा है। सर्वे के माध्यम से हम सर्वे करा रहे हैं और भारत नेपाल सीमा पर भी इस तरह का एक कार्यक्रम चल रहा है, हालाँकि इसमें हमारा ज्यादा नियंत्रण नहीं रहता, इसमें खासतौर से भारत सरकार का संबंध रहता है, क्योंकि यह दो देशों की बात है, लेकिन इसमें भी राजस्व विभाग की आवश्यकता पड़ती है।

इसी प्रकार से दीक्षित अवार्ड हुआ था हमने उसमें बहुत सारे प्रयास किए थे। हमेशा झगड़े भी होते हैं, चूँकि दो प्रदेशों का मामला है यहां के आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है, रोहतक मण्डल के आयुक्त हैं वह भी नोडल अधिकारी हैं। वह भी देख रहे हैं। इससे कई जिले प्रभावित होते हैं। चूँकि इसमें हरियाणा प्रदेश कम रूचि लेता है। इसलिए इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हो पा रही है लेकिन हमारा प्रयास है कि हम इसको और ठीक प्रकार से कैसे करें। मान्यवर, राजस्व विभाग में सुदृढ़करण के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जो नए जनपद बनाये गये हैं, बहुत सी तहसील बनायी गयी हैं। हमारे 13 जनपद जो नए बनाये गये हैं उनमें और जो तहसील बनाये गये हैं उनमें नई बिल्डिंग बनाने का काम, सुदृढ़ीकरण का काम, पुराने आवासों के सुदृढीकरण का काम, इस सम्बन्ध में भी हमने दशम् वित्त आयोग का जो पैसा मिला था उसमें 56 जिला मुख्यालय, 166 तहसील मुख्यालय में 1563.71 लाख का काम किया गया था, बहुत सा काम हो गया है। इसमें विशेष रूप से राजस्व विभाग के सुदृढ़करण का काम होता है।

मान्यवर, इसी प्रकार से जो तहसील हैं उनके भवनों का निर्माण कार्यक्रम, 2000-2001 में इसके लिए 970 करोड़ का प्राविजन किया गया था अब 1391.87 करोड़ का प्राविजन किया गया है। सब पैसे

का इस्तेमाल भी हो गया है और काम चल रहा है। इसी प्रकार हमने जो बन्दीगृह हैं, प्रदेश में बार-बार माँग भी उठ रही है कि बन्दीगृहों की स्थिति ठीक नहीं है। इन बन्दीगृहों को ठीक प्रकार से कैसे बनाया जाए, हमने पूरे प्रदेश में 50 तहसीलों में बंदीगृह जो मानक के अनुरूप, मानवाधिकार आयोग, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो मानक निर्धारित किया है उसके अनुसार हम 50 तहसीलों में बन्दी गृह बना चुके हैं। इस वर्ष 10 तहसीलों में नए बन्दी गृह बनाने का काम चल रहा है और जहां भी काम चल रहा है वहाँ पर हम अच्छे बन्दी गृह बना रहे हैं। जो वसूली आदि के बारे में किसान बन्द होते हैं, हम मानक के अनुसार उनके लिए बन्दी गृह बना रहे हैं और जहाँ पर ये बन्दी गृह मानक के अनुरूप नहीं है और जो राजस्व बन्दी यहां आते हैं उनको जेल में रखा जाता है और अब उनके सामने कठिनाई नहीं आती और जेल मैनुअल के अनुसार विचाराधीन कैदियों के लिए जो सुविधाएं हैं उसी प्रकार इनके लिए भी व्यवस्था की जाती है। जो बन्दी गृहों के बारे में यहाँ पर सवाल उठता था उनके सुदृढ़ीकरण का प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, 11 वें वित्त आयोग ने, जो हमारे 13 जनपद नए बने हुए हैं, हमको 99.41 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। अभी 6 जनपदों को उनके जिला मुख्यालयों को बनाने के लिए हमने कोशाम्बी को 170 लाख दे दिया है, अम्बेडकर नगर को 166 लाख दिया है, चित्रकूट को 166 लाख, गौतमबुद्ध नगर को 166 लाख, सोनभद्र को 166 और औरैया को 166 लाख दिया है। यह केवल 11वें वित्त आयोग का पैसा है इसके पहले भी हम इन जनपदों को पैसा दे चुके हैं और अन्य जो भी नए जनपद हैं सभी के मुख्यालय ठीक प्रकार से बने हैं। हम शीघ्र ही मीटिंग करके जो कठिनाई है, इन सभी जनपदों में निर्माण कार्य शुरू करा देंगे।

मान्यवर, लेखपालों का प्रशिक्षण ठीक प्रकार से हो इसके लिए लखनऊ, गोरखपुर, बरेली और इलाहाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिए 249 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो गयी है, सरकार उसे शीघ्र ही पूरा करवायेगी। राजस्व विभाग का एक बहुत बड़ा कार्य राजकीय देयों की वसूली के सम्बन्ध में रहता है। हमारे अधिकारियों ने पिछले वर्ष कठिन परिश्रम करके 53.23 करोड़ रुपये की अधिक की वसूली की है। हमने मुख्य देयों की वसूली में 128.42 करोड़ रुपये की वसूली की है, विविध देयों में 799.59 करोड़ रुपये की वसूली की है। वर्ष 1999-2000 में 746.36 करोड़ रुपया वसूल किया गया था। 1998-99 में 406.15 करोड़ रुपया वसूल किया था। हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों ने मेहनत से काम किया है और इस बार पिछली बार से अधिक वसूल किया है। 14 जिलों की वसूली सेल्स टैक्स विभाग करता है, वह इसमें सम्मिलित नहीं है। किसानों को ठीक प्रकार से और आसानी से खतौनी मिले इसके लिए पूरे प्रदेश में कम्प्यूटरीकरण करने जा रहे हैं। सारे जिलों में काम चल रहा है।

उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में फिडिंग का काम पूरा हो गया है। 32 जनपदों में 31-3-2001 तक 79,910 ग्रामों में 80.50% काम पूरा हो गया है और 27 जनपदों में 50 प्रतिशत से अधिक का काम पूरा हो गया है। 16 जनपदों में हमने खतौनी देना शुरू कर दिया है। हम यह भी करने जा रहे हैं कि प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधानों को उनके ग्रामों की खतौनी की कापी देने जा रहे हैं जिससे उनके गाँव का किसान अपनी जमीन का लेखा-जोखा देख सके। जब खतौनी ग्राम प्रधान/पंचायत के पास रहेगी तो इससे किसानों को सुविधा होगी। मान्यवर, हमने संडीला तहसील को एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लिय है। हमारा प्रयास है कि हम इसको आगे बढ़ायेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी तहसीलों में कम्प्यूटर लगे, खतौनी उससे प्राप्त हो इसके लिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजस्व विभाग सभी किसानों को सुविधा देने के प्रयत्नशील है और हमारा प्रयास है कि सभी को ठीक प्रकार से न्याय मिले। जो हमारे आदेश निर्देश हैं उनका पालन करने में जहाँ भी किसी ने लापरवाही बरती या किसी प्रकार की कोई परेशानी पैदा की या उत्तर प्रदेश के

गरीब किसान मजदूरों के हित में जो अधिकारी/कर्मचारी ठीक प्रकार से काम नहीं करेगें उसको हम बक्शेंगें नहीं। 1426 संग्रहअमीन के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की है, 931 को निलम्बित किया है, 1100 लोगों को आरोप-पत्र दिये गये हैं और 126 तहसीलदार तथा 126 नायब तहसीलदारों के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही की गयी है। गाँवों में गरीबों की समस्याओं का समाधान कैसे हो जो निर्माण के कार्य किये जाते हैं चाहे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के काम हों या अन्य निर्माण/विकास के काम हों हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है राजस्व विभाग के अधिकारीगण, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, परगनाधिकारी, नायब तहसीलदार ये सभी अधिकारी अपने क्षेत्र के गाँवों में जायेंगे और रात्रि में निवास करेंगे, सबका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह सभी गाँवों में जाकर देखेंकि जो विकास के कार्य तथा किसानों, गरीबों, मजदूरों की कठिनाईयाँ क्या हैं उनका समाधान करेंगे और जो विकास के कार्य हुए हैं उनका सत्यापन करेंगे। 27 जनवरी को एक महत्वपूर्ण जी0ओ0 जारी किया है। उसके तहत लेखपाल प्रत्येक गाँव में जायेगा और गाँव प्रधान के पास बैठकर ग्रामसभा की मीटिंग होगी। ग्राम समाज की जमीन चकमार्गो से अतिक्रमण हटाने की बात, किसान बहियों का विवरण इन सब का सत्यापन करेगा। मान्यवर, जिन्दा व्यक्तियों को मुर्दा दिखाकर संपत्ति हड़पने के खिलाफ कठोर कार्यवाही की गई है, दण्डित भी किया गया है, जेल भी भेजा गया है। ऐसे सभी का इन्दराज होता है। अब लेखपाल गाँव में जायेगा, प्रधान की बैठक होगी लेखपाल सारे मरने वाले लोगों को रजिस्टर में इन्ट्री करेगा। एक बात का हमने और निर्णय लिया है कि प्रत्येक गाँव में लेखपाल जाकर मामले जो है चाहे जिन्दा व्यक्तियों को मुर्दा दिखाकर जमीन हड़पने की बात हो, चक रोड से अतिक्रमण की बात हो। यह सब खुली बैठक में होगा। हमने पहली बार, जबसे देश आजाद हुआ है एक निर्णय लिया है राजस्व विभाग की वसूली के संबंध में जो किसानों का उत्पीड़न होता था, किसानों का उत्पीड़न न हो इसलिए पहली बार व्यवस्था की है जिन किसानों का सरकार पर बकाया है, किसी भी रूप में बकाया हो, चाहे गन्ना, गेहूँ, धान के भुगतान का हो सरकार सुविधा उपलब्ध करायेगी और किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं किया जायेगा। एक हमने और काम किया है जो पट्टे के संबंध में जाँच होती थी अभी भी यह प्रक्रिया रही है पट्टा ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है, तहसीलदार रिपोर्ट लगाता है और एस0डी0एम0 स्वीकृति देता है। अब जो परम्परा रही है। जो जाँच करने के लिए सरकार आदेश देती थी एस0डी0एम0 द्वारा जाँच होती थी, हमने यह कर दिया है कि प्रदेश के किसी आवंटन के संबंध में जाँच कम से कम अपर जिलाधिकारी करेगा। जाँच के संबंध में तहसीलदार और एस0डी0एम0 को जिम्मेदार माना है।

मान्यवर, हमने गरीबों के लिए यदि जमीन उपलब्ध नहीं है। हम दलितों, मजदूरों और गरीबों के लिए आवास हेतु जमीन का अधिग्रहण करके ऐसे गरीबों को जमीन उपलब्ध करायेंगे। हमने प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अधिकारियों की पोस्टिंग किया है। प्रदेश में केन्द्र सरकार के अधिष्ठान, राज्य सरकार के अधिष्ठान आज भी हैं।

गरीबों के लिए आवास की आवश्यकता है, और उद्योगों के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, राजस्व विभाग जमीन अधिग्रहित करके सभी चीजों के लिए उपलब्ध करा रहा है। एक उद्देश्य रहता है कि जहां पर जमीन मिले वहां प्रदेश के गरीब किसानों को न्याय मिले, जमीनों का उचित मूल्य मिले इसके लिए एक नयी व्यवस्था की है। कोई भी विभाग है अगर उनको जमीन की आवश्यकता है तो आपस में सहमति से कराकर करके करार नियमावली के तहत समझौता कर भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, और अब इस तरह से किसानों को जमीनों की कीमत ठीक तरह से मिल जाती है। मान्यवर, और इस प्रकार से इस योजना के तहत हमने किसानों को उसकी भूमि का उचित मूल्य दिलाने का काम किया है। नोयडा और ग्रेटर नोयडा में किसानों और अर्जन निकाय के बीच हुए समझौते के आधार पर किसानों को उसकी भूमि का उचित मूल्य प्रदान किया है, इस प्रकार अब किसानों को करार नियमावली के अन्तर्गत उसे उसकी भूमि का मूल्य प्राप्त हो रहा है। जिससे किसानों को अब कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश में चकबन्दी का भी काम करता है। चकबन्दी का काम सन् 1954 में शुरू हुआ था और इस चकबन्दी योजना के तहत यह प्राविधान किया गया था जो किसानों की छोटी-छोटी जोतें हैं, जो इधर-उधर होती थी, जिससे किसानों को सिंचाई में असुविधा होती थी, उसको एक ही स्थान पर इकट्ठा कर दिया गया जिससे किसानों को इस असुविधा का सामना न करना पड़े। आज प्रदेश में 8881 गांव चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं, जिनमें चकबन्दी का कार्य हो रहा है। पिछले कुछ समय में प्रदेश के जनपदों के तमाम रिकार्ड जला दिय गये, या खो गये हैं और इसके कारण बहुत से मामले उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े थे जिससे 20-20, 25-25 सालों से वहां चकबन्दी नहीं हो पाई थी उसका निस्तारण करने के लिए हमने यह व्यवस्था की है कि अब किसी भी गांव 10 साल से अधिक चकबन्दी का कोई मामला लम्बित नहीं रह सकेगा, और 10 साल के अन्दर ही उस गांव की चकबन्दी पूरी कर ली जायेगी इस प्रकार सरकार ने चकबन्दी की प्रक्रिया द्वारा इस समस्या का निस्तारण किया गया है। जिससे शीघ्रातिशीघ्र चकबन्दी की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाय। मान्यवर, इस प्रक्रिया के तहत 1-4-2000 से 31-3-2000 तक सी0ओ0 स्तर तक 2 लाख, 54 हजार, 809, एस0ओ0सी0 स्तर तक 61617 एवं डी0डी0सी0 स्तर तक 33711 रिवीजनों का निस्तारण किया गया है। धारा 23 के अन्तर्गत लक्ष्य 1493000 हेक्टेअर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 31-3-2001 तक 31088 हेक्टेअर जमीन के मामले निस्तारित किये जा चुके हैं।

मान्यवर, 10 वर्ष से पुराने गांव जहां पर चकबंदी नहीं हो पायी है ऐसे 2892 गांवों को चकबंदी से बाहर किया है। इसी तरह से 10 वर्ष पुराने जो पट्टेदार थे उनको हमने भूमि का अधिकार देने का काम किया है। 64838 पट्टों मे से 57301 पट्टेदारों को संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार दिया गया है। मान्यवर, जिन लोगों ने चकबंदी विभाग में चकबंदी के काम में शिथिलता बरती है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम किया गया है। 227 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है और 114 लोगों के खिलाफ विभिन्न प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है। हमने 2001-2002 का लक्ष्य निर्धारित किया है। सी0ओ0 के स्तर पर यह 346500 का लक्ष्य रखा गया है और एस0ओ0सी0 के स्तर पर 72 हजार अपीलों के निस्तारण का लख्य रखा गया है। डी0जी0सी0 के स्तर पर 337 अपिलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, इसी तरह से 26 को ए0एस0ओ0सी0 के पद पर प्रोन्नति किया जा रहा है। 101 ए0सी0ओ0 को प्रोन्नति किया जा रहा है और 731 चकबंदी कर्ता प्रोन्नत किये जा रहे है। 168 नये ए0सी0ओ0 जो कमीशन से आये थे उनको नियुक्त किया जा रहा है। इसी तरह से ए0सी0ओ0को सी0ओ0 के पदों पर प्रोन्नत करने जा रहे हैं जिससे कि इस विभाग का कार्य ठीक से हो सके। मान्यवर, राजस्व विभाग जिला गजेटियर का काम भी देखता है। प्रदेश के जनपदों की क्या संस्कृति है, क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं आदि की सूचना एकत्रित करके प्रकाशित करने का काम यह विभाग करता है प्रदेश के 54 जनपदों का गजेटियर तैयार करके प्रकाशित किया जा रहा है। इसको हिंदी भाषा में करने का काम किया जा रहा है और कुछ और जनपद भी इसमें लिये गये हैं।

मान्यवर, राजस्व विभाग/अन्य विभागों के भी कार्य करता हैं। लेकिन फिर भी राजस्व विभाग गरीबों और गांव में रहने वाले 75-80 प्रतिशत लोगों के हित के लिये कार्य करता हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों जिन्होंने मेरी बजट पर चर्चा को ध्यान से सुना है, धन्यवाद देता हूँ और अपने विभाग से जुड़े हुये अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जनता के हितों के लिये, गरीब, मजदूरों के हित में काम किया है और बजट तैयार करने में जो सहयोग दिया है उन सबके प्रति धन्यवाद देता हूँ, वह बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपको आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत किया मुझे कहने में कोई संकोच नही कि अधिकांश सदस्यों को ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री जी की स्पीड बहुत ज्यादा है। कितने मामलों का निस्तारण किया गया क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई कुछ सुविधाएं हाथ आई कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आई। दूसरे यह कि यह जो बजट के आंकड़े दिए गए और वित्त मंत्री जी ने बजट के आकड़े प्रस्तुत किए यह सब मिलाकर आंकड़ों की बाजीगरी ही लगता है। यह विपक्ष के सदस्यों का तो आरोप है ही सत्तापक्ष के सदस्य भी दबे मन से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरे राज्य योजना आयोग और केन्द्रीय योजना आयोग ने भी आपके आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं माना। दैनिक जागरण में 7 मई को खबर छपी कि 84 अरब की योजना के शत फीसदी उपयोग पर योजना आयोग को संदेह केन्द्र सरकार ने भी संदेह व्यक्त किया है जिसकी वजह से कई योजनाओं पर कटौती की गई। नवीं पंचवर्षीय योजना के चार साल में 66-67 प्रतिशत से ऊपर योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। इसका कारण यह है कि आज भी राज्य सरकार के पास वित्तीय साधन जुटाने के लिए ठोस उपाय नहीं। जो आया वह पेंशन वेतन भत्ते व ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रति व्यक्ति आय यहां घटी है। विकास दर घटी है। यही नहीं वित्त मंत्री जी ने भी इनके आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने कटौती कर दी। वर्ष 1999-2000 में 285 करोड़ वर्ष 2000-2001 में 250 करोड़ और वर्ष 2001-2002 में यह घटकर 190 करोड़ है। राष्ट्रीय सहारा में खबर छपी कि गरीब होता जा रहा है प्रदेश राष्ट्रीय औसत आय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 9,439 रुपए हैं। जबकि उ0प्र0 में प्रति व्यक्ति आय का औसत 5890 रुपये है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना मात्र अखबार के आधार पर है।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

सरकार ने जो अखबारों में स्वीकार किया है वही अखबारों में छपा है।

श्री अधिष्ठाता-

अखबार में छपी खबर का संज्ञान नहीं लिया जाता।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

सरकार ने मीडिया के माध्यम से जो बात रखी वही मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ।

"उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य वित्तीय आपदा की ओर"। अर्थ शास्त्रियों का मानना है कि ऐसी स्थिति में पूरे देश में बिहार के बाद हमारा दूसरा नम्बर है। कारण यह है कि आपकी सरकार की वित्तीय समिति ने कहा है कि सरकार के प्रशासनिक व्यय का खर्चा सौ गुना बढ़ा है। इसके अलावा एक कारण ग्रह भी है सरकारी विभाग आपके अनुदान के 15 अरब हड़प चुके हैं जिसे अभी तक जमा नहीं किया गया है। मान्यवर, इस देश में 80 प्रतिशत जनता गाँव में निवास करती है और 72 प्रतिशत काश्तकारी पर निर्वाह करती है। 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है। विशेषतौर से इन्हीं काश्ताकारों को सहायता, सुविधा और समर्थन उपलब्ध कराने के लिए राज्य का मुख्य कार्य है और उसके

लिए योजनायें बनाई जाती है। कृषि भूमि सुधार के अंतर्गत एक लेट जोंस्की नामक विशेषज्ञ ने कहा था भूमि पर काम करने वालो को ही उसका मालिक होना चाहिए या फिर उसे काश्तकार के रूप में सुरक्षित माना जाना चाहिए।

पूर्व प्रधान मंत्री और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने भी जमींदारी उन्मूलन एक्ट के समय कहा था कि काश्तकारी पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए कि वे अपनी भूमि पट्टों पर न दें। सरकार ऐसी नीति बनाये सुविधायें उपलब्ध कराये तो उत्पादन भी बढ़ेगा। हमारे देश में दुनियां के बाकी देशों से ज्यादा लगभग 60 प्रतिशत भूमि पर खेती होती है और देशों में केवल 10 प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। गतवर्ष हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने बजट के समय बहुत सारी घोषणाये की "कि जनता की सरकार जनता के द्वार पर" पहुँच चुकी है। चकबन्दी वाद का निपटारा सात दिन में कर दिया जायगा। दैवीय आपदा पर शाम तक राहत पहुँच जायेगी यही नहीं 99-2000 के भाषण में कहा गया था कि 30 जून,99 तक नाजायज कब्जे हटा लिये जायेंगे। मंत्री जी ने यह भी वादा किया था कि जिन काश्तकारों का मुआवजा रूका पड़ा है उसमें 15 प्रतिशत प्रतिकर बढ़ाकर दिया जायगा। आप मुआवजा काश्तकारों को समझौते के तौर पर अदा करने की बात कर रहे हैं। 15-15 जिले बनाये जाने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, अंग्रेजों ने हमारे देश में एक साजिश रची थी कि सबसे ज्यादा जनता देहात में रहती है इसलिए उस जनता को गुलाम बनाना जरूरी है इसलिए उसने लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट 1864 बनाया और फिर लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1872 बनाया जिसके तहत किसानों को ट्रस्टी माना, मालिक नहीं। लेकिन आप भी आज तक किसानों को उनकी जमीन का मालिक नहीं बना पाये हैं। इसी एक्ट पर आप भी अपनी नीति निर्धारित कर रहे हैं। जब तक किसान मालिक नहीं बनेगा उसको आप सुविधायें मुहइया नहीं करायेंगे वह भूमि पर तनमन धन से कार्य नहीं करेगा। उसको आप बिजली, पानी, खाद समय से उपलब्ध कराइये इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। हमारा पड़ोसी देश है चीन वहाँ की स्थिति और अपनी स्थिति के बारे में देखिये। हमारे देश में 81करोड़ एकड़ भूमि में से 54 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है और हम पैदा करते हैं 20 करोड़ टन जबकि चीन में 250 एकड़ में से मात्र 25 करोड़ एकड़ पर खेती होती है जिसमें 25 करोड़ एकड़ भूमि पर वह मात्र 10 प्रतिशत पर खेती करते हैं। 25 करोड़ एकड़ भूमि पर 55 टन पैदा करते हैं और हम यहाँ 54 करोड़ एकड़ पर 20 टन पैदा कर पाते हैं। कारण क्या है कि हमारी पैदावार कम क्यों है। हमारा किसान क्यों पिटता चला जा रहा है। सरकार आँकड़े देकर खुश हो जाती है और उपलब्धता के आँकड़े क्या देती है। इनके कार्यक्रम कितने क्रियान्वित होते हैं। हकदार को उनका हक कितना पहुँचता है। आप बिजली में कितनी वृद्धि दे पाते हैं, नहर में पानी कितना दे पाते हैं, राजस्व की वसूली क्या है, सही मायने में जो जिसकी जमीन है वह उसके पास नहीं है, लोग उस पर नाजायज कब्जा किये बैठे हैं और आप कब्जा कराने में नकामयाब हैं। आप आँकड़े तो दर्शाते हैं लेकिन उसको क्रियान्वित करने में कोई कोशिश नहीं करते हैं कि आपकी योजनाएं क्या हैं, आपकी उपलब्धि क्या है। इसको बताने की आप जरूरत महसूस नहीं करते। इन्हीं सब बातों को देखते हुए समय समय पर कई कानून नियम पास होते गये हैं। जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 में, चकबन्दी अधिनियम, 1954 में और हथबन्दी अधिनियम-1969 में लागू हुआ।

इस हदबन्धी अधिनियम में यह तय हुआ कि 40 एकड़ से ज्यादा एक काश्तकार के पास भूमि नहीं होगी। इस आधार पर 250 लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त बचनी चाहिए थी लेकिन बची मात्र 14 लाख एकड़ भूमि। उसके बाद सीलिंग एक्ट 1972 में बना जिसमें 2.72 लाख एकड़ भूमि बचनी चाहिए थी लेकिन मात्र एक लाख एकड़ भूमि पर हम कब्जा कर पाये। घाटा बढ़ा चला जा रहा है। नाजायज कब्जों को हटाने में आपकी सरकार सक्षम नहीं है। भूमाफियाओं, गाँव के लठैतों जो नाजायज कब्जे कर लेते हैं और जिनसे किसी प्रकार का राजस्व, लगान या और कोई आय जो सरकार को होना चाहिए थी वह नहीं मिल पाती है और न ही आप उनसे वसूल पाने में सक्षम हैं। आप उनके सामने बेबस हैं। समाचार पत्रों ने एक आइना दिखाने की कोशिश की है। "घाटे में चल रही सरकार के खर्चे शाही" 16 अक्टूबर को एक समाचार पत्र में

छपा था। राजस्व वसूली के आँकड़े दिये हैं। भूराजस्व 99 में 81.2 2000 में 36.1, राज्य आबकारी शुल्क 99 में 46.6 2000 में 43.6, गन्ने पर क्रय कर 99 में 31.23 और 2000 में 24.3, मोटर स्प्रिट पर बिक्रीकर 40.30 99 में और 2000 में यह 09.9 और इसी तरह से मोटर वाहन/यात्री कर 1999 में 41.1 2000 में 38.5 हर जगह राजस्व की आय में घाटा हो रहा है और खर्च बढ़ रहे हैं। गलत नीति के कारण करोड़ो रूपये के राजस्व की क्षति हो रही है। यह सब अखबार भी छाप रहे हैं और जनता जान रही हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। खर्चो का यही हाल रहा तो आपका दिवाला बैठ जायेगा। आप सदन में घोषणा करते हैं कि तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को आपने प्रमोशन दे दिया। आज भी इस सरकार में जिस मशीनरी के ऊंपर राजस्व वसूली की जिम्मेदारी है और आज की जो नीति और नियम है उसके अनुसार 40 प्रतिशत आज भी नायब तहसीलदारों की कमी है। 30 प्रतिशत राजस्व निरीक्षक और 20 प्रतिशत लेखपाल और संग्रह अमीनों की आपके स्टाफ में कमी है। स्टाफ की कमी है। स्टाफ के पास सरकारी गाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं तो आपको राजस्व कैसे वसूल होगा। घाटा कैसे मिटा पायेंगें, यह समझ पाने में मैं खुद तो असमर्थ हूँ और प्रदेश की जनता भी समझ पाने में असमर्थ है। एक बात समझ में नहीं आती कि हमारी सरकार की नीति है कि हम बाहर देश से तो आयात गेहूँ, चावल का कर लेगें लेकिन अपने हमारे जो कास्तकार हैं उसको अपने पड़ोस के प्रदेश में अपने उत्पादन को ले जाने की मनाही है। आप उसको अपने उत्पाद को दूसरे प्रदेश में नहीं ले जाने दे सकते हैं और उस पर डंडा यह है कि समर्थन मूल्य सरकार तय करेगी समर्थन मूल्य दिलाने में यह आप समर्थ नहीं है बिचोलिये किसानों को लूट रहे हैं। सदन में यह बहस हुई कि धान क्रय केन्द्र में लूट हुई, जिस तरह से धान क्रय केन्द्र में लूट हुई उसी तरह से गेहूँ क्रय केन्द्र पर लूट हो रही है यह सरकार बिचौलियों पर काबू नहीं कर पा रही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि किसान उत्पादन करता है लेकिन वह अपने उत्पादन का मूल्य खुद नहीं लगा सकता है, खुद बेच नहीं सकता है, समर्थन मूल्य आप तय करते हैं, अगर आप समर्थन मूल्य तय करते हैं तो आप उनको दिलवाइए भी, बीच के लोग किसानों को लूट रहे हैं इसको आप खत्म कराईए। श्रीमन मेरे क्षेत्र में एक-एक क्रय केन्द्र पर 20 लाख की खरीद की जा चुकी है पी0सी0एफ0, एस0एफ0सी0, एफ0सी0आई0 आदि के माध्यम से। चार-पांच लाख रुपया एक केन्द्र पर पहुँचा है बैंक वाले चेक वापस कर रहे हैं। इसको आप देखिए, गरीब काश्तकार जिसका मैंने जिक्र किया 50 प्रतिशत लघु किसान हैं वह जो अपनी जमीन पर फसल उगातें हैं उसी फसल पर वह अपने बच्चों की शादी तय करते हैं और इस तरह से तारीख तय करते हैं कि फसल के पैसे से शादी हो जाए, लेकिन बैंक में पैसा नहीं है किसी किसान के बच्चे की शादी की तारीख तय है वे किसान अब क्या करे। क्या सरकार ने इसकी चिन्ता की है सरकार को विशेष तौर से नीति बनानी चाहिए ताकि किसानों को सही वक्त पर पैसा मिले, सही वक्त पर फसल का मूल्य दिलाने का प्रयास करना चाहिए।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में सरकार ने एक ऐसा नियम लागू कर रखा है पड़ोसी प्रदेश को आप देखें गुजरात, महाराष्ट्र में कई साल से लगान आबपासी माफ कर दी गई है। हमारे यहां काश्तकार से संबंधित जो चीजें हैं उसमें माफी का खाना नहीं है लेकिन उसके उपयोग की जो चीजें हैं बिजली है डीजल है, बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं, डीजल की कीमतें साल में तीन-तीन बार बढ़ा दी, इसमें आपको भी करोड़ों के राजस्व का घाटा हुआ, आपने डीजल पर व्यापार कर की छूट खत्म कर दी, काश्तकार ने दिल्ली हरियाणा पड़ोस के प्रदेशों से लेना शुरू कर दिया या यूँ कहिए कि बिचौलियों ने बेचना शुरू कर दिया, अगर यहां डीजल पर छूट देते तो छूट के बाद भी आपको करोड़ो का राजस्व मिलता, अब डीजल चोरी से दूसरे प्रदेशों से आ रहा है यह नीति आपकी समझ मकें नहीं आई आप किस तरह से किसान को लाभ पहुँचा रहे हैं। आपने करोड़ों के राजस्व की खुद की हानि की। श्रीमन किसान बही का बार-बार उल्लेख होता है पिछले बजट की चर्चा के दौरान इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को बही अब तक नहीं मिली है माननीय जगदीश नारायण जी का नाम लेना चाहूँगा नाम लेने में मुझे संकोच नहीं है इन्होंने

आरोप लगाया कि उन्हें अपनी किसान बही अब तक नहीं मिली है। करोड़ो की किसान बही का जिक्र करते हैं भाषण में मौजूद है कि क्या उपलब्धि है 2 करोड़ 41 लाख किसान बही दी। किसानों के अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत करा रहे हैं यह प्रधान के यहां खतौनी लेजाकर रख रहे हैं इससे किसानों की जरुरत पूरी नहीं हो रही है आंकड़े गिनाने से सरकार नहीं चलेगी मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जाते की जमीनें समिटती जा रही है सड़कों के निर्माण के लिए, कालोनियों के लिए जोत रकबा कम हो रहा है काश्तकार छोटा हो रहा है, पार्ट जमीन का बैनामा नहीं होगा आपने यह प्रतिबन्ध लगाया है। मैं सवाल करना चाहता हूँ जो छोटे काश्तकार हैं एक हैक्टेयर से कम भूमि है उसको अपने बच्चे की शादी करनी है वह जमीन बेचना चाहता है और आपने प्रतिबन्ध लगा दिया, कौन उसको कर्जा देगा? उसकी जमीन बिक नही सकसती है, आप छोटे किसानों से कितनी हमर्ददी रखते हैं?उसकी आप कितनी मदद करेंगे? इस सरकार की कोई हमदर्दो नहीं, संवेदनशीलता नहीं है। यह झूठे आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं। इससे किसानों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि अंग्रेजों ने 1894 में इस देश के लिए एक नीति बनायी थी लेकिन वह लागू नहीं हो पायी। हमारी सरकार में अगर जरा भी संवेदनशीलता है, गॉव के लोगों के प्रति जहॉ भी संवेदनशीलता है तो इस पर विचार कर लें। उसमें यह था कि जमीन खरीदने के लिए चार प्रतिशत लोन दिया जायेगा और उसकी रिकवरी 30 वर्षो में की आय और उसकी ब्याज की सीमा कभी भी मूलधन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको आप लागू करें। मान्यवर, एक चीज और कहना चाहूँगा कि बैंक लोन देता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए, इण्डस्ट्री लगाने के लिए, 20 इण्डस्ट्री लगी है तो इक्कीसवीं लगाने के लिए भी देता है और दूसरे कामों के लिए भी देता है लेकिन वह काश्तकार जो मेरूदण्ड प्रशासन कहा जाता है उस काश्तकार को जमीन खरीदने के लिए लोन नहीं दिया जाता है।

इसमें यह व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था बनायें कि जो काश्तकार खेती में दिलचस्पी रखता है, जो अपनी जमीन बढ़ाना चाहता है उसको जमीन खरीदने के लिए, जैसे इण्डस्ट्री वालों को इण्डस्ट्री लगाने के लिए दिया जाता है वैसे ही उसको लोन मिलना चाहिए। राजस्व न्यायालय का बड़ा ही बढ़ चढ़ कर जिक्र आया। मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि जिन आंकड़ों को केन्द्र सरकार और योजना आयोग ने मानने से इंकार कर दिया है मैं उनपर विश्वास कैसे कर लूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजस्व न्यायालय की इतनी लम्बी प्रक्रिया है चाहे जेड0ए0एल0आर0 के कैसेज हो या फिर चकबन्दी के कैसेज हो, चकबन्दी के कैसेज में देखें पहले ए0सी0ओ0 के पास, फिर सी0 ओ0 के पास, फिर एस0ओ0सी0 के पास फिर डी0डी0सी0 के पास से होता हुआ हाई कोर्ट में जाता है तो वह काश्तकार जो अपनी जमीन के हित के लिए लड़ रहा होता है वह बुढढा हो जाता है लेकिन उसको अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। इसी तरह से जेड0ए0एल0आर0 और एल0आर0 में पहले तहसील में, फिर एस0डी0एम0, ए0डी0एम0, कमिश्नर और फिर हाईकोर्ट से होता हुआ राजस्व परिषद तक पहुँच जाता है। कभी-कभी किसी केस में 40 साल तक लग जाते हैं। तो क्या आप इस प्रक्रिया को सरल नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी नीति बनायें जिससे जो जमीन के अधिकार के लिए व्यक्ति लड़ रहा है उसको जल्दी न्याय उपलब्ध हो सके। मान्यवर, 122 बी जो जेड0ए0एल0आर0 का है उसमें ग्राम समाज में यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर लें। वह यह 122 बी लागू हो गया और आपने डिसीजन दे दिया तो उसको बेदखल कर देते हैं लेकिन जिस दिन गॉव सभा पर कोई दिवार बनाकर खड़ा कर देता है आप उसको खाली नहीं करवा सकते हैं। उसमें सिविल लीटिगेशन शुरू हो जाता है और वह आपके अधिकार क्षेत्र से वह व्यक्ति बाहर हो जाता है चूंकि आप कानून मजबूर हैं, इसलिए वह पचास सौ सालों तक उसका जबरदस्ती मालिक हो जाता है। तो कृपया करके इन चीजों पर विचार करें। मान्यवर, ऐसी कोई नीति निर्धारित कीजिए ऐसा कोई संशोधन करके लायें जिससे सरकार को काम करने में सहायता मिले और गरीब आदमी को सहायता पहुँचे। मान्यवर, जो 229 बी0जेड0एल0ए0आर0 में और दूसरे 33/39 हैं तो दोनों में लगभग एक ही तरह

की प्रक्रिया है वह अपना अधिकार कब्जा माँगने जाता है 33/39 में, एक पार्टी जब बात नहीं बनती है तो 229 बी0 में चली जाती है, 33/39 में दूसरी पार्टी जाकर मुकदमा शुरू कर देती है तो यह असमानता है जिससे न्याय नहीं मिलता तो कानून में जो लचक पैदा करने के लिए दरारें नजर आती हैं उनको भरने की कोशिश करें। मंत्री जी तो उस जिले में आते हैं जहाँ किसान सम्पन्न है और प्रदेश में कृषि का गौरव बढ़ाया है और आपके पड़ोस से ही किसान यूनियन बनी है। धारा-27 जिसके वाद चकबन्दी में कब्जा दिया जाता है और धारा-52 के बीच में कितना समय लगता है और उस बीच में कितने नये विवाद पैदा हो जाते हैं कोर्ट से स्टे ले आते हैं 10-20 साल कोई लीमिट नहीं है। आपने चक दिया है चकबन्दी कराके धारा-27 मे कब्जा कराया है धारा-52 के लिये वह लड़ता रहता है लेकिन उसको हक नहीं मिलता है तो धारा 27 और 52 के बीच लगने वाले लम्बे समय को समाप्त करने की कोई नीति बनायें।

आपने कहा कि 10 साल के अंदर चकबन्दी से अछूता गाँव हैं उनको टेकअप किया है हमारे यहाँ लाल टीका न्याय पंचायत है उसमें दौलतपुर, घौंडा मुस्तहकम नोवा नंगला, मानपुर पट्टी हृदयपुर आदि गांव हैं 10 साल से इस पर प्रयास कर रहे हैं 4 साल से पहले प्रपोजल आपकी सरकार में आया है जिले से चकबन्दी के लिए कोई प्राथमिक प्रक्रिया नहीं शुरू की गयी है। चकबन्दी कमिश्नर के यहाँ 4 साल से मामला पेन्डिंग है। मान्यवर, मैंने आपका पिछला बजट भाषण पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि 30 जून, 99 तक नाजायज कब्जे हटवा देंगे। अपने जिले का ही आप बता दें कि वहाँ नाजायज कब्जे हटवा दिये हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने तो अपने जिले में बिजली का रिकार्ड तोड़ दिया 24 घंटे बिजली देने का। अगर आप कह दें कि बुलंदशहर में नाजायज कब्जे सभी हटवा दिये हैं तो हम खुशी मान लेंगे लेकिन आप असमर्थ हैं क्योंकि जो बाहुबली है आपकी सरकार में आपके और सहयोगी दलों से आपके नाम पर दादागीरी करते हैं और उनका नाजायज कब्जा है आपके अफसर बेबस हैं कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। कमसे कम आप किसी बात में समानता तो लाये। इस चीज को लागू करायें जब तक आप इसमें निष्पक्ष होकर कार्यवाही नहीं करायेंगे तब तक क्या बात बनेगी। बकायेदारों की बात बार-बार इस सदन में माननीय सदस्यों की तरफ से कही जाती है बड़े बकायेदारों में आपने कितनों को बंद कर दिया जिनके ऊपर 4-4, 5-5 हजार रूपये का बकाया है उनको आप 14-14 दिन बंद कर देते हैं फिर जब वे लोग छूट जाते हैं तो फिर अगले साल बंद होने की तैयारी हो जाती है पैसा देने के लिए उनके पास होता नहीं है और दूसरी ओर जिनके ऊपर 10 लाख का बकाया होता है आपके अधिकारी लोग उनके यहाँ बैठकर मुर्गा खाते हैं शराब पीते हैं और नीति निर्धारित करते हैं कि बकायेदारों से वसूली के लिए कैसी नीति बनायी जाये। मान्यवर, अगर आप बड़े बकायेदारों को वसूली करेंगे तो 20 बकायेदारों को रोटी नहीं खिलानी पड़ेगी और एक ही में आपके राजस्व की ज्यादा वसूली हो सकेगी। आप बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसिये और अधिकारियों पर भी अंकुश रखिये। अभी नाजायज कब्जों की बात आयी इसी हफ्ते में हमारे क्षेत्र में रफातपुर में जगवीर सिंह, विजयबीर सिंह,मुरारी सिंह आदि हैं उनका पिछली बार पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ है और वहाँ रिपोल हुआ उन लोगों ने गाँव समाज के पड़ोस के गांव भैंसिया में लगभग 1 एकड़ की जमीन, लगभग 5 बीघे के करीब भूमि पर कब्जा कर रखा हैं 3-4 साल से जब से आपकी सरकार बनी है और कब्जा करने के बाद उसने पहले हैण्डपम्प लगवाया और उसके बाद उसमें छप्पर-झोपड़ी डाली और इस बार उन्होंने उसकी बाउण्ड्री भी करा दिया। गाँव सभा के प्रधान पूरा गाँव मारा मारा फिर रहा है आपके यहां कमिश्नर के यहाँ, डी0एम0 के यहाँ दरख्वास्त देते देते परेशान है लेकिन कोई भी अधिकारी नाजायज कब्जा हटवाने को तैयार नहीं हैं । यह मैं आपकी कार्यप्रणाली को चैलेन्ज कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, इसको हटवाकर दिखवाइये तो मैं मान लूँगा कि आपने दूसरी जगह भी कब्जा हटवायें होगें। अब मान्यवर, कमीं क्यों आती हैं, राजस्व वसूली में घाटा क्यों हो रहा है,आपके नियम कानून का पालन क्यों नहीं होता? एकबात मैं मानता हूँ कि आपके राजस्व अधिकारियों को बहुत से काम दे दिये गये हैं राशन की दुकान का आवंटन उसको सस्पेन्ड करना, बहाल करना, इलेक्शन करवाना सभी तरह के काम है। यह वाकई नियम के विरूद्ध

हैं, मैं सहमत नही हूँ इससे आपके विभाग का काम वाकई प्रभावित होता है और मेरी तो राय यह है कि आपके मुकदमों के निस्तारण के लिए अलग से राजस्व अधिकारी नियुक्ति हों, तहसील में, जिले में जिस स्तर पर आप उपलब्ध करा सकते हों, वह सिर्फ मुकदमों की सुनवाई करें और उसका निस्तारण करें ताकि वादों की संख्या घटे और एस0डी0एम0 से यह राशन की दुकानों का कार्य वापस ले लेना चाहिए क्योंकि वह कर्मचारी/अधिकारी आपके विभाग के हैं चीनी की दुकान सस्पेण्ड करने, बहाल करने और एलाट करने का काम इनसे ले लेना चाहिए लेकिन वहाँ पर इनकी फौरन आमदनी होती है जैसे इनके आदमी ने कहा कि 5 दुकानों का पैसा आ गया उसको बहाल कर दीजिए और जिसने पैसा नहीं दिया उसको सस्पेण्ड कर दीजिए तो जब उन्हें एक आमदनी का काम मिला हुआ है तो वह आपके काम में दिलचस्पी नहीं लेगें। इनको राजस्व का काम करना चाहिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइये।

मान्यवर, ठीहाबंदी/हदबन्दी को लीजिए। किसान की दरख्वास्त पर एस0डी0एम0 आदेश कर दें तो भी तहसील का कर्मचारी वहाँ नहीं जाता है और कहता है कि ठीहाबन्दी क्यों नहीं करा लेते? वह बड़ी लम्बी प्रक्रिया है 5-10 साल लग जाते हैं। मान्यवर, आपका भी न्यायालय से संबंध है आप अच्छी तरह से समझते हैं कि छोटा कास्तकार उसकी ठीहाबन्दी को नहीं करा सकता तो ठीहाबन्दी और हदबन्दी को इस प्रकार से बनाइये ताकि कास्तकार को आसानी से जमीन मिल सके। इस पर गम्भीरता से सोंचे।

मान्यवर, आज सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं बची, चकबन्दी हो गयी जमीन बची, जो सीलिंग में बची जो ग्रामसमाज की पहले से थी लेकिन उनका आवंटन कर दिया गया। अब जब स्कूल स्वीकृत होते हैं तो जमीन नहीं उपलब्ध होती है। पैसा जाता है 2-2, 3-3 बार लेकिन जमीन की कहीं से गाँव में स्कूल नहीं बन पाता, पंचायत भवनों के लिए जमीन नहीं उपलब्ध है, अस्पताल स्वीकृत हो जाते हैं तो उसके लिए जमीन नहीं उपलब्ध है छोटे कास्तकारों के पास इतनी जमीन नहीं है कि वह जमीन दे सके। आप गम्भीर रूप से विचार करके पैसा भी स्वीकृत करते हैं बजट में, लेकिन जमीन न उपलब्ध होने से उसका लाभ नहीं मिल पाता है तो ऐसी कोई योजना बनाये जिससे सार्वजनिक उपयोग की भूमि भी उपलब्ध हो सके ताकि सामुदायिक विकास के कार्य हों, उनके लिए जगह उपलब्ध रहे।

भूमि जाँच आयोग ने 1974 में एक रिपोर्ट दी थी, काश अगर वह लागू हो गई होती तो आपकी 90 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो गया होता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उस रिपोर्ट पर आप विचार करें, अपने विशेषज्ञों से विचार करा लें। यह रिपोर्ट इस प्रदेश की गरीब जनता के हित में हैं, जनभावनाओं के हित में हैं, इसको आप लागू करने का कष्ट करें, इससे आपके बहुत से संकट का समाधान हो जायेगा।

मान्यवर, परिसीमन की बात कहकर अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। बार-बार उपलब्धि गिनाई गई कि 5 मंडल बना दिये, 15 जिले बना दिये, लेकिन देखने की यह बात है कि इससे जनता को क्या फायदा पहुँचा, आपको क्या फायदा पहुँचा? मान्यवर, आपने एक जे0पी0 नगर बना दिया। इस जे0पी0 नगर के बन जाने से क्या हुआ? पहले जो किसी व्यक्ति को मुरादाबाद हेड क्वार्टर जाने के लिये 60-70 किमी0 जाना पड़ता था, अब उसे हेडक्वार्टर आने के लिये 90 किमी0 जाना पड़ता है। इसी प्रकार एक श्रावस्ती जिला बना, माननीय रामतेज जी ने कई बार सदन में इसका मामला उठाया है। नेपाल बार्डर पर इस जिले का मुख्यालय बनाया गया है। यहाँ का भी यह हाल है कि किसी व्यक्ति को अपनी दरख्वास्त देने के लिये, डी0एम0 से मिलने के लिये, एस0डी0एम0 से मिलने के लिये 80-90 किमी0 चलकर जाना पड़ता है। तमाम उपलब्धि गिनाई है आपने। आपने उत्तराचंल भी तो बना दिया, उसे क्यों गिनाना आप भूल गये, इसे भी आप अपनी उपलब्धियों में रखिये। संसदीय कार्य मंत्री यहाँ मौजूद नहीं है, वरना उनसे कहूँ, उत्तराचंल क्यों भूल गये? यदि माननीय मंत्री जी जरा सोच से काम लेते और आप ही मशविरा दे देते, यह तो आपके भले की ही चीज थी, इसमें सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद,. बरेली और आगरा मंडलों को जुड़वा

देते तो इससे आपकी 3 समस्याओं का समाधान हो जाता। एक तो हरित प्रदेश का आन्दोलन समाप्त हो जाता, जो आपके सामने समस्या के रूप में आने वाला है और दूसरा फायदा यह होता कि संसदीय कार्य मंत्री या फिर आप ही वहाँ के मुख्य मंत्री बन जाते। आपका प्रोमोशन हो जाता। यह उपलब्धि आप गिनाते नहीं। आपने जो कुछ गिनाया, उससे शासन को क्या फायदा दिया? अब तक कितने जिलों के हेडक्वार्टर बना दिये। आपने कहा कि 66 लाख रूपया सबको दे दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि केवल 8 जिला मुख्यालयों को 66-66 लाख मिला है, जबकि एक जिला मुख्यालयय के लिए 200 करोड़ रूपये की लागत आती है। इस 66 लाख से तो केवल डी0एम0 का कार्यालय ही बन पायेगा और इस हिसाब से 20 साल तक भी जिला मुख्यालय नहीं बन पायेंगें, क्योंकि आपके पास धन है ही नहीं और कास्ट हर साल लगातार बढ़ती ही जायेगी, इसलिये यह कोई उपलब्धि नहीं है।

यदि आप वास्तव में उपलब्धि करना चाहते हैं तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आपने एक कांठ तहसील बनाई और साल भर के बाद उस तहसील को आपको खत्म करना पड़ा और आपने फिर उसको मुरादाबाद सदर तहसील में जोड़ दिया। मैं नहीं जानता, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे न कोई उससे नुकसान है, न कोई फायदा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर विचार करना था तो मुरादाबाद सदर तहसील जिसमें 4 विधान सभा क्षेत्र आते है एक जिले के बराबर इसी के पास रामपुर जिला है, जिसमें चार विधान सभा क्षेत्र हैं। उसको अलग करने की बात की होती तो ज्यादा अच्छा होता। मेरा प्रस्ताव है कि मुरादाबाद की तहसील को अलग किया जाय। आप भोजपुर के नाम से नई तहसील बनाइये और उसमें भगतपुर, मूड़ापांडे ब्लाक आदि शामिल हो जायें, कहने का मतलब यह कि वहाँ दो तहसील हो जायें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह जनता को सुविधा देने की बात है, आप इस पर विचार करें और भोजपुर के नाम से नई तहसील बनायें।

इसी के साथ एक छोटा सा सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में 5 गाँव ऐसे हैं जो कोसी नदी के पार पड़ते हैं। जिन तक जाने का रास्ता, मेरे लिये, आपके लिये, आपके प्रशासनिक अधिकारियों के लिये भी रामपुर नगर के बीच से होकर है कोई अन्य रास्ता नहीं, रामपुर नगर में होते हुए, फिर सीआरपी हेड क्वार्टर हेतु और काफी घूम कर जाने पर उन 5 गाँवों में पहुँचा जाता है। मान्यवर, 1992 में बाढ़ आई, उस समय बी0एन0 गर्ग वहां के डी0एम0 थे, दो दिन तक तहसील वाले राहत बाँटते रहे, 4 मीटर तक नेशनल हाईवे पर पानी हो गया रास्ता बंद हो गया दो दिन तक आपके तहसील के अधिकारी राहत बाँटते रहे और इन 5 गाँवों का पता ही नहीं लगा कि उनकी क्या स्थिति है। स्वयं बी0एन0गर्ग ने जब मुझसे पूछा कि इन पाँच गाँव की क्या हालत है, उसके बाद तीसरे दिन डी0एम0, रामपुर नगर से घूमकर वहां पहुँचे तब तीसरे दिन राजस्व के अधिकारियों को इन गाँवों का पता चला कि वे पांचों गाँव बह गये हैं, उनके केवल घर खड़े थे, बाकी सामान बह गया था। मान्यवर, इन गाँवों के लिए दो बार प्रस्ताव आ चुका है, आप यह कह कर बरी हो सकते हैं कि हमें प्रस्ताव मिला ही नहीं। आपके मैंने सचिव से भी बात किया था। इन पाँचों गाँवों के लिए सभी की तरफ से बराबर माँग होती रही है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित हों। इससे प्रशासन को भी वहां पहुँचने में असुविधा होती है। यदि इन पाँचों गांवों धतुरा मेघानगला उर्फ (पैपटपुरा), नब्बा नगला, मानपुर पट्टी, भजनपुरी और पैपटपुरा को जिला रामपुर में शामिल कर दिया जाए तो वहां पर कोई राहत आदि पहुँचाने में असुविधा न हो। इसका प्रस्ताव आप अपनी तरफ से तैयार करा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। दैवी आपदा की बात होती है। 500, 1000 और 1500 से ज्यादा मकान की क्षति का नहीं देते हैं, जान चली जाए तो 25 हजार दे देते हैं और वह भी जब उसके

परिवार के लोग, उसके लड़के-बच्चे साल-दो साल चक्कर न जाते हैं। 99 में मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई, मेरे यहां 5 नदियों का बार्डर है, कोशी, रामगंगा, गॉगन, बहल्ल: और ढेला, केवल पूरब में ही बाढ़ मान्यवर, नहीं आती, पश्चिम में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बाढ़ आती हैं।

श्री अधिष्ठाता-

दैवी आपदा अलग है।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, मुझे जानकारी नहीं थी कि इसमें और भी विभाग बन गये हैं। ठीक है, यह शिकायत मैं उसमें कर लूँगा। एक और बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। इस प्रदेश की सरकारों ने चिन्ता व्यक्त की कि छोटे गरीब काश्तकारों के प्रति और गॉव में रहने वालों के ऊपर यह लिटीगेशन इतना बढ़ता जा रहा है इसे कैसे छोटा किया जाए, गरीब को न्याय कैसे उपलब्ध हो इन सारी बातों को सोचते हुए 1977 में एक सलेक्ट कमेटी बनायी गयी उसके अध्यक्ष तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद जी थे और उसके सचिव श्री भालचन्द्र शुक्ल बनाये गये थे। श्री राम नरेश यादव जी की सरकार में यह रिपोर्ट आई, किन्हीं कारणों से वह सदन में पेश नही हो पायी, फिर दोबारा वी0पी0 सिंह की सरकार में जब अम्मार रिजवी साहब राजस्व मंत्री थे, उस समय उन्होंने प्रयास किया कि इसे सदन में पेश कर दें लेकिन उस वक्त भी कुछ कारणों से रोक दिया गया और कारण स्पष्ट है, उस समिति ने सिफारिश कर दी थी कि राजस्व परिषद को समाप्त कर दिया जाए। यह दुर्भाग्य उस समिति का कह लें या प्रदेश की जनता का कह लें, एक जो बेहतरीन चरागाह है आई0ए0एस0 अधिकारियों के लिए जहाँ सारी जिन्दगी ऐश लूटने का मजा मिलता है उसको समाप्त करने की संस्तुति कर दिया यह दुर्भाग्य हो गया उस रिपोर्ट का। काश आप जनता के प्रति जरा भी संवेदनशील हैं और अपनी सरकार की कोई उपलब्धि आने वाले समय के लिए गिनाना चाहते हैं और ऐतिहासिक पुरुष बनना चाहते हैं तो रेवन्यू कोड बिल को लागू करवा दें। उसमें 2600 दफायें थी उसे कम करके 250 दफायें रह गयी हैं। 26 एक्ट थे उसको आपने कम करके एक बना दिया है। माननीय मंत्री जी, आप रेवेन्यू कोड बिल को लागू करवाइये। इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये यह उम्मीद रखता हूं कि जो सुझाव दिये हैं उस पर मंत्री जी गम्भीरता से विचार करेंगे और अपने उत्तर भाषण में इस चीज का आश्वासन देंगे कि वाकई इसकी तरफ सरकार गम्भीरता से सोचेगी। मैं आकड़ों की बहस में नहीं गया हूँ, ऑकड़ों में न मुझे विश्वास है न प्रदेश की जनता ही विश्वास करती है। जो वास्तविकता है, उन वास्तविक समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और कोई निश्चित निर्णय लेगी जिससे प्रदेश की जनता का कल्याण हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं माननीय मंत्री जी के बजट का हृदय से स्वागत करते हुये कन्नौज जनपद के सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारा कन्नौज जनपद, जनपद फर्रुखाबाद का विभाजन होकर बना। वर्तमान में कन्नौज में, छिबरामऊ, तिर्वा और कन्नौज 3 तहसील मिलकर एक जिला बना हुआ है। अभी 4 दिन पहले एक फैक्स के द्वारा कन्नौज जिले में सूचना मिली कि छिबरामऊ तहसील को कन्नौज जनपद से हटाकर फर्रुखाबाद में मिलाने का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लम्बित है। इस सूचना के बाद छिबरामऊ की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इससे वहां की जनता को कष्ट हुआ है। छिबरामऊ जी0टी0 रोड पर स्थित है उसे फर्रुखाबाद से अलग करके कन्नौज को 3 तहसीलों का जनपद बनाया गया। एक तहसील छिबरामऊ को काटकर फर्रुखाबाद में कर दिया जायेगा तो कन्नौज में मात्र दो तहसील रह जायेगी और दो तहसील का जिला रह जायेगा। जनता में गम्भीर आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, वहाँ की स्थिति से आप भी परिचित हैं। छिबरामऊ से 6 बजे के बाद फर्रुखाबाद जाने

के लिए कोई साधन नहीं मिलता है फर्रुखाबाद से छिबरामऊ के लिए भी 6 बजे के बाद आने का साधन नहीं है जबकि कन्नौज से छिबरामऊ के लिए 24 घण्टे आवागमन रहता है। कन्नौज जनपद में जिला पंचायत के 19 सदस्य है उनमें से 8 सदस्य छिबरामऊ तहसील से आते हैं। इन्हीं आठ सदस्यों में श्रीमती पुष्पा राजपूत जी भी निर्वाचित हुई है। जो वर्तमान में जिला पंचायत कन्नौज में अध्यक्ष के पद पर है। अगर छिबरामऊ तहसील को फर्रुखाबाद से जोड़ दिया गया तो जिला पंचायत के अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया हुई है उसमें एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जायेगा। मान्यवर, अगर किसी को खुश करना चाहते हैं तो बोर्ड आफ रेवेन्यू की सम्भवत: 17 तारीख को बैठक बुलायी गयी हैं बगल में एटा जनपद का तहसील अलीगंज है, शाहजहॉपुर जनपद है, वहॉ से इस जिले के विस्तार की व्यवस्था कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विभाजन के बाद छिबरामऊ तहसील के लोग कन्नौज जनपद से मन से जुड़ गये हैं और यह किसी भी कीमत पर फर्रुखाबाद जाने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी, जिस समय आप उत्तर भाषण दें सदन में घोषणा कर दें कि तहसील छिबरामऊ कन्नौज जनपद में ही रहेगा तो फिर 17 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसका कोई औचित्य नहीं रह जायेगा।

दूसरा निवेदन यह है कि हमारे जिले में चकबन्दी कार्य चल रहा है। चकबन्दी का कार्य छिबरामऊ तहसील में ही चल रहा है। वहॉ पर एस0ओ0सी0 महोदय जिला हेडक्वार्टर पर बैठकर टाइटिल के केस सुनते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वह 3 दिन जिला हेडक्वार्टर पर केस सुनें और छिबरामऊ तहसील में भी चकबन्दी का काम चल रहा है इसलिए 3 दिन छिबरामऊ में बैठकर टाइटिल के केस सुनें तो सुविधा होगी। मान्यवर, दूसरा निवेदन जो करना चाहता हूँ हमारे जनपद में बहुत से ग्राम के कागजात चकबन्दी कार्यालय में आग लगी थी और सब जलकर राख हो गया था। मान्यवर, ए0सी0ओ0 के लेबिल पर मुकदमा निस्तारित होकर कब्जा परिवर्तन हो गया है। जमीन कहॉ पर है? जले हुए गांव का कार्य बहुत शिथिलता से चल रहा है। चकबन्दी का स्टाफ बढ़ाकर लगाया जाये जिससे जो कागजात जल गये हैं। युद्ध स्तर पर कार्यवाही कराकर जमीन के कागजात बनाकर दिया जाये जिससे जनता को लाभ हो। मा0 मंत्री जी से मैं पुन: राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद।

*श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी द्वारा राजस्व विभाग के बजट पर माननीय सौलत अली के द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर आपने राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण विभाग पर बोलेने का अवसर दिया है में बहुत-बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जहॉ तमाम तरह के ऑकड़े प्रस्तुत करके ऑकड़ेबाजी में उलझा करके अपने बजट की सार्थकता का जो प्रदर्शन किया है, लेकिन वास्तविकता क्या है। इस तरह जब तक रूबरू न हुआ जाये तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह बजट सार्थक है या निरर्थक है। मान्यवर, सीलिंग एक्ट से संबंधित वाद है या उत्तर प्रदेश सरकार अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत जिन किसानों की भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है वह जमीन जिस काश्तकार की अतिरिक्त घोषित होती है राज्य सरकार के हाथ में और जो पात्र भूमि से उनके आवंटन के लिए कितनी जटिल प्रक्रिया से गुजरेगा वर्षों वर्ष वाद प्राप्त होती है। सीलिंग से प्रभावित काश्तकार मुकदमेबाजी में लिप्त रहे तथा उसके जीवन के लिए उसके हाथ में नहीं जाती है और जहां तक बहुत से मामले हैं कि सीलिंग से जमीन अतिरिक्त घोषित हुई। उत्तर प्रदेश जमींदारी बिनाश एवं भूमि व्यवस्था के अधिनियम धारा 167 के अन्तर्गत खतौनी में लाल स्याही से दर्ज हो गई और इसके बाद पात्र व्यक्ति में आवंटन हो गया। मान्यवर, परन्तु जिन लोगों की वह जमीन होती है वह न्यायालय चले जाते हैं और न्यायालय द्वारा यथास्थिति आदेश हो जाते हैं तो कानूनगो, तहसीलदार और एस0डी0एम0 कहते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि पट्टे के संबंध में अब हम कार्यवाही इसलिए नहीं कर सकते हैं कि न्यायालय द्वारा स्टे हो गया। मान्यवर, इसमें जो 250 एकड़ दिया हुआ है, लेकिन मुकदमें बाजी के जाल में फंसा हुआ है अगर माननीय मुख्य मंत्री जी की, माननीय राजस्व मंत्री जी की नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है, और सरकार अपने को किसानों का हमदर्द मानती है तो, जो बाद सालों से लम्बित पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई जल्दी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही जो मान्यवर, हदबन्दी की प्रक्रिया है, उसमें जो आम आदमी गांव का किसान है उसकी सुनवाई करने में सरकार की जो फीस रेवन्यू कोर्ट के हिसाब से 40-50 रुपये होती है वह किसान जमा करता है, लेकिन तहसील के जो कानूनगो, पटवारी हदबन्दी की नाप मौके पर करने पर पैमाइश करने नहीं जाता है, वह जब तक किसानों से हजार दो तीन हजार रुपये नहीं ले लेता है मौके पर पैमाइश करने नहीं जाता है तो इस प्रकार उसकी हदबन्दी का कार्य साल-दो साल तक लम्बित पड़ा रहता है। मान्यवर, किसान को 15-20 डिस्मिल जमीन नपवाने के लिए किसान को, कानूनगो को दो से पाँच हजार रूपये तक देने पड़ते हैं, तो मान्यवर, इस प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक किसानों का हित नहीं हो सकेगा। इस प्रकार मान्यवर, आज किसानों को जो पट्टे दिये गये हैं, उन्हें उन पट्टों पर कब्जा नहीं प्राप्त हो पा रहा है। मान्यवर, जब बहन मायावती जी मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने सभी पट्टे के किसानों को उनकी पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलवाया था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से किसानों की पट्टे की जमीन तो दी गयी है, लेकिन अभी तक वह किसान उस पर कब्जा नहीं प्राप्त कर सके हैं। जो गुण्डे-बदमाश है, भू-माफिया हैं, वह उन पर अपना कब्जा बनाये हुए हैं।

मान्यवर, जहां तक दाखिल खारिज की बात है ऐसे मामले जहां पर नामांतरण होना है और जो मामले गैर निजाई, अविवादित हैं उस पर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। पहले 100 रुपये कानूनगो इस काम के लिये लेता है। अब काश्तकार से 5 सौ और 1 हजार रुपया लिये बगैर दाखिल खारिज नहीं होता है। आप भी वकील हैं, हम भी रेवेन्यू के वकील हैं आप जानते होंगें कि बगैर पैसे दिये अविवादित मामलों का भी दाखिल खारिज नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया में सुधार करें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ अभी विधान सभा के सामने धरने पर ऐसे लोग बैठे जो जिंदा हैं लेकिन कागजातों में उनको मरा हुआ दिखा दिया गया है। उनकी जमीनों को मरा हुआ दिखाकर दूसरों के नाम हस्तान्तरण कर दिया गया है। ऐसी जमीनों के दाखिल खारिज हो गये हैं। वह अपनी जमीन से हाथ धो बैठे हैं। मेरे यहां जालौन में एक लहर कनार गांव है जहां पर टीकाराम यादव को लेखपाल और कानूनगो ने मरा हुआ दिखा दिया और जमीन दूसरे के नाम कर दी। जब उनको पता लगा तो वह ग्राम प्रधान व 4 आदमियों के साथ तहसील गये और तहसीलदार से कहा मैं तो जिन्दा हूँ मेरी पहचान करवा लो मेरी जमीन दूसरे के नाम दर्ज हो गयी है। तहसीलदार ने उनकी बात को सुनकर आर्डर को रीकाल किया और इसको ठीक करने के आदेश दिये। जिन लोगों के नाम वह जमीन चढ़ गयी थी वह एस0 डी0 एम0 के यहां गये इस पर एस0 डी0 एम0 ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया मैंने इस संबंध में डी0एम0 को लिखा लेकिन आज 4 महीने हो गये हैं वह आदमी दौड़ रहा है। इसी तरह से सिकरी राजा और बांगरा गांव में दो काश्तकारों को जो जिंदा थे उनको मरा दिखाकर उनकी जमीन दूसरे के नाम कर दी गयी और बाद में इन दोनों आदमियों का मर्डर हो गया। तो ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही की जाय। आज भी इस मामले में लेखपाल और कानूनगो को दंडित नहीं किया गया है।

मान्यवर, जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे जो उन्होंने आदेश दिया था कि जो दो गांवों की सीमा है वहां पर पत्थर लगा दिये जायं। पूरे प्रदेश भर में इसके लिये पत्थर खरीदे गये और तहसीलों पर पहुंचा दिये गये। माननीय कल्याण सिंह चले गये उसके बाद यह पत्थर नहीं लगाये गये और आज भी

तहसीलों पर पड़े हैं। जब वह मुख्य मंत्री पद से हट गए तो उन पत्थरों का क्या दोष है वह आज भी ज्यों के त्यों पड़े हैं और कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं कि वह होते तो गड़ जाते।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, आप भी बुन्देलखण्ड के गौरव हैं। लेकिन बुन्देलखण्ड के जनपदों की त्रासदी है। वहां पर जब पता चलता है कि फला साहब 300 एकड़ के कास्तकार हैं, फला साहब 250 एकड़ के कास्तकार हैं तो यह कास्त आई कहॉ से जबकि नियमानुसार एक व्यक्ति के पास 15-20 एकड़ से ज्यादा कास्त नहीं होनी चाहिए ऐसे लोग अपनी कास्त कुत्ते, बिल्लियों, सोनू मोनू आदि नाम दर्ज करवा देते हैं खतौनी में जबकि यह नाम वास्तव में मौजूद ही नहीं होते हैं। राजस्व विभाग के पास कोई ताकत नहीं है, कोई दम नहीं है कि गांव में जाकर खतौनी का सत्यापन कराकर भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटित करे। आप डुग्गी पिटवाकर मौके पर जाकर सत्यापन कर सकते हैं कि यह-यह व्यक्ति वास्तव में हैं भी कि नहीं। ऐसे पचासों लोग जो पैदा ही नहीं हुए लेकिन उनके नाम खतौनी में दर्ज हैं और 400-500 एकड़ बेनामी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं तथा ऐसे लोग गरीबों का हक मार रहे हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह बांदा, ललितपुर, झांसी,महोबा इन तमाम बुन्देलखण्ड के जिलों में खतौनी का भौतिक सत्यापन कराएं गॉव में जाकर डुग्गी पिटवाकर लोगों के बीच खतौनी के नाम बताएं जिससे पता चल जाएगा कि यह लोग गांव के रहने वाले हैं भी कि नहीं। और ऐसे लोगों की जमीन लेकर भूमिहीनों को वितरित कराएं इससे सामाजिक समरसता और समता का भाव पैदा होगा। इसके साथ ही मैं चकबन्दी के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चकबन्दी जितनी किसान के लिए परेशानी का कारण बनी है उतना अन्य विभाग नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति ने अपने चक को ठीक कराने के लिए पैसा दिया तो उससे पूरा गांव डट जाएगा। आप बुन्देलखण्ड के जिलों से भलीभांति वाकिफ हैं। किसी एक क्षेत्र की चकबन्दी चाहे मैदानी हो या अन्य क्षेत्र। चकबन्दी समाप्त होते हुए भी अधिकारी कर्मचारी उस क्षेत्र से जाना नहीं चाहते। वह दूसरे क्षेत्र के गांव को भी चकबन्दी कार्यों में सम्मिलित कर चकबन्दी करना शुरू कर देते हैं। मैं आपका ध्यान कालपी तहसील देवकली देवारा गांव की ओर ले जाना चाहता हूँ। यह गांव चम्बल की कटान के कारण काफी कट जाता है लेकिन एक गांव परासन उस गांव की चकबन्दी प्रक्रिया शुरू हुई करीब 300 एकड़ जमीन ग्राम समाज के खातों में थी। तीन सौ एकड़ से ज्यादा जमीन है या तो तहसीलदार से लिखाकर चले गये या चकबन्दी वालो की ओर से दर्ज कर दिया गया। आज 10 साल हो गये चकबन्दी विभाग या राजस्व विभाग में कोई यह पता नहीं लगा पाया है कि परासन की चकबन्दी की आधारवर्ष की जो खतौनी आई थी उसमें फर्जी आदेश कहॉ से आये थे? धन्ना गॉव में भी यही स्थिति है कई मार हो गये है। ऐसे विवादित क्षेत्र जहॉ पर चकबन्दी हो ही नहीं सकती बीहड़ों को चकबन्दी में शामिल करके विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है। इस साल तो इससे भी ज्यादा कहर सरकार में ढाया। 300-400 रूपये से ज्यादा के बकायेदारों को हवालात में भेज दिया गया। उन्हें दो जून की रोटी नहीं मिलती। मुझे एक व्यक्ति मिला वह रोटी बॉध कर ले जा रहा था मेरे पूँछने पर बताया कि उसका लड़का हवालात में बन्द है उसे दो दिन से खाना नहीं मिला उसी के लिए ले जा रहा हूँ।

मैंने तहसीलदार से पूँछा तो उन्होंने कहा 50 पैसे से ज्यादा की डाइट अनुमन्य नहीं है। क्या हम टोडरमल या अंग्रेज के जमाने में जी रहे हैं यहॉ तक कि 500-200 रूपये के कर्जदारों को बन्द कर दिया गया और वहॉ जिनके ऊपर लाखों बकाया है उन्हें बन्द नहीं किया गया। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे कोई इमारत बनती है तो पैत्रक विभाग को हैण्डओवर करने से पहले उसकी तकनीकी जांच करने के बाद हैण्ड ओवर की जाती है उसी तरह से चकबन्दी में जिस मौजे में हो जाती है तो उसकी सीमा रेखा

चिन्हित करे उसका रकवा ठीक है या नहीं इस सबकी अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही धारा-52 का प्रकाशन किया जाय। पहले तहसील के अधिकारियों को जे जाकर दिखवा दिया करे। जब तक चकबन्दी और राजस्व अधिकारी मिलकर तय नहीं करलें कि सब ठीक है तबतक धारा-52 का प्रकाशन न किया जाय। एक बात और भयावह स्थिति है कि किसी नम्बर, रकवा में से पॉच एकड़ या चार एकड़ का है उसमें से कोई आदमी एक बटा चार खरीद लेता है तो माना जाता हैं फ्रेगमेंट हो गया। हर तहसील में ऐसे हजारों प्रकरण आते हैं। क्या होता है। संबंधित क्षेत्र का तहसीलदार या नायब तहसीलदार जब उसका ट्रांसफर होने लगता है तो वह 4,5,10 हजार रूपया लेकर दाखिल खारिज करके जाता है और वह ग्राम समाज में नही दिखाई जाती है। आज यह तहसीलदार, एस0डी0एम0 के न्यायालय से हो रहा है। यह सरकार का नुकसान है। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से 4 एकड़ भूमि अगर किसी के पास है 1/4 भूमि फ्रेगमेन्ट में जा रही है लेकिन उस कास्तकार के 4 लड़के हैं और वह कास्तकार मर जाता है तो वह जमीन चारों लड़कों के नाम आ गई। एक खेत के चार टुकड़े हो गये। वे मेढ़ बना लेंगें वहॉ। वहॉ फ्रेगमेन्ट क्यों नहीं लागू होता है? इससे किसानों का शोषण होता है उससे ज्यादा पैमाने पर रूपया वसूल हो रहा है। राजस्व एक्ट . . .

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री श्री राम पाल-

राजस्व एक्ट 168(ए) है, इसमें सरकार को एमेन्डमेंड करना चाहिए कि अगर कोई कास्तकार अपनी आवश्यकतानुसार कोई जमीन खरीदता है उसका वह एज ए कोएमेडमेंट दाखिल होना चाहिए। सरकार में जमीन नहीं जा रही है। बदले में 5-10 हजार रूपये लेकर नाम हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो व्यवहारिक रूप से आम आदमी को परेशानी हो रही है उसके लिये मंत्री जी से और सरकार से अपेक्षा करेंगें कि मंत्री जी स्वयं एक वकील हैं। कास्तकारों किसानों की परेशानियों को जानते हैं। दृढइच्छा शक्ति लेकर किसानों की सुविधा के लिये ऐसे नियम बनायें, कानून में संशोधन करें ताकि उसका लाभ किसान को मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सौलत अली जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत राजस्व के बजट के समर्थन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अभी श्रीमन् कटौती के प्रस्ताव पर मा0 सौलत अली जी बहुत बल देकर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि छोटे किसान जो अलाभकारी जोत वाले किसान हैं उन्हें कोई आकस्मिकता उत्पन्न होती हैं शादी या इस तरह की अन्य कोई तो उन्हें उनकी कृषि भूमि बेचने की सुविधा नही है, और उन्हें यह सुविधा मिलनी चाहिए। यह एक गम्भीर विषय है कि जो अलाभकारी जोत हैं उनके और टुकड़े किये जायेगें तो जो स्वयं पहले से ही अलाभकारी हैं उनके यदि और टुकड़े करके बिक्री की जायेगी तो जो कुल राजस्व है उसका परिणाम क्या होगा? जो कुल खेती है से कृषि उत्पादन है उसका क्या परिणाम होगा? मैं सौलत अली जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अपने जो बात कही उसके साथ आप इस पर भी विचार करिये। यह एक गम्भीर विषय है। कृषि उत्पाद को बिना प्रभावित किये कोई रणनीति अगर तय की जा सकती है, सहायता दी जा सकती है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटे-छोटे किसान हैं, उनको संरक्षण देने की जरूरत है। हो सकता है बड़े बड़े लोग उनको बरगलाकर उनके छोटे-छोटे जोत को खरीदकर उसे धीरे धीरे बड़े बेनामी जोतों में परिवर्तित करते चले जायं, जैसे श्री रामपाल जी कह रहे थे कि 4-5 सौ एकड़ और वीघा के जोतवाले बेनामी किसानों की संख्या बढ़ रही है। इस पर सरकार को ध्यान रखना होगा। कोई व्यवहारिक कठिनाई आती है तो ध्यान देना होगा। श्रीमन् मैं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 13वीं विधान सभा में 1977 में एक नये युग की शुरूआत हुई माननीय मंत्री जी के विभाग में और वह युग शुरू हुआ जिलों और तहसीलों के अकस्मात् बड़ी संख्या में जन्म लेने का । श्रीमन् पूरा देश और प्रदेश जनसंख्या से प्रभावित है फिर भी कई परिवारों को व्यवहारिक आवश्यकता महसूस होती है, न्यायोजित आवश्यकता महसूस होती है कि परिवार में वृद्धि हो, लेकिन जब लोग राजनीतिक कारणों से जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान देते हैं तब राजनीतिक दृष्टि से संतुलन बनाने के लिए राष्ट्र के हित को नहीं देखते हैं। इसलिए श्रीमन् 1997 में एक युग शुरु हुआ नये जिले नई तहसीलों के जन्म लेने का। 14-15 जिले और तहसीलों का जन्म हो गया। कानपुर महानगर के विकास और परिस्थिति को देखते हुए, वहां की स्थिति को देखते हुए पाल्यूशन की दृष्टि से नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या एंव प्रशासनिक इकाइयां का, न्यायालयों का एवं अन्य जितनी भी विकास से संबंधित इकाइयां होती हैं वह एक तरफ असंतुलित तरीके से हो गई, तो कानपुर जैसे महानगर में दो जनपदों में विभाजित करने के लिए मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के सामने यह बात उठाई, लेकिन मुझे खेद है राजनीतिक कारणों से उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं हुआ। आज तक सभी राजस्व के बजट पर मैं इसकी मांग को रखता हूँ।

पिछले सत्र में नियम-52 में भी विस्तार से चर्चा की थी। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ तर्कों के आधार पर विषय रखकर मांग उठाई तो बड़ी निर्दयतापूर्वक माननीय मंत्री जी ने जिलाधिकारी कानपुर नगर की दो लाइन की रिपोर्ट "नया जिला बनाने की कोई जगह नहीं है" मुख्यालय कहां बने, यह कहकर ठुकरा दी। दूसरी बात कही गई कि बहुत ज्यादा पैसा व्यय होगा वह पैसा नहीं है। नया जिला बनाने के लिए सरकार निर्णय लेगी तो क्या जिलाधिकारी को डी0आर0डी0ए0 से व्यवस्था करनी पड़ती जैसे 15 जिलों पर 30 सौ करोड़ लगेगा उसी तरह एक और जिले हेतु फंड को माननीय मुख्य मंत्री जी बढ़ा दें। मुख्यालय की बात कही गई, कहां बने, तो जगह तो वहां इतनी है कि दस बारह जगह का मुख्यालय एक जगह बनाना हो तो वहां बन जाए, इतनी जगह है। मैंने विषय रखा कि तीन वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बना दें जो आधार और तर्क मैंने रखे हैं वह उसका परीक्षण कर लें अगर मेरे तर्क सही नहीं लगते हैं तो इसको निरस्त कर दें। माननीय मंत्री जी ने पिछले सत्र में घोषणा की कि राजस्व परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों से परीक्षण करायेंगे। बीच में समाचार पत्रों में समाचार पढ़ने को मिलता है कि इसमें मंत्री जी ने परीक्षण कराया है। अगर मंत्री जी ने परीक्षण कराया और रिपोर्ट आ गई तो वह टीम मेरे तर्कों पर सहमत है या नहीं यह जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीतिक मांग मैंने नहीं किया है जनपद के उस हिस्से का जिसका विकास अवरुद्ध हो गया है और दूसरा हिस्सा जहां विकास की शैक्षिक, चिकित्सीय, शासकीय एवं अन्य इकाइयां है वह कानपुर का उत्तर का हिस्सा है दक्षिण उससे वंचित है वहां स्थिति विस्फोटक हो रही है। दक्षिण के लोगों का उत्तर के लोगों से शोषण हो रहा है। इस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें और जब अपना उत्तर भाषण दें तो इस पर भी प्रकाश डालें। मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह है कि यदि इस पर अधिक संकट है, क्योंकि जो पहले ही इतने जिले घोषित हो गये थे उनको ही नहीं पूरा हो पा रहा है, तो मैं इतनी अपेक्षा करता हूँ कि वह सदन में इसकी घोषणा कर दें कि जो तर्क दिया गया है उसके आधार पर नये जनपद स्थापित किया जाय और शासन इससे सहमत है। आर्थिक कठिनाई हो सकती है, सृजन करने में विलम्ब हो सकता है तो मैं इसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है। विकास प्राधिकरण जितने हैं उनका उद्देश्य यह है कि आवासीय दृष्टि से नगरों में आवास का सृजन करना और जो उलटे सीधे बिना नक्शों के विपरीत कार्य हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है उसमें नियंत्रण रखना। लेकिन यह परम्परा हो गयी है नगर निगमों से, नगरपालिकाओं से, महापालिकाओं से बहुत दूर जाकर केवल नोटिफिकेशन कर देते हैं कि उनका इलाका विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आ गया और वहाँ इस घोषणा के कारण जो कठिनाई पैदा हो जाती है, विकास प्राधिकारण निर्माण में कठिनाई उत्पन्न करता है लेकिन वहाँ पर किसी विकास की जिम्मेदारी नहीं लेता है

और धीरे-धीरे जो कृषि योग्य भूमि है, जो कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक है उसमें ऐसे निर्माण होते जा रहे हैं जिससे कृषि भूमि घटती जा रही है और कृषि उत्पाद घटता जा रहा है। इसका प्रभाव राजस्व पर भी तो पड़ेगा।

सरकार इस पर गंभीरता से विचार करें यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस पर आवास मंत्री जी के साथ बैठकर मा0 मंत्री जी चर्चा करें और इससे उसको मुक्त करायें। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री श्रीराम पाल जी हैं उन्होंने बड़े मार्मिक तरीके से कहा कि किसी इलाके में कुत्ते, बिल्ली, भोलू, गोलूं आदि के नाम फर्जी तरीके से अंकित करके जमीन जो चार सौ-पॉच सौ की जोत है और सरकारी आंकड़ों में प्रतिबन्धित है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती है इसपर चिन्ता व्यक्त किया। मैं ध्यानपूर्वक उनकी बात सुन रहा था। मेरे मन में यह विचार उठ रहा था कि जब उन्होंने अपने दल के मुख्य मंत्री जी की चर्चा किया कि उन्होंने बड़ी तेजी से पट्टे की भूमि को खाली करके कब्जा देने की कोशिश की थी। तो उनको साहसपूर्वक यह भी बताना चाहिए था कि यह जो बेनामी पंजीकरण के कारण बहुत बड़े जोत हैं वह उनके मुख्य मंत्री के समय हुये या उसके पहले के सरकारों के कुकर्म से हुए थे किन्तु इस दिशा में उनके दल के मुख्य मंत्री ने भी कुछ नहीं किया। अगर इनकी सरकार में इस तरह की गलत नीतियों पर ध्यान नहीं दिया तो वर्तमान सरकार ध्यान न दें यह तर्क मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन इतना कहना चाह रहा हूँ अपनी कमी बताने के लिए साहस होना चाहिए। इस राजस्व विभाग के बजट पर माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि जब वे अपना उत्तर भाषण देंगे तो मेरी महत्वपूर्ण मॉग पर जिसे मैं लगातार 13वीं विधान सभा में उठाता चला आ रहा हूँ उसपर कृपापूर्वक जरूर कोई घोषणा करेंगे। यह जरूर है कि कोई आर्थिक संकट होगा तो जैसे अन्य जनपदों की व्यवस्था हो रही है आप यह घोषणा करके एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि आवश्यकता के अनुसार घोषणा हुई है और नये जनपद के सृजन की घोषणा हो रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सौलत अली साहब के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने राजस्व विभाग के बजट को देखा था इस नीयत से नहीं देखा था कि बजट की कोई आलोचना की जाये लेकिन फिर भी इसमें कोई प्रोग्रेसिव चीज नहीं मिली। मान्यवर, पृष्ठ-5 पर मैं देख रहा था ग्राम समाज की कृषि भूमि का आवंटन सरकारी आंकड़ों में मंत्री जी द्वारा दिया गया है 99-2000 में 10,000 हेक्टेयर जमीन का लक्ष्य रखा गया और उपलब्धता रही 13 हजार 398 हेक्टेयर। 134 प्रतिशत रहा। मान्यवर, 2000-2001 में लक्ष्य केवल 5,770 हेक्टेअर। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या परिवार नहीं बचे हैं और इन जातियों को जो भूमिहीन हैं या जमीन प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से ग्रामीण आवास स्थल आवंटन थे अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है इसमें 250 मीटर तक आवास हेतु जमीन दी जाती है उसका लक्ष्य भी 99-2000 में 50,000 परिवार था और 2000-2001 में 39,300 परिवार कर दिया गया है क्या सभी परिवार संतृप्त हो गये हैं जो पात्रता की सूची में आते थे। आज सरकार ने क्यों इनके परिवारों की संख्या घटा दी हैं। मान्यवर, उपलब्धि दिखाने के लिए 44,340 परिवारों का आवंटन किया गया है प्रतिशत 112 हो गया है लेकिन आबादी बढ़ रही है, परिवार बढ़े हैं और जमीन उपलब्ध है। तो जो संख्या कम की गयी है इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सरकार अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों के प्रति सजग नहीं है। मान्यवर, जहॉ तक नये जिले की बात आ रही थी 1997 में जनपद-गौतमबुद्ध नगर जिले का सृजन बहन मायावती द्वारा किया गया इस 13वीं विधान सभा में बड़ी विडम्बना है और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश सरकार का रवैया भी इस राजस्व विभाग के प्रति ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जब जिलों की घोषणा की गयी थी तब भी राजस्व विभाग को विश्वास नहीं लिया गया था और मान्यवर, दूसरा बिल इसी सत्र में लाया गया जिसमें जनपद-गौतमबुद्धनगर के 81 गॉवों को अस्तित्वहीन कर दिया गया है।

राजस्व विभाग से कोई राय नहीं ली गयी और बिल आ गया। 81 गॉवों की पंचायत व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दिया गया उसके संबंध में पूरे जनपद में बहुत आक्रोश है जो कभी भी सड़क पर आ सकता है। पंचायत व्यवस्था खत्म करने का जो बिल सरकार लाई है वह बिल्कुल काले कानून के रूप में है और जहॉ तक मेरी जानकारी में है इसमें न जिला पंचायत को विश्वास में लिया गया है और न ही राजस्व विभाग को विश्वास में लिया गया है फिर किस तरह से बिल आ रहा है यह मेरी समझ से परे है। मैं समझता हूँ कि राजस्व विभाग की उपेक्षा हो रही है। इसलिए शायद राजस्व मंत्री भी जनता के प्रति उदासीन हैं, उनमें भी आक्रोश है। उनकी जो कार्यशैली है उससे जनता को जो सही लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। अभी दशम वित्त आयोग की बात कह रहे थे उन्होंने कहा कि 56 जिला मुख्यालय और 166 जिला तहसील बनाने के लिए रूपया आवंटित किया गया है 15 करोड़ 63 लाख तो इसमें तो एक मुख्यालय भी नहीं बनेगा तो 56 जिला मुख्यालय और 166 जिला तहसीलें कैसे बनेगी?

मान्यवर, गौतमबुद्ध नगर का कितना ध्यान दिया गया है, बाउण्ड्री वाल जनपद मुख्यालय की हो गयी है 4 वर्षो में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय ले लिया कि मुख्यालय कहॉ रहेगा लेकिन काम नहीं शुरू हुआ है। इसके साथ साथ परिसीमन के बारे में कहना चाहता हूँ अभी हमारे साथी माननीय मिश्रा जी कह रहे थे कि जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने 6 माह में कम से कम 15 जिलों की घोषणा की थी। मैं 1998 में इस माननीय सदन में बोला था, माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री कल्याण सिंह.जी द्वारा एक परिसीमन कमेटी बनाइ्र गयी थी और उसके इंचार्ज माननीय राजस्व मंत्री थे। 4 वर्षो में अभी तक जिले का परिसीमन पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह से दनकौर ब्लाक पूरा जनपद गौतमबुद्ध नगर में टैराजपुर कला गॉव जिसका थाना सिकन्दराबाद है जो जनपद बुलन्दशहर का विकासखण्ड और थाना है और गॉव जनपद गौतमबुद्ध नगर में हैं और थाना बुलन्दशहर में है। इस तरह का परिसीमन देखनें को मिल रहा है। इसी के साथ अभी हमारे पूर्व साथियों ने भी बहुत सी बातें पट्टों के सम्बन्ध में, उनके आवंटन में, कब्जा परिवर्तन में या दाखिल खारिज में बहुत सारी त्रुटियां गिनाई। मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ आज 27 हजार 137 लेखपाल कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में और वह लेखपाल अपने गृह जनपद में है उनकी संख्या 90 प्रतिशत से ज्यादा। न तो उन पर कोई राजनीति का असर हो रहा है, न ब्यूरोक्रेसी का असर हो रहा है और न वह माननीय मंत्री जी की बात मानने को तैयार हैं, न जिले में जो हमारा कलेक्टर है उसकी बात मानने को तैयार हैं। मैं मौजूदा एक उदाहरण देना चाहता हूँ अभी 10 दिन पूर्व का, जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने 11 लेखपालों का स्थानान्तरण सदर तहसील से जेवर तहसील में कर दिया लेखपाल गये माननीय उच्च न्यायालय में और स्थगन आदेश ले आये। अब वह 11 लेखपाल क्या काम करेंगें? हमारे यहॉ जनपद गौतमबुद्ध नगर में, गाजियाबाद में लेखपालों की स्थिति यह है कि लेखपाल जब मारूति कार, जेन या इस्टीम कार से चलते हैं तो उसका स्टेनों भी साथ में रहता है। अगर कहीं इन्तखाब देना पड़ गया या फर्द देनी पड़ गयी तो उसका स्टेनों देता है। उसका स्टेनों और ड्राइवर साथ रहता है। अब लेखपाल को कितना वेतन देती है उत्तर प्रदेश सरकार। मान्यवर, यहॉ तक हुआ है कि कई बार लेखपाल की नाराजगी में जिलाधिकारी का तबादला करना पड़ा है। इसमें जो इनकी सर्विस नियमावली है उसमें परिवर्तन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार यह निर्णय ले कि गृह जनपद में कोई लेखपाल तैनात नहीं रहेगा। कम से कम वह दूसरे जनपद में जायेगा, बीबी-बच्चे लेकर जायेगा, कमरा किराये पर लेगा तो काश्तकार का काम करेगा। अभी तो वह न तो घर पर मिल रहा है, शादी-ब्याह कर रहा है, दावतों में घूम रहा है। न वह एस0डी0एम0 के प्रति जवावदेह है और न जिलाधिकारी के प्रति जवावदेह है। करोड़ों-करोड़ रूपये अपनी पत्नी के नाम से लेखपालों ने मुआवजे उठा लिये हैं, हर गॉव में 10-20-25 बीघा जमीन का साझीदार वह हो जाता है, अपने रिश्तेदारों के नाम पर हर वर्ष 50-40 लाख का चेक ले लेता है। मेरा आपको सूझाव है कि इस पर चिन्तन की जरूरत है। लेखपालों को गृह जनपद में तैनात न किया जाय और इसके लिये इनके सर्विस नियमावली में परिवर्तन किया जाय, इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार चिन्ता करें। मेरा यह भी कहना

है कि जब इनको गृह जनपद से बाहर तैनात किया जायेगा तो दाखिल-खारिज, फर्द, खतौनी की गड़बड़ियों में भी कमी आयेगी।

अभी माननीय रामपाल जी कह रहे थे, मैं भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गौतम बुद्ध नगर में दनकौर विकास खंड में माननीय मंत्री जी ने घर के आसपास एवं वाचस्पति जी का निवास है बहुत बड़ा कृषि फार्म है, जो 3500 बीघा से कम का नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बीघा जमीन भी नहीं खरीदी है, जबकि अट्टाजगतपुरा, सालारपुर, अट्टागुजरान, अट्टाफतेहपुर में 3500 बीघा, जो करीब 700 एकड़ होती है, के मालिक हैं और हर साल 25 लाख का धान और 30 लाख का गेहूँ पैदा कर रहे हैं, जमीन एक बीघा भी उन्होने कभी नहीं खरीदी। कई बार सरकारों ने प्रयास किया कि जमीन की नाप हो जाय, वास्वतविक लोगों को जमीन मिल जाय, पट्टेदार भूमिहीन लोगों का पट्टा हो जाय, लेकिन सरकार इसमें पूर्णत: विफल रही। इसी तरह की और भी कई चीजें हैं, जहाँ जमीन की कीमत इंचों में है, वहाँ हाईवे निकल रहा है। यह जमीन कोई बैनामी नहीं हैं, फर्जी नाम की जमीन है। मेरे यहाँ सालारपुर गॉव है, वहाँ आपको 200-250 बोरा गेहूँ मिल जायेगा, किसी मकान मालिक का नहीं मिलेगा। पूछो तो लोग कहेगें कि यह वाचस्पति जी का लग रहा है। ऐसी स्थिति प्रदेश में और भी कई जगह हो सकती है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मुझे आपने बोलने का साथ दिया, मैं एक बार पुन: आपका आभार व्यक्त करते हुये, सौलत अली जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा राजस्व विभाग के प्रस्तुत बजट के समर्थन में आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। राजस्व विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह किसान के लिये हितकारी है। किसान सेवा केन्द्र की स्थापना, थाना दिवस की स्थापना, तहसील दिवस की स्थापना यह साबित करती है कि किसानों की सरकार है। तहसील दिवस पर संबंधित विभागों के कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित होते हैं और तहसील से संबंधित जिन-जिन गावों से किसान, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते है, वह अपनी समस्याओं का समाधान कराते हैं। उसमें मेरा यह निवेदन है कि एक व्यवस्था दी गई है कि तहसील दिवस के दिन जिस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तो उसका समाधान अगले 10 दिन के अन्दर किया जाना चाहिये, इस पर कड़ाई होनी चाहिये। मान्यवर, देखने को ऐसा मिलता है कि किसान आज अगर तहसील दिवस पर गया और उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगले तहसील दिवस पर गया उस पर भी समाधान नहीं हो पाता है तो जो व्यवस्था दी गयी है कि 10 दिन में समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, इसका पालन होना चाहिए। किसान बही का वितरण जो वर्तमान सरकार ने किसानों को कराया है, यह उपयोगी है। उपयोगी इस मामले में है कि जिस तरह से किसान, चाहे कोई भी आदमी अपने पैसे को जब बैंक में जमा करता है, बैंक उसे पास बुक जारी करता है, उसमें उसका हिसाब-किताब रहता है, वह घर बैठे अपने बैंक के एकाउन्ट्स की जानकारी रखता है। उसी तरह से किसान बही भी किसानों के लिए उपयोगी है, इससे वह घर बैठ करके ही अपनी प्रापर्टी का हिसाब-किताब रखता ळै। मान्यवर, रजिस्ट्री, बैनामे में जो सरलीकरण वर्तमान सरकार ने किया है, पूर्व में भी बैनामे हुआ करते थे, बैनामा के बाद 4 साल, 5 साल, 6-6 साल तक . . . .

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, राजस्व विभाग पर बोलते हुए बजट के समर्थन में जब माननीय सदस्य सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, तो राजस्व मंत्री जी में हौसला नहीं रहा अपने समर्थन में भी उसे सह पाने का तो वह चले गये, वह आ जायें तो उनके समर्थन में बात कहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब कोई समस्या हम जीरों आवर में उठाते हैं तो यह कहा जाता है कि सम्बन्धित विभाग के अपनी बात कह लीजिएगा। आज राजस्व विभाग का बजट है, और माननीय मंत्री जी यहां नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता-

राजस्व मंत्री जी किसी समस्या समाधान के लिए ही गये हैं। आप कृपया बैठें।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आज जो रजिस्ट्री बैनामा हो रहे हैं, बैनामे के दिन ही, बल्कि तुरन्त ही उसी क्षण क्रेता को एक कापी मिल जाती है और व्यवस्था है कि 45 दिन के अन्दर उसका खारिज-दाखिल हो जाए। आसानी से क्रेता अपना दाखिल-खारिज करा लें। इसमें एक निवेदन है रजिस्ट्री बैनामा जो चक तोड और बॉट बैनामा कहा जाता है, मान्यवर, बैनामा तो कर लिया जाता है, बैनामा होने के बाद क्रेता दर-दर की ठोकरे खाता है, खारिज-दाखिल उसका नहीं हो पाता। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि अगर बैनामा में बैनामा लेने, बेंचने और खरीदने का जब छूट है तो खारिज-दाखिल भी प्रभावी ढंग से उस पर लागू करना चाहिए ताकि किसान दर-दर की ठोकर न खाये। किसानों के खेतों की चकबन्दी होती है, हो रही है। इससे खेतों के जो विवाद होते हैं वह साल्व होते हैं। मेरा एक निवेदन है, विगत वर्ष राजस्व विभाग के बजट में भाषण के दिन शायद दो वर्ष पूर्व आया था कि जिस तरह से खेतों की चकबन्दी हो रही है उसी तरह से गॉव की हदबन्दी की चर्चा आयी थी। अगर यह करा दिया जाय तो गॉव में जो खूँटे-डण्डे का विवाद, नाबदान का विवाद, सहन का विवाद, खण्डंजा-नाली का विवाद आदि जो आए दिन होते रहते हैं। 50 से 75 प्रतिशत विवाद गॉवों में इसी प्रकार के हैं तो जिस प्रकार से हम चकबन्दी करते हैं उसी प्रकार से गॉव की हदबन्दी पर सरकार ध्यान दे, तो शायद ऐसे मामले, ऐसे विवाद समाप्त हो सकते हैं। दैवी आपदा चाहे बाढ़ के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, अहेतुक सहायता जो दी जाती है उसका बहुत पुराना नियम है, किसान का घर बाढ़ में गिर जाता है, किसान बरबाद हो जाता है, अग्नि से जलकर उसका घर नष्ट हो जाता है तो उसे अहेतुक सहायता के रूप में 600 रूपये से 1500 रूपये तक मिलते हैं। . . . .

श्री अधिष्ठाता-

ज्ञानेन्द्र सिंह जी, दैवी आपदा वाला बजट अभी प्रस्तुत नहीं हुआ है, यह उस समय कहियेगा। जो चर्चा चल रही है वहॉ तक आपकी बात हो गयी है। कृपया अब समाप्त करिये।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

मान्यवर, अन्त में मेरा राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि मैं विगत कई वर्षों से यह मॉग करता चला आ रहा हूँ कि श्यामदेवआ विधान सभा के अन्तर्गत परतावल बाजार पड़ता है उसको तहसील बनाया जाये। वहॉ की जनता की भी पुरजोर मॉग है। उसकी भौगोलिक परिस्थितियों व जनता की मॉग को देखते हुये परतावल बाजार को तहसील घोषित करने का निवेदन करता हूँ। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इसकी घोषणा करेंगें तो अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री कौकब हमीद-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय सौलत साहब के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह 32 पेज की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने पढ़ी है। मैं माननीय मंत्री जी को एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजस्व विभाग को घटाकर आपने इतना छोटा क्यों कर दिया? इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेण्ट को मजाक बनाकर क्यों रख दिया? आपने ऑकड़े दिये कि तहसीलदार 20 से उनको 25 कर दिया, नायब तहसीलदार इतने थे, उनको इतना कर दिया कौन पूँछ रहा है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार कितने थे? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने राजस्व विभाग में क्या-क्या सुधार किये? जमीनों के वितरण में आपने क्या किया? मान्यवर, 8000 गॉव हैं जिनमें चकबन्दी चल रही है, यह 8000 गॉव पिछले 4 साल से

जब से आप मंत्री हैं, इन 4 सालों में आपकी उपलब्धि कितनी हुई, यह नहीं आया? अजीब सा ऑकड़ा है यह कम से कम मेरी समझ में किसी प्रकार नही आ रहा है। अपने बजट स्पीच में मंत्री जी ने कहा है कि हमें पूरे साल में 6,08,993 शिकायतें मिली, तहसील दिवस में और उनमें से हमने 6,54,000 शिकायतों का निस्तारण कर दिया। तो मान्यवर, यह उपलब्धि सुर्खियों में आनी चाहिए थी। 11 महीने में जो आपको हर मंगलवार को शिकायतें पूरे प्रदेश में मिली आपने 100 फीसदी उसका निस्तारण कर दिया और खुश हो गये। आपकी वाह-वाही होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से पूँछना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि तहसील दिवस के अन्दर किस-किस तरह की शिकायतें पहुँचती हैं, उनका निदान किस तरह से हो सकता है? आपने 8000 गॉवों की संख्या 4 साल में कम नही की? यह कैसे कम कर दिया?

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जिस जिले से आये हैं यहां का मुद्दा है। दीक्षित अवार्ड के नाम से 1974 में एक सीमा का विवाद का अवार्ड हुआ था हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मामला है आज तक उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई जिससे आपने उसे खत्म करने के लिए कोई आगे बात बढ़ायी हो। जमीन के सीमा का विवाद है। हरियाणा के लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां लोग उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू रिकार्ड की जमीनों पर पानी खेती कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अधिकारी, कोई मंत्री या बड़ा मंत्री वहां नहीं जाता और वहां एस0 डी0एम0 भेज दिया करते हैं जो करीब की तहसील के एस0डी0एम0 होते हैं वह चले जाते हैं। पिछले दो साल पहले वहां का दरोगा एस0डी0एम0 को उठाकर लेगये बंद कर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट शकल देखता रहा और एस0डी0एम0 जमानत पर छूटकर आया। तो जब यह काम नहीं कर पाते हैं तो मान्यवर, आपकी उपलब्धि कहां से गिनाई जाये। क्या आपका रिकार्ड है?

उत्तर प्रदेश के जनपद हैं जहां आपकी ग्रीन बेल्ट खत्म हो चुकी है जहां खेती खत्म हो चुकी है। वहां धड़ल्ले से भट्ठा लगाते हैं और कई हेक्टेयर में लगाते है उन पर कोई अंकुश लगाने का काम नहीं किया है। मान्यवर, जहां तक पट्टे का सवाल है यह कहना कि हम तालाब में पानी भरवा रहे है तालाब में मछलियों के लिए उत्पादन में उपलब्धि करवा रहे हैं। तालाब सूख गये मछलियां कहां पैदा हो रही हैं, जब उनमें पानी मौजूद नहीं है। जब पानी नहीं हैं तो मछलियां कहां से पैदा हो जायेगी मंत्री जी हमारे कितने तालाब जो पट्टे पर दे दिये गये जिनको बेच लिया गया जो गैर कानूनी है। आप तालाब का पट्टा नहीं करते, तालाबों का विक्रय आपकी सरकार में आपकी निगरानी के अन्दर हुआ है। मान्यवर, आपने कहा 15 जिला बना दिये हैं, मेरा जिला भी बनाया है। मगर अफसोस की बात है कि आपने 20 मीटिंग ली यह तय नहीं कर पाये उसका हेड क्वार्टर कहां बनेगा तय करें पैसा 200 करोड़ लगेगा या 100 करोड़ लगेगा यह तो इंतजाम हो जायेगा लेकिन आपने जो विवाद पैदा कर दिये कहां हेड क्वार्टर बनाना है वह कैसे हल होगा? मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ कि एक मामला आर0सी का है। चाहे बिजली डिपार्टमेन्ट का हो या और विभाग का हो आर0सी0 आ जाती है। तहसील में उनकी आर0सी0 पर आप उन्हें बंद कर देते हैं। जितनी वसूल होती है चाहे किसान को बंद करके, उसे पिटवा करके, उसे जबरदस्ती 10-12 व 15 हजार वसूल कर उसे तहसीलों में बंद कर देते हैं। लेकिन किसानों का जो सरकार पर बकाया है उसका भुगतान नहीं करते हैं। मान्यवर, मगर आपके वह आंकड़े नहीं दिखाये जो इसके अन्दर आने चाहिए थे, वह कहां गये, आपने छोटे-छोटे किसानों से जिनके पास 10-12 हजार रूपये थे वह तो वसूल लिये, आपने वह आंकड़े नहीं दिखाए कि मैंने इस उद्योगपति से जर्बदस्ती की, या उसकी जमीन या घर जब्त करके, या उसका उद्योग बन्द करवाकर उससे इतनी वसूली की है इतना राजस्व कर वसूल किया है। मान्यवर, इसकी के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि पहले ए. पी.सी. विभाग इसी डिपार्टमेंट के अन्तर्गत था, और यह विभाग आपके बीच हुआ करता था लेकिन आज आपने इस विभाग को अपने डिपार्टमेंट से अलग कर दिया है, और आज आपके इस विभाग का कोई पुरसाने हाल नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

माननीय अधिष्ठाता जी, आज आपने मुझे राजस्व विभाग के इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूँ यह सरकार किसान हितैषी सरकार है, इसने जो अति महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हैं जिसके ऊपर आज इस सदन में चर्चा हुई है, और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां आज इस सदन में हमारे माननीय राजस्व मंत्री द्वारा इस सदन में उपस्थित की गई हैं, और जो किसानों के संबंध में हैं, उसके लिए विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों को कुछ तो तारीफ करनी चाहिए थी। हमारी इस सरकार द्वारा जनता की सरकार जनता द्वारा नारा दिया गया है। आज तहसील दिवस द्वारा जनता की किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का कार्य किया जा रहा है। अब तहसील दार, नायब तहसीलदार, विभागीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारी गांवों में जायेगे वहां शीतकालीन भ्रमण करेंगे, रात्रि निवास करेंगे और इस प्रकार वह उनकी समस्याएं सुनकर वहीं पर उन समस्याओं का निराकरण करेगें और उनकी समस्याओं की चर्चा खुली बैठकों में हुआ करेगी और वहीं का वहीं उनकी समस्याओं का तुरन्त निराकरण कर दिया जायेगा। इस प्रकार इस सरकार द्वारा यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मान्यवर, इस सरकार द्वारा 2.41 करोड़ किसान बही वितरित किया गया है जिससे दाखिल खारिज कराने, जमानत लेने के लिए जो किसानों के समक्ष समस्या आ जाती थी वह अब नहीं होगी। मान्यवर, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ आज से 10-15 साल पहले यह होता था कि जब मुझे लेखपाल से खतौनी की नकल लेने की जरूरत पड़ती थी, तब वह ढूढ़ने से भी नहीं मिलते थे और 100-200 रूपये खतौनी की नकल के वास्ते उन्हें देना पड़ता था लेकिन आज लेखपाल और तहसीलदारों के लिये ग्रामों से रात्रि निवास और शीतकालीन भ्रमण की व्यवस्था हो गयी है जिससे किसानों को अब इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान्यवर, गावों में अक्सर चकरोडों और नालियों की समस्या आ जाती है, उस पर दबंग और अपराधी प्रवृत्ति के लोग कब्जा कर लेते थे लेकिन हमारी सरकार द्वारा उन चकरोडों और नालियों पर से अनाधिकृत कब्जे हटवायें गये हैं इससे किसानों की इस समस्या का भी निराकरण हो गया है। आज किसानों की ऐसी कोई समस्या नहीं है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ जो आवासहीन व्यक्ति थे उनको आवास के लिये भूमि दी जा रही है जिससे उनकी आवास की समस्या हल होगी और वह अपना मकान बनाकर रह सकेंगें। यह इसी सरकार के द्वारा काम किया गया है। माननीय कौकब हमीद ने कहा कि तालाब में पानी नहीं है मछलियां कैसे पाली जायेगी तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पट्टे दिये गये हैं उन लोगों ने खुद व्यवस्था कर रखी है और वह अपनी मछलियो को जीवित रख रहे हैं। इसी के साथ मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूँ कि वहां पर उड़ियाला गांव में लोग 50 साल से अपने मकान बनाकर रह रहे हैं लेकिन वह जमीन कागजों में शमशान दर्ज है। आज उन लोगों के ऊपर 122-बी के मुकदमें चला दिये गये हैं जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि 122-बी के मुकदमों को समाप्त किया जाय। मेरे यहां गाजियाबाद में हापुड़ तहसील में कोरी जाति के लिये प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मेरे यहां हापुड़ में कोरी जाति के प्रमाण-पत्र बनाये जायं ताकि इन गरीब लोगों को लाभ मिल सके। मान्यवर, राजस्व विभाग में सीजनल अमीन 2-3 महीने के लिये रखे जाते हैं उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी जाती है। मेरा निवेदन है कि इन सीजनल अमीनों को स्थायी किया जाय ताकि वसूली का काम ठीक प्रकार से हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सीताराम निषाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व मंत्री द्वारा रखे इस बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसको समर्थन करता हूँ। राजस्व विभाग द्वारा ग्राम समाज में निहित भूमि का पट्टा दिया जाता है, मीनाशय और जलाशयों का पट्टा दिया जाता है और राजस्व वसूली का काम किया जाता है। तालाबों में

मछली पालने के लिये 10 वर्षीय पर पट्टे देने का प्राविधान है। इससे मछुआ समुदाय अपनी जीविका चलाता है। यह काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है। मेरा सुझाव है कि तहसीलों में शिविर लगाकर मत्स्य पालन हेतु इस समुदाय के लोगों को पट्टे दिये जायं। इन पट्टों के नवीनीकरण 10 वर्ष के बाद कराने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन व्यवहारिक रुप से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो रहा है जिससे बहुत बड़ी कठिनाई सामने आ रही है। मत्स्य आखेध के पट्टे देने की प्रक्रिया में ढनाढय ठेकेदारों और शक्तिया लोगों की घुसपैठ हो गयी है जिससे मछुवा समुदाय के लोगों को कठिनाई हो रही है। मत्स्य आखेध के लिये मछुआ समुदाय के लोगों को लाइसेंस दिया जाय तो इस समुदाय को लाभ होगा। मान्यवर, जब बाढ़ आती है बिंद, खेवट, मल्लाह जाति के लोग, लोगों की जान की रक्षा करते हैं और नाव से बाढ़ में उनकी सहायता करने हैं लेकिन इसके लिये जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है वह नहीं मिलता है अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाय और नाविकों को अधिक से अधिक पारिश्रमिक दिया जाय। अच्छी रकम पारिश्रमिक के रूप में उन्हें दी जानी चाहिए। यह भी सुझाव है कि आबादी का बंदोबस्त किया जाए।

श्री अध्यक्षः

अब समाप्त करें। तीन घंटे होने जा रहे हैं इस बजट पर अभी दो बजट और पड़े हैं।

श्री सीताराम निषाद-

आबादी का बंदोबस्त किया जाए। मुसहर समुदाय के जो लोग जहाँ पर बसे हैं वह आबादी नहीं दर्ज है मेरा सुझाव है कि एक सर्वे कराकर पूरे प्रदेश में जहां भी मुसहर, बनवासी आदिवासी लोग बसे हैं उनका सर्वे कराकर आबादी दर्ज कराएं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री पूर्णमासी पंकज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया।

राजस्व प्रशासन का असली मेरूदण्ड है
बख्से न जा रहे जो अधिकारी उद्दण्ड है
तहसील दिवस और थाना के जरिये
कर रहे दूर किसान समस्या प्रचण्ड है
आवंटन-आवंटन गरीब परिवारों के लिए
तालाब पट्टा हो रहा मछुवारों के लिए
जो है लगे निजी पेश में कुम्हारी कला के
गड्ढों का पट्टा हो रहा कुम्हारों के लिए
दाखिल खारिज प्रक्रिया का सरलीकरण किया है
तीन दिन में अमल-बरामद का भी प्रण दिया है
दो करोड़ उन्चास लाख तीन हजार छः सौ चौतीस
अब तक किसान बहियों का भी वितरण किया है
कब्जा अवैध हटाने का श[illegible] अभियान है
कब्जा परिवर्तन कष्ट क[illegible] हुआ निदान है
दो लाख पच्चासी हज[illegible]र एक सौ सत्रह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ खाली हो गये अब खुश किसान है
बख्सा न जा रहा यहां किसी भी भ्रष्टाचारी को
निलम्बित किया गया अब तक नौ सौ इक्तीस कर्मचारी
चौदह सौ छत्तीस के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही
आरोप पत्र दिया गया ग्यारह सौ कदाचारी को

मान्यवर, पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत एक ऐसी जाति है जो अब भी अपने निजी पेशे में लगी हुई है आज उसके पेशे पर संकट के बादल मंडरा रहे है। धोबी बिरादरी जो बाबा दादा के जमाने के तालाबों गड्ढों में कपड़े की धुलाई का काम गांवों में करते है। आज उन पर अवैध कब्जा करके धुलाई करने से वंचित किया जा रहा है जिससे उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई इसलिए मान्यवर, हम मा0 मंत्री जी से मांग करते है कि जिस तरह मछुवारों और कुम्हारों को पट्टा देने के लिए शासनादेश जारी किया गया है उसी तरह तालाबों गड्ढों को भी धोबी घर के रूप में पट्टा देने हेतु शासनादेश जारी करने की कृपा करें।

श्रीमान् पिछले काफी समय से हम मांग करते चले आ रहे कि मेरे जनपद संत रविदास नगर भदोही में मात्र दो तहसीले है जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है अतः सुरियावां को तहसील घोषित करने की कृपा करें तथा दुर्गागंज को ब्लाक बनाने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्रीमान् जनता की कठिनाई को देखते भदोही में भूमि अध्याप्ति इकाई जो स्थापित की गई है उसे वहां से हटाने का समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि उक्त इकाई को संत रविदास नगर भदोही में ही बने रहने दे उसे भदोही से हटाया न जाय।

धोबी बिरादरी का भी उद्धार कीजिए,
उनके भी रोजी रोटी का आधार कीजिए।
पट्टा जैसे मछुवारों और कुम्हारों को दिया,
वैसे ही पट्टा पाने का अधिकार दीजिए।।

भुखमरी को झेलते, दुख उनके शेष करें आप,
कब्जे अवैध रोकने का, आदेश करें आप।
गड्ढे तालाब धोबी घाट के लिए मिलें,
जनहित में जारी शीघ्र, शासनादेश करें, आप।।

सुरियावां तहसील बनाने का प्रयास हो रहा,
थक हार कर जन मानस अब निराश हो रहा।।
पिछली बार भी हमने बजट में मांग किया था,
पूरी हुई न मांग अब उपहास हो रहा।।

भदोही में नया सुरियावां तहसील दीजिए,
हम सब की दिक्कतों को जरा फील कीजिए।
दुर्गागंज नया ब्लाक भी बनना है जरूरी,
आदेश हैं, कृपया न और जलील कीजिए।।

भूमि अध्यापित इकाई को हटाये न, भदोही से,
हम सब के साथ न करें व्यवहार अब निर्गोही से।
जनता रही परेशान अब कुछ राहत है मिली,
उसको बना रहने दे, है अनुरोध श्री सिरोही से।।

इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन

करते हुए आपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्ष 97 से 2001 तक तहसील दिवसों में जो प्रार्थना-पत्र आये और उनका निस्तारण की लम्बीचौड़ी किताब उपलब्ध कराई गई है कि 97 प्रतिशत से ज्यादा का निस्तारण कर दिया गया है तो माननीय मंत्री जी यह अधिकारियों का गलत आंकड़ा है जो आपको दिया गया है। आपने 2000-2001 में उपलब्धियों की बात की है हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं गोरखपुर में खड़खड़िया, गुनाकटा कनवार गांव में सात साल से चकबन्दी हो रही है अभी तक पैमाइश नहीं हुई। फरेदा तहसील की स्थिति यह है कि एक चकबन्दी अधिकारी 300 गॉव की चकबन्दी का कार्य देख रहा है वहॉ चकबन्दी अधिकारी नही, एस0ओ0सी0 नहीं तीन तीन साल तक डी0डी0सी0 का कोर्ट खाली रहा फिर भी आप इतने निस्तारण कैसे दिखा रहे हैं? 1989 में गोरखपुर से अलग होकर महाराजगंज का सृजन हुआ था उस समय दोनों जनपदों के अधिकारियों की कुछ गैर जिम्मेदारी के कारण फरेंदा तहसील से हितही गॉव बन्ददि न्याय पंचायतों के गॉव 45-45 किलोमीटर दूर गोरखपुर में कर दिये गये। पिछले कई साल से इस विषय पर पत्र रखे गये परन्तु निस्तारण नहीं हुआ। जो गॉव पॉच किलोमीटर पर थे उन्हें 45 किलोमीटर दूर कर दिया गया। हमारे ही जनपद के एक मंत्री जी हैं नाम नहीं लूंगा निचलागंज तहसील में 20 हजार से ज्यादा एकड़ सीलिंग की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है उनके और सहयोगियों के द्वारा। आप इसकी जांच करा लें अगर कुछ भी गलत पाया जायगा तो मैं अपना बयान वापस ले लूँगा। अगर हिम्मत है तो इनसे वह जमीन लेकर गरीबों में दे दें लेकिन यह सरकार ऐसा नही कर सकती। जनता सच्चाई जानना चाहती है उसे बताइये कि आप क्या कर रहें? अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो दो तीन बिन्दुओं पर मैंने माननीय मंत्री जी से कहा है, उस पर मंत्री जी विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री बिन्दु लाल-

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व के बजट पर बोलने पर अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, राजस्व मंत्री ने जो बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अभी कटौती के प्रस्ताव पर अन्य हमारे विपक्षी माननीय सदस्यों ने कुछ समस्याएं रखीं जैसे कि कहा गया कि पट्टों पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। चेक रोडों पर लोग कब्जा अनधिकृत रूप से किये हुए हैं, उन्हें नहीं हटाया गया है, गलत तरीके से जमीन का स्थानान्तरण हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सारी बातें जो कही गई हैं, जो समस्याएं हैं यह चाहे बी0जे0पी0 की सरकार हो उसके समय की नहीं है। यह जो परेशानियां बताई गई कि 10-15 साल से पट्टा नहीं मिला, क्या यह इस सरकार की देन है। यह सब जो कारण हैं यह सब इस वजह से हैं कि हमारे कानून में, नियम में कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिये जब से यह गठबंधन की सरकार बनी है काफी प्रयास किये गये हैं और काफी सफलता भी हमको मिली है। पट्टों पर कब्जा देने के लिये अभियान चलाये गये। तहसील दिवस एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर तहसील दिवस पर सुचारू रूप से काम होता रहे तो किसानों को उससे बड़ी सहायता मिली है। इसी तरह से थाना दिवस भी है, यदि यह भी सुचारू रूप से काम करे तो किसानों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, छोटे-मोटे जमीन के विवाद हैं, वे सब इस व्यवस्था से तय किये जा सकते हैं। अभी तक शीतकालीन भ्रमण की व्यवस्था का आदेश किया गया था। मैंने एक दो गॉव में देखा। वहॉ किसानों को इससे लाभ मिला है। चाहे इंदिरा आवास के मामले हों या अन्य कोई अधिकारी वहां उसी समय बैठकर रात में आदेश किये गये और किसान को उसका लाभ मिला है।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

*श्री बिन्दु लाल-

मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आ सकते हैं। यह कहना कि बेईमान कौन है। किसी ने कहा कि ईमानदार कौन है। कहा गया कि जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता वह ईमानदार है। हमको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि लोग बेईमानी न कर सकें तब ही हम सुधार कर सकते हैं। अन-रजिस्टर्ड वसीयत-नाम हैं। इसमें बहुत धांधली होती है। मरने के बाद अंगूठा लगवाकर लोग कब्जा कर लेते हैं और जो वाक़ई में हकदार है वह मारा मारा फिरता है। धारा 168(ए) की बात आई। यह भ्रष्टाचार है। माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें। गांवों में बन्दोबस्त किया जाय, चकबन्दी की जाय। इस पर भी गम्भीरता से विचार करें। बैंक का दूसरे विभाग की जो रसीदें हैं. . .

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री बिन्दु लाल-

बैंक द्वारा समझौता हो जाता है। बैंक समझौता करके जैसी योजना चली थी, बैंक के बाद ब्याज माफी करा दें, लेकिन आर0सी0 का कलेक्शन राजस्व विभाग द्वारा मांगा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ राजस्व विभाग ने कलेक्शन नहीं किया है समझौता होकर पैसा जमा हो गया है इसमें एक्शन की कोई जरुरत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री बिन्दुलाल-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री अरिमर्दन सिंह-

श्रीमन् मैं एक ऐसे जनपद के बारे में कहना चाहता हूँ जिसका नाम है महोबा, श्रीमन् वहां कोई भी आदमी जब चुनाव होता है तो जमीन पर आकर खड़ा हो जाता है कि यह जमीन मेरे नाम है आपसे अनुरोध है कि राजस्व मंत्री जी को निर्देश करें कि वहां की जमींदारी व्यवस्था को खत्म करायें। पांच रुपये के स्टाम्प पर लिख लिया जाता है और कहा जाता है कि हमारी जमीन है हमको वोट दो वरना जमीन खाली करा लेंगे। 20 साल से चकबन्दी चल रही है लेकिन वहां ए0सी0ओ0 चकबन्दी अधिकारी नहीं है मेरा आपसे निवेदन है कि वहां कोई चकबन्दी अधिकारी सी0ओ0,ए0सी0ओ0 की तैनाती करें ताकि वहां चकबन्दी का विवाद खत्म हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सौलत अली जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपके नेता ने यह कहा है कि हमारे दल की तरफ से केवल एक माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री वसीम अहमद-

सौलत अली साहब द्वारा राजस्व विभाग पर रखे गए कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् आजमगढ़ में गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र और एक बात मऊ के बारे में कहना चाहता हूँ। वलिया कल्याणपुर हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। पिछले कई सालों से यह चकबन्दी में नहीं आया है आज तक उस गॉव की चकबन्दी नहीं हो सकी है माननीय मंत्री जी इस गॉव की चकबन्दी कराने की कृपा करेंगे। सेहदा आजमपुर मार्ग के बारे में कहना चाहूँगा वादों का निपटारा किया जा रहा है, फैजाबाद रोड से सड़क निकलती है जो आजमपुर में निकलने का काम करती है। इस मार्ग पर दुल्लापार एक गॉव है कुछ सांमतवों ने सड़क को रोक दिया है जिसके कारण सड़क नहीं बन पा रही है इसमें 20 गॉव लगते हैं 11 किलोमीटर की सड़क है जो नहीं बन पाई है चकबन्दी अधिकारी भी यहां का निपटारा नहीं कर रखें हैं। राजस्व मंत्री जी हमारे प्रभारी रहे हैं। उस समय मैंने लिखकर दिया था वह मामला ग्राम कोठिया माफी तहसील मधुवन मऊ पर है अलाउद्दीन बनाम सरकार का जिसमें 1984 से मुकदमा चल रहा है, इनके भतीजे वकील हैं, मऊ में, इरफान वकील आदिल, इन लोगों ने उनका खेत लिख लिया है किसी तरह से चकबन्दी विभाग में अपने नाम करा लिया इसमें मुकदमा चल रहा है खारिज दाखिल के लिए डी0डी0सी0 मऊ के पास 1984 से मुकदमा पड़ा है। आज तक निपटारा नहीं हुआ है। दो साल से फैसले में है और अब तक फैसला नहीं हो पा रहा है किसके दबाव में मामला पड़ा है। मैंने इसमें कमिश्नर और राजस्व मंत्री जी को लिखकर दिया लेकिन आज तक निपटारा नहीं हुआ है। अलाऊद्दीन साहब जो रेलवे से रिटायर्ड थे उनका अभी देहान्त भी हो गया है। दो साल से यह मामला लम्बित है। आप से अनुरोध है कि मामले का निपटारा कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जायें वैसे ही इसपर तीन घंटे की चर्चा हो चुकी है और अभी दो बजट और आने हैं।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, पहले राजस्व विभाग पर दो-दो दिन चर्चा हुआ करती थी।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, जितना बड़ा बजट है उतना समय तो लगेगा ही।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, राजस्व विभाग के बजट पर श्री सौलत अली ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपको अभी बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप कृपया बैठ जायें। मैं आपको बाद में अनुमति दे दूँगा। अभी मैं श्री इन्द्र देव जी को पुकार रहा हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति पर ही खड़ा हुआ था।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अभी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मैंने समझा आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने बजट के समर्थन में, जिसकी चिरौरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी लेकिन एक भी अनुभवी और तेजस्वी महिला जन प्रतिनिधि इस बजट का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसी स्थिति में बजट पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, माननीय सौलत अली जी के कटौती प्रस्ताव पर समर्थन देने के लिए कोई महिला खड़ी नहीं हुई तो महिला प्रतिनिधि के रूप में श्री अम्बिका चौधरी जी इस पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इनके लम्बे बाल जरूर है लेकिन हम इनको महिला नहीं मानते हैं।

डा0सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, आजकल महिलाएं बाब कट हो रही हैं इसलिए यह इनके प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो सकते हैं।

डा0 इन्द्र देव सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूँ। किसानों, गरीबों की चिन्ता व्यक्त करते हुए यह बजट रखा गया है।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अफजलगढ़ ब्लाक है, नगीना तहसील के अन्तर्गत लगता है और इसकी सीमा 20 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक है इसमें एक तहसील हेडक्वार्टर धामपुर से होकर जाना पड़ता है। उसको नगीना तहसील से हटाकर धामपुर तहसील में शामिल कराया जाये उसकी इस मॉग के औचित्य का बल इस बात से भी बनता है कि प्रशासन को एक तहसील दिवस नगीना से हटाकर अफजलगढ़ में व्यवस्थित करना पड़ा है। माननीय मंत्री जी इस बारे में जरूर कुछ कहने की कृपा करें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में श्रेणी-3 में और राजकीय अवस्थान की भूमि की समस्या है श्रेणी-3 का पट्टा तो गरीब लोगों को किया जाता है और वह 20-30 सालों से काबिज हैं। मेरा अनुरोध है कि श्रेणी-3 के पट्टेदारों का पट्टा रेगुलर कर दिया जाये चाहे उनसे 20 गुना नगान ले लिया जाये या पंजाब की भॉति व्यवस्था का अनुसरण कर लिया जाये ताकि वे लोग भूमि के स्थायी रूप से भूमिगत बन जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत 45 लाख रूपये जल निगम को हैण्ड पंप के लिए दिये गये थे आधे लग गये लेकिन विभाग के लोगों ने पैसा वेतन के बॉटने में प्रयोग कर लिया जिस संस्था को पैसा देना था उसको पैसा नहीं दिया, आधे हैंडपंप न लगने से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मान्यवर, लेखपाल और प्रधान मिलकर पट्टा कर देते हैं और पैसा कमाते हैं उसमें अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दे दिया जाता है मेरा इसमें यह कहना है कि जिस प्रकार से इन्दिरा आवास में सूची बी0पी0एल0 की बनायी जाती है और इन्दिरा आवास आवंटित किये जाते हैं उसी प्रकार से ग्राम समाज की जमीन के पट्टों की बी0पी0एल0 सूची बनायी जाये जिसमें आवासहीन लोगों को वरीयता हो और उनके पक्ष में पट्टे किये जायें। मान्यवर, बहुत सारे जिले नदियों द्वारा विभाजित होते हैं, बड़ी-बड़ी नदियां अपनी धारा बदलती रहती हैं लेकिन किसान लोग, नदी जो जमीन छोड़ती उस तरफ कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार का विवाद दो-दो जिलों के बीच चलता रहता है। मेरठ और बिजनौर के बीच ऐसा विचार देखने को मिलता है। मेरा अनुरोध है कि जिलों का सीमांकन करके स्थाई रूप से डीमार्केटिंग प्वाइंट बनाये जायें जिसमें पत्थर के पिलर भी हो सकते है और मजबूत पोल भी हो सकता है जिसमें जिलों के बीच सीमा का विवाद उत्पन्न न हो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया धन्यवाद।

श्री लोकपति त्रिपाठी-

मान्यवर, प्रदेश के मानचित्र में एक जनपद है जिसका नाम है-सोनभद्र। वह सही है कि वह सूखा जनपद है और यह भी सही है कि सन् 2000 में वहॉ बाढ़ आयी। अभी श्रीमन् राजस्व विभाग में 15 जनपदों का नाम घोषित किया है जहॉ बाढ़ में खराब हुई सड़कों की मरम्मत के लिए धन दे रहे हैं मेरे जनपद-सोनभद्र को उसमें छोड़ दिया गया है। मान्यवर, वहां बाढ़ आयी थी, सड़कें कट गयी थीं, यातायात बंद हो गया था तो कृपया उस सूची को सुधार लें। मान्यवर, दूसरे, सोन नदी के किनारे परम्परागत बालू की खदान होती है सोन का बालू सारे प्रदेश में प्रसिद्ध है और अब नयी नीति के हिसाब से आपने नीलामी की प्रथा चालू कर दी है और नीलामी की प्रथा का अंजाम यह हो रहा है कि पुराने लोग, जो मात्र गरीब हैं, जैसा हमारे सीताराम जी ने कहा, निर्बल लोग जो बालू से अपना जीविकोपार्जन करते थे निकाल दिये गये तो राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि पुनः विचार कर लें और सोन की जो बालू, जैसा चलती रही उसकी कटान, उसी रूप में करायें, धन्यवाद। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री बेचन राम-

मान्यवर, माननीय राजस्वमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का लिए आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा किसानों के हित में अनेकानेक कदम उठाये गये हैं। थाना दिवस और तहसील दिवस के माध्यम से उनका निराकरण हो रहा है। जनता में एक अच्छा संदेश जा रहा है लेकिन मैं अपने तहसील चौरी चौरा के बारे में बताना चाहता हूँ कि 1986 में पूर्व मुख्य मंत्री श्री बीर बहादुर सिंह द्वारा उस तहसील का सृजन किया गया और पुनः भूतपूर्व राजस्व मंत्री श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था 1992 में, लेकिन अभी तक तहसील चौरीचौरा का प्रशासनिक भवन का और न्यायालय का निर्माण नहीं हो सका। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृषित करना चाहता हूँ कि जनता में आक्रोश है, उस भवन का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए। चकबन्दी व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय विनोद मणि जी कहा रहे थे कि 7-8 साल बीत जा रहे है, मेरे तहसील में 10-12 साल बीत गये लेकिन गॉव फाइनल नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री जी उस गॉव की एक समय सीमा निर्धारित कर दें कि इतने साल के अन्दर गॉव का फाइनल कर देना है। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय सौलत अली के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जनपद आजमगढ की सदर तहसील की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आज 20-22 वर्ष हो गये, आजमगढ़ सदर तहसील में चकबन्दी में गॉव फसा हुआ है। हमारे गॉव सभा उकौड़ा, भेर्या मकबूलपुर, ग्राम चन्दैन आदि अनेक ऐसे गॉव हैं। हमारे क्षेत्र पूरब पट्टी और पश्चिम पट्टी का जो दुर्वासा वाला मार्ग जाता है, मैं कहना चाहता हूँ कि पशुपति की चकबन्दी न होने के कारण दुर्वासा मार्ग नही बन सका। आज जो निस्तारण होता है, आज हमारे बीच में आयुक्त महोदय भी बैठे होंगें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कभी भी लाबी में बैठे हुए या दीर्घा में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं की जाती है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि ए0सी0ओ0 के स्तर से जो गॉव निस्तारित किया जाता है, सी0आ0 के स्तर पर अगर 10 गांव का फैसला होता है तो वह एस0ओ0सी0 के यहॉ 20 हो जाता है और जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एस0ओ0सी0 के यहाँ निस्तारण हो जाता है वह डी0डी0सी0 के यहाँ 40 हो जाता है मान्यवर, मैं ऐसा ही एक मामला बताना चाहता हूँ। आजमगढ़ डी0डी0सी0 के यहाँ मैं भी बैठा हुआ था मेरे सामने एक आदमी आया जिसने किसी मुकदमें में उन्हें पैसा दिया था, मेरे सामने की बात है, मैं सदन के अन्दर बता रहा हूँ एक माननीय सदस्य के सामने ऐसी बात आई। वह पैसा उस आदमी ने किसी काम के वास्ते दिया था वह पैसा 35 हजार रूपया था और मोबाइल था। वह आदमी कहा रहा था कि जब काम नहीं हुआ तो मेरा पैसा वापिस करिये। मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, मैने कहा डी0डी0सी0 साहब आपको तो इमानदार माना जाता है, दो माह में सेवा मुक्त होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप ने यह काम शुरू कर दिया है। ऐसे लोग आज अधिकारी हैं, जो खुलेआम जनता को त्रस्त कर रहे हैं। चकबन्दी में चाहे ए0सी0ओ0 हों, चाहें सी0ओ0 हो और चाहें एस0ओ0सी0 हों, विभाग का डी0डी0सी0 यह लोग खुलेआम पैसा लेते हैं और राजस्व मंत्री झूठा बयान देकर सदन के माननीय सदस्यों को गुमराह करते हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी को दंडित किया जाय। जो सेवामुक्त होने वाले हैं और पैसे लेकर जबरदस्ती जनता को परेशान कर रहा है। इसी के साथ मैं श्री सौलत अली द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री लाल सिंह वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये सिर्फ दो सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो धारा 171 में एक संशोधन किया है, जिसमें मृतक के पुत्रों के साथ पत्नी को भी वारिस बनाया गया है, यह बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कोई और वारिस नही होता है तो उसका भाई का हक होता है लेकिन कभी एक भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्रों का हक नही होता है, इससे परिवार में विवाद होता है, इसलिये मेरा सुझाव है कि मृतक के वारिसों को भी वारिसों में सम्मिलित कर लिया जाय।

एक और सुझाव देना चाहता हूँ। धारा 159 में लिखित गवाही का प्राविधान है लेकिन यदि उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाय तो अच्छा होगा। क्योंकि आज तमाम मुकदमें फर्जी वारिसों के आधार पर चल रहे हैं, उसे बंद किया जाय और उसी को रजिस्टर्ड करने का प्राविधान कर दिया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे जनपद इटावा का विभाजन हो गया है और नया औरैय्या जिला बना दिया गया है। इटावा में 5 तहसीलें आ गई हैं और औरैय्या में मात्र 2 तहसीलें हैं। उसमें भी मंत्री जी 3 तहसीलें और बनवाने की कृपा करें। एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। इटावा जनपद के तहसील भर्थना में चकरनगर तहसील चली गई। वहाँ के लोगों की दरख्वास्त जिलाधिकारी के माध्यम से आपके पास आई है, यह तहसील इटावा नगर से 9 किमी0 की दूरी पर है जबकि चकरनगर से 25 किमी0 की दूरी पर है, इसलिये इसे इटावा तहसील में ही सम्मिलित कर दिया जाय, इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे श्री सौलत अली द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं केवल 2-3 मौलिक बॉतें ही कहूँगा। जो किसान की जमीन है, चरागाह है, परती हो, चकरोड हो, अन्य किसी किस्म की जमीन हो, जब उस पर कोई आदमी गलत तरीके से कब्जा कर लेता है, काश्तकार के रूप में, तो आपका यह कानून 122 बी प्रभावी हो सकता है, बेदखल किया जा सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पक्की तामीरात कर लें, उसको हटाने के लिये आपके पास जमींदारी विनाश अधिनियम में कोई कानून नहीं है। इस संबंध में मेरा आपसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना यह है कि आप जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन करें ताकि वैह पक्की तामीरात को ढहाने में रेवन्यू कोर्ट सक्षम हो।

दूसरी बात कहना चाहता हूँ। चकबन्दी अधिनियम की धारा-4 का प्रकाशन जब होता हे, तो चकबन्दी की शुरूआत होती है और जब धारा-52 का प्रकाशन होता है तो यह अन्तिम चरण होता है। धारा 4 और धारा 52 के प्रकाशन में 25 वर्ष का अंतराल हो जाता है, जबकि बंदोबस्त का अंतराल साधारणतया 40 वर्ष का होता है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि जगह-जगह पूरे प्रदेश में 20 से 25 और 30 वर्ष से चकबन्दी चल रही है और धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है, इसलिये आप चकबन्दी अधिनियम में ऐसा संशोधन करें ताकि बन्दोबस्त कम समय में समाप्त हो जाय। मान्यवर, नम्बर-3 बात, मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-229 बी के अन्तर्गत रिवेन्यू सूट दायर होता है, उसके बाद कमिश्नरी में अपील होती हे, उसके बाद हाईकोर्ट जाता है और उसके बाद जब धारा-4 का प्रकाशन होता है तो यह अवैध हो जाता है। तो जो मुकदमा हाईकोर्ट में लम्बित है, और सारी प्रक्रिया के बाद धारा-9 के अन्तर्गत चकबन्दी यहां से शुरू की जाती है इस तरह से काश्तकार परेशान होता है। दूसरा मामला ऐसा ही है धारा-34 के अन्तर्गत लैण्ड रेवेन्यू के अन्तर्गत जो दाखिल-खारिज का प्राविधान होता है। वह नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कमिश्नर, बोर्ड और हाईकोर्ट तक चला जाता है उसके बाद भी वह 229बी के अन्तर्गत आता है तो वह डुप्लीकेसी की प्रक्रिया इतनी लम्बी हो जाती है जिसमें वह पूरी जिन्दगी मुकदमा लड़ता रहता है इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि यह मौलिक समस्या है, इसमें कोई पोलिटिकल बात नहीं है, यदि माननीय राजस्व मंत्री जी ऐसा कुछ कर देंगे तो निश्चित रूप से जनता का भला होगा। इसके साथ मैं श्री सौलत अली द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी मैं श्री सौलत अली द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन शुल्कमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, एक विषय पर क्या दो चक्र में भाषण होंगे?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसा आप उचित समझें।

श्री हुकुम सिंह-

आपने कोई तर्क प्रस्तुत किया था कि यह बजट इसलिए स्वीकार नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा तर्क और क्या हो सकता है?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, अत्यन्त संक्षेप में मैं अपनी बात रखूँगा। मान्यवर, बजट पर चर्चा एक औपचारिकता बन कर रह जा रही है। बजट पर जो महत्वपूर्ण चर्चा और सुझाव आते हैं उसका एक अर्थ यह होता है कि जो बातें हम सामान्य समय पर नहीं कह पाते हैं, सर्वाधिक ध्यान बजट के समय उस पर दिया जाता है। तीन वर्षो से लगातार सिरोही जी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और तीन वर्षो से मैं इस समस्या को उठा रहा हूँ चौथे वर्ष की समाप्ति के समय भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा विवाद, कहीं गंगा नदी, कहीं घाघरा नदी इसको बाँटती हैं इन नदियों की धारा कभी दाहिने और कहीं बायें बदल जाने के कारण खेतों पर कब्जे को लेकर वहां प्रति वर्ष हत्याएं होती हैं। त्रिवेदी आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद जनपद बलिया और तत्कालीन उस समय आरा जनपद था अब बक्सर जनपद है, आज तक मामला हल नहीं हो पाया है। मान्यवर, मैं अपेक्षा करता हूँ कि यदि आज माननीय मंत्री जी उत्तर न दे सकें तो एक सप्ताह के अन्दर इस सदन में अवगत करा देने की कृपा करें तो मैं मानूँगा कि बजट पर चर्चा का कोई औचित्य है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कुछ भी नहीं आयी। मैं उस गॉव के नाम का उल्लेख करना चाहता हूँ, उमरपुर दियारा के सर्वे की कार्यवाही अनन्तकाल से चल रही है, सिर्फ उस पर बहस होती है और फैसला होना है। सारी कार्यवाही हो चुकी है। अन्तिम तौर पर सिफ बहस सुनकर फैसला दे देना है। 6 वर्ष से डिस्पूट तय नहीं हो रहा है। प्रत्येक साल फसल बोने और काटने का जब समय आता है तो वहॉ गोलियॉ चलती है और 6 वर्ष के बीच में 3 लोग मारे जा चुके हैं। राजस्व मंत्री जी को मैं चौथी बार इंगित कर रहा हूँ। इस समस्या के तत्काल निष्पादन के लिए क्या कार्यवाही की है, इसको माननीय मंत्री जी एक सप्ताह में बताने की कृपा करेंगें।

मान्यवर, मैं ऐसे इलाके से आता हूँ जहॉ दैवी आपदा का कोई न कोई प्रकोप प्रत्येक वर्ष आता है। बाढ़ आती है तो आधा इलाका, 20-30 गॉव बह जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बिका जी, दैवी आपदा वाला बजट अभी पेश नहीं हुआ है। उसमें यह बात कहियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

दैवी आपदा वाले अनुदान में विवाद नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप उसे पुन: देख लें, विवाद होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जब बाढ़ आती है तो राजस्व विभाग ही मल्लाहों को ले करके जाता है। बलिया जनपद में पिछले 8 सालों के बाढ़ के समय की मजदूरी मल्लाहों का बकाया है, उसका भुगतान करा दें। इसी के साथ जो रेवेन्यू कोड बिल का सवाल है उसको सौलत साहब ने बड़े विस्तार से एवं विद्वतापूर्ण ढंग से रखा है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन अन्य अवसरों पर दो बार विस्तार से इसे उठा चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि आखिरकार सरकार को इसे लागू करने में बाधा क्या है? 26 अन्तर्विरोधी एक्ट को आपने एक एक्ट बना दिया। 1500 दफाओं को आपने 250 में सीमित कर दिया। मैं नहीं जानता कि बाधा क्या है? चौधरी चरण सिंह जी ने क्या किया, राम नरेश यादव जी ने क्या किया और वी0पी0 सिंह जी ने क्या किया, मैं इसके राजनीतिक पहलू में नहीं जाना चाहता? परन्तु आपके हाथ क्यों बँधे हुये हैं। आप अवगत करा दीजिए कि मैं भी चाहता हूँ परन्तु मेरे हाथ बँधे हुये हैं, मैं क्या करूँ? इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुये आभार व्यक्त करता हूँ और सौलत अली साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री आर्य राम सरन-

मान्यवर, मुझे आधी मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, आप बैठें। मैं माननीय सौलत अली जी को बुला रहा हूँ।

(श्री आर्य राम सरन द्वारा पुन: बोलने के लिए समय देने का आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री आर्य राम सरन-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस विषय पर दिलाना चाहता हूँ कि ग्राम सभा की जमीनों पर जो पेड़ लगे हुये हैं उनका देखभाल कोई नहीं करता है और उनको संख्या कितने हैं तहसीलों में कराई जाए। लाखों-लाख पेड़ गॉव सभा की जमीन से काट लिये जाते हैं। तहसीलों को इस

ओर ध्यान देना चाहिए। आप तहसीलों को लिखें जिससे इन पेड़ों की रक्षा हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूँछना चाहता हूँ कि वह यह बता दें कि जो राजस्व वसूली में बंद किये जाते हैं उनकी डाइट फीस क्या हैं?

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने विचार रखें और चर्चा किया विशेषकर सीताराम निषाद, कोकब हमीद, पूर्णमासी पंकज, मणि जी, लोकपति त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद यादव, राम औतार शाक्य, बिन्दु लाल एवं अन्य सदस्य इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे खुशी है तकरीबन सभी ने अपने आपको मुझसे सम्बद्ध किया। जिन मा0 सदस्यों ने माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन किया है, लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या उसी रूप में रखी है। मुझे बहुत खुशी है कि सभी सदस्यों ने समर्थन किया है। मान्यवर कुछ सुझाव देते हुए मैं अपनी बात खत्म कर दूँगा।

मान्यवर, गॉवों में स्कूल के लिए और जमीन के लिए जो प्रस्ताव करके दिया जाता है किसी तरह से निजी स्कूल, प्राईवेट स्कूल खोले जाते हैं उन प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं होता है। यह शिक्षा और आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ मसला होता है। ऐसी कोई नीति बनायें, आदेश भेजवायें जो प्रस्ताव गॉव समाज से आये उसका अनुमोदन तुरन्त हो जाना चाहिए। मान्यवर, चाहे संसद निधि या विधायक निधि से पैसा मिलना होगा वह तो मिलेगा रूकावट न पैदा हो।

इसके साथ ही माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से जिलों का बार-बार उल्लेख किया है। आप जिलों को छोटा कर रहे हैं पर तहसीलों को बड़ा मत करिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुरादाबाद सदर तहसील में दूसरा कोई भोजपुरा के नाम से एक नई तहसील का सृजन करेंगे तो मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा। इसके साथ ही वसीम भाई ने एक बड़ा ही ज्वलन्त और तकलीफ देने वाला सवाल उठाया था। चकबन्दी न्यायालयों में जो प्रक्रिया अपनायी जाती है और जिस तरह से चकबन्दी होने के बाद भी कब्जा दिलाये जाने के बाद भी मुकदमें चल जाते हैं और कार्यवाही के लिए 10-15 वर्ष लग जाते थे। बीच के लोग अनुचित लाभ उठाते हैं। कृपया इस प्रक्रिया को संक्षिप्त करिये। अलाउद्दीन बनाम सरकार का केश डी0डी0सी0 मऊ के न्यायालय में चल रहा है जनपद मऊ का 2 वर्ष हो गये बहस हुई 2 वर्ष से न्यायालय में निर्णय के लिए रूका हुआ है। इन्तजार कर रहे हैं निर्णय हो जाये तो अगला कदम उठायें। मान्यवर, डी0डी0सी0 महोदय निर्णय नहीं दे रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? एक अधिकारी की इतनी हिम्मत कि तरख्वाह आप दे रहे हैं और वह निर्णय न दें। मान्यवर, सरकार की नीति का उल्लंघन करके अपने विवेक और सुविधा के लिए रोके रखता है। करीब ऐसे मामलों में कड़ाई से पेश आये और राजस्व विभाग की गंभीरता को महत्व को देखते हुए इन सुझावों पर शीघ्र निश्चित कदम उठायेंगे जिससे प्रदेश की जनता जो गाँव में रहने वाले खेती से जुड़े हुए गरीब आदमी को राहत पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बल देता हूँ।

*श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, सभी माननीय पक्ष और विपक्ष के 24 सदस्यों ने आज इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त किये हैं और अपने कुछ अमूल्य सुझाव भी हमें प्रदान किये हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

जरा धीरे बोलियेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मेरा अग्रह है कि इनकी समझदानी का परीक्षण करा लिया जाय और कमजोर हो तो ठीक करा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

कोई भी डाक्टर बिना आपरेशन वह नहीं करना चाहेगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मैं समझता हूँ कि औषधि से ठीक हो सकता है। वैसे आपरेशन की आवश्यकता है तो मुझसे संपर्क कर लें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

आपने अपनी समझदानी कहां से बढ़वायी है यह मैं जानना चाहता हूँ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मुझे तो अल्ला मियां ने समझ दी है। अगर अल्ला मियां ने माननीय सदस्य के साथ अन्याय किया है तो मैं क्या करूँ। अब तो मजबूरन डाक्टर से ही बढ़वानी पड़ेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने आज इस चर्चा में भाग लिया और हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज इस चर्चा द्वारा जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं जहां तक संभव हो सकेगा, जिन महत्वपूर्ण सुझावों को आपने हमारे समक्ष रखा है उन पर अमल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो दो-तीन बातें मेरे सामने आयी है कि राजस्व वसूली के संबंध में बड़े बकायेदारों पर हाथ नहीं डाला जाता है और छोटे गरीब बकायेदारों से राजस्व वसूली की गयी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किसी की जानकारी में हो, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें हाईकोर्ट से स्टे ले लिया गया हो या मामला अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो, पूरे प्रदेश का कोई भी बकायेदार चाहे कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी पहुंचवाला व्यक्ति क्यों न हो, जिससे न्यायालय से **स्टे** न लिया हो, उस बकायेदार से हमने राजस्व न वसूला हो। रही बात जोर जबर्दस्ती की तो हम कहना चाहते हैं कि हमने यह पूरी कोशिश की है कि बड़े बकायेदारों के साथ जोर जबर्दस्ती भी की जा सकती है लेकिन छोटे बकायेदारों से प्यार से वसूली की जाय। हमने वसूली के संबंध में 5 लाख तक की वसूली के लिए जिलाधिकारी, 2 से 5 लाख तक के लिए अपर जिलाधिकारी, 50 हजार से 2 लाख रूपये तक के लिए एस0 डी0 एम0 और 50 हजार तक की वसूली के लिए नायब तहसीलदार को उत्तरदायी ठहराया है। इसी प्रकार से बन्दीग्रहों में जो बन्दी होते हैं, उन्हें जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वह विचाराधीन बंदियों पर लागू की गयी सुविधाओं की तरह हैं जो 13 रुपये है इस प्रंकार से हम सभी से राजस्व वसूली कर रहे है। अभी माननीय कौकब हमीद जी ने कहा था, जो शायद सदन में हैं नहीं, कि बड़े बकायेदारों से वसूली नहीं की जाती है, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता है और छोटे बकायेदारों से वसूली की जाती है।

(श्री कौकब हमीद के आ जाने पर)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

"रिमेम्बर द डेविल एण्ड डेविल इज देयर"।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, ऐसा कोई बड़ा बकायेदार नहीं है जिसके खिलाफ हमने कार्यवाही न की हो और जिससे हमने वसूली न की हो यदि किसी माननीय सदस्य को कोई ऐसी जानकारी हो तो वह हमें इससे अवगत कराये कि किससे हमने वसूली नहीं की है। अब मैं चकबन्दी के बारे में कह रहा हूँ कि बहुत से गांवों को चकबन्दी से बाहर कर दिया गया है। मान्यवर, 1997-98 में 1631 गांव चकबंदी के बाहर किये गये 1998-99 में 1357 गांव और 99-2000 में 1256 गांव चकबंदी प्रक्रिया के बाहर किये गये। यह मामला

प्रगति पर हैं इनमें गड़बड़ियां कम होती जा रही हैं। मान्यवर, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी ने कहा चकबंदी के बारे में। मान्यवर, इनका जिला विचित्र है। वहां पर चकबंदी में ज्यादा गड़बड़ियां हुयी हैं। 1961 से चकबंदी हो रही है। सारे विपक्ष के लोग जो वहां बैठे हैं वह कभी न कभी सरकार में रहे हैं वहां की चकबंदी की समस्या का समाधान नहीं करा पाये। मैंने 1997 में राजस्व मंत्री बनते ही इस मामले की जांच करायी। वहां पर रिकार्ड में फर्जी इंदराज कर दिये गये। वहां के मूहाफिजखाने के रिकार्ड जला दिये गये, खो दिये गये। जिन कर्मचारियों का इसमें हाथ रहा उसमें अधिक लोग मर गये हैं। वहां बड़ी धांधलियां हुयी हैं। आज उस संबंध में कार्यवाही की जा रही है लेकिन बहुत से मामले ऐसे हैं कि कार्यवाही किसके खिलाफ करें। श्री दुर्गाप्रसाद जी ने कहा कि वहां का डी0डी0सी0 आपके सामने पैसा ले रहा था। अगर वह ऐसा कर रहा था तो आप चुप कैसे रहे, उसको पीटकर क्यों नहीं आये? मैं इसको कमजोरी कहूँगा। आपने हमसे क्यों नहीं बताया। आप विधान सभा में इस बात को कह रहे हैं आपके सामने डी0डी0सी0 पैसा ले रहा था आप चुप रहे, आप सुनते रहे आपने मुझसे नहीं बताया, मुझे आपको बताना चाहिये था।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, इसकी विशेष जांच करवा लीजिये। मेरे सामने पैसा नहीं लिया लेकिन पैसा मांग रहा था। 35 हजार रुपये और मोबाइल फोन मांग रहा था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसकी शिकायत उन्होंने किया है। आज़ बजट पर चर्चा हो रही है। यहां जिक्र न करते तो कहां करते। आप ऐसे अधिकारी को पसंद करते हैं लेकिन ऐसे अधिकारियों को प्रदेश नहीं चाहता हैं।

श्री अधिष्ठाता-

परस्पर चर्चा न करिये। कृपया बैठिये।

श्री.वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

आपने मुझसे नहीं कहा। पक्ष और विपक्ष के लोग जो वहां पर हैं सबकी जिम्मेदारी है, सबका उत्तरदायित्व है, जनता का शोषण हो रहा हो तो मेरी जानकारी में लाना चाहिये, शिकायत करनी चाहिये। केवल कहने की बात नहीं है, इन चीजों का निराकरण होना चाहिये मेरे कहने का उद्देश्य यही था। मान्यवर, किसान बही के बारे में बात गयी, अगर कहीं नहीं मिली है और उसकी शिकायत आती है तो मैं कार्यवाही करता हूँ। किसान बही का वितरण ठीक से हो रहा है। श्री अम्बिका चौधरी जी ने जो बातें कहीं हैं उस सम्बंध में कहना है कि वह एक दिन सेवा का मौका हमें दे हमारे साथ बैठ लें मैं अधिकारियों को भी बुला लूँगा और उनकी समस्या का निराकरण कर दूँगा। पंकज जी ने कहा है कि भदोही में भूमि अध्याप्ति इकाई जो स्थापित की गई है उस कार्यालय को वहां से न हटाया जाए यह कार्यालय नहीं हटाया जाएगा। वह वहीं रहेगा। सौलत अली साहब ने कहा कि मुरादाबाद में एक नई तहसील बनाई जाए अगर वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें तो एक नई तहसील मुरादाबाद में बना देंगे। आप तहसील बनाने की बात करते हैं दूसरी तरफ कटौती की बात करते हैं तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। अगर वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें तो मुरादाबाद में एक नई तहसील सदर बनाने की घोषणा करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सौलत अली आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं मैं सभी का समाधान करने का प्रयास करूँगा।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर वह कानपुर (दक्षिण) जिला बना दें तो हमारे भी कोई ऐसे प्रस्ताव होंगे। मैं उनको वापस ले लूँगा। अगर मंत्री जी कानपुर दक्षिण जिला बना दें तो बड़ी कृपा होगी तथा हमारा कोई पेंडिंग प्रस्ताव हों। मैं उनको वापस ले लूँगा।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

अगर मंत्री जी सभी माननीय सदस्यों के सुझावों को मानने को तैयार हों और अभी इसकी सदन में घोषणा करें कि हम सुझावों को स्वीकार कर रहे हैं तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने के लिए तैयार हूँ। आजमगढ़ की बात चल रही थी वहाँ एक सदर तहसील में टेकमलपुर गांव है वहाँ पर 15 वर्ष पहले लेखपाल से छीनकर गॉव सभा के रिकार्डस जला दिए गए थे अब तक दुबारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस पर मंत्री जी ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,90,72,49,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,86,17,18,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदानसंख्या-51(राजस्व विभाग) दैवी आपत्तियों के सम्बन्ध में राहत

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जयनारायन तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,15,25,23,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, यह प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी रूप में दैवीय आपदायें आती रहती है जिनके निराकरण के लिए राहत के लिए नवम् वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश में 90-91 में दैवी आपदा राहत निधि की स्थापना की गई जिसमें 75 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार का और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का होता है। इसके क्रियान्वयन और संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। 2000-2001 के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र में पेयजल समस्या के निवारण के लिए हैण्डपम्पों की मरम्मत और रिपेरिंग के लिए मई 2000 में नगर विकास विभाग को 8 करोड़ और ग्राम विकास विभाग को 8.5 करोड़ रूपये इसी राहत कोष से आवंटित किये गये। मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है सदन जानता है कि सन् 2000-2001 के प्रारम्भ में गुजरात और राजस्थान में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसमें प्रदेश सरकार ने दैवीय आपदा राहत निधि से 27 लाख रूपये आवंटित किये थे। इसी तरह से प्रदेश में 2000-2001 में यद्यपि मानसून समान्य रहा फिर भी पूर्वांचल के कुछ जनपदों में बाढ़ और अतिवृष्टि से बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि हुई जिसमें 40 जनपद 5802 गॉव की 3648610 जनसंख्या प्रभावित हुई और कुल प्रभावित क्षेत्रफल 784358 हैक्टेयर था। और इसमें 4 लाख 72 हजार 496 हैक्टेयर क्षेत्रफल कृषि का था जो पूर्वांचल में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित हुआ था। मान्यवर, इसी तरीके से जो बाढ़ पूर्वांचल में आयी, जो अति वृष्टि पूर्वांचल में हुई उसमें 8 हजार 385 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए और 32 हजार 361 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इस बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण मान्यवर, 453 मानव जीवन की हानि हुई और 997 पशु हानि इस प्रदेश को हुई। 2000-2001 में हम सभी अवगत हैं कि दिसम्बर से लेकर फरवरी तक शीत लहर का प्रकोप रहा और शीत लहर के प्रकोप के कारण गरीबों को, निराश्रितों को, बेसहारों को, असहायों को दैवी आपदा राहत निधि से केवल वितरित कराये गये। इसके लिये स्पष्ट निर्देश जिलाधिकरियों को और अन्य अधिकारियों को दिये गये थे कि सार्वजनिक स्थानों पर अलावों की भी व्यवस्था करें जिससे प्रदेश में कोई बेचारा, लाचार गरीब निसहाय ठंड के कारण अपनी जान से न जाय।

इसके लिये मान्यवर, दैवी आपदा राहत निधि से 95,37,000 रूपये की धनराशि पूरे प्रदेश के हर जनपद को आवंटित की गई थी। इसी क्रम में मैं पूरे सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं कि 2000-2001 में दैवी आपदा से प्रभावित लोगों में राहत का कार्य वितरित करने के लिये समस्त जनपदों को 36,25,87,123 रूपये उपलध कराये गये। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में जो विभागीय परिसम्पत्तियों का नुकसान हुआ था उसके पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिये भी दैवी आपदा राहत कोष से 75 करोड़ 72 लाख साठ हजार 646 रूपये अर्थात् पूरे प्रदेश में सब मिलाकर 111 करोड़ 98 लाख 47 हजार 769 सौ रूपये मान्यवर, दैवी आपदा राहत निधि से निर्गत किये गये।

(इस समय 6 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में प्रदेश के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई और यह सूखे की जो स्थिति उत्पन्न हुई खासकर के हमारे बुन्देलखण्ड के चित्रकूट धाम और झांसी मण्डल के 7 जनपदों में उत्पन्न हुई और इन दोनों मण्डलों के सातों जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और इन जनपदों में प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य देयों की वसूली स्थगित की जा चुकी है और अन्य देयों की भी वसूली के लिये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं कि किसी भी प्रकार के देय की वसूली के लिये कोई उत्पीड़न की कार्यवाही वहां की जनता के साथ न की जाय। इसी के साथ साथ दैवी आपदा राहत निधि से इन जनपदों में हैंड पम्पों की मरम्मत के लिये और रि-बोरिंग करने के लिये चाहे वह नगर क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के हों। नगर विकास को मान्यवर 5 करोड़ रूपये और ग्राम्य विकास विभाग को 5 करोड़ रूपये की धनराशि निर्गत की जा चुकी है और वह उनको मिल भी चुकी है इसी के साथ साथ मान्यवर इन जनपदों में जो सूखाग्रस्त हैं, सूखे से प्रभावित हैं उनके लिए वहां के नलकूपों के लिए

जो निर्जीव पड़े हैं उनको चलाने के लिए पांच करोड़ रुपया अलग से दिया गया है। यह पांच करोड़ रुपया सीधे जिलाधिकारी को भेजा गया है। इसी के साथ साथ सूखे से प्रभावित जितने जनपद हैं इससे संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि संबंधित विभाग टेस्ट वर्क करा लें ताकि कोई समस्या पेयजल की न हो। बुन्देलखंड के अतिरिक्त मान्यवर, यह परिलक्षित हो रहा है, यह दृष्टिगत हो रहा है कि भू-गर्भ जल स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। इन कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल समस्या के त्वरित निवारण के लिए सीधे जिलाधिकारियों को 20 करोड़ रुपया आपदा राहत कोष से आवंटित की गई है। इसी क्रम में उल्लेख करना चाहूँगा कि जहां इस तरह की बातें पैदा होती हैं चाहे वह पेयजल की समस्या हो, चाहे और कोई समस्या हो जहां सूखा और बाढ़ या अतिवृष्टि आती है वहां पशुओं की बीमारी व्यापक पैमाने पर फैलती है। पशुओं की बामारी के लिए दैवी आपदा राहत में से एक करोड़ की राशि पशुधन विभाग को दी जा चुकी है। इसी के साथ साथ वर्षा ऋतु आने पर खासतौर से पूर्वांचल के जनपद बाढ़ से प्रभावित होते हैं। वहां बांध की समस्या, बांध की मरम्मत की समस्या, बांध के पुनर्निर्माण की समस्या लगातार मुँह बाए खड़ी रहती है। इसके लिए दैवी आपदा राहत कोष से सिंचाई विभाग को 20 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही आवंटित कर दी है।

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री अमरमणि)-

आपके गम्भीर चिन्तन को कोई सुन नहीं रहा है।

श्री जयनारायन तिवारी-

तो मान्यवर हमने पहले ही सिंचाई विभाग को 20 करोड़ रुपया दे दिया है। अभी और भी बजट हैं लेकिन जितनी बातें इस विभाग से संबंधित हैं उनका संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा। अभी कुछ लोगों ने अहेतुक सहायता और अनुग्रह अनुदान की बात उठाई इस अनुदान के लिए मान्यवर प्रति जनपद 10 लाख रुपया कुल सात करोड़ रुपया आवंटित किया जा चुका है। जहां दिक्कत आए स्पष्ट आदेश जिलाधिकारी को हैं अहेतुक सहायता अनुग्रह अनुदान में ढिलाई न बरतें। पैसे का अभाव है तो टी0आर0 27 से पैसा दे दिया जाए बाद में दैवी आपदा राहत कोष में जब पैसा आए तो उसका समायोजन कर लिया जाए। एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा और इसी के साथ अपनी बात भी समाप्त करूंगा। गुजरात में भंयकर भूकम्प आया और वह इस सदी की भंयकर त्रासदी थी और उस त्रासदी में उत्तर प्रदेश के दैवी आपदा राहत विभाग ने पांच करोड़ की नगद धनराशि उपलब्ध करायी और 2.40 करोड़ की सामग्री तथा इसी के साथ 50 लाख की दवाएं गुजरात सरकार को भेजीं। इसी संदर्भ में यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि त्रासदी चाहे गुजरात की हो, उत्तर प्रदेश की हो या फिर हिन्दुस्तान या विश्व के किसी कोने की हो। त्रासदी त्रासदी होती है और उत्तर प्रदेश में इस त्रासदी में इतना ही नहीं किया बल्कि डाक्टरों का एक दल को वहाँ भेजा जो वहाँ रहकर उपचार में वह शरीक रहे। मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार ने ही नहीं बल्कि प्रदेश की तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने या फिर गैर सरकारी संगठनों के लोगों ने दिल खोलकर जितने साधन वह उपलब्ध करा सकते थे उतने कराये। वर्ष 2001-2002 के लिए आपदा राहत में कुल धनराशि 153.59 करोड़ की है, जिसमें प्रथम तीन महीने में 38.39 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त 2001-2002 के लिए 90.06 करोड़ की धनराशि पिछले वर्ष की अवशेष है। इस प्रकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2001-2002 के लिए 128.45 करोड़ उपलब्ध है जिसमें से 66.44 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विभाग के प्रस्तावों को रखते हुए लोगों के विचार जो आयेंगे उनका स्वागत करूंगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर,

माननीय मंत्री जी ने अनुदान संख्या-8 (3) का जो बजट दिया है, बहुत चिन्तित रहकर के परेशानी मुद्रा में बड़े जोर से सोच रहे थे कि आंकड़े पहले क्या दूँ बाढ़ में बोला जाय या सूखे की बात करूँ। मान्यवर, मंत्री जी ने जितने भी आंकड़े रख दिये हैं, हर वर्ष का जिलेवार, लेकिन यह कहीं नहीं बता पाये कि जो भी पैसा किसी भी साल दिया गया इसका खर्च क्या हुआ? उसके बारे में बिल्कुल चुप हो गये। आपने यह कहा कि बाढ़ में, सूखें में पैसों का जो इस्तेमाल है उसमें विभिन्न मदों में बराबर खर्च कर दिया, जिलेवार खर्च कर दिया, मण्डलवार भी दिया गया। 9वें वित्त आयोग के द्वारा दैवी राहत के लिये अलग किया गया उद्देश्य यह था कि जो भी व्यवस्था बनायी जाय उसमें कहीं भी गलतफहमी में कोई भी व्यवस्था न बनायी जाये। आंकड़े प्रस्तुत कर दिये, अधिकारियों ने भ्रमित कर दिया उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो इसको स्पष्ट करना चाहिये था। क्या बात हो गयी चाहे आग लगती है बाढ आती है सूखा होता है शीत लहरी होती है इसमें आप धन देते हैं आपने जो किताब दी है उसमें बाढ़ में जिलों के नाम भी दिये हैं।

मैं आपका ध्यान दैवीय कष्ट, बाढ़ की परेशानी की ओर ले जाना चाहता हूँ। आपने नावों पर कितना खर्च किया है बाढ़ इतनी भयंकर आयी थी कि तमाम बंधे बिल्कुल टूट गये धान की अरहर की और दूसरी फसलें नष्ट हो गयीं इसमें कहीं जिक्र नहीं है। आपने नावों का आंकड़ा दिया है नावे किस साइज की थीं 200रु0 300रु0 रोज की थीं या फ्री की आ गयी होगी इसका जिक्र आ जाता। देवरिया, बलिया, आजमगढ़, गोण्डा, बाराबंकी आदि जिलों का जिक्र आपने कर दिया आप यह भी बताते हैं कि अमुक जपद में इतनी नावें लगी और प्रत्येक नाव का रेट यह था। आपकी यह पुस्तिका इसमें मौन है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिये था। बाढ़ में जो पशु मर गये थे कितने अच्छे-अच्छे पशु किसान के मर गये उसके लिये क्या क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आपने की है। मान्यवर, घाघरा नदी, सरयू नदी इनके कटान में बाढ़ की वजह से अधिकांश घर गिर गये थे आपके अधिकारियों का कहना था कि पक्के मकान जो हैं उनकी क्षतिपूर्ति हम नहीं देंगे जिस समय बाढ़ आ जाती है उस समय तो बाढ़ सभी के घरों में आती है। आप बतायें कि कितने ऐसे फूस के मकान थे खपरैल के मकान थे जो विभिन्न जिलों में क्षतिग्रस्त हुए और उसमें कितना पैसा दिया गया। आपको केवल अधिकारियों के जिम्मे छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी आपको विस्तृत रिपोर्ट देनी चाहिये थी। हर मद में इतना इतना रुपया दिया है। कभी आपने एक पत्र विधायकों को लिखा कि इस जनपद में इतना रुपया दे रहे हैं आप भी इसे देखें। यह होना चाहिये था। इससे व्यवस्था बनती। आपने 40 जिलों का जिक्र किया है मैं बताता हूँ कि 93 प्रतिशत जिलों में बाढ़ की स्थिति थी। आपने कोई जानकारी नहीं की मण्डल स्तरपर की जाती तो सही जानकारी मिलती। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि अबकी बार जब आप सहायता दे तो बना हुआ खाना बाटे। जो आदमी नाव पर बैठा है पेड़ पर बैठा है, डाल पर बैठा है वह वहाँ पर आग नहीं जला सकता, खाना नहीं पका सकता तो वहाँ पर ऐसा खाना जाना चाहिए कि वह खाना खाकर परिवार के साथ जिन्दा रह सके। इसका इसमें आपने कोई जिक्र नहीं किया इसलिए मैं कहूँ कि आपको जानकारी नहीं है कि बाढ़ आती है तो गॉव का आदमी कितना परेशान होता है। छप्पर बहता चला जा रहा है उसमें बैठा हुआ आदमी चला जा रहा है। आपके नावों के बारे में जिक्र कर दूँ यह आप जॉच करवा लीजिए कि 10 साल, 7 साल, 5 साल, 2 साल एक साल से उसका भुगतान आपके अधिकारियों ने नहीं किया है। पिछली बार मैंने सवाल भी किया था और जवाब आया था कि अभी जिलाधिकारी बहराइच से इसकी जानकारी की जा रही है, पर खुद इतने समय से बैठें आप, पैसा ही नहीं दे पाये हैं जब नांव चलाने वाले को पैसा ही नहीं देगें तो इसी कारण किसी नाव चलाने वाले ने इस बार आपकी मदद करने की नहीं सोची। पैसा अधिकारियों ने ले लिया होगा।

मान्यवर, नाव उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगी होंगी लेकिन आपने इसका कोई जिक्र ही नहीं किया इस पर आपको सोच बनानी चाहिए। कमजोर गरीब की नाव चलवा लिया और अब धींगामुश्ती कर पैसा ही नहीं देना चाहते हों। इस पर चिन्तन करिये। उत्तर प्रदेश के जिन जिन जिलों में नाव चली है, तहसीलदार कहता है कि नाव आपकी नहीं चली। इतना ही नहीं लेखपाल, एस0डी0एम0, डी0एम0 सभी

कहते हैं कि आपकी नाव चली ही नहीं, कागज पर चली है। तो मान्यवर, अगर ऐसे लोगों का नुकसान करेंगें तो इससे बड़ा संकट आयेगा तो वह नाव वाले नाव नहीं लगायेगें। इसके अलावा इस समय आगजनी हो रही है किसी जनपद में रूपया नहीं है। आपने आदेश कर दिया, बहुत बड़ी रकम आपने भेज दी पूरे प्रदेश का जिलेवार आपका रूपया जाना चाहिए। आग लगी, लोग जले जानवर जल गये और आपकी सरकार व आप इतने संवेदनहीन है कि पैसा नहीं दे रहे हैं, जो आदमी मरें हैं उनको भी नहीं दे रहे हैं। बाढ़ में पूरे प्रदेश में इतनी ज्यादा संख्या में आदमी डूबे हैं, मरे हैं उनको रूपया नहीं दे पाये हैं अगर इससे कमजोर गयी गुजरी सरकार होती तो भी ध्यान देती।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजनकर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

इसका मतलब है कि आपकी भी सरकार रही होती तो भी।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, सूखे के बारे में आपने एक बड़ी फेहरिश्त दी इससे काम नहीं चलेगा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ और सूखा के लिए मीटिंग करते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे विधायक है जिनको जिलाधिकारी और एस0डी0एम0 ने बाढ़ और सूखे की मीटिंग में बुलाया हो आपकी राय चाहिए। यहॉ किसी को बुलाया ही नहीं जाता इसलिये कि अधिकारी उसमें बंदरबांट कर लेते हैं। एस0डी0एम0 तहसीलदार ऊपर से लखनऊ तक सब का हिस्सा आ गया, किसी विधायक को बुलाया नहीं जाता, प्रधान तक को नहीं बुलाया जाता और बाढ़ और सूखे की मीटिंग होती रहती है, चाय नाश्ता उड़ता रहता है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च कर लिया जाता है। उस समय वह बैठक कर लेते हैं जब विधान सभा चल रही है तो उस सूखे और बाढ़ की बैठक में कौन चला जाय? आपने कहा कि सूखे से बचने के लिए हैण्डपम्प दिये हैं। हैंण्डपम्प के बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मुख्य मंत्री से अपनी बात कहते रहे जब मुख्य मंत्री नहीं दे पये तो आप कहॉ दे देंगें? हैण्डपम्प का पैसा पहुँचा उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। जितने मानक के आधार पर आपके हैण्डपम्प गये हैं जो मानक उसका होना चाहिए उसको उतना पड़ना ही नहीं है। कौन जॉच कर रहा है आप बता दें और क्या कार्यवाही की गई? इस बार विधान सभा में सिंचाई मंत्री से इतना सवाल पूछ लिया गया कि वह जवाब ही नहीं दे पाये, वैसे बहुत होशियार आदमी हैं। आपने उन्हें दे दिया, वह दे देगें कहीं अलग, हमारे दोस्त बैठे हुये हैं, वह ठेका-पट्टा करवा लेते हैं। इस तरफ आपने कहीं नहीं देखा, कोई औचक निरीक्षण कर लिया हो तो बता दीजिये। किसको कितना दिया, कितना कहॉ खर्च हुआ, इसकी कोई सूची तो होनी चाहिये, सूची होती तो आपको इसके साथ में संलग्न कर देना चाहिये था। आप कहते हैं कि हमने इतना कम्बल शीतलहरी में बॉट दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारियों के यहॉ कुत्ता-बिल्ली पले हुये हैं, वह उन कम्बलों को ओढ़े हुये हैं, कोई कमजोर, गरीब नहीं ओढ़े हुये हैं। डी0एम0 और जो दूसरे बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वह खादी की दुकान से इन कम्बलों को बाद में बदल लेते हैं। यह कम्बल ऐसे हैं कि कुत्ता बिल्ली जो ओढ़े हुये हैं, उनको भी गड़ता है। आपने कितने कंबल बॉटे, किस तहसील में बॉटे, इसका कोई प्रमाण-पत्र यहॉ संलग्न होता तो उचित होता। कहीं किंसी जिले का होता, देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, बलिया कहीं का होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जनपद का ही रिकार्ड हो तो बता दीजिये। जब माननीय मंत्रियों के यहॉ का कोई हिसाब किताब नहीं है तो हम लोगों का क्या कहना?

मान्यवर, नवम् वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर 75 प्रतिशत केन्द्र का और 25 प्रतिशत आपका अंश होता है। आपका अंश इस तरह आता है कि कोई कागज किसी जिले में खर्च होने के लिये भेजते हैं तो आपके अधिकारी साथ जाते हैं और कहते हैं कि हिस्सा तो दे दों, हिस्सा हाईलेबिल तक जाना चाहिये। आप कहीं कोई गुणवत्ता, क्वालिटी पर तो ध्यान दीजिये। हो सकता है, आप इससे हटकर कुछ सोचने को तैयार हों। कुछ बॉतें तो आ ही गई हैं। आपके द्वारा जो पैसा दिया गया है, वह करोड़ों-अरबों में है। मैं चाहता हूँ कि उसका हिसाब-किताब आना चाहिये। कहॉ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, कितना शीतलहरी में, कितना

सूखे में बँटवा दिया, आप केवल कागजों के भ्रमजाल में फँसे हैं, इससे कहीं हटकर देख तो लीजिये। मान्यवर, तो इस तरह से आपने अभी गुजरात के बारे में कह दिया कि गुजरात को मैंने बड़ी मदद कर दी। हाँ आपने गुजरात में दिया लेकिन पूरे हिन्दुस्तान का धन और यहां का जो धन भेजा गया किसी को पता नहीं कि कहां खर्च हो गया जो पैसा या सामान गया है उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। आपने भेजा होगा और भेज दीजिए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है लेकिन वह कम से कम सही जगह खर्च तो हो जाना चाहिए। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों बन्दरबाँट होता गया। तो इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने दैवी आपदा राहत की बात की है, आंकड़े पेश कर दिए लेकिन आपने यह नहीं बताया कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, आप संतुष्ट हो जायेंगे लेकिन आप केवल अधिकारियों के मकड़जाल में फँसे हैं और मान्यवर, पहले तो आपकी यह किताब साहित्य प्लास्टिक की थैली में आती थी अबकी बार हाथों में पकड़ा दिया, आधी इनकी तरफ आधी उनकी तरफ। कम से कम जो साहित्य वन विभाग का मिला है वह कागज में लिपटा तो हैं। आपके इतनी गरीबी आ गयी। आप गुजरात में दे रहे हैं, आप बलिया में दे रहे हैं, आप दो रूपये का थैला नहीं दे सकते। इससे कमजोर और दिवालिया सरकार कौन हो सकती है, जब दो रूपये का थैला बजट साहित्य के लिए नहीं दे सकते हैं।

डा0लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सदन में पालीथीन पर प्रतिबन्ध पर चर्चा हुई थी कि पालीथीन प्रतिबन्धित होनी चाहिए। इस पर जनमत बन रहा है, इसलिए वन विभाग ने जो दिया है वह ठीक दिया है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ मंत्री जी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप को करना चाहिए। वैसे बराबर हवा आपके खिलाफ है, हिसाब-किताब अब गड़बड़ होता चला जा रहा है। आप देखें कितनी गड़बड़ी हो रही है। चाहे आग लगने की बात हो, सूखे या बाढ़ की बात हो, मैं बताना चाहता हूँ हमारे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे गॉव हैं, जहां 80-80 घर जल गये, आज तक राहत का पैसा नहीं दिया गया, बहराइच में बहरपुर में। मान्यवर, बलिया का बाढ़ का इलाका है। आपका आंकलन नहीं हो रहा है, वहां आपका एसडीएम नहीं जाता, आपका कानूनगो नहीं जाता, आप किससे जॉच करवाते हैं? मान्यवर, इससे पूर्व दो बार सरकार रही और मैं यह बात फक्र के साथ कह सकता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी इसी कुर्सी पर बैठते थे, हाथों-हाथ पैसा मिलता था। आपके चेक तो ऐसे जाते हैं कि बैंक में पैसा ही नहीं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ जो राहत का पैसा दिया जाता है उसका कुछ न कुछ हिस्सा नकद जरूर दीजिए, जिसका मकान जल गया है, वह अपना लोटा-थरिया देखें कि आपका चेक लेकर घूमे। मेरा एक सुझाव है कि जो अहैतुक सहायता दे रहे हैं उसमें नकद आपको कुछ न कुछ देना चाहिए ताकि वह तुरन्त खाना-कपड़ा खरीद सके आप चेक देते हैं वह भी कंगाल बैक का। जिस बैंक में ले करके जाते हैं वह कहते हैं यहां इस खाते का पैसा ही नहीं है, मैं कहां से दे दूँ। यह आपको देखना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय रामतेज जी, संक्षेप करिये।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मैंने जो सुझाव दिये हैं उस पर आप विचार करें और कोई न कोई नई व्यवस्था बनायें। कुछ चीजों पर मंत्री जी, आपको स्वयं ध्यान देना होगा, अधिकारियों के सहारे रहिये लेकिन आप देखिये कि उनकी पृष्ठ भूमि कितनी साफ-सुथरी है, वह आपको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, निरंकुश होकर किसी की सरकार नहीं चली है, अगर बाढ़, आग, सूखे से प्रभावित लोगों की सही ढंग से मदद नहीं की गयी तो उसका असर आप पर पड़ेगा, लोग अपना हिसाब-किताब चुकता कर लेते हैं। वह समय आ रहा है। जो मैंने सुझाव दिये, उस परआप विचार करें, जब आप खड़े हों और आपके पास कागज-पत्र हों तो यहां बतायें कि कहॉ-कहॉ खर्च हुआ है? जिन जनपदों में बाढ़ से, शीत लहरी से, सूखे से ज्यादा परेशानी हो रही

है उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाईये जिससे उनका कष्ट दूर हो, इसमें बहराइच, बाराबंकी व गोण्डा भी आता है। मान्यवर, जो गंगा और सरयू के किनारे बसे हुये हैं उनकी परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अजय कुमार पोइया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अभाव, सहायता एवं पुनर्वास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। श्रीमन् नौवें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार'पर "आपदा राहत निधि" की स्थापना की गयी है जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार की धनराशि होती है। जो भी इस धनराशि की व्यवस्था होती है वह उत्तर प्रदेश के विशाल जनसंख्या को देखते हुये बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि टी0आर0-27 से धन निकालने की व्यवस्था जिलाधिकारियों को है परन्तु वह बहुत कंजूसी से धन निकालते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में एक अग्नि काण्ड हुआ जिसमें 60 लोगों की मृत्यु हुई। उसमें अब तक जो सहायता दी जानी चाहिए थी वह उपलब्ध नहीं हुई है और लोग शासन के द्वारा अनुमन्य सहायता है उसके लिए तरस रहे हैं। जिस प्रकार से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई दैवी आपदा आती है वहॉ जिला प्रशासन द्वारा सहायता उपलब्ध करानी चाहिए लेकिन जिलाधिकारी टी0आर0-27 का प्रयोग नहीं कर पाते। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा मार्च के अन्तिम सप्ताह में भयंकर तूफान, ऑधी तथा ओले की वृष्टि हुई। एक गॉव नगला खूबी में दो बच्चों की मृत्यु हुई और 18 लोग घायल हुये लेकिन शासन की तरफ से जो सहायता दी जानी चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो पायी। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि खुरपका रोग को समाप्त करने के लिए 2001-2002 में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था वैक्सीन आदि खरीदने के लिए की गयी है जो विशाल प्रदेश के लिए अपर्याप्त महसूस होती है। मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब बाढ़ आती है और उसकी रोक थाम के लिए मरम्मत के लिए जो होना चाहिए उसके लिये 29 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रदेश बहुत बड़ा है यह धनराशि ऊँट के मुँह में जीरा साबित हुई है। इसको अगर राज्य स्तर पर, शासन स्तर पर इस धनराशि को अधिकतम कर सके तो इस प्रदेश का जो दुःखी इंसान है, जो अभाव से ग्रस्त है उसको सहायता मिलेगी। उसको पुनर्वास मिलना चाहिए आप बहुत अच्छा कारगर कदम उठा सकते हैं। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि धनराशि की जो व्यवस्था की गई है, कहीं आग लग गई उसके पास रहने का कोई साधन नहीं है। डेढ़ हजार, दो हजार रूपया अप्रर्याप्त है। उनको पुनर्वास की किस प्रकार व्यवस्था कर सके इसके लिये मानक बनाये गये होंगे। नये जो नियम है वह पुराने हो गये है। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दैवी आपदा से जो लोग प्रभावित होते हैं, शिकार होते हैं अगर जिलाधिकारी की तरफ से, शासन की तरफ से पैसा उपलब्ध हो जाये तो जन-मानस का असंतोष देर हो सकता है। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूँ।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, मैं श्री रामतेज यादव द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। माननीय मंत्री जी का आंकड़ा मैंने पढ़ा, इन किताबों में जो है उसका हम जिक्र करना चाहेंगे। यह माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए दिया जा सकता है। माननीय मंत्री जी अच्छे लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन यह अधिकारियों का भँवरजाल है उसकी तरफ मैं संज्ञान दिलाना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया अपने भाषण में कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ से तबाही हुई है। सच्चाई को स्वीकार किया है माननीय मंत्री जी ने। मान्यवर. महाराजगंज जनपद में इनके आंकड़े के हिसाब से 77 गॉव बाढ़ से प्रभावित है, 69 पूरी तरह जलमग्न है। 62350 की जनसंख्या पूरी तरह से प्रभावित है। मान्यवर जो अहेतुक सहायता शासन से अनुमन्य है वह 1500 रूपये प्रति परिवार की दर से है। 62350 परिवार इसमें है। श्रीमन् महराजगंज में कितना रूपया बांटा गया, 14 लाख 23 हजार। मान्यवर, 62 हजार लोगों में 1500 की दर

से अहेतुक सहायता का वितरण पूरी लागत 14 लाख हैं। माननीय मंत्री जी का यह आँकड़ा है या इन अधिकारियों ने बनाया है। इसी तरह से गोरखपुर में 764 गॉव प्रभावित थे। 282 गॉव पूरी तरह से प्रभावित हैं, इनके लिए 40045 परिवार की जनसंख्या पूरी तरह से प्रभावित है और 61 लाख में इन्होंने पूरे गोरखपुर को 1500 रूपये की दर से सहायता का वितरण कर दिया। मान्यवर, महाराजगंज जनपद में गृह अनुदान की मद में एक पैसा नहीं रखा गया है। इस संबंध में अधिकारियों द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए कोई धनराशि नहीं प्रदान की गयी है। मान्यवर, मेरे 24 तारीख के औचित्य के प्रश्न पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो सूचना दी, जो जानकारी दी गयी है जिसमें चार लाख सत्रह हजार रूपये महाराजगंज में वितरित करने की बात कही गयी है और गोरखपुर में पॉच लाख इक्यासी हजार रूपये वितरित करने की बात कही गयी। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि महाराजगंज में ऐसी कोई धनराशि वितरित नहीं की गयी। मेरी दूसरी सूचना यह है कि, मेरी सूचना पर मेरे क्षेत्र में रूपये बांटने की बात की गयी है तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह अधिकारी यह फर्जी आंकड़े क्यों बना रहे हैं? यह अधिकारी इस प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं, आखिर यह फर्जी आंकड़े दिखाकर इस सदन को क्यों गुमराह किया जा रहा है।

मान्यवर, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर इस सदन में चर्चा कराई जाय। मन्त्री जी आखिर यह क्यों इन अधिकारियों के फर्जी आंकड़े सदन में प्रस्तुत कर देते हैं, इन्हें थोड़ा बहुत अपने विवेक से भी इस संबंध में कुछ सोचना चाहिए। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में 62000 लोग डूबे थे और अगर एक आदमी को एक हजार रूपये अहेतुक सहायता देने की बात इस सदन में सिद्ध कर दी जाय तो मान्यवर मैं यहां तक कहूँगा कि मैं राजनीति से सन्यास ले लूँगा। मान्यवर, महाराजगंज के जिलाधिकारी का कहना है कि महाराजगंज को गृहअनुदान के रूप में एक रूपया तक प्राप्त नहीं हुआ है और यह आंकड़े जो यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं पूरी तरह से फर्जी हैं मान्यवर, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इन आपदाओं हेतु जो पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है उसका एकभी पैसा मेरे क्षेत्र के लिए नहीं प्राप्त हुआ है और सिर्फ इसलिए मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का नहीं हूँ मैं विपक्ष का विधायक हूँ अगर मैं सत्ता पक्ष का विधायक होता तो मेरे क्षेत्र को भी पैसा दिया गया होता। तो मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह भेदभाव पूर्ण रवैया ठीक नहीं है, क्या मेरे क्षेत्र के लोग इस प्रदेश की जनता नहीं है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र की जनता के साथ यह भेद-भाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या मेरे क्षेत्र की जनता, जनता नहीं है, माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र की जनता भी आपकी जनता है, वह भी आपके प्रदेश की जनता है उनके लिए भी गृह अनुदान का पैसा मिलना चाहिए, क्या वहां के लोग आपके प्रदेश के निवासी नहीं है।

मान्यवर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने धनराशि वितरण की झूठी सूचना इस सदन में दी है उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस सदन के चलने का, यहां लिये गये निर्णयों का और इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा है कि हमारे क्षेत्र की सड़कों के लिए 80 लाख रूपये स्वीकृत हुए हैं यह मार्च में स्वीकृत हुए थे लेकिन मार्च, अप्रैल बीत गया और आधी मई भी बीत चुकी है लेकिन अभी तक उन सड़कों का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है, इनके जो अधिकारी है वह बरसात का इंतजार कर रहे हैं, वह बरसात में काम शुरू करना चाहते हैं जिससे कि उस पैसे की बन्दरबाट की जा सके और पैसे को माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी के घर पहुंचा दिया

जाय, तो मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि यह बरसात के दिनों में जो काम शुरू करने की गलत प्रक्रिया है इसको रोका जाय इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राम तेज द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, अभाव सहायता एवं पुनर्वास के बजट पर आपने जो मुझे बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने जनता के दुखदर्द को समझा है और हर प्रकार की सहायता दी है। भाई रामतेज जी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष दैवी आपदायें आती हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार यह घटना घटी है, जहां पर ऐसी घटनायें घटी हैं सरकार के माध्यम से तत्काल राहत के कार्य किये गये हैं। यह आरोप लगाना कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का इसमें ध्यान रखा जाता है यह आरोप दुर्भावनापूर्ण है, अपनी कुत्सित भावना का यह स्वरूप है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार कंबलों का वितरण हुआ है। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कंबलों का वितरण करवाया है। जहां पर बाढ़ और अतिवृष्टि से सड़कें क्षतिग्रस्त हुयी हैं वहां पर सड़कें बनायी गयीं हैं। हो सकता है कि कुछ जनपदों में सहायता नहीं मिल पायी हो लेकिन इसमें किसी पक्ष और विपक्ष की भावना की बात नहीं है। हर जनपद में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि यहां पर हैं। कोई जनपद ऐसा नहीं है जो लाभ से वंचित रहा हो।

बाढ़ और अतिवृष्टि से जिनके भवन क्षतिग्रस्त हुये हैं उनको आर्थिक सहायता दी गयी। इसी तरह से अग्निकांडों में जिनका नुकसान हुआ है उनको सहायता दी गयी है। पूर्वान्चल से लेकर अन्य जनपदों में ऐसी स्थिति आने पर त्वरित कार्यवाही हुयी है जिसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। पहले सहायता कागज पर आवंटित कर दी जाती थी वह जनता तक नहीं पहुंचती थी आज भा0ज0पा0 की सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण और हमारी सरकार के सहयोगी दलों के माध्यम से चलने वाली यह सरकार सभी जनपदों को सुविधा पंहुचाने का कार्य कर रही है। माननीय रामतेज जी ने जो सुझाव रखें हैं माननीय मंत्री जी उनको ध्यान से सुन रहे थे जिनका वह निश्चित रुप से उत्तर देंगें। सरकार की नीयत साफ है और सरकार ने अच्छे कार्यक्रमों से जनता को राहत पंहुचाने का कार्य किया है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

*श्री महेन्द्र कुमार-

मान्यवर, माननीय रामतेज जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। मैं यह जो दैवी आपदा और पुनर्वास संबंधी बजट रखा गया है उस संबंध में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कल 13 तारीख को 3 बजे मेरे यहां मल्लापुर में 8-10-12 साल की तीन बच्चियां घाघरा नदी में, जानवर चराते हुये, डूबकर मर गयीं। मान्यवर, इस वक्त सात बजे हैं। आप कल 10 बजे तक जनपद से सूचना मंगा ले पता चल जाएगा कि पीड़ित परिवार वालों को क्या सहायता मिली। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि उनके आश्रितों को पॉच-पॉच लाख की सहायता दी जाए। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ राहत कार्य के विषय में अभी बाढ़, सूखा और ठंड से राहत की बात मंत्री जी ने कही है लेकिन एक सबसे भयंकर समस्या अग्निकांड जो हो रहे हैं उसके विषय में मंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की है हमारे यहां 25 फरवरी की रात को थाना रेवसा गृह ग्राम सोबाली में 17 घर जलकर राख हो गए 9 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई 6 बच्चे 3 महिलाएं जिसमें दो गर्भवती थी इस तरह से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। गृह ग्राम महदेवा जो रेवसा थाना में आता है उनको राहत के नाम पर खाली झुनझुना पकड़ा दिया गया। मेरे गृह ग्राम में 9 लोगों की जो मृत्यु हुई उनके मृतक आश्रितों को पॉच-पॉच लाख रुपए की राहत सहायता दी जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता जी, मैं रामतेज यादव द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं मंत्री जी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि जब पिछली बार बाढ़ दौरे के समय वह गए तो उन्होंने राहत वितरण के लिए जो खाद्य सामग्री देखी उसका जिक्र कहीं बजट भाषण और सदस्य, ने नहीं किया उन्होंने उस राहत सामग्री की क्वालिटी को देखा यह खाद्य सामग्री इतनी सड़ियल थी कि उसको कुत्ता भी न खाए वह इनसानों को राहत के नाम पर दी जाने वाली थी मंत्री जी ने इस संबंध में आदेश दिया कि इस राहत वितरण से सम्बन्धित जितने लोग हैं उनके कंडक्ट की जॉच कराई जाए इस तरह की खाद्य सामग्री इनसानों को दिए जाने का क्या औचित्य है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। मंत्री जी किसी अपराधी को दंडित नहीं करा सके। मैं उनकी इस कमजोरी पर अफशोस व्यक्त करता हूँ। आपने बड़े दावे के साथ टी0आर0 27 से धन निकालने के निर्देश देने की बात कही मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा साहस दिखाइए आप अपने उत्तर भाषण में इस बात की घोषणा कर दें कि आगजनी से प्रभावित जितने घर हैं जिनके घर जल गए हैं। जब आग लगती है तो गरीब का घर जलता है बड़े लोगों के घर नहीं चलते उनके घर में अलग बेड रूम और अलग ड्राइंग रूम होता है। गरीब आदमी के घर एक ही जगह बेटी की शादी का सामान रखा होता वहीं चारपाई रखी होती, वहीं सारा सामान रखा होता है वह सब जल जाता है। उसको कुछ नहीं मिल पाता है 15 दिन औपचारिकताएं पूरी करने में लगता है। 15 दिन रिपोर्ट में लगता है इसके बाद 3 से 6 महीने राहत के धन को मिलने में लगते हैं। मंत्री जी अगर आपके मन में उनके प्रति अच्छी भावना है तो इस सदन में घोषणा करें कि आग लगने के एक सप्ताह के अन्दर उस पीड़ित परिवार को मुआवजा निश्चित रूप से मिल जाएगा। अगर एक सप्ताह से विलम्ब हुआ तो उसके लिए दायित्व का निर्धारण करें और दोषी लोगों को दंडित करने का काम करें। यह घोषणा सरकार सदन में करें। मान्यवर, दैवीय आप से जुड़ा दुखद पहलू है। काला काण्डी की घटना आपने पढ़ी होगी। विभिन्न जनपदों की उन तहसीलों में जहॉ बाढ़ सूखा ज्यादा आता है तहसील साहब कोई जुगाड़ बैठाकर अपनी पोस्टिंग वहॉ करवाते हैं जिससे कि वहां विपत्ति आयेगी और वह सम्पन्न हो जायेंगे उनके पूरे परिवार का इंतजाम हो जायगा। गरीब, जले हुए, मरे हुए, लुटे हुए, और जो टूट चुके हैं उनसे भी ये पैसे वसूलने के लिए चले जाते हैं। इसके लिए एक कानून बनाने की जरूरत है। आपदा राहत से जुड़े किसी कर्मचारी द्वारा किसी से रिश्वत ली जाती है तो उसे सश्रम कारावास दिया जाना चाहिए आईपीसी में नई धारा जोड़ी जानी चाहिए हालांकि यह केन्द्र का मामला है लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि इस कानून में यह एक धारा जरूर जोड़ी जानी चाहिए कि किसी सताये से राहत कर्मचारी यदि पैसा लेता है तो उसे सश्रम कारावास दिया जाय।

मैं बलिया की बात करना चाहता हूँ वहॉ पर लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है यहॉ पर गंगा और घाघरा दो नदिया बहती हैं कभी गंगा में तो कभी घाघरा में बाढ़ आती है। 1994 में जब गंगा में बाढ़ आई तो मल्लाह नाव लेकर जाने तो तैयार नहीं थे। तहसीलदार का कुछ अतापता नहीं तब फिर हम लोग कमर तक के पानी में चल कर मल्लाहों के पास गये और उनसे आग्रह करके नाव चलवाई और यह कह दिया कि आपको पैसा मिल जायेगा। मान्यवर, 96 तक उनको जब पैसा नहीं मिला तो उसके बाद जब 96 में ही बाढ़ फिर से आई तो मैं उनके पास गया मिन्नत की कि आपको पैसा मिल जायेगा अभी मानवता के आधार पर चले चलो लेकिन मान्यवर, 96 का पैसा उनको अभी तक नहीं दिया गया। मान्यवर, 40 प्रतिशत से अधिक मल्लाहों का पैसा आज तक बाकी है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहॉ नदी के किनारे दियारे में जहॉ आग लगती है घर जल जाते हैं जो प्रभावित हैं उनके लिए इंदिरा, निर्बल या किसी भी आवास योजना के तहत आवास बनाये जॉय जिससे जो लोग जल जाते हैं भारी जन-धन की हानि होती है रहने को मकान होते नहीं हैं उन्हें सहारा मिलेगा। वहां पर मान्यवर, पक्के मकान बनाकर इंदिरा आवास योजना का निर्बल आवास योजना में आच्छादित करने का काम करें। वहां पर स्थाई रूप से पक्के मकान

बनाये ताकि हर साल आग की तबाही से जो नुकसान होता है वह न होने पाय। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो सुझाव हमने दिये हैं उनको मानेंगें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री तेज पाल यादव जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

डा0 पूर्णमासी पंकज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। भाई अम्बिका चौधरी को बधाई देना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष के होते हुए भी जो इसमें अच्छाइयां हैं, वे उन्होंने स्वीकार की हैं। हमको प्रसन्नता है, हम भी यही चाहते हैं कि विपक्ष के सब लोग-

विरोधी हैं बस इसलिये विरोध करेंगें
हर अच्छे कामों में सदा अवरोध करेंगें
आलोचना ही नहीं समालोचना करें
सारे विपक्ष से हम यही अनुरोध करेंगें
किसानों के लिए यह बजट वरदान बन रहा
दैवी आपदा में खुल करके अनुदान बंट रहा
मुसीबत में साथ देने को सरकार खड़ी है
आपदा राहत निधि का विधान बन रहा
समाज जब पीड़ित हुआ शीत लहर से
जन जन दुखी रहा यहां जब ठंड कहर से
मुफ्त में वितरण किया कम्बल गरीब में
अलाव जलाय' गया हर गॉव नगर में
सूखे के कष्ट से जिले जो परेशान थे
पैदा फसल हुआ न कुछ रोते किसान थे
सरकारी देयों की वसूली स्थगित किया
अति वृष्टि बाढ़ से जो भी भुगते नुकसान थे
सूखा भयंकर आया था जब दोनों प्रान्त में
पीड़ित सभी थे राजस्थान और गुजरात में
पशु चारे की व्यवस्था मेरी सरकार ने किया
सत्ताइस लाख भेजा गया दोनों प्रान्त में
पेयजल संकट से मुक्ति मिले हर नर नारी को
हैंडपम्प मरम्मत का है आदेश हर अधिकारी को
रिबोर हेतु जो सोलह करोड़ दिया है
बधाई है श्रीमन् श्री जय नारायन तिवारी को

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा कि तहसील मदोही में अमोली (फुटहा) में भगौती सिंह है अप्रैल 2001 में उनके यह आग लग गई और अभी तक उनको कोई राहत अनुदान नहीं मिला है, कृपया जल्दी भिजवा दें। अंत में मान्यवर, इतना कहना चाहता हूँ कि-

संवेदनशील सरकार है पूरे करेज से
अनुदान वितरण हो रहा है काफी तेज से
कटौती का प्रस्ताव अपना वापस लीजिए
निवेदन है हमारा श्रीमान् राम तेज से।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत बात की और हमारे जो भी साथी हैं पोइया जी और पाण्डे जी और पूर्णमासी जी सभी लोगों ने जो बात कही उससे ऐसा लगा कि वे हमारे ही कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। कहीं कोई नल के लिये परेशान है, कहीं काई सूखा राहत के लिये पदेशान है। पूर्णमासी जी तो रिबोर में चले गये। इनके यहां रिबोर सब खराब हो गया है। ऊपर नीचे वाला मामला खराब हो रहा है। मंत्री जी ध्यान देंगें। इतना ही नहीं विनोद जी ने अपने क्षेत्र की बहुत बात कही, हाउस में उठाई और आज भी फिर संयोग से अपने जिला महराजगंज की बात कही। मंत्री जी ध्यान देंगें। महेन्द्र कुमार और अम्बिका चौधरी, जो हमारे उप नेता हैं ने बहुत सटीक बात कहीं। माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये मैं दो लाइन पढ़ना चाहता हूँ। वित्तीय वर्ष 1998-99 में दैवी आपदा आयोग की संस्तुतियों पर 138.76 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी उसमें कुछ पुराना पैसा था वह भी जोड़कर 148 करोड़ रूपये दैवी राहत में उपलब्ध करा दिया। यह जो आपके आंकड़े हैं वह बता रहे हैं। 98-99 का उपलब्ध तो आपने करा दिया उसका खर्चा कहीं नहीं हुआ। दूसरी बात इसी के आधार पर बता दूँ। 2000 में 182 करोड़ 91 लाख 9 हजार की बात कही। आप खुद भ्रमित हो गए हैं। मान्यवर, जो अभी यहां पर विचार-विमर्श या सुझाव आ रहे हैं वह इसलिए संज्ञान में लाए जा रहे हैं कि समय निकालकर आप इन पर विचार करें लेकिन देखा यह गया है चार साल की कार्य-पद्धति जो रही है जिम्मेदार लोगों की, बजट की कटौती के वाद में कागजों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए तंत्र निरंकुश हो रहा है। क्योंकि मंत्री जी को तो पूछना नहीं रहता है। अम्बिका चौधरी जी ने बहुमूल्य सुझाव दिए। पक्ष और विपक्ष के साथियों ने सुझाव रखे उससे लगा कि आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है। आज इतनी खराब स्थिति में आप लोग पहुँच चुके हैं कि इसको कहीं से उवार पाएंगे इस पर गहन चिन्तन की आवश्यकता है। जो नाव आधी से ज्यादा डूब गई है उसको क्या उवार पाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ। बेहयाई और बेशर्मी से हालात सुधर पाएंगे या नहीं मैं नहीं समझता हूँ। इसी के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री जयनारायन तिवारी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ कि हमारे सम्मानित साथियों ने चाहे वह पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों अपने सुझावों से मुझे लाभान्वित किया है। उनके सुझाव निश्चित रूप से अनुकरणीय हैं। उनका अनुकरण किया जाना समीचीन होगा। बहुत सारी चीजें अम्बिका चौधरी जी ने कही थीं। प्रयास किया है, हमने पूर्वांचल के जनपदों में खासतौर से प्रयास किया है और बहुत सी त्रुटियां दूर हुई हैं। सबको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में निवेदन था-

"ऐ जज्वे जुनूं सैये तलब फाम नहीं,
मैं आम सही मेरी नजर आम नहीं।
मगरिब की हवाओं ने उड़ाये है बबूलें,
मशरिब की जमीं मौलिये इल्जाम नहीं।
वही बनानें चले है मुझे गुलाम,
जिन्हें सिखाई थी खाजमी मैंने।"

बहुत सारी चीजें मान्यवर, हल करने की आवश्यकता है। भाई रामतेज, भाई अम्बिका चौधरी, विनोद मणि जी, पोइया जी, पूर्णमासी पंकज जी ने गोरखानाथ पाण्डेय जी ने एवं अन्य लोगों ने जो विचार व्यक्त किए वह बहुमूल्य हैं। अग्नि पीड़ित परिवार को जिसके घर में आग लगती है उस कहर को कहा नहीं जा सकता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसकी अनुभूति कर सकते हैं, चाहे वह बड़ा हो या चाहे वह छोटा हो, चाहे वह गरीब हो, या चाहे वह अमीर हो, जब किसी के घर में पानी घुस जाता है तो वह न तो छुटपन देखता हैं, न बड़प्पन देखता है न अमीरी देखता है न गरीबी देखता है। वह सिर्फ बरबादी का काम करता है। अहेतुक सहायता के जो नार्म्स हैं इसका मापदंड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता

है गृह अनुदान को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुग्रह अनुदान को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि भारत सरकार का 75 प्रतिशत अंश होता है। लेकिन जो आज विचार आये हैं और जिस रेट से हम सहायता मुहैय्या कराते हैं वह बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाय इसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय और मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें सभी का सहयोग मिलेगा और आर्शीवाद मिलेगा और उसका निर्धारण हो जायेगा और हम उसको बढ़ा लेंगे। मान्यवर, हमारे सदस्य श्री पोइया जी ने कहा कि, पशुओं की बीमारी खुरपका है। खुरपका के लिए एक करोड़ का आवंटन किया गया है वह बहुत कम है; मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह धनराशि बहुत कम है लेकिन इसी के साथ मैं सम्पूर्ण सदन को यह आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से कोई बीमारी फैली तो जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, हम राहत निधि से देंगें और इस बीमारी को रोकेगें। हमारे भाई विनोद मणि जी, राम तेज यादव जी और अम्बिका चौधरी जी ने खाद्य वितरण के बारे में ज़िक्र किया था। मैं बहराइच गया था, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर, बलरामपुर व गौण्डा गया था वह मानक के अनुरुप नही था और देखा था कि वहॉ जो राशन और जिसका वितरण कराया जा रहा था उसको मैंने पकड़ा था उसकी जॉच करायी थी।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि उस जॉच में मैंने राइस मिल ओनर, जिसने वह चावल सप्लाई किया था, उसकी एफ0आई0आर0 करायी थी उसके बाद मैं वहां से गया था। बलिया में, हमारे भाई अम्बिका चौधरी जी ने कहा कि, वहॉ 94 का पैसा जो नाविकों का बकाया था वह 96 में दिया गया है और जो 96 का पैसा था वह 2001 तक नहीं दिया गया है तो यह सोचनीय बात है। मैं इस बात का संदर्भ प्रसंग सहित संज्ञान लेता हूँ और अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि इसकी जॉच करायें और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वह दण्डित होगा। मैं निश्चित तौर पर यह कहूँगा कि उनकी जवाबदेही होगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, आग और पानी से पीड़ित परिवारों को एक सप्ताह के अन्दर इसका अनुदान दिया जाय, यह बात आपकी स्वागत योग्य बात है। मान्यवर, अग्नि पीड़ित परिवारों को एक सप्ताह क अन्दर सहायता उपलब्ध करा देनी चाहिए और जो उपलब्ध नहीं करायेंगे उन्हें निश्चित तौर पर जवाबदेही देनी होगी चाहें वह जिलाधिकारी ही क्यों न हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसका एक आदेश वित्त मंत्री जी भिजवा दें।

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हरीश जी)-

मान्यवर, वह टी0आर0-27 से ले सकते हैं।

श्री जयनारायन तिवारी-

कलेक्टर को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया जा चुका है कि अग्नि पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के अन्दर कोशिश करके सहायता उपलब्ध करायी जाय और, यदि पैसा उपलब्ध नहीं है तो टी0आर0-27 से आहरण के लिए स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया जा चुका है। लेकिन बहुत से जनपदों से क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो सदन में चिन्ता व्यक्त की गयी है उसकी पुनरावृत्ति न होने पाये इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा। एक चीज कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और दैवी आपदा भगवान न करे यहॉ पर आवे। लेकिन जो घटना घटित होनी है वह निश्चित तौर पर घटित होगी। जिस समय उसे आना होगा उसको कोई बड़ी ताकत नहीं रोक सकती है न हम आप रोक पायेंगे। हमको आपको मिलकर के यह प्रयास करना होगा कि जब भी इस तरह की घटना घट जाये हम बहुत ही तन मन धन से उसको ठीक कर के उससे निजात दिलाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं भाई रामतेज से चाहूँगा कि उन्होंने कहा भी विपत्ति के फंड का कोई कटौती का प्रस्ताव रखना मैं समीचीन नहीं मानता हूँ। क्योंकि हम सभी का कर्तव्य है कि जब कोई दैवी आपदा आये तो हम उसको दूर करें उसका पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठकर निराकरण करें। भाई विनोदमणि जी ने फरेन्दा महाराजगंज के बारे में कहा हमने जिलाधिकारी का पत्र देखा है और आज ही प्रमुख सचिव राजस्व को निर्देशित किया है

कि उसकी छानबीन करके 24 घंटे के अंदर मुझे बतायें यदि किसी की गल्ती है तो जबावदेही सुनिश्चित करें। मान्यवर, दैवी आपदा में कोई भेद नहीं होता है। आपातकाले नास्ति नास्ति बहुत सी मार्यदाओं को पीछे छोड़ते हुए नयी मर्यादाओं से नाता जोड़ लेते हैं। जो भी आपने सुझाव दिये हैं उन सुझावों का स्वागत करते हुए भाई रामतेज जी से अनुरोध करूँगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय रामतेज जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा लेंगे जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है उसकी जांच करा लेंगे। ऐसी स्थिति में वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। आपने कहा कि बहराइच गया था 7 लाख रु0 उसमें निकलकर आया कई वर्षो का नावों का जनपद बहराइच में बाकी है। जहांगीरगंज के विधायक जी बता रहे थे कि उनके यहां बाकी है। हो सकता है कि आपके अधिकारी बताते हों कि नावों का भुगतान कर दिया जाता है लेकिन कहीं भुगतान होता नहीं है।

श्री नयनारायन तिवारी-

जिन जनपदों के माननीय सदस्यों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है मैं उसका परीक्षण करा लूँगा।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

बलिया का भी जिक्र आ गया, देवरिया का आ गया, विनोदमणि जी ने बात रखी। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,15,25,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक पर मतदान अनुदान सं0-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नारायन तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,79,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें विवाद नहीं होगा, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,79,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं0-60 वन विभाग

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)-

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,58,66,89,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

महोदय, मानव और वन का बड़ा अटूट संबंध है। वन के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मानव जीवन की सभ्यता का जो विकास हुआ वह वन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हमारे जितने भी सन्त, महात्मा, ऋषि हुए हैं उन्होंने जंगलों के अन्दर अपनी साधना करके देश और दुनिया को एक दिशा दी। इसलिये वन का महत्व हमेशा से हमारे लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हमारा भारतवर्ष भी वनों के प्रति बहुत जागरूक रहा, वन्य जीवों के प्रति बड़ा जागरूक रहा। आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिन्तित है। मैं सोचता हूँ कि आज के हजार दो हजार वर्ष पहले हमारे भारत वर्ष में कितने अनुभवी लोग थे, कितने बड़े भविष्यदृष्टा थे, उन्होंने वनों के महत्व को समझा था इसीलिए एक एक पेड़ पौधे को धर्म के साथ जोड़कर उसके आरक्षण का दायित्व एक एक इन्सान को दिया था। एक छोटे वन्य जीव के प्रति इतनी जागरूकता पैदा की, इतने छोटे वन्यजीव के जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी समाज को दी उस समय न कोई कानून था, न वन अधिनियम था लेकिन लोगों की जागरुकता और एक दृष्टि थी और उसके चलते लोगों ने वहाँ के वन्य जीवों के संरक्षण का दायित्व अपने ऊपर लिया था लेकिन आज हम पढ़े लिखे लोग जितना विकास की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में, औद्योगिक युग में आगे बढ़ रहे हैं मैं तो कभी सोचता हूँ, हा जितने भी आगे बढ़ जायें, जितने भी कल कारखाने लगा लें, जितना भी विकास हो जाय, लेकिन मौलिक जो हमारी आवश्यकता है, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी की, अगर वह नहीं रहेगा तो समाज और इस जीवन की कल्पना बेकार है। हमारे पूर्वज प्रकृति की अनमोल धरोहरों का उपभोग भी करते थे, साथ ही अपनी भावी पीढ़ी के लिये संरक्षित भी करते थे, लेकिन आज हम कभी भूल जाते हैं कि हम सृष्टि के अन्तिम व्यक्ति नहीं, आने वाले दिनों में भी सृष्टि चलेगी और अनवरत सिलसिला चलेगा, इसलिये हमको उतना ही हक है, जितने में हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिये प्रकृति को संरक्षित कर सकें इसके लिये हमको जागरूक होने की जरूरत है।

आज उत्तरांचल बनने के बाद एक चिन्ता सर्वत्र अखबारों के माध्यम से, स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रकट की जाती है। बात सही है कि उत्तरांचल बनने के बाद जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो हमारे प्रदेश का फारेस्ट एरिया है, वह घटकर 4.46 प्रतिशत रह गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2 लाख 43 हजार 287 वर्ग किलोमीटर है और उसके अन्दर वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 11 हजार 336 किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 4.46 प्रतिशत है। श्रीमन् सबको मालूम है कि प्रकृति का संतुलन बना रहे, हम इंसान को शुद्ध पानी, शुद्ध वायु मिलती रहे, इसके लिये पूरे भूभाग का एक तिहाई भाग वनाच्छादित होना चाहिये। यह आकड़ा हमें चिन्तित करने वाला है, इसलिये हमको, आपको, सबको सोचने की जरूरत है। आज यही नहीं, बहुत सी समस्यायें हमारे सामने हैं। पिछले दिनों इसी सदन में चर्चा हो रही थी कि इस अप्रैल के महीने में सबसे अधिक गर्मी, सबसे अधिक तापमान प्रदेश में लखनऊ का रहा। आज चिन्ता इस बात की है कि कार्बनडाइआक्साइड बढ़ रही है, जिससे तापमान बढ़ रहा है। हिमालय स्नोलाइन पीछे जा रही है और ग्लेशियर में कमी आ रही है। इसका नतीजा होगा कि हिमालय की बर्फीली चोटियों से, पानी का प्रवाह नदियों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को निरन्तर मिलता रहता है, एक ऐसी स्थिति आयेगी कि वह स्नोलाइन, वह ग्लेशियर बहुत कम हो जायेगें और हमारे सामने पीने के पानी की समस्या होगी।

हम पेड़ के बारे में सोचते हैं, पेड़ को देखते हैं तो उससे हमें पुरुषार्थ, परमार्थ, परोपकार की भावना जागृत होती है। आज इस बात की जरूरत है कि हम वन केवल इसलिये नहीं लगाये कि हमको छाया मिलेगी, फल मिलेगा। बल्कि हमारे लिये वन इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि जब हम विचार करते हैं, देखते हैं, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है, कृषि के बाद वन ही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है, लाभ मिलता है। पेड़ का लाभ वायु के साथ-साथ पानी के संरक्षण में, फल की उपलब्धता में भी है और जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसा कभी-कभी अखबारों में आता है, दुनिया के विद्वान इस बात की चिंता जाहिर करते हैं, विकासशील और विकसित देश पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आकाश में जो ओजोन लेयर है, उसमें ब्लैकहोल हो गया तो निश्चित रूप से मानव जाति के लिये, आबादी के लिये, प्राणि जगत को एक समस्या बन सकती है। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने पर्यावरण को ठीक कैसे रखें तो एक ही विकल्प है कि अधिक से अधिक वनीकरण का काम करें। हरीतिमा को कायम करें, अधिक से अधिक पौधों को लगायें। हमें प्रसन्नता है कि इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने, वन विभाग ने कुछ सार्थक प्रयास किये हैं, कुछ कार्यक्रम बनाये हैं, यदि हम इन कार्यक्रमों में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हम अपनी चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। एक अनुभव से एक बात सामने आई, आजादी के 50 साल के बाद से चाहे वन विभाग हो, चाहे और कोई विभाग हो, सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलायी गयीं लेकिन उसका वांछित लाभ नहीं मिला इन्हीं भावनाओं को देखते हुए हमने वन प्रबन्धन योजना पूरे प्रदेश में चलायी है उसकी भावना है कि हम नियन्त्रक की भूमिका में नहीं हैं, हमारा काम केवल दण्डात्मक नहीं बल्कि हमारा काम सहयोगात्मक है। इसी के तहत हमने 502 गाँवों का चयन किया है और उन गाँवों में वन समितियॉ बना रहे हैं, माइक्रो प्लान बना रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम विभाग की तरफ से थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ग्राम वन समिति जो माइक्रो प्लान बनाती है उसी को पूरा करने का काम आगे बढ़ाया जाता है। जो भी पैसा जाता है वह हम वन समितियों को देते हैं। हम 2001-2002 में करीब 8.29 करोड़ रूपये खर्च करने जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से हम 45 हजार 25 हैक्टेयर भूमि को लाभान्वित करेंगे, हम हरीतिमा का प्रयास करेंगे। दूसरी योजना यूको विकास कार्यक्रम है।

इस कार्यक्रम में हमने केन्द्रित किया है संरक्षित वन क्षेत्र को। जहॉ वन्य जीव बहुल हैं, वाइल्ड लाइफ जहॉ रहते हैं क्योंकि देखने में आता है कि गॉव के लोग अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए जंगलों में जाते हैं और जानवरों से उनका मुकाबला होता है और जिसके चलते जानवरों और इंसान के बीच एक विरोध पैदा होता है। हम इस इनमिटी को कम करना चाहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में हमने 5 कि0मी0 तक के क्षेत्र में 190 गॉवों का चयन किया है जिनको हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं जिससे उन गॉव के लोगों को जंगलों में आना-जाना कम हो और जानवरों से उनका सामना कम हो। इसके लिए इस साल करीब 5.7 करोड़ रूपये हमने व्यय करने का लक्ष्य रखा है। श्रीमन् हम सहभागिता को और आगे बढ़ाना चाहते हैं इसलिए हमने पंक्ति वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बनाया है, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे सड़क की पटरी हो, चाहे नहर की पटरी हो, हम वृक्षारोपण करते हैं और इसमें जो अन्तिम पंक्ति होती है जो किसान की मेड़ से सटती है, हम उसका स्वामित्व किसान को देते हैं जो हमारी अन्तिम पंक्ति की मेट जिसकी लगती है और जो बीच की पंक्ति रहती है हम उसमें उस गॉव सभा को इन्वाल्व करते हैं, उसमें गॉव सभा को हिस्सा देते हैं। मैंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों को देखा है, इस पंक्ति वृक्षारोपण का बहुत सुखद अनुभव आया है, किसानों ने इन पौधों को जो रेलवे लाइन के किनारे लगे हैं, सड़क की पटरी पर जो पौधे लगे हैं उनकी रक्षा का दायित्व लिया है। मान्यवर, हमारे जो संरक्षित वृह हैं वहॉ एक योजना चलायी है इसमें नेचुरल रिजनरेशन के मध्यम से विशेष रूप से जो साल के वन हैं हम वहॉ प्रिजर्व करके प्राकृतिक रूप से पैदा हुए पौधों को आगे बढ़ा रहे हैं और इस दिशा में भी हमें बड़ी कामयाबी मिल रही है और इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 5600 हैक्टेयर भूमि पर हम वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। श्रीमन् हमारी दूसरी कोशिश है विदेशों की तरह हम उत्तर

प्रदेश में उन्नतिशील प्रजाति के पौधों को लगाना चाहते हैं और एक नई तकनीक डेवलप की है "हाई टैक नर्सरी"। पूरे प्रदेश में 7 हाई टैक नर्सरी और 32 लो कास्ट नर्सरी स्थापित किये गये हैं। इसकी विशेषता यह होगी कि नियंत्रित जलवायु में पौध तैयार करेगें और जो पौधे तैयार होंगे उनकी विशेषता होगी कि कम से कम समय में मेच्योर हो जायेंगें तथा रोग से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता होगी। श्रीमन् जैसाकि मैंने पहले ही चिन्ता प्रकट की है कि हम वृक्षारोपण को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपने विभाग के माध्यम से संकल्प लिया है और जो अब तक शिकायत रहती थी कि जो पौधे लगाये जाते हैं वह उपयोगी और फलदार छायादार नहीं होते हैं। हमने विभाग को निर्देशित किया है कि जो भी वृक्षारोपण होगा उसमें 20 फीसदी फलदार व छायादार वृक्ष लगाये जायेंगें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहॉ भी पटरियों पर वृक्षारोपण हो रहा है, छायादार व फलदार वृक्ष लगाये जा रहे हैं।

हमारी कोशिश है कि प्रत्येक जनपद में औषधियुक्त पौधों की एक वाटिका लगायी जाये। हर जनपद में हम औषधि वाटिका लगा रहे हैं जिससे औषधीय पौधों के प्रति लोगों के मन में जागरुकता पैदा हो और उसके उपयोग करने की प्रवृत्ति जगे। क्योंकि एलोपैथ का बहुत बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और मैं जनता का सहयोग करना चाहता हूँ। श्रीमन् उत्तर प्रदेश के अन्दर जो भी महानगर हैं, उनमें भी विशेष हरीतिमा के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए "ग्रीनिंग आफ लखनऊ" योजना भारत सरकार से स्वीकृत करायी है और 98 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। इससे लखनऊ देश का सबसे हरा-भरा शहर बन सकता है। इसी तरह से अन्य बड़े शहरों को हरा-भरा बनाने का हमारा कार्यक्रम है। इस बरसात के सीजन में, मैं उत्तर प्रदेश के मंत्रि परिषद् और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे विनम्र अनुरोध पर प्रत्येक विभाग ने दशमलव 5 प्रतिशत धन देना स्वीकार किया है। इस योजना के लिए पैसे का इंतजाम करके इस बरसात में वृहद वृक्षारोपण कराने का निर्णय लिया है। जिस तरीके से पल्स पोलियों अभियान चलाया गया और सारे संस्थाओं और विभागों को इन्वाल्व किया, हमारी योजना है कि हम उसी पैमाने पर वृक्षारोपण का काम करें जिससे कि हर संस्था, दफतर, व्यक्ति वृक्षारोपण के साथ जुटे, उसकी जबावदेही सुनिश्चित की जाय। श्रीमन् उत्तर प्रदेश के जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं हमने ऐसे 50 गॉवों का चयन किया है और उनमें से 39 गॉवों पर 218.9 लाख रुपये की धनराशि व्यय कर रहे हैं और उनके समग्र विकास की चिन्ता हमारे सामने हैं। प्रदेश सरकार में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हमने उसका विकल्प निकाला है और डी0आर0डी0ए0 की तरह एफ0डी0ए0 के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों के लिए यह योजना स्वीकार हो गयी है और उनमें एफ0डी0ए0 के माध्यम से वनीकरण का कार्य करेंगें। और जनपदों के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सदन को मालूम है कि ताजमहल अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का विषय है। वन विभाग एवं अन्य विभाग के सहयोग से "ताज ट्रेपिजियम क्षेत्र" में आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद व एटा में एक विशेष योजना चला रहे हैं। ताज ट्रेपिजियम योजना को आगे बढ़ाने के लिए एशियन डेवलेपमेण्ट बैंक द्वारा योजना का प्रस्ताव किया गया है। मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है कि इसकी स्वीकृति के बाद इससे बहुत बड़ा काम होगा। मान्यवर, विश्व बैंक की योजना चल रही है इसका मिडटर्ममरिव्यू कर रहे हैं। फिजूलखर्ची रोक रहे हैं। कंसलटेंसी फोरेन टूर और वैहिकिल्स के बारे में हम समीक्षा कर रहे हैं, ताकि अनावश्यक चीजों पर अंकुश लगाया जा सके। मान्यवर, वन विभाग में दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है जिसके लिए 1 लाख 42 हजार 500 रूपये एलाट किया गया है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को जलाने वाली लकड़ी और ईधन और पशुओं के चारे के लिए ईधन और चारा योजना में 19 जनपदों को शामिल किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार और 50 प्रतिशत अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देगी। मान्यवर इसी तरह से औद्योगिक पौधों के विकास के लिए प्रयासरत हैं। औद्योगिक पौधों का रोपण करा रहे हैं। निजी क्षेत्र को हम उत्साहित कर रहे हैं और इसके लिए 4 जनपदों बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, सहारनपुर में विश्व बैंक की सहायता से योजना स्वीकृत करायी है। इसके अन्तर्गत निजी

पौधशाला चलाने वालों को 2 लाख रूपया अनुदान के रूप में देने का कार्यक्रम है। श्रीमन् अन्तराष्ट्रीय बार्डर एरिया डेवलपमेंट योजना, सिद्धार्थ नगर, महराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती शामिल हैं।

यह भारत सरकार की अनुमति से चल रही है। यहॉ पर वनों का संरक्षण और वनों का रख-रखाव करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, वन निगम का गठन 1974 में किया गया था मुझे प्रसन्नता है कि वन निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 126.30 करोड़ रूपये की रायल्टी मिली है और 2001-2002 में 70 करोड़ रूपये देने का लक्ष्य हैं। वन निगम ने जड़ी-बूडियों का काम हाथ में ले रहा है, ताकि इनका संरक्षण हो। इसी तरह से प्रदेश में इको टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए वन विभाग की योजना है। मान्यवर, जंगल लाज और रेस्टोरेंट की जो कल्पना है उसको प्रोत्साहन दिया जायेगा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। मान्यवर, तेंदू पत्ता, का संग्रह एवं बॉस तथा कुश का काम वन निगम के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। हमने वन अनुसंधान के काम को अपने हाथ में लिया है उत्तरांचल बनने के बाद देहरादून, हल्दवानी का रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्रदेश से निकल गया। हमने एफ0आर0आई0 कानपुर से शोध कराने की कोशिश की है, ताकि वन अनुसंधान का लाभ खेतों और खलिहानों तक पहुॅचे। मान्यवर, रिसर्च सेन्टर को प्रोडक्शन सेन्टर से जोड़कर उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। श्रीमन् शीशम को लेकर भी हम काफी चिन्तित हैं जैसा कि सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि, और अभी आगे चर्चा में भी यह आयेगा है। हम शीशम की सुरक्षा को लेकर काफी चिन्तित हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाय। इसके विभिन्न उपाय कर सकें। एफ0आर0आई0 के माध्यम से, शीशम में जो रोग लग जाता था उसको रोकने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, वन्य-जीव संरक्षण का कार्य भी हम कर रहे हैं, उत्तरांचल बन जाने के बाद 1 दुधवा नेशनल पार्क, 23 वन्य जीव विहार हमारे बीच में हैं। 2000-2001 में 85 अवैध शिकारी पकड़े गये, 144 बन्द हुए, मान्यवर, अवैध तश्करी की घटनाएं अक्सर अखबार में निकला करती हैं इसके बारे में उत्तर प्रदेश की 473 किलो0मी0 की सीमा नेपाल से लगी हुई है। हमारे रामतेज भाई नेपाल वार्डर के रहने वाले हैं, मैंने वहां पर जाकर देखा है कि जो नेचुरल वन उत्तर प्रदेश में थे वह हैं, लेकिन जो नेपाल में थे उनका पर्याप्त संरक्षण न होने के कारण वनविहीन हो गये हैं।

नेपाल की सीमा पर भूतपूर्व सैनिकों को बसा दिया गया है जिससे समस्या उत्पन्न हो गयी है हमने रिजर्व क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए कानपुर, ठागा, गाजियाबाद, इलाहाबाद में हमें एस0टी0एफ0 का सहयोग मिल रहा है वन संरक्षण के बारे में समय-समय पर चिन्ता जाहिर की जाती है। हमने 184 वन माफिया "अ" श्रेणी के चिन्हित किये हैं, जिनमें से 11 को रासुका में बन्द किया गया है और 74 को गैगस्टर एक्ट में बंद किया गया है और 27 को गुण्डा एक्ट में बंद किया गया है। इण्डो नेपल सीमा पर जो संवेदन शील है वहां पर 25 ए0पी0 गार्ड लगाये गये हैं और भूतपूर्व सैनिकों की सेवा ली जा रही है। पूरी सीमा पर 252 स्थायी वायरलेस सेट, 67 मोबाइल सेट और 309 हैण्ड सेट उपलब्ध कराये गये हैं जिससे कटान रोकने के काम में कमी आई है। इण्डो नेपाल बार्डर पर पुलिस की मदद से लेकर कटान रोकने का काम किया जा रहा है, और पोचिंग को रोकने के काम में मदद मिली है। मान्यवर, 1978 से लेकर अब तक 155 वनकर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हत्या के शिकार हो गये हैं वन विभाग की 25235 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण था जिसमें से 860.87 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया है। मान्यवर, बनों में आग लगने की घटनाएं होती हैं इसके लिए वन अग्नि सुरक्षा इकाई बनाई है इसके लिए स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और वाच टॉवर बनाये गये हैं और लोगों को हैण्ड टूल सेट उपलब्ध कराये गये हैं जिससे उत्तर प्रदेश में इस साल अब इन दुर्घटनाओं की शिकायते नहीं आई हैं, हमारा फारेस्ट एक्ट 1927 में बना था एक लम्बे अरसे से इसमें परिवर्तन करने के बारे में मांग आती रही क्योंकि 1927 से लेकर अब तक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है। हमें प्रसन्नता है कि हमने इसमें परिवर्तन किया है इसमें पांच बिन्दु प्रमुख थे, जिनमें संशोधन किया गया है और कानून मजबूत हुआ है। अवैध पातन में जो मुकदमें पहले कायम किये जाते थे वह जमानती होते थे अब जो मुकदमें कायम होगें वह गैर-जमानती होंगे।

अब तक जो अवैध पातन पर अर्थ दण्ड 500 रूपये होता था वह 20000 रूपये किया है जो सजा 6 महीने की थी उसको दो साल किया है। पहले अवैध पातने ओर शिकार करने के संबंध में असलहों और वाहनों को जब्त करने के लिए न्यायालय की भागदौड़ करनी पड़ती थी, अब इनको जब्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। अभी तक अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए हमें न्यायालयों में जाना पड़ता था इस संशोधन के बाद हम सक्षम होगे भूमि को खाली कराने के संबंध में। मान्यवर, वन संरक्षण नियमावली के संबंध में काफी दिक्कते आती थीं, सदन में इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है जो हमारा अधिनियम था उसमें सरलीकरण के लिए नियम बनाये हैं। पहले शासन की अनुमति देने के लिए 90 दिन की अवधि थी अब इस अवधि को 35 दिन की कर दिया गया है, अब उद्यान अधिकारी को रिपोर्ट पर आम पेड़ों को काटने की अनुमति दी गयी है कि आम के हरे पेड़ों को काटने या छांटने के संबंध में इससे सुविधा होगी।

हमारी जो वन कर्मचारियों की संख्या हैं उस सम्बन्ध में मंत्रि परिषद ने विचार किया है समूह "ग" के कर्मचारियों के लिए उनकी विनियमतीकरण का काम शुरू किया है। मान्यवर, रोपनीय नायक और जमादार, चालक के पदों पर विनियमतीकरण की कार्यवाही शुरू की है। मान्यवर, लखनऊ में प्रिस ऑफ वेल्स जूलाजिकल गार्डेन के नाम से जो "जू" है उसका नाम दासता का प्रतीक था, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मंत्रिपरिषद ने इस पर विचार किया और उसका नाम लखनऊ प्राणी उद्यान करने का निर्णय लिया है। मान्यवर, वन चेतना केन्द्रों का पोषण करने के लिए शासन कार्यवाही कर रहा है और निधि की स्थापना कर रहा है जिससे इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। मान्यवर, इसी तरह से सदन में वनरोज की समस्या पर चर्चा होती है इसके लिए जिलाधिकारियों को सक्षम बनाया गया है यदि किसानों की फसलों की क्षति वनरोज पहुंचाते हैं तो वह जिलाधिकारी की सहायता ले सकते हैं। मान्यवर, आरामिलों की समस्या प्रदेश में है, इसके लिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कर में यह निर्णय किया जिसका समादर करते हुए नयी आरामशीनों के ऊपर प्रतिबंध है। जो 1750 मिले स्थापित हैं उनके लिए विभाग प्रयासरत है कि इस संबंध में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाय। हमारे यहां अवैध खनन की समस्या है। मिर्जापुर, इलाहाबाद में अवैध खान की समस्या थी जिस पर अंकुश लगाया है। हमारे सामने टांगिया मजदूरों की समस्या है जिसके लिये कोशिश कर रहे हैं। हमारे सम्मुख अभाव है जे0आर0वाई0 और एस0आर0वाई0 तथा एम0डब्ल्यू0एस0 से हमको सहायता राशि मिलती थी इनके बंद हो जाने से हमको सहायता मिलना बंद हो गया है और हमारे सामने वित्तीय संकट है। हम भारत सरकार, प्लानिंग कमीशन और विश्व बैंक से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में वनीकरण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सम्मानित सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव देंगें। उनके सुझावों को समाहित करते हुये हम अपने संकल्प का आगे बढ़ाने की दिशा में कोशिश करेंगें। हमें विश्वास है कि हमें सबका सहयोग मिलेगा।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(इस समय 8.00 बजकर 05 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम औतार शाक्य पीठासीन हुए।)

मंत्री जी मेरे बड़े भाई के समान हैं, पड़ोसी भी हैं। बहुत वर्षो पहले से उनसे हमारे पारिवारिक सम्बंध है। इसलिए आज थोड़ा संकोच है। मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूँ और एक ही दिन दो विभागों के कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला यह मेरे लिए गव्र की बात है। आज इस कटौती प्रस्ताव में अपने बड़े भाई के विभाग की आलोचना करने का आदेश हुआ है जिसकी मैं जुर्रत नहीं कर पा रहा हूँ। मंत्री जी ने बड़ा सुन्दर वक्तव्य उतनी ही सुन्दर बजट प्रतियॉ उतनी ही सुन्दर विभागीय योजना उन्होंने बताई है। सब सुन्दर और अच्छा ही अच्छा है तो आलोचना करना मुझे मुश्किल हो रही है। फिर भी विभाग की हमदर्दी में और प्रदेश की जनता के हित में कुछ बातें मंत्री जी और सरकार को बताना मैं अपना फर्ज

समझता हूँ। जिन कारणों से अच्छे काम भी कभी कभी बदनामी के वाइस बन जाते हैं। आपके कभी वन विभाग को जो सिस्टम है जो काम करने का ढंग है, जो कार्य प्रणाली है उस पर गम्भीरता से विचार करने का काम किया है। जो योजनाएं आपकी बन रही हैं उनमें कितने प्रतिशत सफलता मिलेगी। 75 प्रतिशत, 100 प्रतिशत 25 प्रतिशत या 10 प्रतिशत या उससे कम होगी। मेरे मकान के सामने कचेहरी प्रांगड़ में सोशल फारेस्ट्री का आपने जिक्र किया वर्ल्ड बैंक के पैसे से शहर में प्लांटेशन आप करा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रोटक्शन गार्ड आप लगाते हैं। पिछले वर्ष उस कचेहरी प्रांगड़ में 28 पेड़ लगाए गए थे अभी साल पूरा नहीं हुआ है मुरादाबाद कचेहरी में अब 3 पेड़ शेष रहे हैं। तथा दो प्रोटक्शन गार्ड बचे हैं आपकी कितने प्रतिशत योजना सफल रही। आपकी योजनाएं तो अच्छी हैं, जनहित में हैं लेकिन इसमें काम करने वाली मशीनरी तथा विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार पर आप अंकुश लगा सकें तो अच्छा होगा। इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियो को सजा देने का काम कर सकें तो मैं मानता हूँ कि योजनाओं में सफलता मिलेगी। उस दिन यकीनन आप बधाई के पात्र होंगे। आप का वन क्षेत्र 52,812 वर्ग कि0मी0 जिसमें पहाड़ का 34,288 वर्ग, कि0मी0, और मैदानी 18,524 वर्ग कि0मी0 था। अब आपके पास बचा सिर्फ 4.4 प्रतिशत वन क्षेत्र। जैसा कि आपने अभी अपने बजट भाषण में भी उल्लेख किया है इसका प्रतिशत मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्रफल के मुकाबले एक प्रतिशत के आसपास होगा। 34,682 हेक्टेयर क्षेत्र पर तो भूमाफियाओं का कब्जा है अभी तक आपको तीन वर्ष हो गये सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि उनसे कब्जा छीन सकें। वन्य जीव विहार 29 में से 23 बचे, प्राणि उद्यान 3 में से 2 बचे हैं वन का क्षेत्र 11336 वर्ग कि0मी0 बचा है। कुछ आपके पास सोसल और कुछ रिजर्व फारेस्ट रह गये हैं। सोसल फारेस्ट के नाम पर नगरों में प्लांटेशन करा रहे हैं। विश्वबैंक और जिला योजनायें इसके अलावा अन्य कई योजनाओं से आपको पैसा मिलता है। 1999-2000 में 53506 और 2000-2001 में 34841 हैक्टेयर पर यानी 2/3 भाग विभागीय वृक्षारोपण हुआ। वृहद वृक्षारोपण 96-97 में 2212 लाख 1999-2000 में 1702 लाख और 2000-2001 में 1470 लाख पौधे लगवाये यानी हर साल 1/3 की दर से वृक्षारोपण में कटौती और आप सोसल फारेस्ट की बात कर रहे हैं। योजनाओं के धन का दुरूपयोग हो रहा है। जो पौधे आप लगाते हैं उनको आप पाल नहीं पाते है। आग से सुरक्षा कर रहे हैं भगवान का शुक्र अदा कीजिए। दुआ कीजिए आगे भी आग से सुरक्षा होती रहे। लेकिन जब आग लगती है तो आप पांच प्रतिशत भी रोकने में सफल नहीं होते। आपके पास साधन नहीं है टीम नहीं है योजनायें नहीं है। कोई ऐसी योजना बनायें जिससे इस पर काबू तुरन्त पाया जा सके। मैं ऑकड़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। वन निगम को 40 लाख दिया जा रहा है 28 करोड़ तनख्वाह में जा रहा है, कैसे चलेगा? निगम की दो सौ करोड़ को एफ0डी0 आपकी सरकार ने दबा रखी है। बहराइच में कालोनी बनाने की बात की गई धन स्वीकृत हो गया टेण्डर हो गया लेकिन वह पैसा कहाँ गया पता नहीं आज तक कोई कालोनी बन पाई। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस तरह से विभाग के कार्यो में जो रूकावट पैदा की जा रही है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है और उनको आप क्या दंड देंगें? किस तरह से वहां पर वन विभाग के कर्मचारी खुले जंगल में या मकान किराये पर लेकर रह रहे हैं। आप अपनी कालोनी नहीं बना पाये हैं। आपकी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, दूसरे लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। आपने इसको रोकने का भी प्रयास नहीं किया। आप इस होने वाले नुकसान को रोकने का काम करें। वन निगम बनने के बाद आपने सोचा कि कितना कटान वहां पर हुआ? आपने उसको जिम्मेदारी दी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपने जो वन निगम को जिम्मेदारी दी है जो मुख्य काम है। कितना कटान हुआ जंगल का और फिर उसमें कितना प्लान्टेशन हुआ, उस प्लान्टेशन को आप कितना जीवित कर पाये?

आपकी उपलब्धि तब मानी जायेगी जब कटान के बाद आप प्लान्टेशन करवायें और उस प्लान्टेशन के बाद आप 75-50 प्रतिशत कितना जीवित कर पाये। मेरे नजर में, मेरे करीब में पिपली रिजर्व फारेस्ट और डांडिया रिजर्व फारिस्ट है। पिपली रिजर्व फारेस्ट में 400 एकड़ भूमि से कटान 10-11 साल पहले किया

गया और आज तक प्लान्टेशन आपका विभाग नहीं करा पाया। जब लीज पर देने की बात होती है तब बता देंगें कि निगम बन गया है उससे अब हमारा ताल्लुक नहीं है। लीज का सिस्टम खत्म कर दिया है। अगर लीज का सिस्टम खत्म कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। वन निगम बनने के बाद आपने प्लान्टेशन का काम उसको दे दिया। लीज पर न दें, लीज पर न देने का निर्णय ले लिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जून 1998 में नीलामी हुई तराई के कुछ प्लाट्स की 7,8,9,10,11,12 नम्बर के प्लाट हैं पूर्वी तराई में बारह कोली रेंज में। यह कौन से नियम के अनुसार हुई। कैसे नीलामी हुई, कैसे पट्टे पर चली गई जब कानून ही समाप्त कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कटान हुआ है वहां बड़े बड़े एरिया में भू माफिया कब्जा करके खेती कर रहे हैं, जमीन को अपने कब्जे में कर रखा है दसियों साल से। अगर आप इस पर कुछ प्लान्टेशन करते तो आज आपको दसियों साल के पेड़ों की तैयार फसल मिलती। आपके विभाग के कर्मचारी/अधिकारी बिल्कुल लापरवाह हैं। उनका वहां पर भू-माफियाओं से महीना बन्धा है। वे महीने और साल के हिसाब से उनसे पैसा वसूल करते हैं इसीलिये प्लान्टेशन नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आपकी जानकारी में न हो इसलिये मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हर हालत में प्रदेश और जनता का नुकसान हो रहा है। आपकी जानकारी में आना जरूरी है। प्लान्टेशन का काम जो मस्टर रोल से होता है वह एक बहुत खराब व्यवस्था है।

आपके अधिकारियों ने बना रखा है एक लेबर से दो बजे दोपहर तक काम लेते हैं गड्ढा वगैराह खुदवाते हैं उसके बाद जो उसको मुआवजा कहिए, जो उसकी लेबरी मिलनी चाहिए उसके लिये उसको छूट दे देते हैं कि जंगल से वह अपने हिसाब की लकड़ी का कटान कर लें। उसकी जो उजरत हुई उसके एवज में यह लकड़ी जंगल से काटने देने का सिस्टम आपके जंगलात में बना है। आप जाकर चैक करा लें। रिजर्व फारेस्ट में यह हो रहा है। दो बजे तक काम कराने के बाद वह जितनी लकड़ी चाहे काट कर ले जा सकता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि वह लकड़ी शीशम की हो, खैर की हो या कोई अन्य कीमती लकड़ी हो। आपके अधिकारी का भी पैसा बच जाता है रोज के हिसाब से। यह सिस्टम चल रहा है। अगर आप अपने विभाग को बचना चाहते हैं तो आपको इस सिस्टम को रोकना होगा। इस दोहरे नुकसान को रोकिये। जो भूमि पड़ी है उसको लीज पर देने की दोबारा से व्यवस्था करें। एक बन्धी आमदनी विभाग को हुआ करती थी और जमीन की रखवाली भी होती थी। इस तरह से सरकार को एक बहुत बड़ा लाभ भी मिलता था। इसको गम्भीरता से सोचें। चोरी की लकड़ी रिजर्व फारेस्ट में खैर पैदा होता है डांडिया में, पीपली में खैर पैदा होता है उन्हीं क्षेत्रों के पास वन के किनारे कलकत्ता और बम्बई से लोगों ने आकर फैक्ट्रियां लगाई हैं। वह जिस कैपिसिटी के लोग हैं वह दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में फैक्ट्री लगाकर लकड़ी खरीद सकते हैं, यह जो फैक्ट्रियां हैं यह कत्थे की फैक्ट्रियां हैं खैर की लकड़ी से कत्था बनता है अगर यह दिल्ली बम्बई कलकत्ता में फैक्ट्रियां लगायेंगे तो कास्ट बढ़ेगी क्योंकि खैर की लकड़ी बहुत मंहगी होती है, वन के पास लगाने से चोरी से लकड़ी सप्लाई होती है। हल्दवानी और बरेली में जाकर देख लें फारेस्ट अफसर से व्यवस्था होती है चोरी से लकड़ी सप्लाई होती है, बंधा ठेका होता है इसीलिए कत्थे की फैक्ट्री फारेस्ट के किनारों पर चलती है कोई पकड़ा नहीं जाता है। जो चोरी की लकड़ी पकड़ने का सिस्टम है, जिसको वन विभाग के अधिकारी और फारेस्ट गार्ड पकड़ते हैं वह लकड़ी सड़ती रहती है आठ-दस साल में मुकदमों का निस्तारण होता है तब तक वह जंगल में सड़ती रहती है पीपली और डांडिया फारेस्ट में लकड़ी सड़ रही है।

वहां आपके कर्मचारी खैर की लकड़ी जो बहुत मंहगी है उसको जलाकर आग तापते हैं और रात काटते हैं उसको पूछने वाला कोई नहीं है इसमें मेरा यह निवेदन है कि जो चोरी की लकड़ी होती है उसको नीलाम कराया जाए, और उसका जो पैसा हो उसको जमा करा दिया जाए, मुकदमें का जब जजमेंट होगा तो पैसा उस आधार पर दिया जाएगा लेकिन उस लकड़ी का उपयोग तो हो जाएगा। जो होने वाला नुकसान है हजारों कुंटल लकड़ी सड़ रही है वह तो बरबाद नहीं होगी। इस तरह से यदि हर कार्नर से

देखा जाए तो वन विभाग को नुकसान पहुँच रहा है इसकी जिम्मेदारी है आपके विभाग के अधिकारियों की। मैं बहराइच का एक दृष्टान्त देना चाहता हूँ एक गैम्यार कैमिकल होता है जो बड़े स्टाक में पकड़ा गया यह अवध खाद्यान फैक्ट्री बहराइच में है उसकी सम्पत्ति है यह किस काम आता है जब यह पता किया गया तो वैज्ञानिकों ने चेक करके बताया कि यह कत्थे में मिलावट का काम करता है, यह कत्था फैक्ट्री में बरामद हुआ मिलावट हो रही थी। जब इसमें इन्क्वायरी हुई तो आपके अधिकारियों ने कहा गैम्यार जंगल का प्रोडक्ट नहीं है इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं है और न ही यह जुर्म है इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं है लेकिन जंगल के प्रोडेक्ट को फैक्ट्री में पकड़ा गया है वहां इसका कोई यूज नहीं है यह अधिकारियों ने कह दिया जबकि यह इतना बड़ा घोटाला है मिलावट का केस बनता है चोरी से लकड़ी कटी थी कत्थे में मिलाने के काम आती थी आपके आपके अधिकारियों ने कहा कोई आफेन्स नहीं बनता है यह कहकर मामला निपटा दिया। श्रीमन् मुरादाबाद ऐसा शहर है पैसा बहुत है एक्सपोर्ट का धन्धा है लेकिन वहां कोई पार्क नहीं है, कोई घूमने की जगह नहीं है, पहले भी जनप्रतिनिधियों ने चिन्ता व्यक्त की। 15-16 साल पहले यहां फारेस्ट की सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी थी, वहीं एक डीयर पार्क का उद्घाटन वहां हुआ, मा0 मंत्री जी आप 2-3 माह पहले वहां मुआवना करने गए थे। मेरे क्षेत्र में आता है। हालांकि बदकिस्मती से उनका कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे नहीं दिया गया इनके अधिकारियों के द्वारा। मैंने सोचा मैं भी चलूँ और माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन कर लूँगा। मेरे क्षेत्र का मामला है। वहाँ पर बहुत से पेड़ लगे हैं और उनमें यह लिखा है कि यह देवता के समान है। इसके फूल देवता को चढ़ाने के काम में आते हैं, फल मनुष्यों को पेट भरने के काम में आता है और इसकी जो छाया होती है वह अतिथियों को छाया देने के काम में आती है। आप पार्क में गये आपने विचार किया कि कोई पेड़ ऐसा भी है जिसमें फल, फूल और उसकी छाया हो। वहाँ पर तो सब यूकेलिप्टस के पेड़ हैं जो कि बहुत ऊंचे होते हैं और न उसमें फल लगता है और न फूल और न ही वह छाया दे पाता है। आप आदेश करा देते कि यहाँ पर ऐसे पेड़ लगाये जाये जो फल, फूल और छाया दें लेकिन इतनी ताकत आपमें है नहीं। मान्यवर, वहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम डियर पार्क। उसमें पॉच-छः हिरन पाले गये थे। लेकिन अब स्थिति वहाँ पर यह है कि वहाँ पर एक हिरन है, एक लंगूर है, एक बारासिंगा है और एक क्रोकोडायल है। मैं वहाँ गया था और मैंने देखा भी है।

मान्यवर, हिरन तो दल बदल के साथ रहने वाले हैं। दो चार और छोड़ देते। इसी तरह से बारासिंगा और लंगूर भी दल-बल के साथ रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं तो एक हिरन और छोड़ दो जोड़ा हो जायेगा लेकिन वहाँ के लोगों ने यह कहा कि केन्द्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है जोड़ा बनाने के लिए हम खुद परेशान हैं। तो यह बड़ी विचित्र स्थिति है। कौन से नियम आड़े आ रहे हैं और अगर आड़े आ रहे हैं तो उनको जंगल में छुड़वा दीजिये। मान्यवर, मुरादाबाद शहर करोड़ों रूपयों का राजस्व देता है। आपने कोई ऐसी योजना बनायी जिससे सारी फारेस्ट्री सुरक्षित हो जाय। मान्यवर, आज जो वहाँ का डियर पार्क है वह डियर पार्क न होकर डीयर पार्क हो गया है। लोग इसको इसी काम में लाने लगे हैं। तो इसे आप रोकें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हिरन का जोड़ा तो बना दें साथ ही केन्द्र सरकार से इस बात की परमिशन भी ले लें कि इस श्रेणी में जितने मंत्री आते हैं उनका भी जोड़ा बनाया जाय।

डा0बकार अहमद शाह-

या फिर उन्हें जंगल में छुड़वा दें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजनकर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं पशुपालन मंत्री जी से कहूँगा कि वे इसका ध्यान रखें।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, आपकी वन सम्पदा निरन्तर घटती जा रही है। जनता की तरफ से कम होता है अधिकारियों की वजह से ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और एक अधिकारी इस हद तक पहुंच गया है कि बड़े-बड़े श्वेत

पत्र छप रहे हैं, कोई अधिकारी, के0एन0सिंह है, तमाम दिल्ली और लखनऊ के अखबारों में उनका नाम छप रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

इन्हीं कारनामों की वजह से एक श्वेत पत्र और छपा जिसमें लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, गांधी जी का फोटो छापकर के। इन अधिकारी की वजह से वानिकी परियोजना में लक्ष्य से कम लगे पौधे। एक पौधे पर आप देते हैं 20रु0 जबकि खर्चा आता है 40रु0 45रु0। पैसा आपके पास होता नहीं। केन्द्र सरकार की रकम वह पूरी की पूरी दायें बांये कर रहे हैं। अधिकारी आपको प्लान बनाकर देते हैं और उसका सदुपयोग नहीं होता है पुलिस संरक्षण में चल रही आरा मशीनें। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं महीना बंधा हुआ है यदि कोई शिकायत कर देता है तो आपके अधिकारी जाते हैं पुलिस से ज्यादा मोटी रकम अपनी महीने की बंधवा लेते हैं। वह आज़ भी आरा मशीनें चल रही हैं। "अधिकारियों की लापरवाही से वीरान हो रहे हैं जंगल"। "अव्यवस्थाओं के मामले में अव्वल हैं वन विभाग।" आपके यहां स्थानांतरण नीति की धज्जियां उड़ाई गयीं नीति के विरुद्ध उसके बावजूद 193 वन क्षेत्राधिकारियों को इधर उधर कर दिया गया एक फोटो छपा है। "आंकड़े सच्चाई से दूर।"

मान्यवर, पूरा कटा हुआ है जंगल कटान दिखाई दे रही है नीचे मंत्री जी का फोटो छपा है। सच्चाई यह है आपके आंकड़ों के अलावा। जनता देख रही है। आप कितने संवेदनशील हैं इसके प्रति। 55 खालें शेर की पकड़ी गयी यह मय फोटो छपा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शिकार कुछ ज्यादा ही होता है खालों के तस्कर चीते, हिरन व अन्य पशुओं की खालें ऊंचे मंहगे दामों पर विदेशों में बेचते हैं। वन विभाग के मुताबिक 49 अवैध शिकारियों को चिन्हित भी किया गया। कोई कार्यवाही हुई है किसी शिकारी पर। वन माफियाओं पर तो आपकी कार्यवाही हुई है। आपने मीसा और गैंगेस्टर एक्ट तो लगा दिया। आपने 49 में से किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? आप नहीं कर पाये हैं आपके अधिकारी होने नहीं देते हैं। कूड़े में तब्दील हो रही है करोड़ों की वन सम्पदा। वनों के विनाश से बढ़ती समस्यायें। कागजी खानापूर्ति कर वन सम्पदा का दोहन करने वालों की पौ बारह। क्यों हो रहा है यह सब विभाग की बदनामी हो रही है। आपकी नेकनीयती में कोई कमी नहीं है मंत्री जी। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है कौन आपको बदनाम करना चाहता है? हम सब चिंतित है आपके विभाग की बदनामी से। माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने भी चिन्ता व्यक्त किया है उ0प्र0 के शिकारियों के बारे में और छपा भी है। राज्य में बाघ व तेन्दुओं के मारे जाने को लेकर अब प्रधानमंत्री भी चिन्तित। आपके 1994 में बाघ की पकड़ी गयी खालें 05 मारे गये बाघ-0, तेन्दूए की पकड़ी गये खालें 10. 1995 में बाघ ही खालें पकड़ी गयी 5 तेन्दुए की 15 और मारे गये तेन्दूए 1, 1996 में बाघ की पकड़ी गयी खालें 11 मारे गये बाघ 3, तेन्दूए की पकड़ी गयी खालें 17 मारे गये तेन्दूए 06 इसी तरह से 1997 में 06 बाघ की खालें, 15 मारे गये बाघ, तेन्दूए की खालें 34 और मारे गये तेन्दूए 10, 1998 में यह आंकड़ा है 5,6,24 और 7 का, 1999 में 11, 8, 69 और 1 का है। और 2000 में 8 बाघ की खालें पकड़ी, दो मारे गये और 180 तेन्दूए की खालें पकड़ी गयी, एकदम से चार गुना हो गयी। इसी तरह से 2001 में 4 बाघ की खालें पकड़ी, 8 मारे गये और 32 खाले तेन्दुए की पकड़ी गयी है तो अभी तक के सारे रिकार्ड आपने तोड़ दिये और इस पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है आपके विभाग और आपके प्रदेश के वन विभाग की व्यवस्था के ऊपर। मान्यवर, अवैध शिकारियों को बुलाकर आपके अधिकारी शिकार करवाते हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री ने 29 मार्च, 2001 को माननीय मुख्य मंत्री श्री-राज नाथ सिंह को अपनी तरफ से एक चिट्ठी भेजी है और उसमें अपनी तरफ से चिन्ता व्यक्त की है। यह देख लीजिए माननीय अटल बिहारी जी की चिट्ठी है उनकी चिट्ठी के बाद

आपने यह निकलवा दिया कि वन्य अधिकारियों पर शिकन्जा कसने की योजना बनाई उसके बाद आपने दबवा दिया। वह योजना कितनी सफल है उसके पीछे कारण क्या है?

मैं बताता हूँ आपके विभाग में कोई अधिकारी है मिस्टर आर0एल0 सिंह, मेरे पास भी उनके बहुत से कारनामे उजागर हुए शिकायतें आई। मैंने एक लम्बी चौड़ी शिकायत आपको लिखकर भेजी और उसीमें मुख्य मंत्री को लिखकर भेजा उसमें सारे आंकड़ों की मैंने कहा कि जॉच करा लीजिए। यह शिकायत मैंने भेजी थी 3 जनवरी, 2000 को और आज डेढ़ साल होने जा रहा है, क्या हुआ इसका, क्या जॉच हुई, क्या परिणाम हुआ, बट्टे खाते में चला गया इसके बारे में आपने पता लगाने की कोशिश की? मान्यवर, इनके विभाग की एक चिट्ठी जरूर आई थी। इसको देखकर बड़ी विचित्र सी परम्परा लगी उसमें लिखा था कि इस जॉच के बारे में ऐसी अगर शिकायत की है तो आप फला तारीख तक अपने साक्ष्य लेकर उपस्थित हों। तो अब आपके विभाग के अधिकारी की तरफ से एक जनप्रतिनिधि को यह आदेश दिया जायेगा एक विधायक का अब यह स्तर रह गया है कि वह साक्ष्य लेकर एक अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो। वह शिकायत करता है जनता के हित में जनप्रतिनिधि की सोच हर तरफ से हैं। अगर हम जॉच की मॉग कर लें तो साक्ष्य लेकर आपके अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा मैंने जो शिकायत की है उसके आंकड़े आपके विभाग में मौजूद हैं कितना खर्च हुआ है कितना नुकसान पहुँचा है इसकी जॉच आप कराते, आपका विभाग विजिलेंस से जॉच कराता लेकिन विजिलेंस की जॉच के पक्ष में आप रहते नहीं हैं जिन आर0एल0 सिंह की बात हुई पिछले मुख्य मत्री राम प्रकाश गुप्त ने विजिलेंस की जॉच के आदेश कर दिये थे लेकिन आप अगले दिन ही उस मुद्दे को लेकर भिड़ गये।

माननीय शिवाकान्त ओझा जी की शिकायत पर यह जॉच के आदेश हुए थे और आप भिड़ गये कि इसकी जॉच विजिलेंस से नहीं होगी विभागीय जॉच होगी। अगले दिन मुख्य मंत्री जी को किन्हीं कारणों से वह जॉच समाप्त करनी पड़ी। आप तो विजिलेंस से जॉच कराना नहीं चाहते। इन्हीं आर0एल0सिंह का कारनामा है। जू का नाम बदलकर अब प्राणि उद्यान कर दिया गया है यहॉ पर डेलीवेजेज पर लोग काम करते हैं और इसमें एक कर्मचारी आपका काम करता था उसने सन् 92 तक काम किया है राम फेर सिंह उसकी बल्दियत है जंग बहादुर सिंह। इसका नाम सीनियरिटी लिस्ट में 45 नम्बर पर है। इसकी सेवा में आने की तिथि है 4.12.96 यह इसलिये है कि पहले जब काम करता था पहले छोड़कर चला गया 4 साल बाद फिर डेलीवेजेज पर आकर लग गया और उसकी सीनियरिटी 45 नम्बर पर अंकित कर दी गयी। लेकिन इन आर0एल0सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह डायरेक्टर चले गये और दूसरे डायरेक्टर जो आये मिस्टर जी0पी0 शर्मा साहब, उनसे दूसरी सीनियरिटी लिस्ट तैयार करवाई गयी और उसे 45 नम्बर से बदलकर 5 नम्बर पर रख दिया गया, ओवरराइटिंग करके उसको ज्वाइनिंग दी 16.3.83 को। यानि 11 साल पहले की। उनको नं05 पर लाना था, उसके बाद डाइरेक्टर का अधिकार है, हटाने का, स्थाई करने का, आपने अपनी नौकरी खतरे में डालकर इन्हें नहीं किया, लेकिन आर0एन0सिंह, जिनको अधिकार भी नहीं था, उन्होंने इन्हें अपनी कलम से स्थायी कर दिया, इतने बड़े-बड़े फ्राड आपक विभाग में किये जा रहे हैं जिन्हें मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। बचाइये अपने विभाग को इन लोगों से। एक आपके विभाग में बच्ची सिंह, कनिष्ठ लिपिक हैं। उनके खिलाफ गबन की जॉच हुई। आपके मुख्य वन संरक्षक श्री डी0एस0 तोमर ने इसकी जॉच की और उन्होंने अपनी जॉच में लिखा कि सभी आरोप सिद्ध हुए हैं। मैं अंतिम पैरा पढ़ दे रहा हूँ, जिससे पूरी बात स्वत: स्पष्ट है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी को दंडित करना नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से किया जाना उचित होगा। यह अनुशासनिक कार्यवाही का प्रकरण पी0ए0सी0 पैरा से भी संबंधित है। पी0ए0सी0 पैरा तब ही ड्राप होगा, जब तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी तथा अपचारी कर्मचारी को उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिये दंडित किया जायेगा।

इस प्रकार यह मामला पी0ए0सी0 तक पहुँचा है, लेकिन इन्हीं आर0एल0सिंह के प्रभाव से जॉच रिपोर्ट खत्म कर दी गई और आज भी वह व्यक्ति निर्दोष होकर काम कर रहा है। मान्यवर, जहॉ यह सब हो रहा है, जहॉ बड़े-बड़े घोटाले चल रहे हों, जिनका मैं नाम उल्लिखित कर रहा हूँ, उन्होंने कितनी हवाई यात्रायें की हैं। आपके विभाग में किसको, कितनी हवाई यात्रा उपलब्ध है। यह आर0एल0सिंह साहब हर महीने एक-दो हवाई यात्रा जरूर करते हैं। यदि आप जरा भी विभाग के प्रति संवेदनशील हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की इच्छाशक्ति नहीं है तो मैं आपको मजबूर भी नहीं कर सकता। बरहाल जानकारी में आपके ला रहा हूँ। मैं एक मामला और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। एक आदेश के अनुसार हिरण की सींगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब इसका परमिट नहीं मिलेगा, केवल ट्रांसपोर्टेशन ही कर सकता है, 1998 में इसे टोटल बैन कर दिया गया कि अब कोई सींग नहीं ले जा सकता, फिर भी आपके विभाग से 1998 के बाद कितने परमिट जारी हुये हैं, क्यों हुये हैं, यह पता करवा लें। इसकी जॉच कराइये, शेर, चीतों की खालें तो रोज ही पकड़ी जा रही हैं, यहीं से निकल कर जा रही है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। आपने एक पद दिया है, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का। आपका जो लिट्रेचर मुझे मिला है, इसमें प्रगति विवरण के पृष्ठ-3 पर आपके वन विभाग का प्रशासनिक ढांचा दिया हुआ है, इस ढांचे में माननीय मंत्री जी मुझे कहीं यह पद दिखाई नहीं दिया, जिस पद की मोहर के साथ, दस्तखत यह करते हैं, आर0एल0सिंह साहब। क्या यह पद नं02 का है, या यह अधिकारी नं02 का है, क्यों यह इस ब्योरे में नहीं है?

मान्यवर, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इन बातों को यहीं छोड़ रहा हूँ। वन्य जीव क्षेत्र जो होता है, उसकी वन संरक्षक की जिम्मेदारी होती है। एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान था, जो अब चला गया। इन आर0एल0सिंह साहब ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का चार्ज अपने हाथ में क्यों ले रखा था, वन संरक्षक को क्यों नहीं दिया था, इसलिये कि वहॉ से हर साल 500-600 अखरोट के पेड़ काटकर जाया करते थे और पार्टी से इनकी डीलिंग चलती थी, इसलिये इस उद्यान को इन्होंने अपने चार्ज में रखा, जबकि बाकी उद्यानों को वन संरक्षक देख रहे हैं। मान्यवर, अब मैं अपनी बात को समाप्ति की तरफ ला रहा हूँ। एक चीज और आपकी जानकारी में डाल दूँ कोई कार्यालय बना है इन्हीं सिंह साहब का, लकड़ी की फिटिंग करायी गयी है, उसका पैसा कहां से आया, उस पर 2, सवा 2 लाख खर्च हुआ है, कृपया इस चीज की जानकारी अपने पास मँगा लें। मेरी जानकारी के अनुसार जो डी0एफ0ओ0 को देते हैं, डेलीवेजेज की तनख्वाह के लिए, लखनऊ के डी0एफ0ओ0 का जो पैसा है, को न देकर और फर्जी मस्टररोल दिखाकर सिंह साहब का वह लकड़ी का काम कराया गया है। इसकी जॉच आप करा लें। बहराइच करतनिया घाट में तीन गैंड़े लाये गये थे, वन विभाग उनकी सुरक्षा कर रहा है, इसकी सुरक्षा के लिए एक जिप्सी भी वहां दी गयी थी। एक, दो महीने बाद ही वह जिप्सी बहराइच से लखनऊ आ गयी, आर0एल0 सिंह के घर पर यूज हो रही है, नतीजे के तौर पर दो गैंड़े मार दिए गये, अब एक बचा है, कृपया इसको भी देखें। जंगलों में घास-फूस का ठेका होता है। मिया घाट और अन्य जगहों पर 200 रूपये प्रति बैलगाड़ी, 8-10 लाख का सालाना ठेका वहॉ 3-4 वर्षो से चल रहा है, यह सब कहॉ जा रहा है? इन्हीं वनों में चाहे करतनिया घाट हो या अन्य यहॉ से गूजर बिरादरी रहती है, वे लोग दूध का काम करते हैं, इनसे प्रति भैंस 20 रूपये लिया जा रहा है, क्या ऐसा कोई फारेस्ट एक्ट में नियम है, कोई ऐसा कानून है, यदि हमारी यह जानकारी गलत है तो हमें सजा मिलनी चाहिए, अगर ऐसा एक्ट नहीं है और 20 रूपये प्रति भैंस के हिसाब से लिया जा रहा है, और उन्हें वहॉ ले जाने की अनुमति दे रखी है जहॉ अनुमति नहीं है वहॉ पर 6 डेरे मौजूद हैं।

आपकी जानकारी मैं यह सब इसलिए डालना चाहता हूँ हमें हमदर्दी है, आप से, इस प्रदेश और प्रदेश की जनता से इतना महत्वपूर्ण विभाग जिसे आपने मनुष्य के जीवन से जोड़ा है, जिसे आपने पेड़, पानी और पहाड़ से जोड़ा है। सीधे-सीधे मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर सरकार इसे नहीं रोकना चाहती है तो इससे ज्यादा बुजदिल, संवेदनशील और कोई नहीं हो सकता और अगर जरा भी संवेदनशील

है तो एक्शन लीजिए, जॉच कराइये कि कौन अधिकारी क्या कर रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को रखते हुए और यह उम्मीद लेकर कि जब मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दें तो आश्वस्त करें कि इस पर कार्यवाही होगी और वन मंत्री जी वन विभाग को इन घोटालों से मुक्ति के लिए वादा करेंगे। उनके उत्तर भाषण में इस उम्मीद के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ आपने माननीय वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं वन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, वन संरक्षण अधिनियम 1991 की तरफ। श्रीमन् यह पूरा देश परम्पराओं का देश है और पूरे देश में विभिन्न धर्मावलम्बी, पूजा-पद्धति के लोग श्रीमन् अलग-अलग तरीके से अपनी पूजा और आराधना करते हैं। बहुसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, साधु, सन्त, गृहस्थ परिवारों में भी पूजा और आराधना के दौरान परम्परा है कि मृग चर्म का उपयोग करते आ रहे हैं। यह भी मान्यता है कि जब पुराने जमाने में जंगलों में ऋषि और महर्षि आराधना व पूजा करते थे तो वह मृग चर्म का प्रयोग इसलिए करते थे, उनका विश्वास था कि रात में शयन कर रहे हैं और मृग चर्म पर आसीन रहेंगें तो सर्प दंश नहीं मार सकता। श्रीमन् जो अधिनियम 1991 में अधिनियमित हुआ है धीरे-धीरे उसे प्रभावी किया जा रहा है। वर्तमान सरकार इस पर विशेषे ध्यान भी दे रही है कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाये और उसके प्राकृतिक संसाधनों का, जिसका कि मानव जीवन में ढ़ेर सारा उपयोग है जिनकी कमी होगी तो उसका नुकसान भी है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिनके पास पुराने समय से मृग चर्म है और वह उसका उपयोग करते आ रहे हैं, उनकी मान्यता और पूजा-पद्धति से जुड़ा सवाल है, उन्हें भी संरक्षण मिलना चाहिए। जो वन्य जीवों की हत्या करते हैं, उन पर प्रतिबन्ध रहना चाहिए लेकिन इसके भीतर से कोई प्राविधान निकालना होगा जिससे जो पूजापद्धति में पुराने समय से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, उन्हें संरक्षण मिले। श्रीमन् सभी माननीय सदस्य जानते होंगें कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो मृग चर्म का उपयोग किया जाता है।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

आपकी सरकार है, उसके शिकार पर से प्रतिबंध हटवा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मिश्रा जी का यह आशय नहीं है, वह एक सुझाव दे रहे हैं।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको दृष्टि में रखकर जो अधिनियम है वह कैसे प्रभावी होगा और अगर वह पूरी तरह से प्रभावी होगा जैसे अपने रुप में है, तो इसमें क्या कठिनाई उपस्थित होगी, उसको कैसे संरक्षण देंगें, इस पर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस पर ग्राम्भीरता से विचार करें। श्रीमन् मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ सामाजिक वानिकी के बारे में। किसी जमाने में हाथ से ऐंठ कर ग्रामोफोन बनाया जाता था, धीरे-धीरे विकास हुआ ग्रामोफोन की जगह अच्छे-अच्छे कैसिट रिकार्डर संयन्त्र आने लगे और आजकल के युग में कई-कई विधायें एक संयन्त्र के भीतर सन्निहत हैं, उसका उपयोग हो रहा है। वृक्षों के ऊपर जब चिन्तन करते हैं तो उसका बहुआयामी उपयोग है, चारे, फूल-फल, जलाने के लिए लकड़ी से लेकन, फर्नीचर और यहां तक उपयोग है कि जलाने के बाद उसके कोयले की राख भी मानव जीवन में उपयोग में आती है। माननीय मंत्री जी, जब वृक्षारोपण होता है तो यह धारणा नहीं होती कि ऐसे वृक्षों के रोपण पर विशेष ध्यान दें जिसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। मान्यवर, उसका फल भी मिला है, उससे आक्सीजन मिलती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। मान्यवर, सड़कों के किनारे जो पेड़ लगते हैं चाहे वह आम के हों, कटहल का हो या किसी चीज का हो उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। पिछले समय यह काम किया गया कि बहुत से जगहों पर बबूल लगा दिये गये जिसका लाभ उतना

नहीं मिला। मान्यवर, 1991 में कानपुर में वनीकरण का काम लगातार वन आन्दोलन के रूप में हुआ है इसमें करोड़ों रूपये विभिन्न संस्थाओं द्वारा खर्च करके यह वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया था और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक वन क्रांति के रूप में चला था जिससे महानगर कानपुर हरा-भरा हुआ था। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक किदवई नगर है। वहाँ एच0आर0आई0 से लगा हुआ प्रशिक्षण संस्थान है। वहाँ पर एक उद्यान भी है जहाँ पर 10-12 हजार लोग मार्निंग वाक के लिए आते हैं। यह उद्यान काटने की कोशिश की जा रही थी जिसको मंत्री जी ने रूकवाया है जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन आज वहाँ की स्थिति खराब है पेड़ उजाड़े जा रहे हैं और वहाँ की बाउन्ड्री वाल क्षतिग्रस्त हो गयी है मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस संबंध में ध्यान देकर धन आवंटित कर इसको विकास की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। इन्हीं दो तीन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, मैं मा0 सौलत अली द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बहराइच जनपद से चुनकर आता हूँ वहाँ बड़े-बड़े जंगल थे जिनको मैंने बचपन से लेकर के उनकी जवानी देखी है और मैं अब उनका बुढ़ापा देख रहा हूँ। वहाँ के जंगलों से वन्य जीवों का सफाया हो गया। मंत्री जी ने कई बार वहाँ का दौरा किया है और कटान पर रोक लगायी है। वहाँ परकरतनिया घाट में बेतफल होता है जिसके तीन चार ट्रक कलकत्ता भेजे जाते हैं और 8 लाख रबरफूल हर साल चोरी से बेचा जाता है स्मगल किये जाते हैं। वहां इसकी खबर वन उच्च अधिकारियों तक पहुंचायी जाती है तो अधिकारियों से पहले इसकी खबर स्मगलरों तक पहुँच जाती है। मान्यवर, पहले वाईल्ड लाइफ बोर्ड हुआ करता था जिसमें प्रतिष्ठित लोग और विधायक हुआ करते थे उसको खत्म कर दिया गया है। बहराइच में बहुत ही रोटिन अधिकारी भेजे जाते हैं, कृपया ऐसे अधिकारी हमारे यहाँ न भेजे जाये और योग्य तथा जंगलों के जानकार अधिकारी भेजे जाये इनको दो तीन इन्क्रीमेंट अलग से दिये जाये। अब जंगलों में शेर, चीता और तेंदुये ही बचे है अन्य जानवरों का सफाया हो गया है। मान्यवर, आज बहराइच के जंगलों की यह स्थिति हो गयी है कि वहां आज सिर्फ कुछ शेर, कुछ चीतल और कुछ ही तेंदुए रह गए हैं। मान्यवर, उनको किसी शिकारियों ने नहीं मारा है। मान्यवर, लक्ष्मीपुर दुधवा नेशनल पार्क में साम्भ डियर हुआ करते थे लेकिन आज उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है एक भी नहीं बचा है। मान्यवर बहराइच में कभी 5-5 हजार चीतालों के झुण्ड हुआ करते थे लेकिन वहां आज फारेस्ट रेन्ज के करीब में कहीं एक दो मिल पाते हैं फारेस्ट रेन्ज के जंगल पूरी तरह समाप्त हो गये बस एक साथ रह गये हैं। इनको किसी शिकारियों द्वारा नहीं मारा गया है,तस्करों द्वारा नहीं मारा गया है। मान्यवर, आज वहां फारेस्ट ही खत्म हो गये हैं, उनके रहने के लिए जगह ही नहीं है, वह जब गांव में पानी पीने जाते हैं, तो वह गांव वालों द्वारा मार दिये जाते हैं, जंगलों के न होने से वह जानवर मारे जा रहे हैं। आज अब उनके रहने के लिए जगह ही नहीं है तो वह खुद-ब-खुद मरे जा रहे हैं।

बहराइच जनपद के जन्तुओं को बचाने के लिए मान्यवर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ अच्छे से अच्छे फारेस्ट ऑफिसरों को भेजा जाय उनको दो-तीन इन्क्रीमेंट दे दिये जायें तब उन्हें वहां भेजा जाय। कतनियां घाट और निशानगाड़ा में एक भी वन्य जीव आज नहीं रह गया है, वन निगम में वहां पर गरीब आदमी को जो लकड़िया मिल जाया करती थीं उसकी सुविधा पूरी तरह से समाप्त हो गयी है। मान्यवर, आप इसकी जानकारी कर लें। इसकी तरफ वन निगम का ध्यान आज बिल्कुल भी नहीं है। वन निगम की आरा मशीनें बन्द हैं। मान्यवर, कतनियां घाट से पहले सरकार पत्थर निकलवाया करती थी, लेकिन अब पत्थर निकलवाना बन्द कर दिया गया है और सरकार ने वहां पर एक घड़ियाल केन्द्र बनाया है तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जब वहां से पत्थर निकालने का काम बन्द कर दिया गया है, जिससे नदी की गहराई कम होती जा रही है और पिछले 5 सालों से पत्थर न निकाले जाने के कारण वह नदी में पत्थरों की संख्या बढ़ती जा रही है तो मान्यवर जब नदी में बाढ़ आयेगी तो यह सारे घड़ियाल जो है उसमें

वह वह जायेंगे, मान्यवर आप इसका निरीक्षण करवा लें मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक कमेटी बनाइये और उस वाईल्ड लाईफ बोर्ड में कुछ विशेषज्ञों को रखिये और उनसे राय लीजिए कि किस तरह से इन वन्य जीवों की संरक्षण प्रदान किया जा सकता इससे अधिक गंभीर बात यह है कि आज वहां इन जानवरों के रहने के लिए जंगल ही नहीं रह गये जिसमें वह रह सके तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि वहां वन विभाग की तेज तर्रार अफसरों को दो-तीन प्रमोशन देकर वहां भेज दीजिए। वहां पर ऐसे अधिकारियों को न भेजिये जो एयर कंडीसंड में रहने के आदी हैं और जिनके बच्चे माटीज कार पर चलते हैं। ऐसे लोगों को वहां पोस्ट करेंगें तो जंगल नहीं बच पायेंगें। लखनऊ में जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 हैं उनके घरों का सर्वे करा लीजिये कि कितना सागौन वहां लगा है और वह कहां से आया है। अगर यह काम आप करवा लें तो वन के इतिहास में आपका नाम अमर हो जायेगा। मैं बहराइच के जंगलों को बचाने के बारे में कहना चाहता हूँ कि इनको बचाइये। यहां पर मेरा बचपन गुजरा है। वहां पर बहराइच सुहेलवा रेंज में 2-4 सियार या भेडिये ही नजर आयेंगें। अगर वहां के जंगल नहीं बच पायेंगें तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

डा0 इन्द्रदेव सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी निगाह में भले ही यह मंत्रालय कम महत्वपूर्ण होगा लेकिन जो आज की परिस्थिति हैं उसमें यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने बहुत गहराई से इस पर विचार रखे हैं जिसके लिये वह साधुवाद के पात्र हैं। कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सौलत अली जी ने गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुये अपनी चर्चा जिस बिंदु पर खत्म की उसके लिये मैं कहना चाहता हूँ खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। उन्होंने अपनी चर्चा एक अधिकारी विशेष पर आकर समाप्त कर दिया। वन संरक्षण की समस्या अंराष्ट्रीय चिंता है। ऐसे विषय को किसी अधिकारी पर लाकर समाप्त करके उन्होंने चर्चा को संकुचित कर दिया है।

(इस समय 9 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हमारे साधू संत खाल का प्रयोग करते आये हैं अपने बैठने के लिये आसन के लिये। आज अच्छे अच्छे आसन आसानी से प्राप्त हैं। इसकी आड़ में किसी वन्य जीव की हत्या करने का अधिकार किसी को देने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, वहां पर सांप की बात बतायी गयी। एक वृक्ष की लकड़ी होती है, नाम में विस्मरण कर रहा हूँ जिससे बेंत बनता है। उसको घर में रखने से घर में सांप नहीं आता है। मान्यवर, मिट्टी, पानी, हवा और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण की संरचना करते हैं। यह एक दूसरे पर प्रभावित करते हैं और इनके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता भी है। हमारा वायुमंडल आज प्रदूषित हो रहा है। इसमें 78 प्रतिशत नाइट्रोजन है, 21 प्रतिशत आक्सीजन है, और बाकी अन्य गैसे हैं। आज जो रेफ्रीजिरेटर, एयरकंडीशनों में जो गैसे प्रयोग हो रही हैं उनमें ओजोन की पर्त को नुकसान हो रहा है। यह ओजोन की पर्त सूर्य वायुमंडल में आने वाली खतरनाक अल्ट्रा वाइलेट किरणों से मानव जाति व जीव जंतुओं को बचाती है इसलिये इन यंत्रों में प्रयोग होने वाली गैसों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। आज जल और वायु प्रदूषित हो रही है जिसके कारण अम्लीय वर्षा हो रही है। इसके कारण ताजमहल और झीलों को नुकसान हो रहा है। इससे जीव जंतु और मानव जाति भी प्रभावित हो रही है। जो बिना रीढ़ के जंतु हैं उनकी बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। अभी यहां पर गिद्धों की चर्चा आयी। ये मृत सड़े गले जंतुओं को खाकर वातावरण को स्वच्छ रखते हैं वह गिद्ध न जाने कहां चले गये है, इसका कारण क्या है? इसका कारण सम्भवतया पर्यावरण का प्रदूषित होना तो नहीं। भारत ब्राजील के बाद दूसरा देश है जहां वन तेजी से नष्ट हो रहा है। 2.8 प्रतिशत वार्षिक दर से हमारे देश के अन्दर वन समाप्त होते जा रहे हैं यह चिन्ता का विषय है। इसी चिन्ता को लेकर ब्राजील के अन्दर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें सारी दुनियों के देश एकत्र हुए

थे उन्होंने इस बात की चिन्ता जाहिर की थी कि उद्योगीकरण के कारण शहरी करण के कारण कार्बनडाइ आक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और इस कार्बन डाइ आक्साइड की मात्रा को सीमित करने के लिए उन्हीं लोगों ने वहां प्रस्ताव रखा था कि सारे देश इसकी बढ़ती हुई मात्रा को सीमीत करने का प्रयास करें कुछ हद तक प्रयास भी किए गए। जिस प्रकार आटा चावल हम मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे कार्बन डाइ आक्साइड का प्रभाव अपना भोजन बनाने में करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कार्बन डाइ आक्साइड का अधिक उत्पादन हो रहा है इसकी वजह से अधिक वनों को लगाने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0इन्द्रदेव सिंह-

माननीय मंत्री जी ने वनीकरण के लिए वनों को विस्तृत करने के लिए वनों को बचाने के लिए अनेक योजनाएं रखी हैं इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने गांवों में इको डेवलपमेंट प्रोग्राम इको फ्रैडली समितियां बनाने का प्रस्ताव रखा है इन समितियों को विस्तृत करने की आवश्यकता है ऐसी समितियॉ वृहद स्तर पर बनाए जाने की आवश्यकता है। वनों के ऊपर निर्भरता वनों के निकटवर्ती ग्रामों के निवासियों की वनों पर निर्भरता के कारण जहॉ वनों को हानि पहुॅचती है, वही वनों में रहने वाले हाथी, शेर, जंगली सुअर गांव वालों को नुकसान पहुॅचाते हैं। जंगली हाथी उनकी फसलों को बहुत नुकसान पहुॅचाते हैं। कृषकों को मुआवजा देने की आवश्यकता है। इस समय मुआवजा की प्रक्रिया जटिल है इसको सरल बनाए जाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूॅ।

श्री राम विशुन आजाद-

अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूॅ। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 18 प्रतिशत वन क्षेत्र था उत्तराखण्ड के अलग हो जाने से 16 प्रतिशत उत्तराखण्ड में चला गया अब दो प्रतिशत वन क्षेत्र हमारे प्रदेश में बचा है। यह चिन्ता का विषय है वन को और अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाए। मानव का पेड़ से बहुत गहरा सम्बंध है अगर पर्यावरण ठीक रहेगा तो पूरा समाज ठीक रहेगा, देखा जाए तो जितना वृक्षारोपण किया जा रहा है सरकार द्वारा चाहे जिला योजना के माध्यम से या अन्य योजना के माध्यम से जो भी वृक्षारोपण करवाया जा रहा है केवल यू0 के0 लिप्टिस अर्जुन आदि पेड़ लगवाए जा रहे हैं इससे पर्यावरण को कोई लाभ नहीं है। सरकार को नीम, पीपल, बरगद, जामुन, आम के पेड़ लगवाने चाहिए इससे पर्यावरण में सुधार आएगा। मैंने नियम 56 में इस पर एक सवाल लगाया था जिस पर मंत्री जी ने जवाब दिया था अगले वर्ष से नीम पीपल, बरगद के पेड़ लगवाएं जाएंगे हमारे यहां गोण्डा जनपद में टिकरी इलाके में एक भी पेड़ इस तरह का नहीं लगाया गया। कैसे पर्यावरण में सुधार करेंगे। एक हे0एयर वन 3 मी0टन अशुद्ध वायु लेता हैं। दो मी0टन शुद्ध वायु देता है। इस तरह से अगर छायादार वृक्ष नहीं लगाए जाएंगे तो पर्यावरण नहीं सुधरेगा। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूॅ टिकरीरेंज में हरनाटाय ग्राम पंचायत में भूमि छूटी हुई है मगर वहॉ एक भी पेड़ का वृक्षारोपण नहीं किया गया जो भी पैसा वहॉ के लिए आया पता नहीं कहॉ गया। कागजों पर पेड़ लग जाते हैं। वहीं पर बनटानिया मजदूरों का शोषण किया जाता है। उनको मजदूरी नहीं दी जाती है। यदि उनको शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार मजदूरी भी दी जाय तो भी उनका गुजारा चल जाय। अवैध कटान की बात की गई तो मान्यवर जो अवैध कटान करते हैं वह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गये। अभी माननीय मंत्री जी वहॉ पर आये मैं भी गया लेकिन जैसे ही वह वहॉ से गये एक टन लकड़ी कट गई पहले कटती तो मैं उनकी जानकारी में लाता। मेरा एक सुझाव है कि वन ग्राम समितियों

को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाय। प्रधान वन की रक्षा तो कर रहे हैं लेकिन आस पास के जो भू माफिया है यदि उनसे प्रधान कुछ कहे तो पता नहीं उसका दूसरे दिन क्या हो रहेगा ही नही वह।

ग्राम समितियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाय। अधिकार दिये जॉय जिससे अवैध कटान रूक सके। किसान पेड़ लगाता है इस आशा में कि वह उसे काटकर अपनी लड़की की शादी या बच्चे की फीस जमा कर देगा लेकिन जब वह परमिट के लिए जाता है तो यह कहकर भगा दिया जाता है कि वन एरिया में एक भी पेड़ काटने पर शासन की रोक है। मैं कहना चाहता हूँ कि वन कटान को रोके लेकिन जो मैंने पेड़ लगाया है उसे तो काटने की अनुमति दी जाय। सड़कों के किनारे पेड़ लगे हैं वह अंदर से जल गये हैं उनको काटा जाय जिससे राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही इसकी जगह पर नीम के पेड़ लगाये जॉय। मनीपुरग्रण्ट के बगल मे जो भट्टे लगे हैं उनके मालिक जंगल से पेड़ काटकर भट्टे में झोंक देते हैं इसकी जांच कराई जाय उनके लाइसेंस रद्द किये जायें। वरना वन नहीं बचाये जा सकते हैं। वन विभाग में बहुत भ्रष्टाचार फैला है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें, बहुत हो गया।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, पर्यावरण बहुत दूषित हो गया है।

श्री अधिष्ठाता-

मेरे मना करने पर भी आप बोले जा रहे हैं। अब आप बैठ जायं।

श्री राम विशुन आजाद-

ठीक है मान्यवर, आप नही बोलने दे रहे हैं तो मै इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जंगल एरिया के अन्दर तमाम खाली जमीन पडी है जिस पर तत्काल वृक्षारोपण करा दिया जाय। सामाजिक वानिकी के लिये आप बहुत जोर दे रहे हैं इसलिये वृक्षारोपण जरूर करवायें। इन्ही शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, एक माननीय सदस्य श्री बाल चन्द्र मिश्र जी हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे और बजट के समर्थन पर अपनी बात धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए कहाथा कि यह जो सिंहों की खाल है वह धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है, इस पर आसन लगाकर पूजा करते हैं। मान्यवर, इस सरकार के सामने धार्मिक संकट खड़ा हो गया है। जहां एक प्रश्न वन्य जीवों के संरक्षण का है, आपके कथन से लगता है कि उन जीवों का संहार करके ही खाल प्राप्त की जा सकती है। यह तो सरकार के ऊपर है कि वह वन्य जीवों का संहार करे या वन्य जीवों का संरक्षण करे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जंगल है जो वन है उसमें दो तरह से आग लगती है। एक तो दावाग्नि जो स्वत: आग लग जाती है उसमें तमाम जंगल नष्ट हो जाता है दूसरी मनुष्य स्वयं लगाता है। आग लगने के बाद जलने से पेड़ जल जाते हैं वहां नीचे हरी हरी घास उगती है। यह हरी घास जानवर को चराने के काम आती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि छोटे से स्वार्थ के लिये जो लोग इतने बड़े जंगल में आग लगा देते हैं अपने जानवरों को चराने के लिये, जिससे इतने बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान होता है। उनकी जो समस्या है, वनों पर आधारित ऐसे लोग हैं, उनके संरक्षण के लिये, उनके व्यवसाय के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए अपने वनों के संरक्षण का काम करें। जहां आपने अपनी धार्मिक भावनाओं को जोड़ते हुए सरकार से यह कहा वहीं पर मैं आपके माध्यम से वैज्ञानिक फैक्टर हैं बता रहा हूँ एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा आक्सीजन

देता हैं वह पीपल का पेड़ हैं। वह इसलिये बहुत मशहूर हुआ क्योंकि भगवान बुद्ध ने वहां उसके नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि ऐसे पीपल के पेड़ों को भी लगाने की व्यवस्था करें। इसको अधिक मात्रा में लगाकर पर्यावरण जो असन्तुलित हो रहा है उसको सन्तुलित करने के लिये इसके पेड़ों को लगायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सौलत अली द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हुकुम सिंह-

इनको भी सुन लें माननीय सदस्य कानपुर को सुन लिया माननीय सदस्य गोंडा को सुन लिया इनको नहीं सुना तो अधूरा रह जाएगा।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा0अरविन्द कुमार जैन)-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करत हूँ। इतिहास की बात है जब अंग्रेजों का समय था 1947 तक 45,000 शेर जंगल में थे। जब हम लोगों का शासन आया तो 2500 शेर रह गए क्योंकि सब मरवा दिए। यह इतिहास की बात है आप देख लें हमने यह काम नहीं किया यह जो काम हुआ है इसका कारण आप हैं। पहले जब जंगल में शेर थे तो लाइट लेकर जाते थे कि शेर आ जाएगा आज शेर दिखाई नहीं देते हैं। मैं लिस्ट दे सकता हूँ 1947 में किन-किन लोगों ने जंगल काटा जो लोग थे यह इनकी पार्टी के लोग थे मैं लिस्ट दे सकता हूँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि सदन में किसी का नाम लेना ठीक नहीं है नाम लेकर उसकी बदनामी नहीं करनी है। आप कहते हैं जंगल राज है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई है।

डा0अरविन्द कुमार जैन-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बावन सिंह-

माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का मैं समर्थन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं ज्यादा कुछ न कहकर गोंडा जनपद बहराइच जनपद की समस्या के बारे में कहना चाहता हूँ। वन सम्पदा जो नष्ट हो रही है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ हमारे यहां बहराइच जनपद में जरवल में बैरियर लगा है। अयोध्या फैजाबाद में सुईहैल गंज के किनारे बैरियर लगा है। पुलिस विभाग के लोग और बैरियर के लोग आए दिन सैटिंग करके जंगल से लकड़ी पिपरी रेंज से चोरी से निकाल ले जा रहे हैं वह चाहे बबूल की लकड़ी हो चाहे और कोई लकड़ी हो चोरी से निकाली जा रही है। दोनों बैरियर पर अधिकारियों से लेकर पुलिस विभाग, वन विभाग के लोग 10 हजार रुपये पर डे की अवैध लकड़ी की निकासी कर रहे हैं। उत्तरांचल बनने से बहुत बड़ा भू-भाग उसमें चले जाने के बाद नेपालगंज में वन सम्पदा की बहुत बड़ी क्षति हो रही है उसकी तरफ मैं शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूँ। श्रीमन् दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लखनऊ से जब गोंडा चलते हैं तो हजारों पेड़ शीशम के सूख गए हैं इसमें एन0आर0आई0 वन विभाग से जॉच करायें यह पेड़ क्यों सूख रहे हैं। शीशम के पेड़ बहुत बुरी तरह से सूख रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री बावन सिंह-

पारसपुर थाने में दलपत्थर के पास दो-तीन पेड़ का परमिट लेने के बाद हरे पेड़ आम के थे उनको काट कर गिरा दिया गया पुलिस के लोग मिले हुए थे। अगर साठ-साठ आम के पेड़ काट दिये जायेंगे तो वन सम्पदा और पर्यावरण का क्या होगा? इन्हीं शब्दों और सुझावों के साथ मैं माननीय वन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री मोती लाल-

मान्यवर, मेरे जनपद खीरी में अपार वन सम्पदा है। वहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है। हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन फैला हुआ है। किशनपुर रेंज जहाँ सेन्चुरी के नाम से जाना जाता है इसको खत्म किया जाय क्योंकि लोग वहाँ पर शिकार करते हैं। इनसे वनों को लाभ मिलने वाला नहीं है। किशनपुर रेंज में शारदा नदी बह रही है और लाखों पेड़ काटकर बहा ले जाती है इसकी रोकथाम करें। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जो नील गायें हैं यह जंगलों के किनारे किसानों की फसल को नष्ट कर देती हैं। जो उड़द, अरहर दलहन की नरम पत्ती होती है उसको खा जाती है। हमारा सुझाव यह है कि ऐसा इंजेक्शन तैयार करायें जिससे इनकी प्रजनन शक्ति खत्म हो। अंत में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अजय कुमार पोइया-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय वन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, मथुरा जनपद के गेहरबन में पुलिस चौकी थी। इसे बिना किसी सूचना के जंगल के माफियाओं द्वारा हटवा दिया गया। इसे फिर से स्थापित किया जाय। मान्यवर, दूसरा मेरा यह कहना है कि जो लखनऊ चिड़ियाघर में जंगल की सुरक्षा के लिए राइफल होती है वह अधिकारी के कक्ष में रखी है उसे बाहर रखा जाय। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह भी लाना चाहता हूँ कि वनों में 199 अफसर है, 920 रेन्जर एवं हजारों फारेस्ट गार्ड हैं लेकिन वह सब मिलकर वनों को काट रहे हैं। जानवरों और चीतों को मारा जा रहा है। एस0टी0एफ0 ने एक माह का लक्ष्य निर्धारित करके जो दुधवा के जानवरों को बचाने का काम किया है वह सराहनीय है। उसने इन लोगों का पर्दाफाश किया है लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें। अंत में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, श्री बाल चन्द्र मिश्र, डा0 इन्द्र देव सिंह, राम औतार शाक्य जी, राम विशुन आजाद जी, डा0जैन साहब, मोती लाल पैलवी जी, अजय कुमार पोइया जी ने तथा माननीय सदस्य लिखने से रह गये उन्होंने और खासतौर से माननीय मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से सुझावों को सुना इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, मैं दो तीन सुझावों के साथ जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दें तो इस बात का विशेष ध्यान करें और आश्वासन दें कि इस पर कार्यवाही हो। मान्यवर, वन रोज के संबंध में यह कहा गया कि परमिट मिल रहे हैं। हमारे मुरादाबाद में एक भी परमिट जिलाधिकारी ने नहीं दिया है। यह खाली घोषणाएं हैं। इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। तो इससे इनकी तादाद कम नहीं हो रही है। इसमें आप कार्यवाही करें। डियर पार्क के लिये कोई प्रभावी योजना बनायें एक बंधा बनवा दें विधायक निधि से धन देने को यहा हैं हमने जिला योजना में 5-5 लाख रु0 देने की बात कही थी, आप योजना बनवायें हम भी सहयोग करेंगे। उसको बचाने का प्रयास करें। बन विभाग में भ्रष्टाचार की तरफ कोई प्रभावी कार्यवाही करें। छूट प्रजाति को लेकर समस्या है जिला मुख्यालय पर परमिट लेने जाना पड़ता है इस पेड़ के लिये रेंज आफिस से अनुमति मिल जानी चाहिये। मैंने तो बड़ी मेहनत करके पूरा पहाड़ खोदकर एक आफिसर को निकाला था, भाई इन्द्रदेव जी ने मापने तो उन्हें चुहिया बना दिया। भाई राम औतार जी ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा कि यह सरकार संरक्षण कर रही है या संहार कर रही है हिरन शेरों का। यह सरकार संहार चाह रही है तमाम खालें बरामद हो रही हैं। हम आपसे संरक्षण की अपील करते ताकि संतुलन बना रहे पर्यावरण को बनाये रखना है। इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री राजधारी सिंह-

मान्यवर, मैं आभारी हूँ। भाई सौलत अली जी का, डा0 वकार साहब का, डा0इन्द्रदेव जी का, बालचन्द्र मिश्र जी का, राम विशुन आजाद जी का, राम औतार शाक्य जी का, जैन साहब का, मोती लाल जी का, पोइया जी का और अम्बिका चौधरी जी जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमारा ज्ञानवर्द्धन किया। हमारी जो कमियां हैं उधर ध्यान आकृष्ट किया। हमें बहुत संकल्प के साथ काम करने का अवसर देने की दिशा में आपने योगदान दिया है। चूंकि वातावरण इस समय जाने का है। एक तो शिकायत की गयी कि वन क्षेत्र घट रहा है। हमारी जनसंख्या का निरन्तर दवाब विकास के सारे काम सड़क का चौड़ीकरण जो उपग्रह से चित्र लिये गये थे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है 1999 में 1997 के सापेक्ष में 22 वर्ग किलोमीटर, 1997 में 1995 के सापेक्ष 8 कि0मी0 और 1996 में 1993 के सापेक्ष 25 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्र का संदर्भ दिया गया यह बात सही है कि कुछ घटनायें प्रकाश में आयी हैं जो वाइल्ड लाईफ है रिजर्व फारेस्ट हैं पोचिंग की बात रखी हें पोचिंग की घटनायें हुई हैं मृतक शेर पाये गये हैं। 2-4 ऐसी घटनाएँ हुई जिसमें स्थानीय किसानों के द्वारा, जनता के द्वारा, जिसका मैंने जिक्र किया था एनीमिटी बिटवीन एनीमल एण्ड मैं। बाघ की जो तस्करी की घटनाएँ आई जैसा कि एसटीएफ की रिपोर्ट है। उसने फैक्स के द्वारा संदेश दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी की घटनाएँ हो रही है इसमें बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और फतेहपुर है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सीमा 473 कि0मी0 नैपाल की सीमा से सटी हुई है और नेपाल भी अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी का केन्द्र है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जो भी तस्करी की घटना में जो खाले पाई गयी वह हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की थी और शिकायत की कि सभी वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई लेकिन वन शिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसके बारे में सफाई देना चाहता हूँ कि 2000-2001 में 85 अवैध शिकार के मामले पकड़े गये और 144 अवैध शिकारियों को पकड़कर जेल भेजा गया। चीतल और हिरनों के शिकार में हमने 5 अपराधियों को पकड़ा उसमें से हमारे सदन के सदस्य भी थे। हमने 4.1.99 को तीन लोगों को गिरफ्तार किया कतरनिया घाट के संदर्भ में हमने 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

डा0 वकार अहमद शाह-

घाघरा घाट के किनारे पाडे और चीतल बहुतायत से मिलते हैं उनका शिकार होता है।

श्री राजधारी सिंह-

मान्यवर, हमने तीन साल में कटान के ऊपर काफी प्रतिबन्ध लगाया है इसका परिणाम है कि इसमें सुधार हुआ है।

मान्यवर, कतरनियां घाट का जिक्र किया गया वहॉ पर स्थिति खत्म है इसके बारे में तत्काल विशेषज्ञों का दल भेजकर दिखवायेंगें क्योंकि हमारे वहॉ क्रोकोडायल सेन्टर भी हैं, उसका क्या असर होगा, इसकी जॉच करायेंगें। एक प्रश्न उठा राजाजी पार्क में अखरोट के पेड़ का दुरूपयोग किया गया मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि राजा की उद्यान पार्क में अखरोट पेड़ नहीं पाया जाता है।

(टोकाटाकी से व्यवध्यान)

मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं, हम सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाते हैं कि हम उस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करेंगें। हम स्वयं प्रयत्नशील हैं। हम विश्वास दिलाते हैं विभाग की तरफ से जो भी चिन्ता व्यक्त की है वह किसी अधिकारी के बारे में है तो उसकी जॉच करायेंगे। हमें इस बात का खेद हैं कि हमारे सौलत भाई, उनसे हमें बड़ी उम्मीद है, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपनी बात रखी लेकिन समापन किसी व्यक्ति विशेष को लेकर किया। मैं इन

भावनाओं के साथ अनुरोध करूँगा कि कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें जिससे वन क्षेत्रों को आगे बढ़ा सके।

श्री अधिष्ठाता-

सौलत जी, कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मैं तो समझता था कि विभाग की ओर से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का आश्वासन मिलेगा और कुछ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगें इस पर कोई चिन्ता नही व्यक्त की गयी बल्कि उल्टा थोड़ा सा पक्ष लेकर उसका बचाव करने की कोशिश की है इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,58,66,89,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 14 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट के मानिकपुर थानान्तर्गत सड़क दुर्घटना में 20 लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना डा0सरजीत सिंह डंग की जनपद मिर्जापुर में डा0 श्याम प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

(इस मध्य सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बाहर जाने पर)

सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से उठकर चले जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस तरह से एक साथ ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्यगण खड़े हो गये और आपने अभी एक मद को पढ़ना शुरू ही किया, यह एक तरह से इस पीठ का अवमान करने का प्रयास किया है। यह बहुत निन्दनीय बात है और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस पर पहले आप अपनी व्यवस्था दे लें, इसके बाद में उस मद को आगे पढ़ने की कृपा करें। कुछ माननीय सदस्य हल्की टिप्पणी के साथ कहते हुये चले गये। यह बात कदाचित उचित नहीं है। जितने सदस्य यहॉ कम या ज्यादा हैं, उनको इस तरह जाने की जल्दी हो, इस तरह से पीठ का अवमान का प्रदर्शन कतई उचित नहीं है। आप इस पर पहले अपनी व्यवस्था दे दें। कुछ माननीय सदस्य जिस तरह बैठे-बैठे टिप्पणियॉ कर रहे हैं, यह सदन की मान मर्यादा के अनुरूप है कि नही, इसको आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। मंत्रियों की सम्मानित कुर्सी पर बैठे सम्मानित सदस्यगण अगर पीठ की तरफ इस तरह के भाव रखेंगें तो यह न सिर्फ परम्पराओं के क्षरण

का प्रश्न होगा, बल्कि हम सब लोगों के लिये बड़ा अशोभनीय है। इस लिये पहले इस प्रश्न पर व्यवस्था आ जाय, इसके बाद आप उस मद को पढ़ने की कृपा करें।

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल रामकुमार वर्मा)-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने कोई पीठ की अवमानना नहीं की है। चौधरी साहब विद्वान सदस्य हैं फिर भी स्वयं तो अपने पीछे मुड़कर देख लें कि वह कितना सम्मान कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से स्थिति यह है कि माननीय सदस्यगण पीठ कर सम्मान कर रहे हैं और जो बात कही जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। शान्तिपूर्ण ढंग से सदन अब भी चल रहा है, जल्दी चौधरी साहब को है और दूसरों की तरफ इशारा कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

सभी माननीय सदस्यगण सदन व्यवस्थित रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं है या जो किन्हीं कारणों से चले गये हैं, वह चाहे प्रतिपक्ष के हों, या सत्ता पक्ष के हों, उनके प्रति कोई बात नहीं की है। मैंने संख्या बल को लेकर कोई जोर आजमाइश की बात नहीं की है। आपने हॉ न करा लिया, इसमें कोई संख्या की बात थी, जितनी मदों पर आपने प्रश्न उपस्थित किया, उसमें अगर संख्या कम है तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हम लोग आपकी पीठ के बांये तरफ बैठे हैं। हम तो आचरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यों ही आपने मद को पढ़ना प्रारम्भ किया, सभी माननीय सदस्यगण हल्की टिप्पणियॉ करते हुये, उठकर चले जाये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। न मेरी कोई व्यक्तिगत मॉग थी, मैने अमुक मॉग की और अनुदान नहीं दिया हो, मैं सरकार के सम्मुख इसलिये नहीं खड़ा हूँ। अगर नरेन्द्र सिंह जी ने नहीं सुना तो आप बैठ जाइये। मान्यवर, यह उचित नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जब कोई टिप्पणी ही नहीं की गयी लेकिन आप दोहरा रहे हैं। आप बार-बार कह रहे हैं कि टिप्पणी करते हुए चले गये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक माननीय सदस्य ने क्या सुना, क्या नहीं सुना, मैंने कोई नाम नहीं लिया है और एक सदस्य नरेन्द्र सिंह जी ने टिप्पणी नहीं की इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि नरेन्द्र सिंह जी मंत्री नहीं है, अगर वह मंत्रि परिषद के सदस्य होते तो मान्यवर, जो संयुक्त जिम्मेदारी है, उस सिद्धान्त के तहत् अगर आप कहते तो हम मान लेते।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, सदन में जो माननीय सदस्य उपस्थित है, किसी ने सुना नहीं जो बात कही जा रही है तो इसका क्या औचित्य है?

श्री अम्बिका चौधरी-

आप कहते हैं कि टिप्पणी नहीं की, हम मान लेते हैं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, निश्चित रूप से कोई बात थी, आप कोई ऐसी हरकतों के साथ थे जो टिप्पणी करते हुए नहीं सुना।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी का रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनको सरकार चलानी होती है लेकिन परम्पराओं के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री कार्य देखते हैं। अब स्थिति बड़ी विषम हो गयी है, इतना महत्वपूर्ण व्यवस्था का सवाल उठाया गया है, संसदीय कार्य मंत्री जी भी

यहां नहीं हैं। अब सरकार की तरफ से कौन जवाब होगा, यह तो बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है, इस सरकार का। इस प्रश्न पर अब व्यवस्था देना बहुत अनिवार्य है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं है और जो गम्भीर व्यवस्था के सवाल पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ सकता इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया जाए और उनका पक्ष लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, यह आप जानते हैं कि मंत्रि-परिषद का सामूहिक दायित्व है। यहाँ पर मंत्रि-परिषद के कई वरिष्ठ सदस्य हैं किसी कार्य से माननीय संसदीय कार्य मंत्री को जाना पड़ा है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")-

मान्यवर, मैं तो यहीं था, मैं बातें सुन रहा था हम में से किसी ने भी, किसी को मैंने नहीं सुना कि पीठ के प्रति कोई टिप्पणी करते हुए। यह बात जरूर थी, 10 बजे तक रूकने की बात थी। आप भी सहमत हैं। इसमें कोई बात नहीं है। इस चीज को सभी समझते हैं, अन्तर्मन की बात हो, उसे व्यक्त करने की जरूरत भी नहीं है। यहां बड़े संसदीय कार्य के ज्ञाता बैठे हैं, इस विषय को न उठाकर उस समय अगर बात थी तो एक बजट की बात चल रही थी, उस बजट को पूरा करने का समय होता है। उस समय हो जाना चाहिए, विषय कोई भी उठा सकते थे लेकिन पीठ के प्रति इस तरह की बात करना, जोकि पूरी तरह से असत्य एवं निराधार है इससे आपका और हमारा दोनों का अपमान होता है। कोई अन्य बात उठा देना उचित रहता। किसी ने भी पीठ का अपमान नहीं किया है। अगर 10.00 बजाने की बात थी तो कोई और बात कह देते, कोई और विषय रखते। क्या हम लोग 11.00 बजे तक बैठने को तैयार हैं?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, हम लोग इस मंत्रि-परिषद् के तमाम लोगों का सम्मान करते हैं और उनसे कहीं ज्यादा वित्त मंत्री जी का सर्वाधिक सम्मान करते हैं। आज वित्त मंत्री जी ने कहीं उनको यह बात कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ गयी कि यह बात 4 वर्षों से अधिक समय से देख रहे हैं। तमाम मंत्रीगण के हिस्से में जो बाते होती हैं उसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी के हिस्से की बात को हरीश जी को कहने की आवश्यकता पड़ी, यह साधारण अवसर नहीं है। आज की कार्यसूची में मद संख्या-9 को जब आगे बढ़ाया तो . . . .

एक सदस्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, इनको रोका जाये, यह सदन का समय बरवाद कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य को क्षमा कर दें, उनका कोई दोष नहीं है, मेरे मन में उनके प्रति कोई गिला-शिकवा नहीं है, वह पूर्णत: निर्दोष हैं, निष्कलुष व्यक्ति हैं, उनको गऊ सरीखा समझ लें, उनके मन में कोई पाप और गन्दगी पैदा ही नहीं हो सकती है। आई0पी0सी0 में एक्सेप्सनल क्लाज है, अपराध करने पर भी क्षमा कर दिया जाता है। ऐसे सदस्य के बात को मन में रखिये, न शब्दों पर गौर कीजिएगा, इन्होंने जो कुछ कहा है वह अन्जाने में कह दिया है। अज्ञान कोई अपराध नहीं है और अगर कोई अपराध भी है तो वह क्षमा के योग्य है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हरीश जी का जिन्होंने, सही स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से मद संख्या-9 को पुकारा गया और पुकारते ही चले गये, किसी ने टिप्पणी नहीं की। यह आप कह देंगें तो मुझे कोई बात नहीं कहती है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ एक घंटे पहले से ही उनकी तबियत खराब थी। ऐसा अवसर आया जब वह उठकर चले गये हैं। चेहरा देखने से पता चलता है। मैंने उनसे स्वयं कहा था कि चले जाइये मैं इसको देख लूँगा।

श्री जटाशंकर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अम्बिका जी ने जो कुछ अनजाने में कह दिया उसके लिए पर्याप्त क्षमा याचना कर ली है, उन्हें क्षमा कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैंने विस्तार से माननीय अंबिका चौधरी, उधर के और इधर के माननीय सदस्यों को सुना है। चाहे माननीय सदस्य हों या माननीय मंत्री हों, कोई इस पीठ की अवमानना नही करना चाहता है, अब इस प्रकरण को समाप्त किया जा रहा है।

नियम 51 के अर्न्तगत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता-

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की प्रदेश में सी0बी0एस0ई0 की प्री-डेन्टल/प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के चलते लाखों छात्र/छात्रों का भविष्य अन्धकारमय होने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत। चौथी सूचना आचार्य श्री रामदेव वैश्य की है जो जनपद फैजाबाद की नगरपालिका रूदौली तथा आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैधानिक रूप से बीमार पशुओं के मांस की बिक्री किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई। पॉचवीं सूचना श्री तेजभान सिंह की है जो कि सिंचाई खण्ड-28, हैदरगढ़, बाराबंकी में व्याप्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में है, जो कि वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई। छठी सूचना श्री श्रीराम पाल की है जो कि जनपद जालौन में वर्ष 1999-2000 में बाढ़ के कारण बांधों के टूटे तटबन्धों एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत न कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई। सातवीं सूचना श्री नेतराम सिंह की है जो कि विद्युत खण्ड कासगंज, एटा के 33 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन बिलराम को चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई। आठवीं सूचना डा0 पूर्णमासी पंकज की है जो जनपद संत रविदास नगर भदोही के टाउन एरिया में भदोही रेलवे फीडर मार्ग की नाली ऊंचा करने एवं मरम्मत का कार्य तथा दोनों ओर एक किमी0 नाली निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई। नवीं सूचना श्री रामविशुन आजाद की है जो कि देवी पाटन मण्डल के अंतर्गत जनपद गोण्डा में मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से 2000-2001 में जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुई सड़कों पर लेपन का कार्य पूरा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई। दसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है जो कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ, डा0 प्रमोद तिवारी की विशेष परिस्थितियों में हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी। ग्यारहवीं सूचना श्री बिजय पाल सिंह की है जो कि जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत निरन्तर अपराधों की बढ़ती स्थिति तथा पुलिस द्वारा सम्भ्रान्त जनों के उत्पीड़न के संबंध में है, यह सूचना नियम 56 में प्राप्त हुई थी जो कि नियम 51 में परिवर्तित कर दी गई है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। बारहवीं सूचना श्री कोकब हमीद की है जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के निलंबित नजूल अमीन श्री शिव कुमार श्रीवास्तव

की बहाली के संबंध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। तेरहवीं सूचना श्री आर0के0सिंह पटेल की है जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र जनपद-चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश एवं जिलांश वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकृत धन से अविलम्ब राहत कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। और चौदहवीं सूचना श्री बाबू लाल जी की है जो कि जनपद आगरा की किरावली तहसील अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना में कथित रूप से एक ही मार्ग को जिला योजना/सांसद निधि से बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई।

श्री अधिष्ठाता-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम श्री शिवसिंह चक, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री बाबू लाल कुरील, श्री बिजय पाल सिंह हैं।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 10 बजकर 03 मिनट पर मंगलवार 15 मई 2001 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक -14 मई, 2001

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0-6 का उत्तर पीछे पृष्ठ ----- 22--- पर।)

तालिका "क"

माननीय मंत्रीगण द्वारा 1 जनवरी, 2000 से 1.11.2000 तक लिये गये (माहवार) वास्तविक जेबखर्च का विवरण :--

माह	धनराशि
जनवरी, 2000	30,92,808
फरवरी, 2000	33,60,261
मार्च, 2000	22,64,116
अप्रैल, 2000	25,98,058
मई, 2000	54,33,852
जून, 2000	85,17,890
जुलाई, 2000	60,09,611
अगस्त, 2000	34,42,392
सितम्बर, 2000	37,90,161
अक्टूबर, 2000	50,64,254
नवम्बर, 2000	शून्य

योग रू0 4,35,73,403

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका "ख"

प्रदेश के समस्त मा0 मंत्रीगण द्वारा दिनांक 1.1.2000 से 1.11.2000 तक आहरित वेतन एवं भत्तों का माहवार विवरण :-

माह	वेतन	अन्य भत्ते	योग
जनवरी, 2000	2,27,500	11,88,000	14,15,500
फरवरी, 2000	2,27,500	11,52,000	13,79,500
मार्च, 2000	2,27,500	11,88,000	14,15,500
अप्रैल, 2000	2,27,500	11,70,000	13,97,500
मई, 2000	2,27,500	11,99,071	14,26,571
जून, 2000	2,27,500	11,83,000	14,10,500
जुलाई, 2000	2,27,500	12,01,200	14,28,700
अगस्त, 2000	2,26,452	11,95,665	14,22,117
सितम्बर, 2000	2,25,000	11,70,000	13,95,000
अक्टूबर, 2000	2,23,467	11,79,907	14,03,375
नवम्बर, 2000 (1.11.2000 तक)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग रू0--	22,67,419	1,18,26,843	1,40,94,262

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-46 का उत्तर पीछे पृष्ठ----- 73 --- पर।)

परिवहन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां

1-333 राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बसें ही चले। योजना में अनुमन्य मार्गों को छोड़कर निजी बसों का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहें।

2-169 मार्गों में प्रस्ताव के अनुरुप संशोधन की कार्यवाही को अन्तिम रुप दे दिया जाए और यदि कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई तो संशोधन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

3-12 मार्गों पर निगम संचालन की आवश्यकता होने की स्थिति में परमिट प्राप्त कर बसों का संचालन करने हेतु स्वतंत्र रहें।

4-109 मार्गों को अराष्ट्रीकृत किया जाए।

5-क्षेत्रीय प्रबन्धक और सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण कर निगम की अपर्याप्त सेवाओं वाले राष्ट्रीयकृत मार्गों हेतु निजी बस सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।

6-राष्ट्रीयकृत मार्ग के 16 कि0मी0 से अनधिक दूरी के मार्ग पर निजी बसों के संचालन की अनुमति दी जाए।

7-जनपद मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय अथवा मुख्य स्थान से सीधी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीयकृत मार्ग के 16 कि0मी0 से अनधिक दूरी के मार्गांशों पर प्राइवेट वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाए।

8-जनपद मुख्यालय से 30 कि0मी0 अनधिक दूरी वाले तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्गों पर निजी वाहनों के संचालन की अनुमति दी जाए।

9-प्रमुख पर्यटक स्थलों तथा स्थानों के लिए वातानुकूलित बसें चलायी जाए।

10-सहारनपुर से दिल्ली तथा उससे सम्बद्ध 38 मार्गों पर दिनांक 9.9.94 को चल रही बसों की संख्या तथा निगम की वर्तमान में बसों की संख्या को घटाते हुए शेष संख्या को निजी बसों को चलाने की अनुमति दी जाए।

11-मेरठ से बुलन्दशहर पर उससे सम्बद्ध 13 मार्गों पर 27.11.97 को चल रही बसों की संख्या में से वर्तमान निगम बसों की संख्या घटाकर अवशेष बसों की संख्या तक प्राइवेट बसों को संचालन करने की अनुमति दी जाए।

12-परमिट को निर्धारित प्रपत्र पर टंकित कराकर एवं उसके लिए निर्धारित शुल्क स्टैम्प लगाकर अथवा नकद जमा करने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13-मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (3सी-ए) के अन्तर्गत राज्य एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण मार्गों का सृजन करें एवं राज्य सरकार की अधिसूचना अपरिहार्य होने की स्थिति में प्रमुख सचिव/सचिव को ऐसी अधिसूचना निर्गत करने हेतु अधिकृत किया जाए।

14-शपथपत्र पूर्णतया समाप्त किया जाए।

15-अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिटों की संख्या निर्धारित न की जाए।

16-उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम 57(1) में मंजिली गाड़ी शब्द जोड़ दिया जाए।

17-राज्य परिवहन प्राधिकरण सचिव अथवा सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण संभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को धारा 57 (1) के अन्तर्गत अधिकारों एवं कृत्यों को प्रत्यायोजित करें।

18-मोटर गाड़ी होने की स्थिति में उसी दिन परमिट उपलब्ध कराया जाए।

19-राज्य प्राधिकरण की 90 दिन में बैठक न होने की स्थिति में सचिव प्राधिकरण अथवा सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 60 दिन में न होने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्राधिकरण के अधिकार एवं कृत्यों का सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया जाए।

20-ठेका गाड़ियों को स्थाई परमिट के लिये हतोत्साहित किया जाए।

21-माल वाहनों की परमिट संख्या को प्रतिबन्धित न की जाए।

22-राष्ट्रीय परमिट जारी करने तथा अन्य राज्यों के मालवाहकों के परमिट के पृष्ठांकन एवं प्रतिहस्ताक्षरित करने का कार्य/अधिकार संभाग के मुख्यालय पर नियुक्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) में निहित किया जाए।

23-परमिट जारी करने में प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त सिद्धान्त कठोरता से लागू किया जाए। परमिट न जारी होने की स्थिति में कारणों को अभिलिखित रूप से आवेदक को दिया जाए।

24-इन कार्यवाहियों में मा0 न्यायातयों के आदेशों का उल्लंघन अथवा अतिक्रमण न होने दिया जाए। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0(वा0)-01 वि0 स0 -23-6-2003-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।